(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] दसवीं विधान सभा के नवें सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 6

सोमवार,

15 सितम्बर, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

आग्रह

जालौर में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति पर वक्तव्य की मांग

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सिर्फ एक सैकण्ड लूंगा। जालौर की जो स्थिति बनी हुई है उसके कारण से वहां सेना बुलानी पड़ी। वहां पर विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए। सरकार स्टेटमेंट लेकर आए। वहां पर गोली चलने से एक व्यक्ति की हत्या हो गयी है। (व्यवधान) इस प्रकार की गम्भीर स्थिति पूरे जोधपुर सम्भाग में बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल स्थगित करें। जालौर में__ (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट स्टेटमेंट लेकर आए। लॉ एण्ड आर्डर के अन्दर यह सरकार पूरी तरह विफल हुई है। इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि यह सरकार शासन में रहे। इस सरकार को तत्काल त्याग-पत्र देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अरुणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सी. बी. आई. से इसकी इन्क्वायरी__(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, यह आग किसने लगायी? यह चिनगारी तो इनकी लगाई हुई है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे कि किन परिस्थितियों के अन्दर वहां पर गोली चलायी गयी, किन परिस्थितियों के अन्दर वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है__(व्यवधान) जोधपुर सम्भाग के अन्दर, उस तनावपूर्ण स्थिति के कारण से इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि यह शासन में रहे। अतः स्टेटमेंट देने के लिये निर्देश दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, जालौर जल रहा है__(व्यवधान).

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल स्थगित कीजिए। (व्यवधान) जालौर में आग लग रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : विधान सभा चल रही है। पूरे जोधपुर सम्भाग में दहशत की स्थिति बनी हुई है और विधान सभा के सैशन के चलते हुए अगर यह गवर्नमेंट स्टेटमेंट नहीं देती है तो इसका मतलब यह है कि यह सरकार अपना...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, जालौर जल रहा है। (व्यवधान) प्रश्नकाल स्थगित कीजिए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से कहिये कि स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, जालौर की स्थिति बहुत खराब है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान) परसादीलाल जी, बिराजिए, आप प्रश्नकाल चलने दीजिए। (व्यवधान) पहले प्रश्नकाल चलने दीजिए, बिराजिए आप।

एक माननीय सदस्य : जालौर के एस. पी. के निलम्बन के खिलाफ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया प्रश्नकाल को चलने दीजिए। (व्यवधान) बिराजिए।

श्री जुबेर खान : जालौर की स्थिति बिगड़ चुकी है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी यह जानते हुए भी...(व्यवधान) दबाव में आकर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, बिराजें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया प्रश्नकाल को चलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : गृह मंत्रीजी के खड़े होते ही हम बैठ जाएंगे। (व्यवधान) वे सिर्फ हमें एश्योर कर दें कि स्टेटमेंट कब देंगे और सदन में कब हमको बताएंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तय कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : यह स्थिति आपके कारण से ही पैदा हुई है। अगर हम इस सदन में इस तरह की भावना नहीं भड़काते तो शायद आज जालौर की यह स्थिति पैदा नहीं होती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान) प्रश्नकाल चलने दीजिए। मैं आपसे सानुरोध यह प्रार्थना करता हूं कि आप बिराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : गृह मंत्रीजी खड़े हों। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी खड़े हों और बताएं कि स्टेटमेंट कब देना चाहते हैं। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी जालौर नहीं गये, गुलाबचन्दजी कटारिया जालौर नहीं गये,

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

मुख्य मंत्रीजी जालौर नहीं गये। छोटी-छोटी घटना हो जाती है लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गयी है और किसी की हिम्मत नहीं है जालौर जाने के लिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जालौर भेजा जाए। (व्यवधान) जानबूझकर यह तनाव पैदा किया गया है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जालौर की जनता को सेना के सुपुर्द किया गया। (व्यवधान) राजस्थान सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी की पूरी तरह से विफल रही है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गृह मंत्रीजी बताएं कि ये कब स्टेटमेंट देना चाहते हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान की पुलिस +++ है। (व्यवधान) सेना को क्यों बुलाया गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून की स्थिति जालौर और नजदीकी जिलों के अन्दर बद से बदतर होती जा रही है। गृह मंत्रीजी, जालौर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू है, अंधाधुंध गोलियां चली हैं, अश्रु-गैस का भारी प्रयोग किया गया है। एक व्यक्ति, देवाराम की मृत्यु भी हुई है तथा पुलिस का एक कर्मचारी और दो अन्य व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हैं। कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति केवल जालौर जिला मुख्यालय पर ही नहीं, अन्य कस्बों और पंचायत समितियों के हैडक्वार्टर्स पर भी कल इस प्रकार के प्रदर्शन जोरों से हुए हैं। पाली जिले के अन्दर भी यह आन्दोलन धीरे-धीरे अपना स्वरूप लेता जा रहा है। किस हद तक लेगा इसका अनुमान शायद राज्य सरकार को हो लेकिन अन्य स्थानों में स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण है। फौज बुलाई गयी है, फ्लैग मार्च करवाया गया है। कल 144 की धारा आपने लगायी है, वह जब सहजता से नहीं रहीं, आखिर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी, स्थिति आपके हाथ से निकल गयी तो फिर आपने कर्फ्यू लगाया है। बहुत गम्भीर मसला है। विधान सभा का सत्र चल रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को सारी स्थिति पर वक्तव्य देना चाहिए। जब इन्होंने 11 तारीख को वक्तव्य दिया था तो सरकार के पास पूरी सूचना थी लेकिन इस सदन को पूर्णतया कांफिडेंस में नहीं लिया गया था। इसलिए सुमेरपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने एफ. आई. आर. और दूसरी तरह की बातें यहां पर उठायीं। आज स्थिति बड़ी गम्भीर बनी हुई है। जनता के जान और माल की सुरक्षा की जा सके, आज जो स्थिति है उसमें, इसके लिए सरकार ने क्या

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रभावी कदम उठाए हैं और उठाने का विचार रखती है, इस सम्बन्ध में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। यह प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो चिन्ता व्यक्त की है, राज्य सरकार की भी वही चिन्ता है और मैं प्रश्नकाल के बाद जालौर की कानून-व्यवस्था और दूसरे जो मुद्दे आपने उठाए हैं उनके बारे में एक वक्तव्य दूंगा।

श्रीमती बीना काक : यह भी बताइयेगा कि + + + एक जन सभा में (व्यवधान)__

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : क्यों माफी मांगी वहां पर__(व्यवधान) वे राजस्थान के नुमाइन्दे नहीं, राजस्थान सरकार के नुमाइन्दे नहीं__(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कमिश्नर की जांच की रिपोर्ट नहीं आयी, तब एस. पी. को क्यों हटाया गया? (व्यवधान) जब रिपोर्ट आने ही वाली थी, जब सरकार ने कमिश्नर नियुक्त कर दिया था और जांच हो रही थी, बीच में प्रेशर में आकर क्यों किया? (व्यवधान) ऐसे ही सरकार प्रेशर में आकर करेगी तो कोई भी (व्यवधान) आज आपको पुलिस (व्यवधान) सेना बुलानी पड़ी, ऐसा लग रहा है कि होम मिनिस्टर इस लायक नहीं हैं कि__(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : बांट दिया जाति के आधार पर आपने। (व्यवधान) नतीजा यह हुआ कि जालौर जल गया। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : के + + + चलते__ (व्यवधान) सस्पेंड किया गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपको पुलिस की जगह सेना बुलानी पड़ी। आपकी पुलिस + + + है। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी के रवैये के कारण__(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप, गृह मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि इस पर प्रश्नकाल के बाद एक स्टेटमेंट देंगे।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : गृह मंत्रीजी को इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान) पुलिस नहीं कर सकती, सेना बुलानी पड़ी। आपको जब मैंने कहा था__(व्यवधान) मैंने उस दिन भी कहा था। आर्मी को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी। (व्यवधान) जांच एक घण्टे के बाद पूरी हो रही थी, कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया था फिर दबाव में यह काम क्यों किया गया?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, आप बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सरकार क्या वक्तव्य देगी, सरकार नाम की चीज बची ही नहीं है। (व्यवधान) सरकार बलात्कारियों के सामने सरेण्डर कर चुकी है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : विशेष को बचाने के लिये आर्मी को बुलाया गया वहां पर। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अरुणसिंह : अध्यक्ष महोदय, जालौर एस. पी. को क्यों हटाया गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया बिराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपकी पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको फौज बुलानी पड़ी, तो फिर गृह मंत्रीजी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए, प्रश्नकाल के बाद वक्तव्य दे रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अगर पुलिस नहीं सम्भाल सकती तो गृह मंत्रीजी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। फौज बुलानी पड़ी आपको एक जिला सम्भालने के लिये। अगर राजस्थान में यह आग लग गयी तो आप फौज की जगह क्या बुलाएंगे? (व्यवधान)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल। श्री विजयेन्द्रपाल सिंह। बिराजिये आप।

भूमि एवं भवन कर

144. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या उप मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में भूमि एवं भवन कर किस वर्ष से और कहां-कहां लागू किया गया?

(2) भूमि एवं भवन कर से सरकार को गत दस वर्षों में प्रति वर्ष कितनी-कितनी आय एवं व्यय हुआ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में इसका क्षेत्रफल बढ़ाने एवं रियायतें देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) राज्य में भूमि एवं भवन कर वर्ष 1973 से लागू है और वर्तमान में 1.50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले दस शहरों में लागू हैं। इन दस शहरों में सम्भागीय मुख्यालय वाले छह शहरों (जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा) के अतिरिक्त भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर शामिल हैं। (व्यवधान)

(2) राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्राप्तियां	कर संग्रह पर व्यय (रु. करोड़ों में)
1987-88	05.23	0.49
1988-89	10.46	0.55
1989-90	07.86	0.68
1990-91	08.71	0.75
1991-92	10.00	0.83
1992-93	10.77	0.96
1993-94	12.18	1.11
1994-95	16.75	1.30
1995-96	12.90	1.48
1996-97	32.47	1.65

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : आप आश्वासन दीजिये कि इस पर चर्चा हो। हम आपसे आश्वासन चाहते हैं। तब तो प्रश्नकाल चले, वरना आप प्रश्नकाल को स्थगित कीजिये। हमें आश्वासन दीजिये कि इस पर डिस्कशन होगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसके बारे में बहस होगी, यह आश्वासन दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी आपको कहा न कि स्टेटमेंट दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : चर्चा होनी चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : स्टेटमेंट के बाद चर्चा होगी? हम लोगों को बोलने का समय दिया जाएगा? (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : हमें चर्चा करने का मौका दिया जाए। हमें बताया जाए कि क्या-क्या हुआ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम ; हमें बोलने का समय दिया जाए कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : लोगों को मालूम हो कि क्या-क्या हो रहा है। बहुत हो रहा है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आप कहें कि चर्चा में ही यह स्टेटमेंट आ गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उसके बाद आपके इन्हीं कार्यों से, गृह मंत्री के इन्हीं कारनामों की वजह से___(व्यवधान)___

श्रीमती बीना काक : आप यह पढ़िये। हम लोगों को कण्ट्रोल मत कीजिये। यह चीज बहुत इम्पोर्टेण्ट है, वी. पी. सिंहजी। (व्यवधान) अपना मन कण्ट्रोल करके बोलिये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आज पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है इसलिए गृह मंत्रीजी को भी इस्तीफा देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। ये जब कह रहे हैं कि देंगे तो चर्चा होगी। स्टेटमेंट देंगे तो चर्चा होगी ही होगी उसमें। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : यह बहुत ही गलत काम है। लज्जाजनक बात है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अगर फौज बुलानी पड़ती है, जिले को सम्भालने के लिये भी आपको और आपकी पुलिस इस लायक नहीं रही कि एक जिले को सम्भाल सके तो जब यह सारे जिलों में आग लगेगी___

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट दिया तो चर्चा होगी, उसमें क्या हुआ? आप बिराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं दो-तीन सप्लीमैण्ट्री क्वेश्चंस करना चाहता हूं। यह सही है कि आपने इस वर्ष एग्जेम्पशन भी बढ़ाये, दस

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

लाख की कर दी, वन टाइम टैक्स भी लेकर आय बढ़ी है पर कुछ जो अव्यावहारिक टैक्स हैं, उनके बारे में मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, सुझाव भी देना चाहता हूं। वन टाइम टैक्स 1974-75 के अन्दर तय हुआ था। एक उदाहरण में बताऊं कि सी-स्कीम के अन्दर मकान है, उसमें 400-500 रुपये सालाना का टैक्स और अभी आपने कहा कि दस साल का टैक्स दे दो तो चार हजार रुपये दस साल का टैक्स देकर दस साल के बाद उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई एक नया मकान बनाता है हनुमान नगर और श्याम नगर के अन्दर, बहुत मुश्किल से मकान बने, और उसकी नयी रेट जो लगेगी उस पर टैक्स हजार रुपये, पन्द्रह सौ रुपये तो आराम से बन जाएगा और उसका दस गुणा जो वन टाइम टैक्स बनेगा वह पन्द्रह हजार रुपये होगा। तो यह अव्यावहारिक नहीं है? मेरा सुझाव है, क्या इस पर आप विचार करने के लिए तैयार हैं?

दूसरा, आपने इन दस शहरों के अन्दर यह लागू की है जो उनसे बाहर हैं या फार्म हाउसेज बना रखे हैं जो एग्लोमरेशन के बाहर हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं है। जो बाहर इण्डस्ट्रीज हैं उन पर कोई टैक्स नहीं। यह क्या अव्यावहारिक और अमानवीय नहीं है?

तीसरा एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि आपने दस लाख की एग्जेम्प्शन दे रखी है और यह कामर्शियल पर भी है और रेजीडेंशल पर भी है। एक आदमी के पास पांच फ्लेट हैं और पांचों फ्लेट दस लाख रुपये से कम हैं या पांच ही दुकाने हैं उनकी रेट कम है तो वह एक पैसा भी टैक्स नहीं दे रहा है और एक के पास एक ही दस लाख से ज्यादा है, वह टैक्स दे रहा है। इससे पहले जब बात हुई थी तब मैंने कहा था कि एक रेजीडेंशल हाउस को छोड़ दीजिये चाहे वह बीस लाख का हो या 25 लाख का हो। उसको छोड़ने के लिये आप तैयार नहीं हैं। आप कहते हैं कि यह लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स है, जैसे कि लैण्ड एण्ड बिल्डिंग ही अपने आप टैक्स देती हो और कोई आदमी तो टैक्स देता ही नहीं हो। यह आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने दिया, तो आप इस पर भी विचार करिये। एक रेजीडेंशल मकान छोड़ दीजिये, बाकी पर लगा दीजिये। मेरा यह सुझाव भी है और प्रश्न भी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप जो सुझाव दे रहे हैं, उसमें भी काम्प्लीकेशन हो सकता है। यदि एक का एग्जेम्प्शन कर दें तो सारा पैसा एक पर ही लगा देगा, बाकी सबको एग्जेम्प्शन की लिमिट से नीचे रखेगा। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि एक को छोड़ दीजिये, उनको छोड़ दीजिये, तो लोग उसका भी रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन आपने जो सुझाव दिये हैं उन पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे। उसमें जो वाजिब बात होगी, प्रेक्टिकल होगा, जो लागू की जा सकती है, तो जरूर उस पर विचार करेंगे।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आपने इसका स्कोप बढ़ाने की बात की कि गांवों में फैक्ट्रियां हैं, या गांवों में जो फार्म हाउस बने हुए हैं. . . .

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एग्लोमरेशन की बात। गांवों की बात नहीं की है मैंने, बिलकुल नहीं की है। गलत बात है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, आप एग्लोमरेशन की बात ही कह रहे हैं न? इस पर भी विचार कर लेंगे। यदि टैक्स में और कोई लोग आ सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, टैक्स बढ़ने में तो फायदा ही है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर)।

भरतपुर में बाढ़ से क्षति

145. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर में वर्ष 1995 तथा 1996 में आई बाढ़ से बांध व नहर इत्यादि में कितनी क्षति हुई? तहसीलवार एवं कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षति एवं टूट-फूट की मरम्मत हेतु कितनी राशि की मांग की गयी तथा कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी व्यय की गयी? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1997 में जिला भरतपुर में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जिला भरतपुर में वर्ष 1995 तथा 1996 में आयी बाढ़ से बांध/नहरों इत्यादि की कुल क्षति की तहसीलवार सूची परिशिष्ट "ए-I" व "ए-II" पर तथा कार्यवार सूची परिशिष्ट "बी-I" व "बी-II" पर संलग्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या चबा रहे हो? बड़े अफसोस की बात है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सॉरी, सॉरी। (व्यवधान)

(2) वर्ष 1995 में कुल मांग 1502.10 लाख रुपये के एवज में 907.05 लाख रुपये तथा वर्ष 1996 में कुल मांग 2484.96 लाख के एवज में 597.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी।

(3) क्षतिग्रस्त कार्यों पर व्यय की गयी राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट "सी-I" एवं "सी-II" पर दर्शाया गया है।

(4) वर्ष 1997 में वर्ष 1995 के क्षतिग्रस्त कार्यों पर 168.22 लाख एवं वर्ष 1996 के क्षतिग्रस्त कार्यों पर 555.00 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। कार्यवार विवरण परिशिष्ट "सी-I" एवं "सी-II" के कालम चार में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया है कि 1995 में बाढ़ से नुकसान की मरम्मत के लिये विभाग को पैसे की आवश्यकता थी 1502 लाख रुपये और 1996 में जो नुकसान हुआ उसकी मरम्मत के लिये 2484 लाख रुपये का अनुमान है। कुल मिलाकर 4000 लाख रुपये सरकार को बाढ़ से पहले काम जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति में लाने के लिये आवश्यकता थी। अब आपने इन चार हजार लाख रुपये के विरुद्ध जो राशि दी है, जैसा कि आपने बताया है, 1502 के विरुद्ध तो दिये हैं आपने 907 लाख रुपये और 1996 में 2484 लाख के विरुद्ध आपने दिये हैं 597 लाख रुपये अर्थात पन्द्रह करोड़ रुपये आपने दिये हैं 40 करोड़ के विरुद्ध।

आप भरतपुर पधारे थे और आपने जन प्रतिनिधियों की मीटिंग ली थी। उसके तो हम आभारी हैं कि आप गये और आपने देखा। आपने यह कहा था कि इन कामों की मरम्मत में, इन कामों को फिर से उसी पुरानी स्थिति में लाने में धन की कमी कभी नहीं आने दी जाएगी। दो वर्षों में 40 करोड़ के अगेंस्ट में आपने कुल पन्द्रह करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये, जैसा कि आपने कहा है, और इसमें से भी खर्च अभी हुआ नहीं है। आपका पन्द्रह करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ है, आपके आंकड़े बताते हैं। आप यह कहते हैं इसके खण्ड चार में कि 1995 के क्षतिग्रस्त कार्यों पर 168.22 लाख एवं वर्ष 1996 के क्षतिग्रस्त कार्यों पर 555.00 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। यानि उस 15 करोड़ में से 7-8 करोड़ रुपये का काम अभी भी प्रस्तावित होना बाकी है। सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि 15 सितम्बर के बाद हम अधूरे काम प्रारम्भ कर देंगे, अभी तक आपने कोई काम प्रारम्भ नहीं किया है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि क्या 40 करोड़ में से जो राशि बच रही है, 15 करोड़ के अलावा जो 25 करोड़ की धनराशि इन कामों में खर्च करने के लिए बकाया है उसे आप देंगे? और देंगे तो कब देंगे?

दूसरी बात यह है कि जो काम अभी 15 सितम्बर तक आपने समाप्त कर दिये हैं, 15 सितम्बर के बाद चालू करने के लिए आप उन्हें धनराशि उपलब्ध कराएंगे और वहां के अधिकारियों को आप काम प्रारम्भ करने के आदेश देंगे?

तीसरी बात यह है कि बाढ़ के बारे में वैप कोष एक संस्था है दिल्ली की, उसको आपने सर्वे करने के लिए दिया है, वह सर्वे कब तक होकर आएगा? जब तक सर्वे होकर आएगा तब तक क्या बाढ़ के कामों पर काम बन्द रहेगा या काम चालू होगा?

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी को भरतपुर के लिए उन्होंने जो काम किये हैं, उनकी बधाई देता हूं। बधाई के पात्र हैं। इस साल एक्सपेरीमेंट के तौर पर मशीनों के जरिये काम हुआ है। मैं वित्त मंत्रीजी को, उप मुख्य मंत्रीजी को आग्रह करता हूं कि सिंचाई विभाग को दिल खोलकर पैसा दो क्योंकि वहां पैसा उपलब्ध नहीं हो रहा है। इंजीनियरों और ठेकेदारों के कपड़े फाड़े जा

(श्री अरुण सिंह)

रहे हैं। क्या राजस्थान में पैसों का कोई संकट है? आप लोग तो कहते हैं कि पैसों की कोई सीमा नहीं है। वित्त मंत्रीजी यह नहीं कि इर्रिगेशन डिपार्टमेंट या भरतपुर में पैसा नहीं है पूरे राजस्थान में पैसा उपलब्ध नहीं है, पी. डब्ल्यू. डी. को पैसा उपलब्ध नहीं है। वित्त मंत्रीजी, इन डिपार्टमेंट्स को दिल खोल कर पैसा दो। धन्यवाद।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने जो यह लिस्ट दी है इसमें पेज नम्बर सात पर ब्यौरा दिया है कि ईट खेड़ा मारजनल बांध पर 79,000 रुपये व्यय किये हैं तथा रानीवाली बांध पर दो लाख रुपये व्यय किये हैं जबकि इन दोनों बांधों पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। यह समझ में नहीं आता कि खर्चा कहां हो गया। पहला प्रश्न तो मेरा यह है।

दूसरा प्रश्न यह है कि गम्भीरी नदी पर बाढ़ से बचाने के लिए प्रोटेक्शन बांध स्वीकृत हैं उन पर कितने बांधों पर कार्य चल रहे हैं? या कितने दिनों में कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण हो जाएंगे?

तीसरा प्रश्न यह है कि डांग क्षेत्र के जो बांध टूटे पड़े हैं, उन्हें कब तक ठीक करा दिया जाएगा? उन पर कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया? इस वर्ष वर्षा के पानी से कितने बांधों में पानी रोका गया है? यह बताने की कृपा करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले की सारी स्थिति बरसात के पानी पर निर्भर करती है और अगर वहां पर बाढ़ की स्थिति नहीं बने तो आने वाले वर्षों में बड़ा संकट खड़ा हो जाता है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अच्छा?

श्री देवीसिंह भाटी : हां, यह हकीकत है। जैसे कि हम आम तौर पर बरसात की उम्मीद करते हैं 28 जून से बरसात शुरू होती है लेकिन गत वर्ष 23 जून से बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हुई। माननीय सदस्यों का इस विषय में चिन्ता जाहिर करने का उद्देश्य यही है कि ये सारे सिस्टम हमारे सुचारू रूप से चलते रहें तो इस जिले को लाभ होगा वरना नुकसान होगा।

बाढ़ की गम्भीरता को देखते हुए हमने पहली बार भरतपुर जिले में यह प्रयोग किया है, जैसा कि डीग से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे। क्योंकि आम तौर पर भरतपुर जिले में यह शिकायत रहती है कि जिनको काम अलाट कर दिये जाते हैं वे ठेकेदार सही रूप से काम नहीं करते और उसमें मिट्टी का जो कम्पैक्शन है या जो क्वालिटी है वह नहीं रह पाती इसलिए पहली बार हमने हमारे जितनी भी मैकेनिकल मशीनरी थी, आई. जी. एन. पी. की, सी. ए. डी. की, जाखम परियोजना की, जहां से भी हमें मशीनें उपलब्ध हुई हमने तुरन्त वहां पर डेप्लाई कीं। उसके बाद में तुरन्त परिणाम आया, तुरन्त कार्य शुरू हुए और जैसी कि आम तौर पर वहां से जन-

(श्री देवीसिंह भाटी)

प्रतिनिधि और अन्य लोग सूचना दे रहे हैं, इस दफे काम की क्वालिटी बहुत सही रही और काम भी बहुत जल्दी हुए।

माननीय सदस्यों की चिन्ता इस बात की है कि जितना पैसा उस जिले को अलाट होना चाहिए था उतनी राशि आबंटित नहीं हो रही।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यूटिलाइज भी नहीं हो रही है।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, यूटिलाइज तो हो रही है। एक दिन में सारा नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने निश्चित तौर पर प्रयास किया। भरतपुर जिले में जितना नुकसान हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक साथ हम सारी राशि आबंटित कर कोई एक महीने में काम पूरा कर दें, यह सम्भव नहीं है। लेकिन मैं उनकी चिन्ता में अपने आपको शामिल करते हुए यह विश्वास दिलाता हूं कि अलग-अलग जगह से सी. आर. एफ. से, नाबार्ड से हमने सारा प्रयास किया। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जल्दी पैसा मिल जाएगा मैं निश्चित तौर पर आप लोगों की निगरानी में वे कार्य जल्दी पूरे कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस दफे तो दुर्भाग्य से वहां बरसात कम हुई, और भी नुकसान हो सकता था परन्तु आने वाले वर्ष की हमें चिन्ता है, उससे पहले-पहले ही आपके कार्य पूरे हो जाएं, यह मेरा पूरा प्रयास रहेगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल दूसरा यह है कि गुड़गांवा नहर जो बाढ़ के पानी को यू. पी. में ले जाती है, उसका पानी अभी तक यू. पी. में जाने का समुचित प्रबन्ध नहीं है। इसके सम्बन्ध में भरतपुर और आगरा के बीच में कोई बातचीत चल रही थी, क्या आप उस पर यू. पी. सरकार की तरफ से दबाव देकर पानी गुड़गांवा नहर में पूरा निकल जाय, इसका प्रबन्ध करेंगे? गुड़गांवा नहर में टूटफूट हो गयी है उसकी मरम्मत करने का भी प्रबन्ध बहुत जल्दी आप कर पाएंगे?

दूसरी बात यह है आपने फरमाया था कि यह कर देंगे, तो अभी आपने जो मरम्मत के काम रोक दिये हैं उन्हें आप कब दोबारा प्रारम्भ कर देंगे?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह जानकारी में है कि मैंने खुद ने वहां मौके पर जाकर स्थिति देखी और हमारे अधिकारियों ने यू. पी. के अधिकारियों से लगातार मीटिंग्स लीं, पैसा भी हमने दिया और बराबर उन्होंने हमें एश्योर किया है। अगर उसमें वे और देरी करें तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि जल्दी इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर यह पानी निकल जाए।

दूसरा सवाल आपने पूछा—

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : काम रुके हुए पड़े हैं उनको प्रारम्भ करने की बात है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अभी बरसात की वजह से सारे काम बन्द कर देते हैं। वर्षाकाल के बाद हमें काम शुरू करने हैं, तुरन्त उसके ऊपर काम होंगे। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो समय-समय पर सूचित करते रहें। जहां कहीं भी ढिलाई होगी वहां अगर मुझे भी मौके पर जाना होगा तो मैं आपके साथ चलूंगा और उनके काम को गति दिलाऊंगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपको धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब क्या बाकी रह गया है?

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मैंने स्पेसिफिक एक सवाल पूछा था।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने पूछा था। अध्यक्ष महोदय, आपने स्पेसिफिक बताये हैं तो उसकी मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा कि सूची में तो दिया गया है कि यह राशि व्यय हो चुकी है लेकिन मौके पर उसके काम नहीं हुए हैं। मैं आज ही इसकी जांच के आदेश दूंगा।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यमुना के पानी का मुख्य मंत्रीजी द्वारा उद्घाटन हुआ, भैरोंसिंहजी साहब पधारे थे, उसमें पानी कब तक आ रहा है?

श्री देवीसिंह भाटी : यह प्रश्न सूची में है, अध्यक्ष महोदय, आगे आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान). आपको क्या पूछना है भरतपुर के बारे में?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : यमुना भी टोडाभीम में आ जाती है।

श्री अध्यक्ष : यह टोडाभीम की बात नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी भरतपुर की बात ही कह रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : आगे भी आपका प्रश्न आ रहा है। आ रहा है आपका।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे यहां से जो गम्भीरी नदी निकलती है, अध्यक्ष महोदय, वह भरतपुर में ही जाती है। हमारे यहां एक पांचना बांध बना है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि गम्भीरी नदी पर अगर एनीकट बना दिया जाए तो हमारे 100 गांवों को फायदा हो जाएगा, 100 गांवों का जल स्तर ऊपर आ जाएगा। भरतपुर में बाढ़ भी नहीं आएगी और हमारे यहां उसका फायदा मिल जाएगा। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? इसकी पहले घोषणा भी हो गयी थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जाकर इसकी पहले घोषणा भी कर दी थी कि वहां पर एनीकट बना दिया जाएगा, उसके बावजूद भी आपने हमारा एनीकट क्यों रोक दिया, यह माननीय सिंचाई मंत्रीजी बताएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। नैक्स्ट। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : गम्भीरी नदी का एनीकट कब बना दिया जाएगा? जब घोषणा हो गयी थी कि बनाया जाएगा फिर भी क्यों नहीं बनाया?

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) नैक्स्ट प्रश्न पुकार चुका हूं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रामस्वरूप जी ने कहा है कि गम्भीरी नदी का पानी रोका जाए। इस एनीकट द्वारा गम्भीरी नदी का पानी____(व्यवधान)

श्री अरुणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एनीकट नहीं बनेगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मुख्य मंत्रीजी महावीर जी में गये थे तब कहा था कि एनीकट बनाया जाएगा, उसके बावजूद भी आपने एनीकट नहीं बनाया जिससे मेरे क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के लोग दुःखी हो रहे हैं। इसलिए यह बनना बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपकी पूरी बात सुन ली न, बिराजें। भरतसिंह जी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पानी रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भरतसिंह जी। नैक्स्ट प्रश्न है भरतसिंह जी का। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : 100 गांवों का मामला है, साहब, 100 गांवों का। हण्ड्रैड गांवों के लोग दुःखी हो रहे हैं इसके कारण और इनके बाढ़ आ रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : इनके बाढ़ से नुकसान हो रहा है तो मेरे यहां एनीकट बना दो, 100 गांवों के लोगों को फायदा हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। भरतसिंह जी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो गम्भीरी नदी पर पांचना बांध बनाया है, वह बाढ़ नियंत्रण के लिये बनाया था, उसमें पानी छोड़ना चाहिये। अगर गम्भीरी नदी में पानी नहीं आए तो बयाना और भरतपुर के लोग तबाह हो जाएंगे इसलिए गम्भीरी नदी में पानी आना अत्यन्त आवश्यक है। अगर एनीकट बनाया जाए तो बयाना क्षेत्र में एनीकट बनाया जाए, जिससे पानी का संकट नहीं हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, आप बिराजें। अब वहां बातचीत नहीं करें। आप बिराजें। भरत सिंह जी। (व्यवधान) रामस्वरूप जी, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इस एनीकट को बनाओ आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, बिराजिये आप। माननीय, बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : (व्यवधान) इस एनीकट को बनाना बहुत आवश्यक है। यह एनीकट बनना बहुत जरूरी है। मुख्य मंत्रीजी इसकी घोषणा करके आये हैं उसके बावजूद भी एनीकट को रोक दिया है। सिंचाई मंत्रीजी जवाब दें इसका। (व्यवधान)

(14)

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं। आप दूसरा प्रश्न लेने दें। क्या कर रहे हैं आप? भरतसिंह जी।

राज्य में संचालित अवैध वाहन

146. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कुल कितने आगार हैं तथा किस-किस आगार में वर्ष 1996-97 में कितना-कितना लाभ तथा हानि रही? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अवैध वाहनों के संचालन से निगम को करोड़ों रुपये की हानि होती है? यदि हां, तो अवैध वाहनों के संचालन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) वर्ष 1996-97 में अवैध वाहनों के संचालन के खिलाफ विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से कुल कितनी राशि वसूल की गयी? जिलेवार विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा) : (1) परिवहन निगम के वर्ष 1996-97 की अवधि में बसें संचालित करने वाले 45 आगार थे। वर्ष 1996-97 में लाभ एवं हानि में रहने वाले आगारों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"क")

(2 व 3) अवैध वाहनों के संचालन के कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को हो रहे तथाकथित नुकसान का आकलन किया जाना इसलिए सम्भव नहीं है क्योंकि अवैध वाहनों का कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता और न कोई निर्धारित समय होता है। विभाग अवैध संचालन रोकने के लिये सतत् प्रयासशील है। अवैध संचालन को रोकने के लिये निम्न कार्यवाही की जाती रही है : —

(क) विभाग के उड़न दस्ते नियमित रूप से विभिन्न मार्गों पर जांच करते हैं।

(ख) मार्गों पर एवं विशेष रूप से उच्च मार्गों पर वाहनों के अवैध संचालन को रोकने एवं नियमित करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 से विभिन्न विभागों के संयुक्त जांच दल द्वारा वाहनों की संयुक्त सघन जांच की जाती रही है।

(ग) इसके अतिरिक्त समय-समय पर वाहनों की सघन जांच का विशेष कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाया जाता है। वर्ष 1996-97 में अवैध वाहनों के विरुद्ध चालान बनाकर 1661.66 लाख रुपये की प्रशमन राशि (कम्पाउंडिंग मनी) वसूल की गयी है। वसूल की गयी प्रशमन राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट–"ख" पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री भरतसिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैंने बहुत स्पेसिफिक पूछा है कि कितना लाभ किन आगारों में और कितनी हानि किन आगारों में हुई है। जवाब में जो उत्तर दिया गया है इसमें उनका नाम जरूर दिया गया

(श्री भरतसिंह)

है मगर किस डिपो में आपका कितना लाभ है और कितनी हानि है, वह सूची आपने नहीं दी है। आप मुझे यही बता दें कि आपका पूरा लाभ कितना है और अवैध वाहनों से वसूली कितनी हुई? पहले तो आप इसका उत्तर दे दें फिर मैं दूसरी बात करूं। कुल लाभ कितना हुआ है, एक तो वह बताइये। अवैधानिक वाहनों से जो वसूली की गयी है, उसकी कुल राशि कितनी है, वह तो आपने अंकित की है, लाभ कितना हुआ है आपको, वह बताइये आप।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा......(व्यवधान)

श्री भरतसिंह : अध्यक्ष जी, पहले इसका उत्तर आ जाने दीजिए आप। आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामनारायण चौधरी : जौहरी बाजार में कहां अवैध यातायात है?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप टैम्पो की पूछिये।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डिपोवाइज कितना लाभ और कितनी हानि हुई......(व्यवधान)

श्री भरतसिंह : कुल लाभ बता दें आप तो पूरे राजस्थान का।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : कुल लाभ हुआ 43 करोड़ का। आप टोटल पूछ रहे हैं या वर्ष 1996-97 का पूछना चाहते हैं?

श्री भरतसिंह : 1996-97 का पूछ रहा हूं।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : 1996-97 में 4 करोड़ का।

श्री भरतसिंह : 4 करोड़ का है। हमारे जो वैधानिक वाहन हैं उनसे जो लाभ हुआ वह है 4 करोड़ का और अवैधानिक वाहन चलते हैं उनसे जो राशि वसूल की जाती है, वह है 16 करोड़ के ऊपर। (व्यवधान) कितना है 1 करोड़ या 16 करोड़? (व्यवधान) 16 करोड़ है, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 करोड़ कम्पाउंडिंग राशि बतायी है।

श्री भरतसिंह : 16 करोड़ की राशि सरकार अवैधानिक वाहनों से वसूली को प्राथमिकता दे रही है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि राजस्थान में जिन जिलों में डिपो में घाटा है, ऐसा कौनसा मार्ग है उस डिपो में जिसमें अवैधानिक वाहन नहीं चल रहें है? आप तो एक रूट बता दें। कोटा जिले के अंदर, भीलवाड़ा में, बारां में या पूरे राजस्थान में यहां सदन में आप बता दें कि किन डिपों में घाटा है। एक रूट भी बता दें जिस पर अवैधानिक वाहन नहीं चल रहे हैं। पहले तो आप इसका उत्तर दें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल पूछना

(श्रीमती कमला)

चाह रही हूं। मेर सवाल यह है कि हर बार जब कभी भी ऐसा सवाल आता है, माननीय मंत्री महोदय, ब्यौरा दे देते हैं लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जितना पैसेंजर लोड है वह उठाने की क्षमता नहीं है और इसलिए यात्री इन अवैध वाहनों के अंदर यात्रा करते हैं। क्या सरकार इस बात पर विचार करना चाहेगी कि जितने आपके पास व्हीकल्स उपलब्ध हैं उनमें जितने यात्रियों को आप रोजाना ला-ले जा सकते हैं, उसके अलावा जितनी जगह बचती हैं, जितनी यात्रियों की व्यवस्था बचती है, वहां आप प्राइवेट गाड़ियों को अलाउ करें या दूसरा कोई रास्ता अपनाएं? लेकिन यह बार-बार जवाब देकर खतम कर देते हो। लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती इसलिए लोग अवैध वाहनों में जाते हैं। उनके एक्सीडेंट भी खूब होते हैं, परेशानी भी खूब होती है। क्या आप अपनी आमदनी के लिये अवैध वाहनों को जारी रखना चाहते हो? जितना वैध करना चाहिये उतना आप क्यों नहीं करते, यह मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। या आप अपने व्हीकल्स बढ़ाइये उनके मुकाबले में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री भरतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर आने दें।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है। आपका उत्तर भी आएगा, बिराजें।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जो अवैध वीडियो कोच चलते हैं, बड़े-बड़े विज्ञापन लगाकर — जयपुर से अहमदाबाद, जयपुर से उदयपुर, जयपुर से जोधपुर, सिंधी कैम्प के बिलकुल सामने से इतने अवैध वीडियो कोच बसें चलती हैं क्या उनको आपने इनफारमली परमिशन दे रखी है? अगर आपने परमिशन नहीं दे रखी तो वे कैसे चल रही हैं? इसके बारे में बताइये।

श्री विष्णु मोदी : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चल रही हैं। आपको जानकारी नहीं है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज के बाहर कोटा, बारां, झालावाड़, सब जगहों के लिए अवैध वाहन चलते हैं, उनका किराया राजस्थान रोडवेज से कम होता है जिससे जनता उनमें बैठती है। परिवहन निगम की गाड़ियों की स्थिति भी बड़ी खराब है। निगम की डीलक्स बसों से अच्छी स्थिति प्राइवेट बसें जो ट्यूरिस्ट बसों के नाम से चलती हैं, उनकी है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़कर नहीं कर सकते सप्लीमेंट्री।

श्री अध्यक्ष : क्या कर रहे हैं आप? हो गया न आपका प्रश्न, बिराजें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : जैसे कोटा, झालावाड़, बारां से चलने वाली बसें हैं, उनकी स्थिति जर्जर है। इनको रोकने के

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

लिये क्या प्रशासनिक जिम्मेदारी देंगे कि अवैध वाहनों को रोका जाए जिससे निगम को लाभ हो सके ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। ऐसा कौनसा भाषण दे रहे हैं, बिराजे आप। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उदयपुर डिवीजन में इस तरह की जीपें चलती हैं जो कि टैक्सी के लिए परमिट नहीं होतीं। वे प्राइवेट जीपें बस के आगे-आगे चलती हैं ? और हर महीने वहां एक्सीडेंट होते हैं जिनका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। 10-15 लोग रोज मरते हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उन जीपों का चालान किया जाए जो टैक्सी के लिए परमिट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा क्या प्रश्न है जो सब खड़े हो रहे हो ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : इसी तरह से हर जिले में अवैध वाहन बसों के आगे-आगे चलते हैं और काफी राजस्व की हानि हो रही है। इसी तरह से बारां, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऐसे कई इलाके हैं जहां अवैध रूप से गुंडागर्दी से वाहन चलाते हैं और रोडवेज के कर्मचारी वगैरह विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी पुख्ता व्यवस्था करें, यह गंभीर विषय है। राजस्थान के राजस्व की हानि होती है, यह हमारा सबका भी चिन्ता का विषय है।

श्री अध्यक्ष : भाषण थोड़े ही देना है। यह क्या कर रहे हैं आप ? (व्यवधान) एक सामान्य-सा प्रश्न है उसको आप इतना बढ़ा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के वाहनों को या तो व्यवस्थित करें या चालान करें।

श्री विष्णु मोदी : सवाल तो अवैध वाहनों को रोकने का है इसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से क्या सवाल करना है ? यह तो होम मिनिस्टर का सवाल है। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोंक शहर के अन्दर जहां पहले बस स्टैण्ड था, वहां से बस स्टैण्ड टोंक से बाहर आ गया और बसें बाहर-बाहर निकल जाती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा अवैध व्हीकल्स और सरकारी बसें घंटाघर के ऊपर से निकाल ली गयीं। माननीय मंत्री जी का ऐसा कोई विचार है, कृपया बताएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजे। यह प्रश्न इतना भारी नहीं है जो आप एक दूसरे को उकसा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : माननीय मंत्रीजी, कभी आपने हिण्डौन आगार को देखा है क्या ?

(10)

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न की क्या दस सप्लीमेंट्री करोगे ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : महावीर जी का मेला, मदन मोहनजी का मेला और गणेशजी का मेला, वहां चार-चार मेले लगते हैं और मेलों के माध्यम से इतनी आय होती है फिर भी आपका हिण्डौन आगार नुकसान के अन्दर जा रहा है। बाबा आदम के जमाने की बसें आपने लगा रखी हैं। बसों की स्थिति अगर आप देख लो तो मेरे ख्याल से आप यह कह दोगे कि स्थिति क्या बन गयी है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, अभी बसों पर चर्चा नहीं हो रही है। पल्लीवल साहब, आप बिराजें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप कर रहे हैं टाटा खटारा, उससे क्या मतलब है ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं यही तो कर रहा हूं कि इतना वहां पर यातायात है, इतने यात्री वहां आते हैं, वहां जाते हैं, उसके बावजूद भी आपका हिण्डौन आगार नुकसान में जा रहा है। मेहरबानी करके आप उसे देखिये।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न है, उस पर आप लिमिटेड रहिये। आप भी 10-12-15 सप्लीमेंट्री करेंगे। बिराजें आप। रघुवीर सिंहजी बोल रहे हैं।

श्री जुबेर खान : —— (व्यवधान) जिस तरह से हरियाणा सरकार ने सारी निज़ी बसों को ही लाइसेंस दे दिये। आप अपने फिटनेस सर्टिफिकेट की बात कीजिये। राजस्थान में जितने भी अवैध वाहन चल रहे हैं उनको लाइसेंस दिलवाइये और एक मापदण्ड बनाइये कि उन पर फिटनेस सर्टिफिकेट हों। ईयरली उनको रिन्यू करें ताकि जनता को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो। रोडवेज के पास बसें हैं नहीं और अवैध चलने नहीं दो तो जनता कहां से जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें आप।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि. . . . .

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी सवाल है। एक निश्चित मापदण्ड निर्धारित करके आप इन निजी वाहनों को लाइसेंस दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसी सवाल में आप दूसरी बात बोल रही हैं।

श्रीमती कमला : . . . . जिससे जनता का भी लाभ हो और जो टैक्स खोर हैं, वे आपको टैक्स भी निरन्तर जमा कराते रहें। आप कमी की तो पूर्ति नहीं कर रहे हैं और सजा देने को तैयार हो रहे हो।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अवैध वाहन चलते हैं सो चलें पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वीडियो कोच जो चलते हैं, उनके आये दिन होते हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब वे कैसे जवाब देंगे, मुझे तो यह समझाओ आप।

श्री भरतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये।

श्री रामप्रताप कासनियां : एक्सीडेंट हो रहे हैं आये दिन।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री रामप्रताप कासनियां : आप रिकार्ड मंगवाकर देख लीजिये, रोडवेज की वनिस्पत प्राइवेट बसों के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। अध्यक्ष महोदय, ड्राइवर भी वे ऐसे चुनते हैं जो 100 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हैं। इनको चिन्ता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कासनियां साहब, आप बिराजिये। आप एक प्रश्न के लिए आधा घंटा लगा रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, आम जनता परेशान हो रही है। हजारों की संख्या में लोग परेशान होते हैं। (व्यवधान) आप जनता को परेशानी में रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : आये दिन एक्सीडेंट होना और आदमियों का मर जाना.....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना गंभीर है कि मंत्री महोदय को इसमें जवाब देना चाहिए। यह प्रश्न राज्यहित में है। जितना घाटा इन अवैध वाहनों से हो रहा है शायद और किसी से नहीं हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रश्न को गम्भीरता से लें आप।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरी बात बोल रहे हैं। एक प्रश्न में पन्द्रह सप्लीमेंट्री और इसमें भी एक माननीय सदस्य दो-दो बार बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा?

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महादेय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि हजारों की संख्या में जुगाड़ चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय रघुवीरजी बोलें। श्री कन्हैयालालजी, बिराजें आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में जुगाड़ राजस्थान में चल रहे हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, न उनका बीमा है। रोजाना एक्सीडेंट होते हैं जिसमें सैकड़ों आदमी खतम हो चुके हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जुगाड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाए, बीमा करवाया जाए। आम जनता खतम हो रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। I am not allowing You to debate.

श्री कन्हैयालाल मीणा : जुगाड़ वालों की रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाए या फिर कोई दूसरी बसों की व्यवस्था की जाए। इस तरह से जुगाड़ और अवैध वाहन चलेंगे तो .....(व्यवधान) चैकिंग की जाए।

श्री अध्यक्ष : सिस्टर, मैं कोई डिबेट नहीं करवा रहा हूं। आपको प्रश्न पूछना हो तो पूछें, नहीं तो बिराजें आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : तीन चीजों का एक्सीडेंट हुआ। चैकिंग से जीपें भागती हैं। आगरा रोड पर कानोता में एक साथ छह व्यक्ति खतम हुए, जांच करते वक्त। इसलिए मेरा निवदेन है कि उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। अच्छी बात है, आपकी यही इच्छा है, इस प्रश्न को खतम हो जाने दें, हमारे को क्या है?

श्री रामस्वरूप मीणा : _ (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि बसें चालू नहीं हुई हैं, आप उनको चालू करें। आप बता रहो हो कि राजस्थान में रोडवेज नम्बर एक पर चल रही है, वहां आपने क्या-क्या प्रयास किये जिसके कारण आप नम्बर एक पर आ गये? फिर किराया लगातार क्यों बढ़ाया जा रहा है, इन बसों से फायदा हो रहा है तो? मेरा यह निवेदन है कि बंद बसों को जल्दी चालू करवा दें, हमारे क्षेत्र में जो हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी, बिराजें। सिंचाई विभाग होगा तो आप बोलोगे, भले ही हम परमिट करें या नहीं करें। इसमें भी बिना परमिट बोलोगे आप। रघुवीरजी, आप बोलिये।

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, भाग संख्या 3 में मंत्रीजी ने यह कहा है कि बसों की जांच के लिए हमने विभिन्न विभागों की एक कमेटी बनायी है। आप यह बताएं कि कौन-कौन से विभाग हैं और कौन-कौन से इसके सदस्य हैं दूसरी बात, उदयपुर जिला इतना बड़ा है और फिर भी आपने संधारण पर 11 लाख 46 हजार की है। इतना बड़ा जिला है, इतनी कम राशि वसूल की गयी है। क्या इसमें विभाग की जांच कमेटी बना रखी है, वे लोग मिले हुए नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय _ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया अब, माननीय सदस्य, मुझे कोआपरेट करें। इस तरीके से तो नहीं चल सकेगा कि बीच-बीच में माननीय सदस्य घुस जाएं।

श्री भरत सिंह : आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : अप फर्माएं।

श्री भरतसिंह : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिन डिपोज में घाटा चल रहा है, कोटा डिवीजन के अन्दर आप एक भी रूट ऐसा बता दें आपके विभाग की जानकारी के अनुसार, जहां अवैधानिक वाहन नहीं चल रहे हैं। कोई-सा रूट बता दें आप इस जिले के अन्दर। दूसरी चीज यह है कि वहां पर आपके विभाग का घाटा है____

श्री अध्यक्ष : भरत सिंहजी, आप पूछ चुके हैं न यह प्रश्न? यह प्रश्न पहले पूछा, फिर सप्लीमेंट्री में दूसरी बार और अब तीसरी बार पूछ रहे हैं। आप उनका जवाब तो सुनो पहले।

श्री भरतसिंह : अध्यक्षजी, यह मुद्दा ही ऐसा है।

श्री अध्यक्ष : जब कोई एम्बिगुएटी रहेगी तो आप बाद में उनसे क्लियर कर लेना। बिराजें आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इन्होंने कई बार पूछा हैं लेकिन मंत्रीजी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब देने के लिए खड़े हो रहे हैं पर सुनते ही नहीं हैं। फिर आप खड़े हो गये।

श्री भरतसिंह : सोलह करोड़ अवैध के हैं और चार करोड़ ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया जवाब सुनें।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : प्रश्न का जवाब कोई सुनें भी।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनें आप।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अवैध वाहन संचालन के विषय में जो चिन्ता जतायी है, मैं भी उसमें शामिल हूं और मैं यह कहता हूं कि यह बात सही है लेकिन उसकी व्यावहारिक कठिनाइयों का भी विश्लेषण करना पड़ेगा। यह समस्या अवैध वाहन....

श्री भरतसिंह : आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दें, साहब। आप सब बोल लें।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुनिये। आप यह क्या कर रहें हैं ? आप बैठ जाइये प्लीज। फिर आप कहेंगे कि हमारे से इस तरह से ज्यादती कर रहे हैं आप। एक ही प्रश्न नहीं होने दे रहे हैं आप।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या आज या कोई दो-चार वर्ष में बढ़ी हो, ऐसी बात नहीं। यह समस्या पिछले कई वर्षों से लगातार चली आ रही है और आज एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है, यह बात सही है। सभी माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1994 में जब हमने शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली, तो सबसे पहले सत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्राब्लम को लिया और एक नयी यातायात नीति की घोषणा की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि मोटर व्हीकल्स एक्ट जो एग्जिस्टिंग लॉ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कानून में कोई इस तरह का कठोर प्रावधान नहीं है कि अवैध वाहन संचालन को रोका जा सके। उदाहरण के तौर पर हम किसी बस को आज सीज करते हैं, दूसरे दिन मोटर मालिक माननीय न्यायालय से उस बस को छुड़ा लेता है। इसलिए हमने नयी यातायात नीति में कुछ सुझाव भारत सरकार को दिये हैं....

श्री भरतसिंह : अध्यक्षजी, नीति कौन पूछ रहा है? प्रश्न का जवाब पूछ रहे हैं। बस नीति बीच में कहां आ गयी?

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुन तो पहले।

श्री भरतसिंह : हां, पूरी सुन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। यह क्या कर रहे हैं? पच्चीस माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं, ये उनका जवाब दे रहे हैं। बैठिये आप।

श्री भरतसिंह : एक सीधा-सा प्रश्न कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बैठिये आप।

श्री भरतसिंह : तो उत्तर तो दे ही नहीं रहे हैं वे। बात को घुमा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। आपका जवाब नहीं आएगा। तो वापस पूछ लेना आप।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : पूरे प्रदेश के माननीय सदस्यों ने चिन्ता जतायी है इसलिए मुझे सबका जवाब देना पड़ेगा। आपने जो स्पेसिफिक सवाल किया है मैं उसका भी जवाब दूंगा। ये जो राज्यव्यापी प्रश्न आये हैं, उन सबका जवाब देने दीजिये, आपको क्या प्राब्लम हो रही है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मोटर व्हीकल एक्ट भारत सरकार ने बनाया है हमने नयी यातायात नीति में उसमें सुझाव भारत सरकार को भेजे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने स्तर पर और मैंने भी अपने स्तर पर भारत सरकार से कई बार निवेदन किया। अभी, दो महीने पहले भारत सरकार ने हमारे सुझावों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनायी है। इसके बाद जब अमेंडमेंट होगा तो हम माननीय मुख्य मंत्री जी के निदेशानुसार राजस्थान में नयी यातायात नीति बनाएंगे।....(व्यवधान) उस यातायात नीति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कानून को इतना सख्त बनाने की कोशिश की है कि कोई बस बिना परमिट के चले और जिसको एक बार सीज कर दिया जाए तो न्यायालय भी उसको नहीं छोड़ सके। इस तरह के सुझाव हमने भारत सरकार को लिखे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी यातायात नीति के तहत अवैध वाहन संचालन को रोकें इसके हमने लिये राजस्थान लेवल पर कुछ टैक्सेशन में भी सख्त कानून बनाये। पहले बिना परमिट के चलती थी उसको उतना ही टैक्स देना पड़ता था जितना परमिट वाली बस को, अब नये टैक्स के हिसाब से अगर कोई बस परमिट नहीं लेगी तो उसको पांच गुना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा हमने अवैध वाहन संचालन को रोकने के लिए जिलेवाइज प्रत्येक माह में एस. पी की अध्यक्षता में कम्पोजिट चैकिंग का अभियान चलाया। पूरे महीने में एक से दस दिन तक कम्पोजिट अभियान चलता है जिसमें यातायात विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और एक मोबाइल मजिस्ट्रेट की हमने प्रत्येक जिले में व्यवस्था की है। जिसके परिणामस्वरूप, मैं आंकड़ों के आधार पर बता सकता हूं कि जहां 1991-92 में कुल 46526 बसों का हमने चैक किया वहीं वर्ष 1996-97 में हमने 1702751 (733067

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

बसों)* को चैक किया है टोटल। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान में 17 लाख बसें हैं ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : ——(व्यवधान) भारतीय भी राजस्थानवासी हैं।

श्री अमराराम (धोद) : पूरे राजस्थान में ही नहीं हैं 17 लाख बसें तो क्या आप देश में चैक करने गये थे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : अवैध वाहनों की संख्या बढ़ी है —— (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पता नहीं है कि एक बस का कितनी बार चालान होता है और खाली राजस्थान की बसें ही नहीं बाहर से भी बसें आती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : एक साल में 17 लाख राजस्थान में बसें ही नहीं आयीं। यह तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, "रात को आंकड़े भैंस को काकड़े" वाली बात हो गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें। (व्यवधान) कृपया शांति बनाये रखे।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोटल में आपसे निवेदन करूं कि कम्पाउन्ड राशि और जुर्माना सहित 43 करोड़, 10 लाख रुपये हमने वसूल किये हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हाड़ौती क्षेत्र में हमने इफैक्टिव चैकिंग की है। हाड़ौती क्षेत्र के डिपो के बारे में, जो माननीय सदस्य की चिन्ता है बारां वगैरह की, इसका घाटे में जाने का एक दूसरा कारण भी है। उस व्यावहारिकता में भी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जाना होगा क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र की ज्यादातर बसें इन्टर स्टेट रूट पर मध्यप्रदेश चलती हैं। मध्य प्रदेश से हमने कई बार कोशिश की है कि हमारा आपसी समझौता हो जाए। हमारा आपसी समझौता नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश की जो गाड़ियां चलती हैं उनको डबल पाइंट पर चलना पड़ता है, उनको मध्य प्रदेश का भी टैक्स देना पड़ता है।

श्री विष्णु मोदी : आपने कहा नहीं, तो करा देते।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : हमारा भी देना पड़ता है।

श्री भरतसिंह : आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि कौनसे रूट पर आपकी अवैध बसें नहीं चल रही हैं, अवैध वाहन नहीं चल रहे हैं?

---

* मूल उत्तर में यातायात मंत्री द्वारा सदन के बाहर किया गया संशोधन जिसे माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा पूरे राजस्थान में कोई रूट नहीं बचा जिसकी हमने चैकिंग नहीं की। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। 17 लाख की जगह एक लाख और कुछ हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। (व्यवधान)

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटी-सी बात है____

श्री अध्यक्ष : बाद में पूछ लेना आप। ये अपनी बात कह रहे हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : हमने बारां में भी चैकिंग की। पिछले सालों की तुलना में बूंदी और कोटा हमारी इफैक्टिव मोनिटरिंग के कारण लाभ में आये हैं। जो घाटे में हैं उनकी कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं। बारां का डिपो जो घाटे में हैं उसकी कुछ भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं जिस कारण वह घाटे में है।

जहां तक सवाल नयी बसों का है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 4500 या 4000 का बेड़ा है राजस्थान रोडवेज का जिसमें तीन हजार से भी ज्यादा बसें हमने नयी रिप्लेस की हैं मेरे इस तीन साल के टेन्योर में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हम राजस्थानियों को गर्व होना चाहिए इस बात का, पूरे हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो खाली राजस्थान ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है जो नम्बर वन प्रोफिट में है और वर्ष 1996-97 के आंकड़ों के हिसाब से, भारत सरकार के रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की रिपोर्ट के आधार पर केवल राजस्थान ही पिछले साल 1996-97 में प्रोफिट में रहा, बाकी सब घाटे में है। (व्यवधान) घाटे के कारण भी है। अध्यक्ष महोदय, डीजल की कास्ट में वृद्धि, कल पुर्जों में वृद्धि। बहुत सारे कारण थे लेकिन राजस्थान रोडवेज प्राफिट में रही____(व्यवधान)____

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : डीजल की कीमत बढ़ गयी पर किराया भी बढ़ गया। यह नहीं बता रहे हैं आप।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय कुबेर जी को, जिन्होंने कुछ रचनात्मक सुझाव दिये, सुधार की बातें कहीं। बाकी तो सबने शिकायतें ही शिकायतें की हैं। (व्यवधान)

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार राष्ट्रीयकृत मार्गों का विस्तार करना चाहती है? (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : क्वेश्चन नम्बर, 161.........(व्यवधान)____ अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पहले स्थगित हो गया था।

श्री मदन मोहन : यदि राष्ट्रीयकृत मार्गों का विस्तार नहीं करना चाहती है तो अवैध वाहन उतने ही दिनों दिन बढ़ेंगे। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीयकृत मार्गों का विस्तार किया

(श्री मदन मोहन)

जाए जिससे कि अवैध वाहनों को रोका जा सके।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के लाभ के विवरण से यह प्रतीत होता है कि कुल लाभ में टू-थर्ड तो अवैध वाहनों की कम्पाउंडिंग फीस से आपको आ रहा है और वन थर्ड आपका शुद्ध लाभ आ रहा है। यह अवैध वाहनों का अगर माइनस कर दिया जाए तो आपका लाभ क्या बचा?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ये बसें अवैध वाहनों को चलाने के लिए बन्द करते हैं, मंत्री महोदय। कभी कहीं की दस दिन की बस बन्द कर दी, कभी कहीं की दस दिन की बस बन्द कर दी।

श्री अमराराम (धोद) : जो लाभ है उसमें रोडवेज के कर्मचारियों का कितने साल का बकाया अभी तक भी बाकी है? एक नागौर डिपो में डेढ़ और दो साल का कर्मचारियों का बकाया है। केवल मात्र आंकड़ों से आप राजस्थान रोडवेज को लाभ में दिखा रहे हैं। कर्मचारियों का दो-दो, तीन-तीन साल का बकाया बाकी है।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : प्रश्न जो है स्पेसिफिक पूछा है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने दो-तीन दिन पहले ही माननीय सदस्यों को यह चिन्ता जतायी थी——

श्री विष्णु मोदी : आप बिराजो। दूसरा सवाल है, आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : उत्तर तो बड़ा गोलमोल दिया है इन्होंने, प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक था।

श्री अध्यक्ष : और कुछ कहना है क्या आपको?

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त कर रहे हैं क्या आप? अभी तो समय बाकी है। यह तो स्थगित प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : मोदी जी।

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, 8 सितम्बर, 1997)

चारा ढुलाई एवं टांका निर्माण कार्यों में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

4. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1986 से 1988 के दौरान सुखा राहत कार्यों के तहत किस-किस जिले को किस-किस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चारा ढुलाई एवं टांकों के निर्माण में की गयी गड़बड़ियों की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच करवायी गयी थी? यदि हां, तो कब तथा जांच उपरान्त किन-किन अधिकारियों/ कर्मचारियों और संस्थाओं को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की

(श्री विष्णु मोदी)

गयी? यदि नहीं, तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी का जवाब नहीं चाहिए क्योंकि जवाब जो इन्होंने रखा है, वह जिस दिन स्थगित हुआ वही का वही जवाब आज सदन के पटल पर है। सी. बी. आई की चारा घोटाले में बहुत एक्सपर्टीज हो गयी आपकी सी. ए. जी. की रिपोर्ट आ गयी है, राजस्थान स्टेट ब्यूरो इन्वेस्टीगेशन है उसके डी. जी. का जवाब है, चिट्ठी लिखी है चीफ सैक्रेटरी को, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार इस सारी जांच को सी. बी. आई. से कराएगी?

(12.00)

राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री सांवरलाल जाट) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी सूची आपको उपलब्ध करवा दी है।

श्री विष्णु मोदी : यह वही सूची है जो पहले दिन रखी गयी थी। सवाल इसलिए डैफर किया गया था कि आप एडिशनल सूची उपलब्ध कराएंगे।

श्री सांवरलाल जाट : आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। समय-समय पर क्या कार्यवाही हुई है, पूरी रिपोर्ट आपको उपलब्ध करवा दी है। जिन मामलों में ए. सी. डी. ने जांच कर ली है न्यायालय के अन्दर चल रहे हैं। बाकी विचाराधीन हैं, ए. सी. डी. उनकी जांच कर रही है।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि सी. ए. जी ने जो रिपोर्ट दी है और सी. ए. जी. ने जो चारा घोटाला बताया है इसकी जांच आप कितने दिन में सी. बी. आई. से कराएंगे?

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, जो जांच हुई है उसमें कई प्रकार की शिकायतें पायी गयीं। वह सारा विवरण मैंने आपको उपलब्ध करवाया कि चारा जिन ट्रकों में लाया गया वे ट्रक नहीं थे मोटर साइकलें थीं। इसी प्रकार एक वाहन से अलग-अलग संस्थाओं द्वारा चारा परिवहन बतलाया गया। एक ही वाहन का दिन में प्रदेश के बाहर से कई बार चारा लाना बतलाया गया। किसी में रसीद नहीं है, किसी में चैक पोस्ट की रसीद नहीं है। इस प्रकार की शिकायतें हैं, इन शिकायतों की जांच चल रही है। मैं समझता हूं कि जो सी. ए. जी. ने रिपोर्ट दी है उन्हीं तथ्यों के ऊपर ए. सी. डी. जांच कर रही है।

श्री विष्णु मोदी : ए. सी. डी. जांच कर रही है वह तो आपने बता दिया है। स्पेसिफिकली माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मेरे पास कागज नहीं हैं इसलिए सवाल पोस्टपोन करते हैं। उसके बाद में आपने आज जो जवाब दिया है उसमें कोई एडिशनल इन्फारमेशन नहीं दी है। जो आपने उस दिन पोस्टपोन कराया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कन्ट्रोलर एण्ड आडिट जनरल ने किन-किन____

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरकार पर सावधिक ऋण/देनदारियां

228. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 31 मार्च, 1996 को सरकार पर कितना सावधिक ऋण एवं कितनी देनदारियां थीं? वर्ष 1996-97 में सरकार को कितना एवं 1995-96 में कितना ब्याज देना पड़ा था? उक्त वृद्धि कितने प्रतिशत हुई?

(2) सरकार द्वारा इसे कम करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 31 मार्च, 1996 को राज्य सरकार पर रु. 9148.74 करोड़ का सावधिक ऋण एवं 4990.09 करोड़ की देनदारियां थीं। वर्ष 1995-96 में राज्य सरकार को 1233.78 करोड़ एवं 1996-97 में (संशोधित अनुमानों के अनुसार) 1519.65 करोड़ ब्याज देना पड़ा। यह वृद्धि 23.17 प्रतिशत है।

(2) राज्य के आयोजना व्यय तथा विकासीय निवेश में वृद्धि के कारण ऋण भार में वृद्धि हुई है। तथापि राज्य सरकार इस हेतु जागरूक है। सरकार स्वयं के संसाधनों में वृद्धि के साथ ही बाह्य सहायता पोषित योजनाओं के लिये कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। बाजार ऋणों के पुनर्भुगतान की व्यवस्था हेतु भारतीय रिजर्व बैंक में एक विशेष कोष की स्थापना भी की जा रही है।

राज्य में दस्तावेजों का पंजीयन

229. श्री सांवरसिंह चौधरी ([illegible]) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में दस्तावेजों के पंजीयन कराने पर उन दस्तावेजों की नकलें पंजीयन विभाग की बहियों में (प्रतिलिपि) उतारी जाती है, जिसका शुल्क पंजीयन कराने वाले से वसूला जाता है?

(2) यदि हां, तो प्रतिलिपि शुल्क वसूलने के आधार क्या हैं?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अब दस्तावेजों के पंजीयन कराने पर दस्तावेजों की नकल न करवाई जाकर दस्तावेजों की फोटो कापी/टाइप/हस्तलिखित नकल लेकर दस्तावेज का पंजीयन किया जा रहा है?

(4) क्या सरकार प्रश्न के भाग (1) की व्यवस्था में परिवर्तन कर भाग (3) की व्यवस्था लागू करने से पंजीयन की विश्वसनीयता पर पड़ने वाले गम्भीर परिणामों से जागरूक है? यदि हां, तो क्या सरकार पंजीयन के नकल की फीस लेने के अपने दायित्व को निभायेगी व सभी पंजीयन किये जाने वाले दस्तावेजों का पंजीयन की बहियों में विभागीय लिपिक के हाथ से या टाइप से नकलें करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं, भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत राजस्थान एक्ट सं. 2 सन् 1982 के द्वारा दिनांक 16.7.82 से धारा 19 (ए) जोड़ने से पूर्व दस्तवेजों की नकल निर्धारित उप पंजीयक कार्यालय से संधारित रजिस्टर में नकल की जाती थी। उक्त संशोधन के द्वारा दस्तावेज की फोटो प्रति या सत्य प्रति लेने का प्रावधान किया गया है तथा उक्त संशोधन के साथ-साथ पंजीयन अधिनियम की धारा 52 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) में भी संशोधन करके सत्य प्रति या फोटो प्रति निर्धारित बुक में चस्पा (पेस्ट) करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए अब दस्तावेजों की नकल रजिस्टर में नहीं की जाती है।

उपरोक्त प्रकार के दस्तावेजों के पंजीयन करने की सेवा के बदले पंजीयन शुल्क अनुसूची प्रथम में निर्धारित दर के अनुसार वसूल किया जाता है।

(2) पंजीयन कार्यालय में संधारित पंजीकाओं में दस्तावेजों का पंजीयन भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है तथा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार पंजीयन शुल्क वसूल की जाती है। उक्त प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद-7 में प्रतिलिपि शुल्क 5/- रुपये प्रति पृष्ठ निर्धारित है तथा अनुच्छेद-8 में मिलान करने की शुल्क भी 5/- रुपये प्रति पृष्ठ निर्धारित है। दस्तावेज की नकल रजिस्टर में करना बन्द करने के पश्चात् 5/- रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फोटो या सत्य प्रति का मिलान मूल दस्तावेज से करने की शुल्क वसूल की जाती है।

(3) जी हां, 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 के द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा 19(ए) एवं 52(1)(ग) में किये गये संशोधन के पश्चात् पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेज की नकल रजिस्टर में करना बन्द कर दिया गया है तथा मूल दस्तावेज के साथ उसकी फोटो प्रति या सत्य प्रति लेकर दस्तावेज प्रस्तुत करने, दस्तावेज के निष्पादन की स्वीकृति एवं पंजीयन के प्रमाण-पत्र, मूल प्रति एवं सत्य फोटो प्रति दोनों पर पृष्ठांकन किया जाता है। मूल प्रति प्रस्तुतकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को लौटा दी जाती है तथा सत्यप्रति कार्यालय में निर्धारित अतिरिक्त बुक के बट में चस्पा की जाती है। (एक बट पर एक पृष्ठ चस्पा किया जाता है)

(4) जी हां, सरकार पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की विश्वसनीयता बनाये रखने के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। मूल दस्तावेज के साथ उसकी सत्य प्रति या फोटो प्रति पेश होने पर दोनों का मिलान किया जाता है तथा पंजीयन करने के पश्चात् मूल दस्तावेज लौटा दिया जाता है एवं सत्य प्रति या फोटो प्रति को अतिरिक्त पुस्तक के बट में चस्पा किया जाता है तथा उसी से प्रमाणित प्रति चाहे जाने पर तैयार की जाती है। दस्तावेज की नकल रजिस्टर में करने की प्रक्रिया से पंजीयन में विलम्ब होता है

(उप मुख्य (वित्त) मंत्री)

इसलिए पुनः उक्त प्रक्रिया को लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

देशी/विदेशी मदिरा विक्रय हेतु गठित निगरानी समितियां

230. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दुकानों से देशी व विदेशी शराब की बिक्री की निगरानी हेतु प्रत्येक जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया हुआ है ?

(2) यदि हां, तो नागौर जिले में इस कमेटी (समिति) के सदस्य कौन-कौन हैं ? जनवरी, 1995 से जून, 1997 तक समिति की कितनी बार किस-किस तिथि को बैठकें हुई ?

(3) समिति की बैठकें बुलाने का अधिकार किसको है तथा इस कमेटी में किन-किन विषयों सम्बन्धी चर्चा की जाती है ? क्या कमेटी का फैसला मान्य होता है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने दिनांक 17.4.95 के आदेश द्वारा प्रत्येक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया हुआ है। इसके द्वारा मदिरा की खुदरा दुकानों के स्वीकृत लोकेशन बाबत शिकायतों पर विचार कर वैकल्पिक स्थल के बारे में विभाग को अनुशंषा की जाती है।

इस समिति के निम्न सदस्य हैं :—

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक	सदस्य
4. जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

(2) इस समिति के गठन के बाद खुदरा मदिरा दुकानों के लोकेशन सम्बन्धी परिवादों पर विचार हेतु नागौर में निम्न तिथियों को जिला स्तरीय समिति की बैठकें हुई हैं :— 22.5.95, 17.6.95, 19.7.95, 29.7.95, 16.9.95, 20.10.95, 19.11.95, 30.12.95, 27.1.96, 2.3.96, 27.7.96, 31.8.96, 28.9.96, 28.12.96, 29.3.97, 3.5.97, 29.6.97, 26.7.97 एवं 30.8.97.

(3) समिति की बैठकें बुलाने का अधिकार जिला कलक्टर को है जो इसके अध्यक्ष हैं। इस समिति की बैठक में मदिरा दुकानों के स्वीकृत लोकेशन सम्बन्धी प्राप्त परिवादों पर चर्चा की जाकर वैकल्पिक स्थानों के बारे में विभाग को सिफारिश की जाती है तथा समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन आबकारी आयुक्त को भेजा जाता है जिसे विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को ऋण/अनुदान

231. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(30)

(श्री बाबूलाल वर्मा)

(1) 31 मार्च, 1997 तक गत पांच वर्षों में राजस्थान वित्त निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को 15 लाख से अधिक की राशि के कितने ऋण स्वीकृत किये गये हैं? प्रत्येक इकाई का नाम, पता स्वीकृत ऋण राशि, दिनांक एवं वितरण की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन इकाइयों में स्वीकृति के समय अनुदान राशि का भी प्रोवीजन रखा गया है? यदि हां, तो प्रत्येक इकाई में कितनी-कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। वर्तमान में दिनांक 31 मार्च, 1997 तक कितनी अनुदान राशि का वितरण किया जा चुका है?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम के यहां 15 लाख रुपये अधिक ऋण राशि के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोई अलग से योजना नहीं है। 15 लाख रुपये से अधिक एवं सभी प्रकार के उद्यमियों के लिए निगम की प्रचलित साधारण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमी भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः जाति के आधार पर, स्वीकृत ऋण का विवरण उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

(2) राज्य पूंजी विनियोजन एवं अनुदान योजना, 1990 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। योजना के अन्तर्गत पात्रता के आधार पर पात्र इकाइयों को पूंजी विनियोजन के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अतः अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को वितरित अनुदान का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

वित्त निगम के प्रशासनिक व्यय

232. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 3 वर्षों में राजस्थान वित्त निगम में हुये प्रशासनिक खर्चों का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम द्वारा गत 3 वर्षों में दिनांक 31 जुलाई, 1997 तक 5000 रुपये से ज्यादा मूल्य की कौन-कौन सी सम्पत्तियां, फर्नीचर आदि की खरीद की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम के प्रधान कार्यालय में कितने अधिकारियों द्वारा वाहन उपयोग में लिये जा रहे हैं? प्रत्येक वाहन का गत तीन वर्षों का वर्षानुसार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम का गत 3 वर्षों का प्रशासनिक खर्चों का मदवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान वित्त निगम द्वारा क्रय की गई सम्पत्तियों/फर्नीचर

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) वर्तमान में निगम मुख्यालय पर कुल 8 वाहन उपलब्ध हैं जो कि कार्यालय उपयोग हेतु समय-समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाये जाते हैं, इन वाहनों में वे 3 वाहन भी शामिल हैं जो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक के कार्यालय एवं निजी प्रयोग, निर्धारित मासिक राशि जमा कराने पर, में लिये जाते हैं, शेष 5 वाहन निगम के पूल में कार्यरत हैं इन वाहनों पर वर्षवार खर्चे का विवरण परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

जिला श्रीगंगानगर में गेहूं का वितरण

233. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में गरीब परिवारों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कितना गेहूं आबंटित किया जाता है?

(2) उक्त क्षेत्र में जनवरी, 1997 से जुलाई, 1997 तक कितना गेहूं आबंटित किया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गरीब परिवारों को गेहूं किस मानदण्ड के अनुसार वितरित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.6.97 से लागू नई नीति लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में प्रतिमाह प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दर पर दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के लिए भी यही व्यवस्था लागू है। राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार गरीब परिवारों को माह जुलाई, 97 से 10 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न सामान्य दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) श्रीगंगानगर जिले को जनवरी, 1997 से जुलाई, 1997 तक 17,347 मै. टन गेहूं का आबंटन किया गया था। तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) भाग (1) के अनुसार नीति निर्धारित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जिला झुन्झुनूं में केरोसिन तेल का वितरण

234. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले में केरोसिन तेल की सप्लाई करने में झुन्झुनूं जिला रसद अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में वितरण की जाने वाली मात्रा में

(श्री शिवनाथ सिंह)

भेदभाव बरता जा रहा है? यदि हां, तो प्रति राशन कार्ड दोनों क्षेत्रों में कितनी-कितनी मात्रा में केरोसिन तेल वितरित किया जाता है तथा दोहरी व्यवस्था लागू करने के यदि हां, तो क्या कारण/आधार हैं?

(2) क्या सरकार इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को अनुचित मानती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें सुधार कर दोनों क्षेत्रों में समान मात्रा में केरोसिन तेल वितरण करने हेतु जिला रसद कार्यालय को आदेश देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में शहरी क्षेत्र में केरोसिन तेल के आबंटन का स्केल 5 यूनिट तक प्रति राशन कार्ड 5 लीटर तथा 5 यूनिट से अधिक के राशन कार्ड पर 10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह है। ग्रामीण क्षेत्र में आबंटन का स्केल 5 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह है। दोहरी व्यवस्था लागू करने का कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध रहता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इनकी कोई व्यवस्था नहीं होती। गैस कनेक्शनधारियों को भी केरोसिन तेल का आबंटन न्यूनतम मात्रा में किया जाता है।

(2) जी नहीं, फिर भी केरासिन की उपलब्ध मात्रा, क्षेत्र में इसकी मांग तथा ईंधन के वैकल्पिक साधनों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था हेतु जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये हुए हैं।

जिला झुन्झुनूं में नियुक्त केरोसिन डीलर

235. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुन्झुनूं के ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण हेतु कुल कितने डीलर नियुक्त हैं?

(2) एक डीलर के पास अधिक से अधिक कितनी ग्राम पंचायतें और उनमें कितने गांव हैं?

(3) झुन्झुनूं जिले में कुल कितने गांव हैं तथा क्या यहां डीलरों की संख्या अपर्याप्त है?

(4) ऐसे कौन से डीलर हैं, जो शहर में रहते हैं तथा उनको ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण का डीलर नियुक्त कर रखा है तथा ग्रामीण जनता को शहरों में आकर केरोसिन ले जाना पड़ता है?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनूं के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केरोसिन तेल वितरण हेतु कुल 309 डीलर नियुक्त हैं।

(2) झुन्झुनूं जिले की तहसील खेतड़ी की ग्राम-पंचायत बुहाना के एक डीलर के पास 5 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 14 गांव सम्मिलित हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इन पंचायत मुख्यालयों पर तेल का टेंकर न पहुंच पाने के कारण यह व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सामान्यतया एक ग्राम पंचायत के लिए एक डीलर नियुक्त है।

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

एक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत औसतन 2-3 गांव होते हैं।

(3) झुन्झुनूं जिले में कुल 847 राजस्व गांव हैं तथा कुल ग्राम पंचायत 288 है, इसे देखते हुए डीलरों की संख्या, जो 309 है पर्याप्त है।

(4) झुन्झुनूं जिले में वर्तमान में कोई भी डीलर ऐसा नहीं है जो शहर में रहता हो तथा केरोसिन का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए करता हो। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में ही तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

भैंसासिंह सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रकरण

236. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के बरसात के पानी को गुजरात प्रदेश में जाने से रोके जाने के उद्देश्य से भैंसासिंह सिंचाई परियोजना हाथ में ली गई थी? यदि हां, तो कब तथा इस परियोजना पर किस-किस मद से कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित थी तथा अब तक कुल कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की जा चुकी है?

(2) उक्त परियोजना को अब तक मूर्त रूप नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे तथा यह अब कब तक पूर्ण होना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। यह परियोजना वर्ष 1979 में हाथ में ली गई थी। इस परियोजना पर टी. ए. डी. मद में 50.196 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अब तक इस कार्य पर 52.568 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। कार्यवार व वर्षवार व्यय ब्यौरा परिशिष्ट "क" व "ख" पर संलग्न है।

(2) उक्त परियोजना को अब तक मूर्त रूप से नहीं किये जाने का मुख्य कारण तकनीकी मानदण्ड (डिजाइन) आदि में परिवर्तन, विभिन्न फील्ड टेस्टिंग करने के कारण एवं कार्य प्रारम्भ करते समय अनुबंध के अनुरूप कार्य नहीं होना आदि है। परियोजना का अब संशोधित प्रशासनिक तखमीना राशि रुपये 711.22 लाख का तैयार किया गया है जिसकी जांच कार्यवाही विचाराधीन है। परियोजना स्वीकृति बाबत निर्णय जांच पश्चात् लिया जाएगा।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

गंगनहर (श्री करणपुर) का श्रमिक मृत्यु प्रकरण

237. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि गंगनहर के उत्तर खण्ड के सब डिविजन, श्री करणपुर में माह अगस्त, 1997 में किसी बेलदार की मौत हुई थी? यदि हां, तो मौत के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(34)

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(2) क्या यह सही है कि उक्त बेलदार की मौत अधिकारियों की लापरवाही से हुई है?

(3) क्या यह सही है कि एच. माइनर (डेस) की फौजूवाला टेल में बुर्जी नं. 2 पर 2000 फीट केली नहर में फंसी थी? क्या अधिकारियों ने मात्र एक बेलदार को केली निकालने के लिए उतार दिया और अधिकारी वहां से चले गये? क्या उक्त बेलदार केली निकालते-निकालते नहर में डूब कर मरा है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी?

(4) क्या सरकार उक्त बेलदार के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नहर के बीच केली निकालते समय ड्यूटी पर पानी में डूबने से मौत हुई।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। एच. डेस नहर में केली बुर्जी संख्या 16-17 के मध्य केवल 100 फीट में ही फंसी थी। एच. डेस नहर की उक्त रीच की पानी की गहराई केवल 140 फीट ही है। जिसके कारण किसी दुर्घटना की सम्भावना नहीं आंकी जा सकती थी। अतः उक्त स्थान पर केली निकालने के लिए केवल एक बेलदार ही की आवश्यकता थी। अन्य अधिकारियों का वहां पर उपस्थित रहना आवश्यक नहीं था (जिसका कारण सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता उनके अधिकार क्षेत्र में अन्य नहरों की देखभाल हेतु कार्यरत थे)। उक्त बेलदार केली निकालते समय नहर में डूब कर मरा है। इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, इसलिए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) जी हां, नियमानुसार मृतक के आश्रित को सहायता देने का प्रावधान है, जिसकी कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

सिद्धमुख नोहर/साहवा लिफ्ट परियोजना प्रकरण

238. श्री अमराराम (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना व साहवा लिफ्ट परियोजना में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो अब तक उसकी जांच के क्या परिणाम रहे?

उत्तर

सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार सम्बन्धित एक जनहित याचिका वाद संख्या 3013/96 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद एडवोकेट ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में माह 9/96 में दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर के द्वारा जांच

(सिंचाई मंत्री)

की जा रही है। 9/97 तक एक प्रकरण एल. डी. पी. ई. फिल्म क्रय करने बाबत में चालान भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, बीकानेर में प्रस्तुत किया गया है तथा अन्य प्रकरणों की जांच जारी है। साहवा लिफ्ट परियोजना में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन दोनों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार का कोई भी आधार नहीं पाया गया। अतः साहवा लिफ्ट परियोजना पर भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ओराई बांध की नहरों का रख रखाव

239. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ओराई डैम के कमाण्ड क्षेत्र की नहरों की देखभाल उप खण्ड, बेगूं को न देकर उप खण्ड, गंगरार को दे रखी है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति बेगूं की उक्त कमाण्ड क्षेत्र की पंचायतें गोपालपुरा, राजगढ़, इटावा, दुगार, मोतीपुरा, बरनियास के तहसील बेगूं एवं थाना पारसोली (बेगूं) लगता है? यदि हां, तो जब सभी प्रकार से सम्बन्ध बेगूं से जुड़े हुए हैं, तो फिर सिंचाई उप खण्ड, गंगरार में क्यों दिया गया है? क्या सरकार इस क्षेत्र को उप खण्ड, बेगूं में देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, पूर्व में बेगूं उप खण्ड में डेराई सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन थी। अतः उप खण्डों के कार्यभार में सन्तुलन एवं सुचारू रूप से रख रखाव हेतु यह व्यवस्था की गई थी।

(2) जी हां, पंचायत समिति बेगूं के अधीन कमाण्ड क्षेत्र की ये सभी पंचायतें, तहसील बेगूं की हैं एवं थाना पारसोली (बेगूं) लगता है। चूंकि वर्ष 1989-90 में बेगूं उप खण्ड अधीन डोराई परियोजना का कार्य प्रगति पर था, अतः कार्य विभाजन में सन्तुलन की दृष्टि से यह व्यवस्था की गई थी। डोराई परियोजना का निर्माण कार्य हो गया है, अब ओराई बांध का कार्य बेगूं उप खण्ड में देने हेतु शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

मानसरोवर बांध का पुनर्निर्माण प्रकरण

240. श्री हरिनारायण (खण्डार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 में मै. गिरीश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा मानसरोवर बांध की वेस्टवीयर के टूटे भाग का पुनः निर्माण कार्य किया गया है? यदि हां, तो कितना कार्य किया गया तथा इस हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वेस्टवीयर टूटा ही नहीं है? मात्र चुनाई पर से पुरानी पाइंटिंग हटाकर नई पाइंटिंग की गई है?

(श्री हरिनारायण)

यदि हां, तो उक्त कार्य में 6.5 लाख रुपये व्यय किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही नहीं है कि मानसरोवर बांध का वर्ष 1994-95 में गिरीश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा कोई कार्य किया गया है। वर्ष 1995-96 में उक्त कम्पनी द्वारा वेस्टवीयर का कार्य किया गया जिस पर 5.36 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। किये गये कार्य एवं उनका भुगतान परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। मानसून वर्ष 1994 के दौरान बांध मानसरोवर की वेस्टवीयर आदि क्षतिग्रस्त हुई थी, उसी के रेस्टोरेशन हेतु 5.36 लाख व्यय किये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

माही बजाज सागर का शिलान्यास प्रकरण

241. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1960 में माही बजाज सागर का शिलान्यास पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री मुरारजी देसाई ने किया था?

(2) यदि हां, तो क्या इस शिलान्यास समारोह के फोटो भी लिये गये थे?

(3) यदि हां, तो क्या उनको माही बजाज सागर के म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) माही बजाज सागर का कोई म्यूजियम नहीं है। माही बांध स्थल पर स्थित डिस्पले रूम में फोटोग्राफ्स प्रदर्शित किये गये हैं।

छापां बांध परियोजना (झालावाड़) से प्रभावित किसानों को मुआवजा

242. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा झालावाड़ जिले का छापां बांध परियोजना से प्रभावित सभी किसानों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कुल कितने किसानों की कितनी राशि का भुगतान बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मुआवजा राशि का भुगतान उप खण्ड अधिकारी, अकलेरा के माध्यम से करवाया जायेगा? क्या यह भी सही है कि उप खण्ड अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि की 20 प्रतिशत राशि के अल्प बचत पत्र खरीदने हेतु किसानों को बाध्य किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के सरकार के आदेश हैं?

(3) अब मुआवजे की राशि का भुगतान किसानों को कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। छापां सिंचाई परियोजना से प्रभावित 159 किसानों में से 138 किसानों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। शेष 21 किसानों का लगभग 3.83 लाख रुपये का भुगतान बकाया है जिसकी सूचना प्रपत्र संख्या एक पर है।

(2) जी हां। मुआवजा राशि का भुगतान उप खण्ड अधिकारी, अकलेरा के माध्यम से करवाया जा रहा है। उप खण्ड अधिकारी द्वारा किसानों को 20 प्रतिशत मुआवजा राशि के अल्प बचत पत्र खरीदने हेतु बाध्य नहीं किया जाता है। राज्य सरकार के इस प्रकार के कोई आदेश नहीं हैं।

(3) मुआवजा राशि का भुगतान भूमि अवाप्ति अधिकारी को भेज दिया गया है। जिला कलक्टर, झालावाड़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुआवजे की अतिरिक्त राशि के भुगतान की कार्यवाही लगातार जारी है। भूमि के स्वामित्व की संतुष्टि के बाद सभी हितधारियों को आगामी दो माह में मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला जालौर की क्षारयुक्त भूमि का सर्वे

243. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले के बांकली बांध के कमाण्ड क्षेत्र के ग्राम बांकली, तोड़मी, रेवड़ाकलां, घाणा आदि ग्रामों की भूमि में क्षारीयपन हो जाने से हजारों बीघा कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र की भूमि खराब हो गई है, जिससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त वर्णित क्षारयुक्त भूमि का सर्वे किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त वर्णित भूमि का शीघ्र सर्वे करवाकर इसे पुनः क्षारविहीन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार से?

उत्तर

(1) जी, हां। जालौर जिले के बांकली बांध के कमाण्ड क्षेत्र के गांव बांकली, तोड़मी, रेवड़ाकलां, घाणा आदि ग्रामों की कृषि भूमि में क्षारीयपन आ गया है जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट आना प्रतीत होता है।

(2) कृषि भूमि का सर्वेक्षण कार्य साधारणतया सिंचाई/कृषि विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जालौर क्षेत्र के किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच के लिए सिरोही में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत है। कोई भी कृषक प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच करवाकर मिट्टी में क्षारीय समस्या की उपस्थिति और उसके सुधार के लिए आवश्यक जिप्सम की मात्रा की सूचना प्राप्त कर सकता है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार

(सिंचाई मंत्री)

द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत है। जालौर जिले के लिए इस वर्ष 5500 मै. टन जिप्सम का भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग का लक्ष्य रखा गया है, कोई भी कृषक इसका लाभ उठा सकता है।

(3) सिंचाई विभाग तथा कृषि विभाग द्वारा इस क्षेत्र के सर्वेक्षण का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है।

पंचायती राज संशोधन विधेयक, 1996

244. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या पंचायती राज संशोधन विधेयक, 1996 में जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के लिए कोई विशेष प्रावधान किये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन्हें लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, 1996) 1996 का अधिनियम संख्या 40 जो 24.12.96 से लागू हुआ है, के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं : —

1. ग्राम सभा

प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी प्रत्येक ग्राम सभा में वही व्यक्ति होंगे जिनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में होगा। ग्राम सभा लोगों के रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु सक्षम होगी। ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा संचालित सामाजिक, आर्थिक परियोजनाओं को अनुमोदित करने तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में लाभार्थियों का चयन करने में सक्षम होगी। ग्राम स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा से एक प्रमाण पत्र राशि उपयोग का लेना होगा जो राशि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय की गई है।

2. आरक्षण

अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किसी समुदाय विशेष की जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा। किन्तु अनुसूचित जनजाति के लिए कुल स्थानों में से कम से कम आधे स्थान आरक्षित होंगे। पंचायतों के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। राज्य सरकार अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधियों की विभिन्न स्तरों पर नामित कर सकती है। यदि इस वर्ग का पहले से प्रतिनिधित्व न हो। लेकिन मनोनीत व्यक्तियों की संख्या पंचायतों के कुल निर्वाचित सदस्यों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. भूमि अधिग्रहण

अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिगृहीत करने से पूर्व ग्राम सभा

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

या पंचायत को सम्पर्क किया जायेगा और राज्य स्तर पर ऐसे क्षेत्र की योजनाओं की क्रियान्विति का समन्वय किया जायेगा।

4. लघु जल इकाइयों का प्रबन्ध

अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल इकाइयों के नियोजन एवं प्रबन्ध को पंचायतों को सौंपा जायेगा।

5. खनन की स्वीकृति

ऐसे क्षेत्रों में खनन की अनुमति देने या छोटे-छोटे खनिजों को ठेका पर उठाने से पहले उपयुक्त स्तर की ग्राम सभा अथवा पंचायत की सिफारिशें मानना अनिवार्य होगा।

6. खनिजों की नीलामी

ग्राम सभा का उपयुक्त स्तर पर पंचायत की सिफारिश छोटे खनिज पदार्थों के विदोहन की नीलामी हेतु सिफारिश मानना अनिवार्य होगा।

7. स्वायत्त सरकार की भूमिका

अधिनियम में ऐसे प्रावधान किये जायें कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वायत्त सरकार की भूमिका निभाना संभव हो। इस उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर पंचायतों और ग्राम सभाओं को निम्न अधिकार दिये जायें : —

1. नशाबन्दी लागू करना या नशीलें पदार्थों के उपयोग और विक्रय को नियमित या प्रतिबन्धित करना।

2. लघु वन उपज का स्वामित्व देना।

3. अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के विनाश को रोकना और गैर कानूनी रूप से अनुसूचित जाति की भूमि के नुकसान को ठीक करना।

4. ग्रामीण बाजारों का आयोजन करना।

5. मुद्रा के लेन-देन पर नियंत्रण करने की शक्तियां देना।

6. सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं के ऊपर नियंत्रण।

7. अनुसूचित एवं उप योजनाओं जैसी स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण करना।

(2) उपर्युक्त केन्द्रीय अधिनियम, 1996 के प्रावधान पहले से ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अन्तर्गत समाहित किये जा चुके हैं तथा राजस्थान पंचायत (निर्वाचन) नियम, 1994 के माध्यम से कराये गये जनवरी, 1995 में निर्वाचन में केन्द्रीय अधिनियम द्वारा बताये गये प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण किया गया है।

ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों के प्रमुखों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

245. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(90)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(1) गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा राज्य की किन-किन ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों के प्रमुखों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में किन-किन सरपंचों के विरुद्ध कौन-कौन सी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों में से किन-किन की जांच कब-कब की गई? सरकार द्वारा जांच के बाद उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इन शिकायतों की जांच प्रक्रिया जारी है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जिला नागौर की पंचायतों द्वारा मदिरा पर चुंगी वसूली प्रकरण

246. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों को शराब पर चुंगी टैक्स लगाने का अधिकार है? यदि हां, तो किस प्रकार तथा किस दर से?

(2) क्या नागौर जिले में भी किसी ग्राम पंचायत ने यह टैक्स लगाया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी पंचायत ने कब-कब से किस दर से तथा वसूली किस आधार से कब से चालू की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त टैक्स की वसूली के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है तथा वसूली में क्या-क्या कठिनाई आ रही है और उनके निराकरण के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये?

(4) क्या किसी ग्राम पंचायत ने इस टैक्स की वसूली में नियमानुसार आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा पंचायतों को सहयोग नहीं देने की शिकायतें की हैं? यदि हां, तो नागौर जिले की कौन सी पंचायत ने कब तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

(5) क्या यह सही है कि आबकारी विभाग के सहयोग के बिना ग्राम पंचायतों द्वारा यह टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये और आगे क्या उठाये जायेंगे ताकि पंचायत यह टैक्स सुगमता से वसूल कर सके?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 70 (1) के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्रान्तर्गत दुकान/उपदुकान चलाने वाले देशी शराब के अनुज्ञापत्र-धारियों से ग्राम पंचायतों को शराब पर

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

चुंगी कर लगाने का अधिकार हैं। चुंगी की रकम ऐसी दुकान/उप दुकान पर रखे गये स्टाक रजिस्टर और आबकारी पास के आधार पर 2 प्रतिशत की दर से लगायी जाती है।

(2) जी, नहीं।

(3) राज्य में विभिन्न पंचायत अपने प्रस्ताव द्वारा चुंगी लगाती है और वसूली हेतु चुंगी नाके स्थापित करती हैं। चुंगी वसूली के सम्बन्ध में किसी ग्राम पंचायत से कठिनाई के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी, नहीं।

(5) प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत चुंगी वसूल करने में स्वयं सक्षम है। यदि निर्धारित देय चुंगी प्राप्त नहीं होती है तो उसे भू-राजस्व के रूप में वसूल करने का अधिकार है।

पंचायत समिति भोपालगढ़ (जोधपुर) की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण

247. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) भोपालगढ़ पंचायत समिति (जोधपुर) के पास कितनी भूमि खातेदारी की कब से एवं कहां पर स्थित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि तरमीम की गई है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो किन-किन द्वारा एवं कब-कब से?

(3) सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? अब कब तक अतिक्रमण हटा कर पंचायत समिति को इसका कब्जा दिला दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, भोपालगढ़ के पास 150 बीघा भूमि खसरा नं. 938 में उप खण्ड अधिकारी, जोधपुर के आदेश संख्या 1252 दिनांक 24.6.71 के द्वारा आबंटित की गई है।

(2) जी हां। नक्शे पर तरमीम का दिनांक अंकित नहीं है। इस भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है जिसकी सूची संलग्न है।

(3) पंचायत समिति द्वारा 25.4.97 को अतिक्रमियों को नोटिस दिये गये है जिनमें से 4 व्यक्तियों के प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर को नियुक्त किया गया है।

(सूची एवं नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत सिमित बामनवास का मुख्यालय

248. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री हीरालाल)

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति बामनवास का मुख्यालय पीपलाई स्थापित करने का निर्णय सरकार ने लिया है? यदि हां, तो निर्णय लेने का दिनांक व अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति मुख्यालय ग्राम बामनवास से स्थानान्तरण कर ग्राम पीपलाई में स्थापित करने का आदेश सरकार का यथावत है? यदि हां, तो पंचायत समिति कार्यालय पीपलाई में कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति, बामनवास का मुख्यालय पीपलाई मोड धर्मशाला किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाकर अधिसूचना क्रमांक एफ. 15/ग्राविप/पुर्नसीमा/91/687 दिनांक 15.3.91 जारी की जा चुकी है।

तत्पश्चात् इस अधिसूचना के विरुद्ध रिट सं. 1973/91 उनवानी गोविन्द नारायण मीणा बनाम सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई। उक्त रिट याचिका दिनांक 25.5.92 के खारिज होने पर आदेश क्रमांक एफ. 13(54)विधि/रिट/ग्राविप/97/1228-31 दिनांक 3.3.97 जारी किये गये जिनके अनुसार पंचायत समिति बामनवास का मुख्यालय यथावत् पीपलाई मोड धर्मशाला रखा गया है। सम्बन्धित अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां पटल पर रख दी हैं।

(2) जी हां, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3.3.97 की क्रियान्विति करने हेतु जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सवाईमाधोपुर को लिख दिया गया है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

पंचायत समिति जवाजा का जीप प्रकरण

249 श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, जवाजा की सरकारी जीप गत दो वर्षों से समिति में उपलब्ध नहीं होने से किसी भी राजकीय कार्य हेतु उपयोग में नहीं आ रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि यह जीप गत दो वर्षों से किसी अज्ञात निजी वर्कशाप में ठीक कराने हेतु खड़ी है?

(3) इस जीप को अनुपयोगी वस्तु के रूप में रखकर इसको ठीक नहीं कराने तथा इसके मूल्य में और क्षति पहुंचाने के पीछे क्या मूल कारण है? क्या इस कृत्य के लिये कोई व्यक्ति विशेष/अधिकारी दोषी है? यदि हां, तो उन दोषी व्यक्ति/अधिकारी का नाम तथा उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, जवाजा की सरकारी जीप सं. 762 दिनांक 30.12.95 से पंचायत समिति में उपलब्ध न होने से किसी भी राजकीय कार्य हेतु उपयोग में नहीं आ रही है। यह जीप नकारा करने हेतु पहले जिला परिषद्, अजमेर में दिनांक 30.12.95 को जमा कराई गई, नार्म्स पूरे न करने के कारण इसे नकारा घोषित करने की अभिशंषा नहीं की गई।

(2) जी नहीं। जीप मिस्त्री उदयसिंह, धौलाभाटा के वर्कशाप अजमेर में सितम्बर, 96 से अब तक ठीक होने के लिए पड़ी है।

(3) उक्त वाहन को ठीक कराकर उपयोग में लाने के उद्देश्य से ही वर्कशाप में भेजा था लेकिन मिस्त्री द्वारा तखमीना 29,681 रुपये देने पर पंचायत समिति नें पहले इस राशि के व्यय की स्वीकृति मांगी जिसकी स्वीकृति हेतु कार्यवाही जिला परिषद् के स्तर पर की जा रही है। ऐसी स्थिति में किसी को दोषी मानकर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

झालावाड़ जिले की पंचायत समितियों में रिक्त पद

250. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

झालावाड़ जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में अधिकारियों/कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। अब इन पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है।

उत्तर

जिला झालावाड़ की विभिन्न पंचायत समितियों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 2730 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 261 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों की पदवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों के लिये संबंधित विभागों से अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर एवं अन्य पदों पर चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

निगम द्वारा बस क्रय प्रकरण

251. श्री अमराराम (धोद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत तीन वर्षों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कितनी नई बसें कहां-कहां से खरीदी गई एवं उनकी बॉडी कहां से बनवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो नई बसें बनाई गई हैं, वह पुरानी बसों के मुकाबले कमजोर साबित हो रही हैं?

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा बसों की खरीद नहीं की जाती है, बल्कि वाहन निर्माताओं से चैसिस खरीदकर उन पर बस बॉडी बनाने के आदेश अलग से जारी किये जाते हैं।

वर्ष 1994-95 से वर्ष 1996-97 की अवधि में मैसर्स अशोका लिलेण्ड व मैसर्स टैल्कों से चैसिस क्रय करने के आदेश एवं प्राप्त चैसिसों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्ष 1994-95 से वर्ष 1996-97 की अवधि में प्राप्त चैसिसों पर विभिन्न बॉडी निर्माताओं को बस बॉडी निर्माण के लिए आबंटित किये गये चैसिस का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जयपुर-खण्डार मार्ग बस सेवा

252. श्री हरिनारायण (खण्डार) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर से खण्डार मार्ग पर संचालित बस बंद कर दी गई है? यदि हां तो यह बस कब से कब तक चली व इसे कब व क्यों बंद किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनहित में इस बस को पुनः चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर से खण्डार दौसा लालसोट-सवाईमाधोपुर मार्ग पर संचालित की गई बस सेवा का संचालन वर्तमान में सवाईमाधोपुर तक ही किया जा रहा है। जयपुर से खण्डार के लिये यह बस सेवा दिनांक 23.6.94 से माह दिसम्बर, 96 तक संचालित की गई थी। इस बस सेवा का सवाईमाधोपुर से खण्डार के बीच संचालन अनार्थिक रहने के कारण माह जनवरी, 97 से इसका संचालन सवाईमाधोपुर से खण्डार के बीच बन्द कर दिया गया है। माह अप्रेल, 96 से दिसम्बर, 96 की अवधि में जयपुर से खण्डार मार्ग पर संचालित सेवा का औसत यात्रीभार 64 प्रतिशत एवं औसत आय प्रति किलोमीटर 6.95 रु. रही। जबकि जयपुर से सवाईमाधोपुर के बीच माह जनवरी, 97 से जुलाई, 97 के बीच औसत यात्रीभार 77 प्रतिशत एवं औसत आय प्रति किलोमीटर 9.56 रु. रहा है।

(2) जी नहीं। सवाईमाधोपुर से खण्डार के बीच इस सेवा को पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में इसका संचालन खण्डार तक किये जाने का कोई विचार नहीं है।

भूतपूर्व विधायकों का निःशुल्क यात्रा कूपन प्रकरण

253. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परिवहन निगम द्वारा भूतपूर्व विधायकों के कुछ यात्रा

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

कूपनों के अवैध होने की शिकायतों के कारण कूपन नहीं छपवाया जाना जैसा आधार मानकर परिपत्र नं. 3937 दिनांक 7-4-1997 व 4558 दिनांक 2-5-1997 जारी किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई भूतपूर्व विधायकों को जारी किये कूपन फर्जी थे? यदि हां, तो ये कूपन कहां से आये और नहीं, तो निगम ने परिपत्र क्यों जारी किये ?

(3) क्या यह सही है कि निगम के परिपत्र अनुसार लाल स्याही के "ए" सीरीज के कूपन वर्ष 1993 के छपवाये गये थे? यदि हां, तो ऐसे भुगतान शुदा कूपनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। कुछ ऐसे कूपन का प्रयोग होना पाया गया था जो निगम द्वारा जारी ही नहीं किये गये, इस स्थिति को रोकने हेतु यह परिपत्र जारी किया गया था।

(3) जी नहीं। लाल स्याही के "ए" सीरीज के कूपन वर्ष 1992 में छपवाये गये थे। कूपनों से की गई यात्रा का भुगतान विधान सभा सचिवालय द्वारा किया जाता है तथा भुगतान-शुदा कूपन विधान सभा सचिवालय में रहते हैं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : (1) श्री गोपीचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की पंचायत समिति नगर के ग्राम मूंडिया में पेयजल का संकट होने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर की पंचायत बीलवा के ग्राम मधुरावाला, विधानी आदि क्षेत्र के हैण्ड पम्पों में खारा पानी आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की राजस्व विभाग सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरिनारायण बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डार के तीन किलोमीटर से कम दूरी के धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी द्वारा ग्राम बम्बूली से गम्भीरी तक निर्मित सम्पर्क सड़क के शेष हिस्से का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) डाक्टर मूलसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की धन्नालाल की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति का अवसायन शीघ्रातिशीघ्र किए जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रूपाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना में राजस्थान पुल निगम से खान विभाग द्वारा तैयार करवायी

(श्री अध्यक्ष)

गयी सड़क में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(8) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा स्थित मेवाड़ टैक्सटाइल मिल बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्व विभाग के अधिकारियों की कथित सांठ-गांठ से माफी मन्दिर की भूमियों का अवैध बेचान व स्थानान्तरण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति गंगरार के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के 44 पद सृजित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर स्थित चार दरवाजा क्षेत्र के चारों पार्क पर अतिक्रमण हो हटवाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(12) श्री रघुवीरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना लाखेरी में बिना पर्याप्त आधार के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को तीन दिन तक हिरासत में रखने वाले कर्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बिसाऊ में कक्षा 11 एवं 12 में उर्दू विषय अध्ययन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(14) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान स्टेट मोटर गैराज में अनुबन्ध पर नियुक्त पूर्व सैनिक वाहन चालकों के साथ कथित अन्याय एवं शोषण के सम्बन्ध में।

(15) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

(16) डा. जितेन्द्र नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा जिले के माही डैम की डूब में आये आदिवासियों के गांवों तक नहरें नहीं पहुंचने के सम्बन्ध में।

(17) श्री भीखा भाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर की गयी 14 तदर्थ पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार नहीं होने के सम्बन्ध में।

(18) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के कस्बा टोडाभीम में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हरिसिंह कुम्हेर या बृजेन्द्रसिंह जी सूपा। दोनों का एक ही विषय है।

आग्रह

जालौर में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति पर वक्तव्य की मांग

श्री भरतसिंह : अपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद में लेंगे (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था प्रश्नकाल के बाद देखा जाएगा। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री जी उसमें सुधार करना चाहते हैं।

श्रीमती बीना काक : हमने भी अपना स्थगन प्रस्ताव दे रखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप बिराजिये। आप पांच माननीय सदस्य अपनी बात कर रहे हैं।(व्यवधान) पच्चीस ने और स्लिपें दे रखी हैं। उनका भी अपना अधिकार है, पर पर्ची तो हो।

श्रीमती बीना काक : अपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद स्टेटमेंट आएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्हें भी बोलने दीजियेगा, यह नहीं कि चार माननीय सदस्य हाउस को रोक करके खड़े हो जाए। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आप अपनी बात से न डिगें, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बात से ना हटें। आपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद माननीय मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल के बाद कहा है मतलब यह नहीं कि शून्यकाल नहीं होगा। शून्यकाल में 15 सदस्यों ने पर्ची दी है, 15 माननीय सदस्यों की भावनाओं को भी ध्यान में रखेंगे कि नहीं?

श्रीमती बीना काक : अपने कहा था कि नहीं कहा था? क्या आपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था__(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष के नाते मेरा यह भी दायित्व है कि सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर हो। उन्होंने मुझे स्लिप दी है, वे भी कुछ अपनी-अपनी बात कहना चाहते हैं। (व्यवधान) क्या वे नहीं बोलें और आपको बोलने की अनुमति हो जाएगी?

श्री दलजीत सिंह : गृह मंत्रीजी से स्टेटमेंट दिलवा दें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : क्या आपने हमें नहीं कहा था कि प्रश्नकाल के बाद गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे। (व्यवधान) आपने स्वयं कहा था।

श्री दलजीत सिंह : आप बतलाइये कि कहा था कि नहीं? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : प्रश्नकाल के बाद गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे।

48

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल हो चुका है। दो मिनट बिराजिये आप।(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आप अपनी स्वयं की बात से हट रहे हैं। आप अपनी रूलिंग के विपरीत जा रहे हैं। आप स्टेटमेंट दिलवा दीजिये।

श्री दलजीत सिंह : आप अपने फैसले के विपरीत जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप संसदीय परम्पराओं को तोड़ना चाहते हैं तो बात दूसरी है। (व्यवधान) कोई मर्यादा नहीं रखना चाहते हैं तो बात दूसरी है। अमर्यादित आचरण करना चाहो तो आपकी मर्जी की बात है।

श्री दलजीत सिंह : हम नहीं तोड़ रहे हैं। (व्यवधान) नहीं, हम नहीं तोड़ रहे हैं।

श्रीमती बीना काक : इतना गंभीर मामला है जालौर शहर का। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम हमारी बात शून्यकाल में रखना चाहते हैं। (व्यवधान) हमारे जो मुद्दे हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, शून्यकाल का अवसर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी है। (व्यवधान) दलजीत सिंह जी, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इस माहौल की सीरियसनैस को जानते हैं आप। (व्यवधान)___ आप इस घटना की गंभीरता को जानते हैं। (व्यवधान) What is more important than this ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती बीना काक : आपकी रूलिंग, आपने कहा था कि प्रश्नकाल के समाप्त होते ही गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगे।

एक माननीय सदस्य : निर्दोष आदमियों की हत्या हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह नहीं है कि. . . . . (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इसका मतलब यही है जो आपने फरमाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका मलतब यही है कि शून्यकाल नहीं होगा।

श्रीमती बीना काक : सेना को बुलाया गया है, यह बहुत गम्भीर मामला है। आप किस-किसको दबाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, बयान के बाद ही शून्यकाल करवा लीजिए, कौन मना कर रहा है?

श्रीमती बीना काक : क्यों हमारी आवाज को आप रोकना चाहते हैं? (व्यवधान) क्यों हर बार दबाव में आती है यह सरकार?

श्रीमती कमला : गृह मंत्रीजी तो खुद ही स्टेटमेंट देने को तैयार हैं, आपने निर्णय भी दिया है, फिर बदलते क्यों हैं? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, आप तो दबाव में न आइये। जालौर जल रहा है। (व्यवधान) गोलियां चल रही हैं, किस मुंह से ये सब चुप हैं, अध्यक्ष महोदय? इन सबकी___(व्यवधान)

श्री भरत सिंह : पूरा का पूरा जोधपुर डिवीजन इस बात से उद्वेलित है। इस बात के लिए गृह मंत्रीजी तैयार हैं तो बयान दिलवाइये। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इन सबकी लगायी हुई आग ने इस एरिए को खतम किया है। गोलियां चल रही हैं। सिरोही, जालौर, पाली, वगैरह जल रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : पूरे राजस्थान में कर्फ्यू है, सेना को बुलाया गया है।

श्री अरुण सिंह : सेना को क्यों बुलाया गया? (व्यवधान) चार सौ राउण्ड गोली चली। (व्यवधान) तीन सौ आदमियों के ऊपर।

श्रीमती बीना काक : आप चाहते क्या हैं?__(व्यवधान) आप चाहते क्या हैं?

श्री अरुण सिंह : तीन सौ आदमी मौजूद थे, चार सौ राउण्ड गोलियां चलीं।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, आपसे विनती है कि यह बहुत गम्भीर मामला है। पाली, जालौर, सिरोही जल रहा है। बहुत गम्भीर मामला हो गया है। जब आप स्वयं हमें कह चुके हैं कि प्रश्नकाल के तुरन्त बाद गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री अरुण सिंह : यह आग धीरे-धीरे झुलस रही है।

श्री अध्यक्ष : मैंने तुरन्त बाद में नहीं कहा। मैंने कहा कि प्रश्नकाल के बाद। I Stick to my words.

श्री अरुण सिंह : मैंने तुरन्त बाद में नहीं कहा। मैंने कहा कि प्रश्नकाल के बाद।

श्रीमती बीना काक : प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

श्री दलजीत सिंह : प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : तुरन्त बाद इस सत्र में दो दफा मंत्रीजी का वक्तव्य हुआ है। लोगों पर गोलियां चलायी जाएं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आपके कहने से हम बैठ गये थे। अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बात से क्यों पलट रहे हैं?

श्री भरत सिंह : सेना बुलायी है। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप कह दो__(व्यवधान) अपने कहा था प्रश्नकाल चल रहा है। __(व्यवधान) आप कह दो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी विराजमान हैं उनसे आप फर्मा दें कि कितनी देर में वक्तव्य देंगे ताकि कार्यवाही आगे तो बढ़े।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सेना का मार्च हुआ है, कानून-व्यवस्था वहां बिलकुल ठप्प हो गयी है। पुलिस प्रशासन फेल हो गया है। (व्यवधान) ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि प्रश्नकाल के बाद में गृह मंत्रीजी से स्टेटमेंट दिलवाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सबसे पहले उसकी चर्चा करवायी जाए और गृह मंत्री जी से वक्तव्य दिलवाएं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी से आप दरियाफ्त फर्मा लें कि वे कितनी देर बाद स्टेटमेंट देंगे ताकि माननीय सदस्य आश्वस्त होकर बिराज जाएं और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ पाए। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : हमने कुछ नहीं कहा, प्रश्नकाल के समय आपने कहा कि प्रश्नकाल समाप्त होने पर इसका उत्तर देंगे। उत्तर क्या दोगे. . . .

श्री अध्यक्ष : Daljeet Singhji, hell or heaven is not falling. 15 मिनट हो गये। दूसरे माननीय सदस्यों की बात को सुनने दीजिए आप। __(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इस विषय के ऊपर हाउस को एडजोर्न करके चर्चा होनी चाहिए __(व्यवधान)__ What for adjournment motion provided in the rules ? एडजोर्नमेंट मोशन का क्लाज क्यों रखा गया है? यह काहे के लिए है?

श्री अरुण सिंह : डिवीजनल कमिश्नर की रिपोर्ट उजागर करें सरकार। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में चर्चा करके पूरे राजस्थान में आग तो लगा दी। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : हमने आग लगाई कि सबने आग लगाई? आग आप लगा रहे हो, दबाव में आकर आग लगा रहे हो।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा संचालन करने को मेरे को कस्टोडियन नियुक्त किया हुआ है, मुझे सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करना पड़ता है। आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं __(व्यवधान)__ 295 को भी पढ़ा हुआ मान लिया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सब पढ़े हुए मान लिये जाएं, दबाव में हम नहीं आने वाले हैं। अब नहीं आने वाले हैं दबाव में हम। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं आप? मैंने क्या कहा अभी आपको? (व्यवधान) मैंने कहा, 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाएं। (व्यवधान). बैठिये आप।

श्रीमती बीना काक : निकाल लीजिए यह आपके रिकार्ड में से। हम वही मांग रहे हैं जो आपने कहा था। (व्यवधान) हटा दीजिये हमें हाउस से. . . (व्यवधान). . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी__ (व्यवधान)__विराजिये आप। जबरदस्ती बोल रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, आप__(व्यवधान)__

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी खड़े हो गये हैं लेकिन 295 और शून्यकाल को समाप्त न किया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 295 को पढ़ा हुआ मान लिया गया। (व्यवधान)

(सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री दलजीत सिंह : +++ (व्यवधान) अब तो आप (व्यवधान) एक आदमी मर गया। +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाएं, दलजीत सिंह जी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह +++ कर रहे हैं___(व्यवधान)

श्री भरत सिंह : आप बोलने कब देते है? +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : किसी से भी___ (व्यवधान)___हर आदमी स्वतन्त्रता रखता है अपने बोलने की। कोई नहीं दबाएगा इस तरह किसी को भी। यह तो नहीं कोई किसी को दबा देगा। कोई नहीं दबा सकता। इस तरह, आप इस तरह नहीं दबा सकते हमें। यह क्या मतलब हुआ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : ये रामस्वरूप जी को दबा रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर एवं___

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें, अब सुनें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह की बात होती है। (व्यवधान) क्यों नहीं बोल सकते हम? हमको चुप करा दिया बोलकर, हमारी मर्जी आए जो हमने कर लिया।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दलजीत सिंह जी ने जो +++ शब्द कहे हैं आप उनको कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज करिये।

श्री दलजीत सिंह : मैंने कौनसी कार्यवाही में +++ कहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप कार्यवाही से निकलवाइये इनको।

श्री दलजीत सिंह : मैंने कौनसी कार्यवाही +++ कही है? मैंने कौनसी बातें +++ कही हैं?

श्री अध्यक्ष : बैठिये। एक्सपंज करिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप कार्यवाही से निकलवाइये इनको। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : क्या निकालोगे? आप कहें वह सही है। मैंने यह कहा था उन आदमियों को___(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप +++ की बात करते हैं___(व्यवधान) आप कार्यवाही से निकलवाइये। (व्यवधान) आप कार्यवाही से एक्सपंज कराइये।

श्री दलजीत सिंह : क्या शब्द कहे है मैंने?

श्री परसादीलाल मीणा : और इनको प्रताड़ना दीजिये किसी माननीय सदस्य को इस तरह नहीं कहें।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

52

श्री रामस्वरूप मीणा : बना रखा है इस सदन को___(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कोई माननीय सदस्य + + + नहीं कह सकता हाउस के अन्दर।

श्री रामस्वरूप मीणा : बिलकुल गलत है इनका यह कहना।

श्री अध्यक्ष : जो भी असंसदीय शब्द होंगे। वह सब एक्सपंज करेंगे। (व्यवधान) विराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आप उनको प्रताड़ना दीजिये (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या यह + + + (व्यवधान) + + + है। (व्यवधान) + + + है यह, यह + + + है।

श्री दलजीत सिंह : मैंने न + + + कहा है, न + + + कहा है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : + + + आने की बात है___(व्यवधान) अपने स्थानों पर बैठ जाइये।

श्री परसादीलाल मीणा : + + + की क्या बात है___

श्री रामस्वरूप मीणा : + + + में ले रखा है आपने। यह क्या मतलब हुआ? सदन के अन्दर हम आये हैं, बोलने के लिए आये हैं।

श्री दलजीत सिंह : कैसे दबा देंगे उसको कोई?

श्रीमती बीना काक : स्टेटमेंट, स्टेटमेंट प्लीज।

श्री परसादीलाल मीणा : ज्यादा ही + + + ...

श्रीमती बीना काक : आप शुरू तो करें। आप बोलेंगे, सब चुप हो जाएंगे। आप क्या टालना चाहते हैं? ___(व्यवधान) स्टेटमेंट प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अब शांत हैं, आप गृह मंत्रीजी का वक्तव्य कराइये।

श्री परसादीलाल मीणा : कैसे सुन लेंगे यहां बैठकर? नहीं सुन सकते। ___(व्यवधान) आप + + + कहते हो___ (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, ये जातियों के अलग-अलग अखाड़े बना दें विधान सभा में तो ठीक हो जाएगा। अपनी-अपनी जाति के पहलवान तैयार होकर कुश्ती लड़ा करेंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो अपनी सोचिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कल अनंग कुमार जी और कटारियाजी भी तो कर रहे थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सब हम आपसे ही सीखे हैं। शुरूआत आपके यहां से ही हुई थी।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती बीना काक : घनश्यामजी, आप तो हमारे साथ हैं।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सदन में वातावरण बना है तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि___(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई भी अखाड़ा बनाएं, पर किसी भी माननीय सदस्य का अपमान करने का किसी भी माननीय सदस्य को अधिकार नहीं है।

श्रीमती बीना काक : घनश्यामजी तो हमारे साथ हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और किसी भी माननीय सदस्य का अपमान करना मैं समझता हूं, बहुत बड़ी दुर्घटना है।

श्रीमती बीना काक : बहुत बड़ी बात है, मान गये, बहुत बड़ी बात है। स्टेटमेंट शुरू करिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरे को अपमानित करने के लिये माफी मांगें और शब्द को निकाला जाए।

शासकीय वक्तव्य

जालौर में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जालौर एवं आस-पास के कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति। पुलिस अधीक्षक, जालौर के निलम्बन के विरोध में दिनांक 13.9.97 को जालौर बन्द का आह्वान किया गया। यह बन्द एक समुदाय विशेष को छोड़कर अन्य दलों, अन्य घटकों द्वारा आयोजित किया गया था जिसके तहत जालौर शत-प्रतिशत बन्द रहा तथा सभी शिक्षण संस्थाएं, बसें, टैम्पो व अन्य आवागमन के साधन बन्द रहे। जालौर के स्थानीय व्यक्तियों एवं आस-पास के व्यक्तियों द्वारा हरदेव सर्कल, जालौर पर एकत्रित होकर करीब दस हजार की भीड़ जुलूस के रूप में जिलाधीश कार्यालय पहुंची। जालौर के समीपस्थ गांव से भी लोग ट्रैक्टर आदि के माध्यम से जालौर पहुंचे।

उक्त भीड़ में से करीब पांच हजार व्यक्ति एकत्रित होकर रेल्वे स्टेशन पहुंचे जहां 10.15 ए. एम. से 10.30 ए. एम. के मध्य जोधपुर से समदड़ी होकर भीलड़ी जाने वाली ट्रेनों एवं अहमदाबाद से जोधपुर आने वाली ट्रेन के क्रासिंग के दौरान उन्हें अवरुद्ध करने का कार्यक्रम था। जिस पर उक्त ट्रेनों को बीसनगढ़ रेल्वे स्टेशन व बागरा रेल्वे स्टेशन पर रोका गया जिससे संभावित तोड़-फोड़ को बचाया जा सके।

जुलूसार्थियों में से कुछ जुलूसार्थियों ने शहर में भ्रमण कर एक समुदाय के व्यक्तियों के देखे जाने पर पत्थर आदि फेंकने की कार्यवाही भी की।

उक्त बन्द प्रकरण को लेकर दुर्गा वाहिनी का अध्यक्षता श्रीमती प्रमिला के नेतृत्व में 50-60 औरतों का एक जुलूस जिलाधीश कार्यालय पहुंचा और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया तथा मांग की उक्त निलम्बन को वापस लिया जाए।

(श्री कैलाश मेघवाल)

सभी स्थानों से भीड़ जिलाधीश कार्यालय पर एकत्रित हो गयी व नारेबाजी की। भीड़ ने पुलिस अधीक्षक, जालौर की तुरन्त बहाली की मांग करते हुए राज्य सरकार के वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध नारेबाजी की। कर्मचारी यूनियन, दुर्गा वाहिनी, क्षेत्रीय संघर्ष समिति, माली समाज, अनोप मंडल एवं एन. एस. यू. आई . ने अपने-अपने ज्ञापन कलक्टर, जालौर को दिये। भीड़ को बार एसोसिएशन, कर्मचारी यूनियन, अनोप मंडल के प्रतिनिधियों तथा अन्य स्थानीय लोगों ने संबोधित किया। भीड़ द्वारा जैन बोर्डिंग, फतेह ग्रेनाइट फैक्ट्री व पुलिस जवानों पर छुट-पुट पत्थर फेंके गये। भीड़ द्वारा जिलाधीश कार्यालय का घेराव किया गया जो 10.30 पी. एम. तक जारी रहा तथा अधिकारियों के समझाने पर बड़ी कठिनाई के साथ आन्दोलनकारी तितर-बितर हुए।

दिनांक 13.9.97 को जालौर शहर में धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता लागू कर दी गयी। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया व गश्त जारी रही। अतिरिक्त सावधानी के तौर पर सेना की दो टुकड़िया जोधपुर से जालौर भेजी गयी जो दिनांक 14.9.97 को प्रातः जालौर पहुंच गयी।

पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था जालौर शहर से स्थिति पर नजर रखने हेतु कैम्प किये हुए हैं। दिनांक 14.9.1997 को 7.30 से लेकर 9.00 ए. एम. तक पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। चामुंडा माता मन्दिर की तरफ एक पुलिस पार्टी पैट्रोलिंग पर गयी थी, जहां चार सौ-पांच सौ एकत्रित लोगों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया जिससे पुलिस बल के अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के चोटें आयीं। कस्बा जालौर पूर्णतः बन्द रहा तथा शिक्षण संस्थाएं व यातायात के साधन भी बन्द रहे। जालौर में चामुंडा माता मन्दिर में लोगों ने एकत्रित होकर तथा जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता को तोड़ा जिस पर उपस्थित बल के प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर अन्यत्र छोड़ने की कार्यवाही की। लगभग 3.00 पी. एम. पर दो हजार व्यक्तियों ने गिरफ्तारियां दीं, जिनमें 80 छात्र एवं 15 लड़कियां भी शामिल हैं। उन्हें 129 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत तितर-बितर करने की कार्यवाही की गयी। 4.20 पी. एम. पर जालौर में लगभग दो-तिहाई व्यक्तियों की भीड़ कलेक्ट्री के सामने एकत्रित हुई। उस समय जगमाल सिंह यादव, भूतपूर्व विधायक, तिजारा (अलवर) व दुलाराम, भूतपूर्व विधायक रायसिंहनगर पहुंचे एवं भीड़ को संबोधित करने लगे जिससे एकत्रित भीड़ के अनियंत्रित होने से हल्का बल प्रयोग कर अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। इसी बीच लगभग 6 पी. एम. पर उत्तेजित भीड़ ने नजदीकी पैट्रोल पम्प पर स्कूटर जला दिया, राजेन्द्र अस्पताल में तोड़-फोड़ की एवं अस्पताल के सामने तीन दुकानों-मूलचन्द मेडिकल स्टोर, गांधी मेडिकल स्टोर एवं ललित मेडिकल स्टोर में आग लगा दी।

(श्री कैलाश मेघवाल)

आगजनी होने एवं भीड़ के अनियंत्रित होने एवं अश्रु गैस व लाठी चार्ज का प्रयोग प्रभावी नहीं होने से रबड़ बुलेट का प्रयोग किया गया। जिससे एक व्यक्ति श्री देवाराम पुत्र श्री अमराराम माली, उम्र 30 वर्ष, निवासी शांतिपुरा, आमलीवाला बेरा, जालौर के गले में रबड़ बुलेट लगने से उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। जालौर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिये श्री नमोनारायण मीणा, महानिरीक्षक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, श्री रामजीवन मीणा, उप महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय जयपुर को भेजा गया एवं पी. टी. एस. जोधपुर से 200, आर. पी. जोधपुर से 100, आर. ए. सी. प्रथम बटालियन जोधपुर से 120 का अतिरिक्त पुलिस बल मय अधिकारियों के भेजा गया। इसके अतिरिक्त दो कॉलम आर्मी एवं दो कम्पनी रैपिड एक्शन फोर्स की जालौर पहुंच रही हैं। जालौर में स्थिति तनावपूर्ण परन्तु नियंत्रण में है तथा पुलिस गश्त निरन्तर जारी है। दिनांक 14.9.97 का 11.30 पी. एम. से कर्फ्यू लगा दिया गया है। दाह संस्कार के लिये शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कर्फ्यू जारी है। जालौर में स्थिति नियंत्रण में है एवं शांति है।

कस्बा सुमेरपुर जिला पाली में दिनांक 14.9.97 को बाजार पूर्णतया बंद रहा। प्रदर्शनकारियों द्वारा नेशनल हाईवे को अवरुद्ध करने की कोशिश की जिस पर पुलिस बल ने वहां पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करते हुए रास्ता खुलवा दिया। इसके पश्चात् सुमेरपुर स्थिति भैरू चौक पर करीब 4-5 हजार लोगों द्वारा एकत्रित होकर परबतसिंह डामोर के नेतृत्व में एसडीएम. को एक ज्ञापन दिया गया। जिसमें मांग की गयी कि पुलिस अधीक्षक, जालौर को बहाल किया जाए व सी.बी.आई से जांच करवायी जाए।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने बयान दिया है, क्योंकि राजस्थान में इस विधान सभा का उपयोग व्यभिचारियों को बचाने के लिये किया गया चाहे वे किसी जाति से सम्बन्ध रखते हों, चाहे किसी धर्म से सम्बन्ध रखते हों। उन्हें बचाने का ही यह कारण है। आज एक तरफ तो हम संसद में पांच दिन की बहस के बाद इस बात के लिए दस्तखत करते हैं, इसी राजस्थान की विधान सभा में हमारे सदन के नेता उसके लिए आह्वान भी करते हैं। लेकिन खुद उन्हीं लोगों के सामने इस तरह से सरेंडर हुए हैं कि आज राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज राजस्थान की जनता महसूस नहीं करती। उसी का कारण है कि आज सेना को बुलाना पड़ा है। अच्छा है या नहीं है, आज उसी की हालत है। आज अगर मुख्य मंत्री जी विधान सभा के सामने प्रदर्शन को संबोधित करने के लिये जा सकते हैं तो जालौर में 10 हजार के लिये, गृह मंत्री जी कह रहे हैं, क्यों नहीं मुख्य मंत्री जी उनके पास जाएं? वह राजस्थान की जनता है जो यह महसूस करती है कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। वहां जाएंगे जब पता लग जाएगा। हम शपथ और दस्तखत तो इस बात के लिए करते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण को हम नहीं

(श्री अमराराम)

लाएंगे। लेकिन दोहरे मापदंड जिस तरह से इस राजस्थान की सरकार द्वारा अपनाये गये हैं उन्हीं का नतीजा है कि आज पूरा जोधपुर डिवीजन का एक-एक कस्बा जल रहा है। राजस्थान की सरकार की कुछ जातियों और कुछ धर्मों को प्रोटेक्शन देने की यही हालत रही तो आज तो जोधपुर डिवीजन है आने वाले समय में पूरे राजस्थान की यही हालत होगी जो आज जालौर और पूरे जोधपुर डिवीजन की है।

निश्चित रूप से यह कृत्य राजस्थान की सरकार ने किया है कुछ अपने लोगों को बचाने के लिये। प्रश्न यही है कि जिस पुलिस से आप कानून-व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं, जिस पुलिस से आप आज अनुशासन की बात करते हैं, वही पुलिस भूख-हड़ताल करती है, अनशन करती है, एक-एक दिन राजस्थान की पुलिस के कर्मचारी भूख-हड़ताल पर रहते हैं। किसके भरोसे आप कर सकते हैं? आज दुर्गा वाहिनी की बात करते हैं केवल मात्र वोटों को नजर में रखकर कुछ लोगों को बचाने के लिये। प्रदर्शनों के दबाव में आकर हम जैन मुनि पर जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई उसको तो जांच के पहले ही निकालने के लिए तैयार हैं और पूरी जांच आ जाए उससे पहले ही हम एस.पी. को सस्पैंड केवल इस बात के लिये कर दें कि कुछ धर्म के लोग हमें इस बात के लिये दबाव डालते थे। तो इसके नतीजे तो जो आ रहे हैं वही आएंगे। अगर इसी तरह से सरकार चलती रही तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में जंगल का राज कुछ दिनों के बाद पैदा हो जाएगा और उसकी जिम्मेदार राजस्थान की सरकार रहेगी। मेरा तो आपसे, इस सदन से यही निवेदन है कि राजस्थान की सरकार, सरकार चलाने के लिये किसी भी तरह से सक्षम नहीं है, इसलिए तुरन्त मुख्य मंत्री जी को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वे गद्दी पर रहने के लिये किसी तरह भी योग्य नहीं हैं।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संवेदनशील मामला है और मुझे आज बहुत खेद है इस बात का कभी और इस तरह का हादसा हो गया होता, इस तरह से अखबार रंगे गये होते कि इतनी हत्याएं हो गयीं, इतने लोग आतंकित हैं या तीन जिले जल रहे हैं तो मैंने कभी इस हाउस को इतना चुप नहीं देखा। ये भी लोग हैं। क्या एक समाज या एक धर्म के दबाव में आ गया यह पूरा सदन? मैं केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं कहती, किसी और दल को ही नहीं कहती इसमें सभी लोग शामिल थे। मैं इस सदन से पूछना चाहती हूं, कृपया अपने दिलों में झांक कर देखें कि जो आप लोगों ने किया क्या वह सही था? किसके दबाव में? आप अपनी अंतरात्मा में क्यों नहीं देखते? आप 164 के बयान पढ़ें।

श्री विष्णु मोदी : आप सरकार से पूछें।

श्रीमती बीना काक : मैं दोनों से पूछ रही हूं। देखिये, मैं ठीक पूछ रही हूं। उस दिन मेरे सब लोग साथ थे। (व्यवधान)

(श्रीमती बीना काक)

अध्यक्ष महोदय, मैं दोहरे मापदंडों की बात कर रही हूं। जो भी उस दिन हुआ उसके लिये मुझे बहुत खेद है। जब पुलिस नीचे एक्शन–

श्री रामप्रताप कासनियां : आप बायकाट करने वालों में शामिल तो हुई थीं।

श्रीमती बीना काक : आप मुझसे यह सवाल पूछ रहे हो? सिर्फ पूछना है इसीलिये पूछ रहे हो? क्या सच में मुझसे यह सवाल कर रहे हो? देखिये, सिर्फ पूछने के बल पर पूछना ही है, सिर्फ हमें इस मुद्दे में शामिल होना ही है, सिर्फ हमें एक साथ बोलना ही है तो इन सब चीजों को छोड़कर मुद्दे की बात करें। एक तरफ आपकी पुलिस एक्शन लेती है तो यह सरकार उस पुलिस अधीक्षक को निलम्बित करती है। उस दिन सदन के अंदर यह मामला उठा था कि पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही की तो उसे सस्पैंड कर दिया गया। उसी वक्त नीचे महिला कांग्रेस की औरतें धरना दे रही थीं, प्रदर्शन कर रही थीं और वे कह रही थीं कि पुलिस ने यहां पर कार्यवाही नहीं की। उसके लिये उन पर डंडे बरसाये जा रहे थे। आधे घंटे के बाद ही यहां दूसरा माहौल था कि वहां एक्शन ले लिया है। उसका विरोध लोग कर रहे थे कि एक्शन क्यों लिया? मेरे कुछ सवाल हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पुलिस अधीक्षक को निलम्बित किया गया है, इसलिए किया गया बताते हैं कि जो भी आरोपित व्यक्ति थे या साधु थे उन्हें थाने में लाया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया वापस इसलिए पुलिस अधीक्षक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा और उन्हें सस्पैण्ड कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि किस के ऑर्डर से इन पुलिस अधीक्षक ने जो आरोपित व्यक्ति थे उन्हें छोड़ा, नम्बर एक? माननीय गृह मंत्री महोदय, क्या किसी का निर्देश था कि उन्हें छोड़ दो? यदि किसी का था तो वह निर्देश किस का था? उपासरे में हैं, चौमासा चल रहा है, चलो भाई छोड़ दो, जाने दो और उसके बाद यह स्थिति आई। दोनों सवाल हैं, पहला सवाल यह था कि उन्होंने आत्महत्या की लेकिन आज राजस्थान पत्रिका में समाचार था कि भीनमाल में जैन उपासरे में तेजाब कहां से आया। वहां तो मेरे ख्याल से उपासरे में शौचालय नहीं होते। भीनमाल के इस उपासरे में ब्लेड कहां से आया। यह कहा जाता है कि इन साधु मुनिजी के बदन के ऊपर कुछ कट्स थे। जानकारी इन्क्वायरी चल रही है, जो भी तथ्य हैं, सामने आएंगे तो ब्लेड कहां से आया? ये अपने बालों को नौचते हैं तो ब्लेड वहां पर कैसे आया? ये कुछ सवाल है जो सब हमारे सामने हैं, ये खुल करके आएंगे। मैं किसी एक समाज के ऊपर सवाल नहीं लगा रही हूं लेकिन ये सब चीजें सामने हैं। जो भी स्थिति बनी, चाहे उन्होंने सुसाइड की थी या उनके ये जो सवाल उठे हैं, जो कुछ भी हो वे सब सामने आएंगे, उसकी नौबत क्यों आई? पुलिस अधीक्षक ने छोड़ा उन्हें, वे गए इसलिए नौबत आई, तो किस ऑर्डर से उन्हें छोड़ा?

(श्रीमती बीना काक)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जो रिएक्शन हुआ इस सरकार के खिलाफ भी, इसके पीछे न कोई दल है, न राजनीतिक दल है, न कोई सामाजिक दल है, न कोई एक ग्रुप विशेष है। जो यह रिएक्शन हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय के खिलाफ हुआ है। यह स्पोंटेनियटी थी, स्पोंटेनियस रिएक्शन है, इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं कि यह सरकार महिलाओं के मामले में असंवेदनशीलता बरतती है। हर बार महिला के चरित्र पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है, उसे ही चरित्रहीन कहा जाता है। इस असंवेदनशीलता के कारण रोज-रोज इस सरकार के होते हुए इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं। सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से औरतों के ऊपर क्राइम बढ़ रहे हैं, मैं यह आरोप लगाना चाहती हूं। गृह मंत्रीजी, आपको नैतिकता के ऊपर स्ट्रेट इस्तीफा दे देना चाहिए। जब से विधान सभा चली है तब से इस असंवेदनशीलता और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के अलावा कोई चर्चा ही नहीं हुई है। आपकी भी बेटियां हैं, आपके भी मां है, आपके भी बहनें हैं।

दूसरी बात, कल परसों बहुत पीसफुल माहौल था, माननीय अध्यक्ष महोदय, सेना को बुलाने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या वहां पर उपद्रव हुए थे? क्या वहां पर कोई मूर्तियां तोड़ी गई थीं? क्या वहां पर ऑलरेडी फायरिंग हो चुकी थी? क्या वहां पर लाठी चार्ज हो चुका था? क्या वहां पर इतना तनाव था कि आर्मी लाने की जरूरत पड़ी? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी एक समाज विशेष को बचाने के लिए आर्मी को लाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल पांच सौ लोग जो वहां पर इकट्ठे थे, उन्हें तितर-बितर करने के लिए तीन सौ राउण्ड ऑफ रबर बुलैट्स चले हैं, 100 टियर गैस के सैल्स छोड़े गए हैं। यानि कि दो व्यक्तियों के ऊपर एक, क्या आवश्यकता थी, इन सब चीजों की?

तीसरा मैं यह पूछना चाहती हूं कि कब ये गोली चलाने का ऑर्डर दिया? जानने में आया है कि कलक्टर ने मना कर दिया था कि मैं इस प्रकार का आदेश नहीं दूंगा तो यह किस के निर्देश से, किस के ऑर्डर से गोली चलाई गई? माननीय गृह मंत्री महोदय, इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब मैं जरूर चाहूंगी कि वह कौन अधिकारी था जिसके आदेश से ये गोलियां चलीं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, और भी सदस्य हैं, जो इस बारे में बोलेंगे। मैं तो यह कहूंगी कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसने संवेदनशील मामले में अपने स्वार्थों के लिए यह सदन किसी जाति या किसी समाज या किसी धर्म के दबाव में न आए और जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उनके लिए आवाज उठाए। हम भी इनकी बेटियां हैं, हम भी इनकी बहनें हैं, जांच सही होनी चाहिए और माननीय गृह मंत्रीजी को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है और गम्भीरता वहां की बताई, उसको देखते हुए प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए, उनको उठाने चाहिए थे। अभी माननीय सदस्या कह रही थीं कि मिलिटरी को बुलाने की क्या आवश्यकता थी, इतनी पुलिस वहां इकट्ठी करने की क्या आवश्यकता थी। मैं बहुत सम्मानपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासन कोई एक्शन लेता है तो हम आलोचना करते हैं और प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है तो भी हम आलोचना करते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, मैं यहां ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे कि वातावरण उग्र हो। मैंने उस वक्त भी कहा था जब जालौर के एस.पी. के खिलाफ एक्शन लेने की बात थी और आज भी निवेदन कर रहा हूं कि इस सदन का उपयोग किसी प्रकार के दबाव के लिए नहीं करना चाहिए। सदन का उपयोग दबाव में किया गया, दबाव के लिए किया गया, सरकार पर दबाव डाला गया, उसका नतीजा आज हमारे सामने है।

अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सबकी शुरूआत माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्टेटमेंट से हुई। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब यहां जालौर के एस.पी. को सस्पैण्ड करने की बात कही उस वक्त वे बिलकुल व्यथित हृदय से और भारी दबाव के अंदर अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। मुझे याद है, उन्होंने कहा, पहले एक समुदाय की तरफ से मांग आई कि वहां के डीवाई.एस.पी. को बदल दो, बदल दिया और लोग सन्तुष्ट थे लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अन्दर आ गये और उन्होंने मांग उठाई कि एस.पी. को बदलो, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैंने वह भी कर दिया। उसके बाद इस आंदोलन की बागडोर उन लोगों के हाथ से निकल कर ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जो बराबर मांग बढ़ाते गए और उनकी मांग के आधार पर मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि सदन को विश्वास में लेकर क्या मैं कह सकता हूं कि वहां के एस.पी. को सस्पैण्ड कर दूं? अध्यक्षजी, ये तीन तरह के स्टेटमेंट माननीय मुख्य मंत्रीजी के आए और मैं महसूस करता हूं और मैं ही नहीं, पूरा सदन महसूस करता है कि पूरे दबाव के अंदर यह सब कार्यवाही हुई। उस वक्त हमने यह नहीं सोचा कि हम जो एक्शन ले रहे हैं उसके पहले स्थिति को समझें, गम्भीरता को समझें और स्थिति का मुकाबला करें, जांच करें कि एस.पी. का दोष क्या है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के प्रत्येक सदस्य को सदन के नेता विश्वास में नहीं ले सकते लेकिन मुझे बहुत एतराज है, सख्त एतराज है कि 8 बजे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने संस्पैण्ड करने की कार्यवाही कर दी और साढ़े ग्यारह बजे और बारह बजे के बीच में सदन में आते हैं और 12 बजे के बाद में यह कहा जाता है कि मैं सदन को विश्वास

(60)

(श्री शिवनाथ सिंह)

में लेना चाहता हूं। माना कि ये बातें पूरे सदन में सदस्यों को नहीं कह सकते लेकिन प्रतिपक्ष के नेता थे, उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था कि मैंने यह कार्यवाही कर दी है और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उनको जानकारी तो दे देनी चाहिए थी। उनको विश्वास में नहीं लेते लेकिन उनको जानकारी दे देनी चाहिए थी कि मैंने एस.पी. को सस्पैण्ड करने की कार्यवाही कर दी है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बारह बजे यहां घोषणा होती है और दस बजे वहां उनके दाह-संस्कार की तैयारी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को इकट्ठा करके भाषण देते हैं कि एस.पी. सस्पैण्ड कर दिया गया है, अब हमको दाह-संस्कार की कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उस कार्यवाही से सदन के साथ भी न्याय नहीं किया गया, प्रतिपक्ष के साथ भी न्याय नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्षजी, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। पुरानी घटनाएं क्या घटीं, उनको उघाड़ने से फायदा नहीं है, क्योंकि गंदगी को जितना उघाड़ेंगे बदबू उतनी ही अधिक बढ़ेगी। आगे यह समस्या कैसे सुधरे उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चाहे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन उस एस.पी. को मैं साधुवाद करता हूं जिन्होंने इतना संयम बरता। उनके हिसाब से और पुलिस सर्विसेज के हिसाब से, जनता के हिसाब से उनके साथ में न्याय नहीं किया गया लेकिन उस शख्स ने मुंह नहीं खोला। अखबारों में बराबर आ रहा है कि मैं अपने घर में सीमित हूं और जो कुछ हुआ, यदि मुझे पूछा जाएगा, न्यायिक जांच शुरू हो गई है उसमें कहूंगा। क्योंकि घर से बाहर निकलता हूं तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मोरल ऊंचा होता है। इसलिए मैं बैठा रहूंगा और मैं एक भी शब्द नहीं कहना चाहूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। यदि वे एक भी शब्द ऐसा निकाल देते तो आग में घी का काम दे सकता था। उन्होंने बड़ा संयम बरता और बहुत संयम से वे आज तक काम ले रहे हैं। इसलिए मैं उनकी सराहना करता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, यह मामला आज जालौर तक सीमित नहीं है, मामला बढ़ रहा है। मामला इसलिए बढ़ रहा है कि वहां प्रशासन और पुलिस ने जो एहतियात बरतने चाहिए थे वे नहीं बरते। आज हमारे सामने प्रश्न है, जैसा बहन ने कहा कि उस साधु की कैसे तो हाथों और पैरों की नसें काटी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने की आवश्यकता है। क्या एक व्यक्ति अपने हाथ से हाथ-पैर की नस काटने के बाद हिल-डुल सकता है? कैसे उनके मुंह में तेजाब डली, किस प्रकार उनके मुंह में तेजाब आई, किसने डाली, निश्चित रूप से हमको इस बात को समझना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की, उसका कत्ल किया गया है। किसने किया है, यह माननीय गृह मंत्रीजी के देखने की बात है,

(श्री शिवनाथ सिंह)

पुलिस के देखने की बात है। लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की है यह बात सही है। क्योंकि ये सब बातें यह बतलाती हैं कि शरीर काटा गया है। एक आदमी आत्महत्या करने के लिए शरीर काटेगा, तेजाब लेगा, इस प्रकार की कार्यवाही कहीं पर हमारे सामने नहीं आती। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि इस दृष्टि से भी कि उस व्यक्ति का कत्ल किया गया है, तफतीश करें और कौन-कौन लोग उसमें शामिल हैं देखने की चेष्टा करें?

माननीय अध्यक्षजी, यह बात सामने नहीं आती है, इस पर तफतीश नहीं होती है तो फिर जिनके मन आंदोलित हैं उनके मन आंदोलित होते रहेंगे। यह वातावरण बढ़ेगा क्योंकि एक समाज या वर्ग से प्रभावित होकर हमने यह गलत कार्यवाही कर ली। आज दूसरे वर्ग के लोगों के प्रभाव में आकर हम दूसरी कार्यवाही करें यह भी उचित नहीं होगा। इससे राजस्थान का वातावरण बिगड़ने वाला है, बिगड़ेगा।

माननीय अध्यक्षजी, क्या इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि एक पीड़ित महिला जिसने एफ.आई.आर. की उसका बैकग्राउण्ड हम देखें? वह महिला जिसके साथ में कथित व्यभिचार हुआ है, अपने घर गई है, उसने अपने पति को बम्बई से बुलाया है जैसाकि उस एफ.आई.आर. में दिया गया है। घर वाले बैठे हैं, और लोग बैठे हैं, उन सबने कहा कि अब तो सीमा पार हो गई, इसलिए इस मामले की हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। उस दृष्टि को भी आज पुलिस ने नहीं देखा है। अगर देखा है तो सदन के सामने नहीं आया, जनता के सामने नहीं आया। वह स्थिति जनता के सामने आती तो न तो यह सस्पैण्ड की कार्यवाही होती और न इस तरह ये आंदोलन और प्रदर्शन होता।

माननीय अध्यक्षजी, दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन दिनों में कई मामले यहां घटित हुए हैं उन सबको एक साथ देखना पड़ेगा। आन्दोलन एक बिन्दु पर नहीं है, यह आन्दोलन की आग पूरे राजस्थान में दूसरे बिन्दुओं पर भी फैलने वाली है। मैं बोस छात्रावास काण्ड की बात करता हूं, उस महिला के प्रति मुझे बहुत सिम्पैथी है। जिन लोगों ने उसके साथ में जुर्म किया वह घृणित काम उन्होंने किया। उससे भी घृणित काम उन्होंने किया कि स्थान उन्होंने कैसा चुना। लेकिन फिर भी दूसरे बिन्दु इसमें आते हैं। आज दस रोज का समय हो गया, लेकिन उस महिला के 164 में बयान नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। माननीय अध्यक्षजी, मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि एक महिला जिसके साथ 8-8 व्यक्तियों ने संभोग किया, पैदल चलकर थाने में जाती है, थाने के अधिकारी के साथ में बैठकर दो घण्टे घूमती रहती है, उसके बाद आज उसकी स्थिति नहीं है कि

(श्री शिवनाथ सिंह)

वह बयान देने की स्थिति में हो? माननीय अध्यक्षजी, यह ब्लैकमैल करने का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। आज इस तरह की अफवाहें आ रही हैं कि 164 के बयान इसलिए नहीं हो रहे है कि वह महिला ब्लैकमैल करना चाहती है। लोगों के पास मैसेज पहुंचता है तुम्हारा नाम लिया जाएगा, बोलो क्या कहते हो। तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, बोलो क्या कहते हो। 10 दिन के बाद भी उस महिला के 164 में बयान नहीं होना संदेह पैदा करता है। इस बात को लेकर लोग उद्वेलित हैं। किसी जाति, समाज, धर्म का लेना-देना नहीं है, बहुत लोग इस बात के लिए उद्वेलित हैं कि राजस्थान सरकार सत्य को सामने नहीं लाना चाहती।

अध्यक्षजी, दूसरा बिन्दु और है। उस महिला के खिलाफ एडल्टरी का मामला दर्ज होना चाहिए था, तफतीश होनी चाहिए थी। 10 साल तक वह लोगों के साथ में शारीरिक सुख भोगती रही। जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं उन लोगों के भी परिवार हैं, पत्नियां हैं, बच्चे हैं आज उनकी क्या हालत है? उस महिला ने उन लोगों को कलंकित किया है। आज उन महिलाओं का निकलना मुश्किल हो रहा है जिनके घर-परिवार में यह हुआ है। यदि सही स्थिति सामने आ जाए तो वे भी मुंह दिखाने के लायक बन जाएंगे। उस महिला के खिलाफ एडल्टरी का मामला दर्ज होना चाहिए।

माननीय अध्यक्षजी, बहुत से बिन्दु हैं लेकिन वातावरण उग्र न हो इसके लिए अपने आपको संयमित करता हुआ निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों मामलों में सरकार निष्पक्षता के आधार पर इस प्रकार की कार्यवाही करे जिससे लोगों को मालूम पड़े कि किसी का पक्ष नहीं लिया जा रहा है और न्याय का न्याय हो रहा है। जब तक यह संदेश नहीं जाएगा लोग शांत नहीं रहेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, यह भी जानकारी मिली है, अखबार में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जाना बताया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस व्यक्ति का गिरफ्तार किया जाना कल बतलाया है वह लगातार पुलिस के पास था, डी.आई.जी. से थाने में मिला है और उसने अपनी सब बातें बताई हैं। क्या-क्या उसने बताया यह गृह मंत्री भी ज्यादा जानते हैं, इनके अधिकारी हैं। लेकिन एक स्वांग रचा गया कि मुलजिम नहीं मिल रहे हैं, मुलजिमों की तलाश जारी है और जो पांच रोज से पुलिस के पास था उसकी कल गिरफ्तारी दिखायी जा रही है, उसने सब स्टेटमेंट दिया है।

अध्यक्षजी, मैं आखिरी बार एक और निवेदन करना चाहूंगा कि उस पीड़ित महिला, जिसके साथ बोस छात्रावास में यह निंदनीय घटना घटी, उस महिला के बयान में किन-किन लोगों के नाम आए हैं, उनको भी मुलजिम बनाया जाए, उनके खिलाफ भी चालान पेश किया जाए। माननीय अध्यक्ष

(श्री शिवनाथ सिंह)

जी, कुछ लोग कहते हैं 90 आदमियों के नाम हैं, लेकिन बड़े संजीदा हिसाब से मालूम हुआ है कि 30-35 व्यक्तियों के नाम हैं। इसलिए उन 30-35 व्यक्तियों को जिनकी छंटनी हो चुकी है, सबको मुलजिम बनाया जाकर उनके खिलाफ ट्रेस किया जाए। यहां तो हम यह कहते हैं कि जाति का पक्ष नहीं हो, धर्म का पक्ष नहीं हो, लेकिन क्यों उन मुलजिमों को बचाया जा रहा है? यदि उन 30-35 व्यक्तियों को मुलजिम बनाकर तफतीश की जाती है तो सब मामला सामने आ जाएगा और कोई भी उद्वेलित नहीं होगा, कोई भी समाज का वर्ग इस मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। वरना, अध्यक्षजी, दोनों मामलों में पुलिस की निष्पक्षता और सरकार की निष्पक्षता सामने नहीं आती है तो यह आंदोलन जालौर का आंदोलन नहीं, पूरे राजस्थान में फैलने वाला है। सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी, इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बातों के ऊपर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनमोहन जी।

श्री मदनमोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जबसे यह सदन चला है इसमें आज तक एक ही मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है, भले ही घटनाएं अलग-अलग जगह की हैं, इससे मेरा सिर शर्म से झुक रहा है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहां पर बैठकर राजस्थान के विकास की चर्चा न करके बलात्कारियों की चर्चा की जाएगी, बलात्कारी लोगों को आश्रय देने की चर्चा की जाएगी। मुझे यह कतई उम्मीद नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जालौर जिले की जो घटना है यह शर्मदायक घटना है लेकिन जिस तरह बगैर किसी जांच के आधार पर जो भी कार्यवाही इस सदन में बैठकर हमने की उसकी भी मैं + + + करता हूं, + + + करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैं किसी धर्म या जाति की बात नहीं करना चाहता और न ही करने का विचार रखता हूं, लेकिन जिस तरह का इस सदन में माहौल रहा है वह पूर्णतया जातिवाद और धर्म के आधार पर स्थापित हो चुका है। यह इस सदन की भावना रही तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? यह तो हम दे चुके कि यहां पर बैठकर हमने जातिवाद की चर्चा की है, धर्म की चर्चा की है।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अन्दर बलात्कार हुआ उसकी मैं निंदा करता हूं लेकिन साथ-साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की वह घटना है, जिस तरह से उसको

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

69

(श्री मदनमोहन)

बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है उसकी भी साथ-साथ निंदा करता हूं। हमको यहां इस सदन में बैठकर केवल इतना करना चाहिए था कि उस बात को लेकर राज्य सरकार से जो वक्तव्य दिया जाता उसमें दोनों पार्टी, पक्ष और विपक्ष बैठकर जो भी तय करते उसके आधार पर कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। हमको इस सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी वाले मामले के अन्दर जो अपराधी थे वे यहां से भाग गये और उसके बारे में कहा गया कि पुलिस ने मुस्तैदी से कार्यवाही नहीं की। वे भाग कैसे गये, यहां से तो उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की गयी थी? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस डीवाई.एस.पी. को वहां से क्यों हटाया गया और किसके कहने पर हटाया गया? पुलिस अधीक्षक के खिलाफ जो कार्यवाही की गयी, किन सबूतों के आधार पर की गयी यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। यदि पुलिस अधीक्षक उसमें दोषी है तो मैं कहता हूं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए लेकिन साथ ही यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि जब तक किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो अदालत भी यह तय नहीं करती। जब तक किसी के खिलाफ आरोप तय नहीं होता उसको कोई सजा नहीं बोल सकता और इस सदन में बैठकर हमको भी किसी को सजा देने का हक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की ये घटनाएं चल रही हैं, समाज में इनका बहुत गन्दा प्रभाव पड़ रहा है। डीडवाना के अन्दर जो बलात्कार का केस हुआ है उसकी भी चर्चा कीजिये, अलवर जिले में जितने कांड हुए उनकी भी चर्चा कीजिए, जितनी डकैती हुई, उनकी भी चर्चा कीजिये। इस बलात्कार के ऊपर यदि राजस्थान को सीमित करना चाहते हैं, इस राजस्थान का विकास केवल बलात्कार है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में केवल बलात्कार की चर्चा कीजिये, राजस्थान के विकास की चर्चा मत कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से इन घटनाओं को जोरशोर से ऊपर उठाया गया और जिस तरह की तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही की गयी है, उसी का परिणाम है कि आज जालौर जल रहा है। वहां पर जिस व्यक्ति की मौत हुई है, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उसको उचित मुआवजा देना चाहिए। मैं आपसे यह दावे से कहता हूं कि जो व्यक्ति मरा है वह बहुत ही गरीब परिवार का व्यक्ति है। उसके आश्रित बच्चों को कोई न कोई रोजगार दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मेरे अलवर जिले में करीब 20 दिन पहले एक लड़की को घर से उठाकर ले गये। 12 वर्ष की अविवाहित लड़की थी। 20 दिन बाद वह बरामद हुई तो उसके परिवार वालों पर

(श्री मदनमोहन)

क्या गुजरी होगी? उसकी चर्चा नहीं हुई सदन के अन्दर। हम नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की कानून और व्यवस्था बिगड़ रही है। हम दूसरे राज्य से तुलनात्मक अध्ययन करके कोई जवाब देना चाहें तो मैं तो यह कहता हूं, मान लो मैं और गोपीजी हैं, मेरे बेटे ने चार मर्डर किये हैं और इनके ने तीन किये हैं तो ये इस बात को कहकर सन्तुष्ट हो जाएं कि इनसे तो कम हैं, इससे बेहतर यह होगा कि जो अन्याय हो रहा है उसको बढ़ाइये। मैं तो आपसे यही कहता हूं, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : मैं तो बहुत ही कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष : अरुण सिंह जी, आप बिराजिये। पूनमचन्द जी साहब बोलें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां से एम. एल. ए. रहा हूं, मेरा वहां पर मकान है, वहां पर जाकर आया हूं।

अध्यक्षजी, प्रथम तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हम राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं लेकिन हमारी कमजोरी है कि जिधर बहते हैं उधर हम बाढ़ की तरह बह जाते हैं। उस दिन जो वातावरण चल रहा था, जिम्मेदार लोग आंसू बहा रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे। शिवनाथसिंह जी के मुंह से डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट का यों ही नाम निकल गया, इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो कड़कड़ाकर के 3-4 माननीय सदस्य इनके उपर गिर पड़े। इन्होंने कहा कि मैंने बात ही नहीं की, डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट का नाम लिया और आप इस तरह से कर रहे हैं। और आज डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट, सुपरिन्टेंडेंट और सब बिलकुल अच्छे हो गये हैं। इस तरह से अपन चल रहे हैं तो हमको निष्पक्ष तरीके से ठण्डे दिल से, इस तरह की समस्याएं अपने सामने आती हैं, उन पर विचार करना चाहिए। पहला तो मेरा नम्र निवेदन यह है।

पहले डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट को हटाने की, उसके सस्पेंशन की बात आयी, फिर एस. पी. की आयी। मैं ज्यादा गइराई में नहीं जाऊंगा। अब डी. आई. जी. के सस्पेंशन की मांग हो रही है। मैं कोई उनका पक्षधर नहीं हूं लेकिन मैं तीनों अधिकारियों को जानता हूं। उनमें यह बात नहीं है कि कोई कमी नहीं हो, हरेक आदमी में कमी होती है लेकिन आम तौर पर वे बहुत ही अच्छे अधिकारी माने जाते हैं जो वर्तमान में चर्चा का विषय है। जैसे एस. पी. के बारे में, उस दिन सभी एस. पी. के खिलाफ बोल रहे थे कि वे रात के समय लेकर क्यों गये, महिला के साथ क्यों गये, महिला वहां क्यों गयी। इस चीज की अपन ने जानकारी नहीं की। वह डीसा की रहने वाली है, वहां से जब वह थाने गयी तो सुना नहीं और उसको डीसा पहुंचा दिया। इसलिए वह एस. पी. के पास गयी, वहां जाकर बहुत बुरी तरह से रोयी-पीटी। एस. पी. जवान है, जोशवाला है, उसको दया आ गयी होगी उस पर। लेडी कांस्टेबलों के साथ में उस

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

महिला को बिठाकर शाम साढ़े छह बजे ले गये। रात को नहीं, दिन के साढ़े छह बजे आये। डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट वगैरह को कहा कि महाराज को पकड़ो आप। आज संवत्सरी है, पकड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन खैर, एस. पी. ने थोड़ी जल्दबाजी की और एस. पी. में कोई खराबी नहीं थी। जल्दबाजी की और रात को जाकर पकड़ा। फिर ऊपर से किस तरह से आदेश गये, उनमें मैं नहीं जाना चाहता। रात को मुनि महाराज को छोड़ दिया। मुनि महाराज के बारे में, क्योंकि वे स्वर्गवासी हो गये हैं तो स्वर्गवासी के लिए अच्छी बात हो तो कह देनी चाहिए, बुरी बात कहना, मैं तो अच्छा नहीं समझता। उसकी जांच होगी, करेगी, वह हो जाएगी।

राजस्थान पुलिस का जहां तक सवाल है, यह बात नहीं है कि राजस्थान पुलिस में कोई कमियां नहीं हैं, पहले के मुकाबले कई कमियां भी आयी हैं लेकिन पुलिस का कार्य है वह बड़ा कठिन कार्य है। यह आप सोचें। आज भी राजस्थान में सोने से, गहनों से जड़ी हुई महिलाएं आधी रात को निकल सकती हैं। आपमें से जो यू. एस. ए. और बड़े-बड़े देशों में गये हैं, वहां पर भी कोई व्यक्ति दिन में भी पैदल 200-400 गज जाकर सेफ नहीं आ सकता। मैं किसी एक देश का नाम नहीं लेना चाहता। तो उसके मुकाबले में, मैं समझता हूं कि राजस्थान अपना सबसे शान्त है। उसके लिए यहां की जनता मुबारकबाद की पात्र है। साथ में पुलिस की कई कमियां होते हुए भी वह बधाई की पात्र है। अब कहा जा रहा है कि मिलिट्री बुलायी है। मिलिट्री इसलिए नहीं कि पुलिस स्थिति को काबू में नहीं कर सकती, मेरे ख्याल से अंदेशा यह है कि शायद पुलिस उस हद तक हुक्म नहीं माने, और कुछ बात नहीं हो जाए, आर्मी को इसलिए बुलाया गया है। यानि पुलिस के अन्दर अन्दरूनी असन्तोष है इसलिए रेपिड एक्शन फोर्स और आर्मी, इन सब को बुलाया गया है। तो यह स्थिति कोई अच्छी नहीं है। पुलिस से जहां तक निपटते, उनको सख्ती से उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। उनकी कमियां हैं उनको उजागर भी करना चाहिए लेकिन पुलिस की बड़ी कठिन ड्यूटी है। इधर करो तो यह और अपने हाउस में ही देख रहे हैं, चार दिन में कभी सब इधर हो जाते हैं, कभी सब उधर हो जाते हैं। इसलिए मेरा अर्ज करने का मतलब है कि कोई भी हम लोग विषय उठायें तो बहुत संयम से और उस पर सभी को मौका देना चाहिए। यह नहीं कि एक तरफ बह रहे हैं, दूसरा कोई बोले तो बोलने नहीं दें। इसलिए उस दिन मैं डर से बोला भी नहीं, नहीं तो यह बात मैं उस दिन भी कह सकता था। मैंने सोचा कि मुंह तोड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह जी। अरुण सिंह जी ने पहले स्लिप दी है।

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, जालौर में जो घटना हुई उसके लिए मैं

(श्री अरुण सिंह)

महसूस करता हूं कि यह पूरा हाउस जिम्मेदार है। पूरा हाउस, भले ही सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सब जिम्मेदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री ने सरकार ने जांच अधिकारी डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर को इस काण्ड की जांच करने के लिए आदेश दिया है। वह रिपोर्ट सरकार के पास आयी है। मैं चाह रहा हूं कि गृह मंत्री उस रिपोर्ट को भी पेश करें। मुनि महाराज को पुलिस थाना जिला एस. पी. ले गये। जिला एस. पी. को वर्बल ऑर्डर डी. आई. जी., जोधपुर रेंज श्री एस. एन. जैन ने दिये। जो कुछ तफ्तीश हो गई है, मुनि महाराज के ऊपर यह आरोप लगाया

(13.00)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं यह भी आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि who ordered police firing in Jalore? जिला कलक्टर ने निर्देश नहीं दिये। 400 राउण्ड रबर बुलेट चले, 250 राउण्ड आंसू गैस छोड़ी गई। एक पीसफुल मोब था। 400 आदमियों का, ना कोई मूर्ति तोड़ी गई। मैं गृह मंत्रीजी से यह भी पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है, प्रिकॉशन के नाते आपने आर्मी की दो टुकड़ियां बुलाई, क्यों? राजस्थान पुलिस काम्पीटेंट नहीं हैं? आर्मी को क्यों बुलाया गया? और स्टेट्स के बजाय राजस्थान पुलिस के ऊपर इतने आरोप और प्रत्यारोप नहीं हैं। मेरी नजर में राजस्थान पुलिस यहां जयपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में अच्छा कार्य कर रही है। मुनि महाराज ने भले ही आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, पुलिस ने 306 या 309 का मुकदमा क्यों नहीं दायर किया? 309 तो दायर करते, या 302 करते। जिला पुलिस अधीक्षक एक बेदाग नौजवान पुलिस ऑफिसर है और जहां तक मैंने सुना है, उस अधिकारी के दरवाजे और ऑफिस आम जनता के लिए खुले हैं। आज जालौर में पुलिस का जवान 48 घण्टे से मैस की रोटी नहीं खा रहा है। उस पुलिस अधिकारी में कुछ गुण तो थे। राजनीतिक प्रेशर, पोलिटिक्स, दोनों तरफ से एक अच्छे आई. पी. एस. ऑफिसर को सरकार ने सस्पैंड किया। मैं चाहूंगा कि ये डिवीजनल कमिश्नर की रिपोर्ट को उजागर करेंगे तो एस. पी. का इस काण्ड में कोई रोल ही नहीं है। आपने एक ज्यूडीशियल इन्क्वायरी बैठाई है, ज्यूडीशियल इन्क्वायरी 15-20 साल लेगी। मेरा अनुरोध है सरकार से कि इसमें सी. बी. आई. इन्क्वायरी हो जो, सैनी परिवार के एक नौजवान की हत्या पुलिस ने की, उसको और उसके परिवार को कम से कम दो लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

श्री नरपतसिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, —

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय। काफी वाद-विवाद हो गया इस पर, माननीय सदस्य।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसे बोलने नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अधिकार है।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक इधर से बोल रहा था और एक उधर से बोल रहा था। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई (व्यवधान) यह तो नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम व्यवधान कभी नहीं करते हैं लेकिन इस प्रकार से तो नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में तो___

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव दिया था सदन में, यह तो बुलाया जाए पहले। (व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, जालौर की जिस घटना के सन्दर्भ में आज चर्चा हो रही है और जिसकी पृष्ठभूमि में भीनमाल में घटी घटना के सन्दर्भ जुड़ा हुआ है, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। इससे पहले विश्वविद्यालय में जो घटना घटी थी, उसके बारे में इस सदन में चर्चा हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों मसलों पर आज अगर मुड़कर विश्लेषण किया जाए तो इन दोनों मुद्दों में बहुत से प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुके हैं। इस मुद्दे में पहले जिस प्रकार से इस घटना का वर्णन यहां किया गया था, गृह मंत्रीजी ने कुछ उसके बारे में अपने___

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, उसी पर आप आधारित रहें, इधर-उधर न जाएं।

श्रीमती कमला : हां, उसी पर हूं। मैं और कहां जा रही हूं। (व्यवधान) और कहां जा रही हूं?

उसके बाद में जिस तरह का डवलपमेंट उस मुद्दे पर हुआ है, मुनि महाराज ने आत्महत्या कर ली। अभी इसके जो तथ्य आये हैं, उसमें यह है कि वहां ब्लेड से नस काटी और तेजाब पीया या पिलाया गया। वह मर्डर है या आत्महत्या? दूसरी तरफ जिस महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उससे पहले यह रूप दिया जा रहा था कि शायद वहां पर कुछ ऐसे प्रभावशाली ग्रुप है जिन्होंने उसको दबाव देकर वह रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन जो तथ्य अब आये हैं, उनसे एक बात और आई है कि उसने अपनी मदर को बुलाया, अपने पेरेंट्स को बुलाया, अपने पति को बुलाया और बुलाकर सारी घटना की चर्चा करके, उसके बाद में वह एस. पी. के पास में अपनी रिपोर्ट दर्ज

(श्रीमती कमला)

कराने गई हैं। जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी उस दिन कह रहे थे कि इस तरह की घटनाओं में यह आदेश है कि इस तरह की जो भी रिपोर्ट दर्ज हो, उसके 164 के बयान फटाफट कराये जाने चाहिये, उस दृष्टि से उस एस. पी. ने यह कार्यवाही की तो दोनों तरफ के मुद्दे जो प्रथम अवस्था में थे वे आज बिलकुल दूसरी अवस्था में हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं। इसी तरह से विश्वविद्यालय में जो घटना घटी, जिस सनसनीखेज ढंग से वह सारी घटना आई, जिस तरह के बयान उस महिला ने दिये, उसके बाद में आज इतने दिनों तक 164 के बयान नहीं करना अपने आपमें उस महिला के बयानों पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और सरकार की नीयत पर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। इन दोनों मामलों में जिस तरह के डवलपमेंट आज के दिन हैं, वे अपने आपमें बहुत गम्भीर हैं और बहुत तरह के उसमें सवालात पैदा हो चुके हैं। इसलिए मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि सरकार सी. बी. आई. से जांच कराने के मामले में अपनी यह सौगन्ध तोड़े कि हम सी. बी. आई. से तो कराएंगे ही नहीं। जब कभी ऐसी बात कही जाती है, हमारे मुख्य मंत्रीजी यही कहते हैं कि यहां के पुलिस अधिकारी ही तो वहां सी. बी. आई. में है। सी. बी. आई. कोई खास बड़ी चीज है क्या, हमारे अधिकारी भी बहुत सक्षम है। उसमें बड़े-छोटे, सक्षम-अक्षम का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जो यहां पर रहकर अधिकारी काम करता है, वह यहां के दबाव में रहेगा और कोई भी स्पष्ट स्थिति नहीं आएगी। इसी कारण से माननीय सदस्यों का भी, जो पहले विचार प्रकट किये और जो अब विचार आ रहे हैं उनमें बहुत-सा विरोधाभास और बहुत सारा पशोपेश नजर आ रहा है कि आखिर यह क्या बात है। इसलिए, माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, आप मुख्य मंत्रीजी से सलाह करके इन दोनों मुद्दों को सी. बी. आई. की जांच में डालें तो सारा का सारा पिछला इतिहास, मौजूदा इतिहास और इसके पीछे के कारण, उसके तथ्य, सब इतने स्पष्ट आ जाएंगे कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होगी और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री नरपतसिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो चले जाएं बाहर या हम बैठ जाएं? और तो क्या करें? (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा में भाग लेना सब चाहते हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने के बाद बोल लीजिये। एक बहन को बोल लेने दीजिये। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है, मैं उसी के बारे में निवेदन करना चाहती हूं आपके माध्यम से।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा समय का भी ध्यान रखें, माननीय सदस्य। 2-2 मिनट।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : यह बहुत गम्भीर मसला है। मेरा दो मिनट का टाइम तो इसमें ही लग गया। इस संवेदनशील मामले को जिस ढंग से जालौर में डील किया गया उसी का नतीजा है कि आज जालौर में यह स्थिति बनी, कल एक आदमी मरा और वहां तनावपूर्ण स्थिति हुई। आज से तीन दिन पूर्व इसी सदन में जब सारा सदन एक तरफ बोल रहा था, मैंने उस समय यहां पर बोला था कि मेहरबानी करके जांच होने से पहले किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जाए, क्योंकि वह महिला भी जैन है। एक धर्म और जाति के नाम से नहीं किया जाए, दोनों पक्षों की बात जानने के बाद ही कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि किस दबाव के अन्तर्गत हमरे गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी या सरकार ने वहां के एस. पी. को बिना जांच के आये हुए सस्पैण्ड किया। अफसोस इस बात का है कि जांच एक घण्टे बाद आने वाली थी, क्या इतनी देर भी वे दबाव को नहीं रोक पाये? इतने दबाव से अगर यह सरकार चलेगी तो यही हाल होगा, जो आज हो रहा है। पिछले दिनों चाहे शालिनी काण्ड हो, चाहे अभी यह बोस काण्ड हुआ। बोस काण्ड के मामले में अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह महिला कैसी थी, क्या थी, इसलिए उसकी जांच हो। हमने एक दिन भी यहां पर सदन में यह नहीं बोला कि आप एस. पी. को सस्पैण्ड कीजिये, डीवाई. एस. पी. सस्पैण्ड कीजिये, हमने सिर्फ यह बोला कि उसके साथ जो कुछ हुआ, वह बहुत बुरा हुआ। सात आदमियों द्वारा उसको लड़कों के होस्टल में ले जाकर जिस तरह का उसके साथ व्यवहार किया गया, वह बहुत गलत व्यवहार था।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रसंग आज नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं प्रसंग नहीं बोल रही।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे पहले निवेदन कर दिया, गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उसके आस-पास बोलिये, आप कहां चली गई?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अच्छा, मैं भीनमाल के बारे में बोलती हूं। उसी वक्तव्य के बारे में मैं यह बोलना चाहती हूं कि गृह मंत्रीजी उस दिन जब वक्तव्य दे रहे थे तभी उस महिला की, उसके बेटे द्वारा दर्ज करायी हुई रिपोर्ट यहां सदन में पेश कर देते तो शायद हमारे सदस्यों का मानस दूसरा होता। मैं यह सदस्यों को बताना चाहती हूं, उसमें यह साफ लिखा हुआ है, जो अभी मैं आपके सदन की टेबल पर रखूंगी, कि मैंने पति को बुलाया। उसने यहां तक लिखा है कि मेरे कपड़े, वह भी मैंने कहा यहां पर, जांच की जाए। लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी ने सारी बात छिपाई और सदन को सिर्फ एक छोटा-सा स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से यहां पर यह माहौल बना। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसी दिन क्यों नहीं जांच की गई? किसने किसकी आज्ञा से डीवाई, एस.पी. को सस्पैण्ड किया? किसकी आज्ञा से वहां मुनि महाराज को छोड़ा गया? बिना जांच के किसकी आज्ञा से एस. पी. को किया? यह सारे ऐसे मामले हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। अब मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जो वहां के कमिश्नर ने रिपोर्ट दी है जांच करने के बाद, क्यों नहीं आज गृह मंत्रीजी ने उसे बताया? उस दिन यह रिपोर्ट छिपाई इसलिए यह माहौल बना, आज वे कमिश्नर की रिपोर्ट को नहीं बताएंगे तो दूसरा माहौल होगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि कमिश्नर ने चाहे जो भी रिपोर्ट दी हो, लेकिन गृह मंत्रीजी को सदन को उससे अवगत कराना होगा, कराना चाहिए। जो यह तनावपूर्ण स्थिति वहां और आस-पास के इलाके में हो रही है, यह आगे नहीं बढ़े और पूरा राजस्थान नहीं जल उठे उसके लिए यह जरूरी है। इस स्थिति को सम्भालने के लिए, गृह मंत्रीजी पुलिस बहुत सक्षम है। फौज को बुलाने की जरूरत नहीं है, आपकी पुलिस कर सकती है सब कुछ, आप विश्वास कीजिये। लेकिन आप लोग अपने सदस्यों के या अपने कार्यकर्ताओं के या अपनी पार्टी के प्रभाव में आकर उनको नहीं करने देते हैं इसलिए ये हालात हो रहे हैं। मेहरबानी करके दबाव में आना बन्द कीजिये और पुलिस और सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं उनको सही काम करने दीजिये, तो यह स्थिति नहीं होगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : यस, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट हम भी बोलेंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के अन्दर अब जो चर्चा कर रहे हैं, लगभग उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह साबित हो गया है, हम लोगों ने भी कह दिया है कि हम कोई जांच एर्जेसी नहीं हैं, हम मात्र चर्चा ही कर सकते हैं। लेकिन चर्चा भी मात्र भावनाओं में बह कर की जाए तो उसके नतीजे न मालूम क्या-क्या आ सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र के अन्दर सरकारों को जनमत को ध्यान में रखना पड़ता है, जनमानस को ध्यान में रखना पड़ता है और आन्दोलन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। शायद इस बार हमारा जो निर्णय हुआ भीनमाल के विषय में, लोकतंत्रीय सरकार होने के नाते हम यही कर सकते थे। लेकिन आज जो सदन का माहौल है या वातावरण है, प्रश्न यह उठता है कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने किस बात पर निष्कासन किया, उन्होंने किस बात पर वाक-आउट किया था? उन्होंने यह चाहा था कि पुलिस अधीक्षक को निलम्बित किया जाए क्योंकि जनमांग यही थी, उधर से ही मांग थी कि न्यायिक जांच की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस पर चर्चा हो रही है कि हमको पुलिस अधीक्षक को निलम्बित नहीं करना चाहिए था। अगर पुलिस अधीक्षक को निलम्बित करने के बाद में यह स्थिति आती है, जालौर जिस प्रकार

(श्री टीकमचन्द कान्त)

अभी जल रहा है, और पाली और सिरोही के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह सोचता हूं कि अब हमें + + + निर्णय लेना पड़े तो भी लेना चाहिए ताकि जालौर, सिरोही और पाली के अन्दर यह आन्दोलन आगे नहीं बढ़े। एक तरफ जो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था भीनमाल में____

श्री शिवनाथ सिंह : खुलासा करो इस बात को।

श्री रामनारायण चौधरी : तुगलकी निर्णय तो खुलासा करो थोड़ा।

श्री टीकमचन्द कान्त : करता हूं। जो एक प्रकार की हठ थी। हमने पुलिस अधीक्षक के दोष भी देखे और उसमें बिलकुल सत्य है कि धार्मिक-स्थलों में, श्रद्धा के स्थानों पर साधु और सन्तों को हम किस प्रकार से लाएं या वहां कैसे प्रवेश करें, यह चिन्तन का विषय, चर्चा का विषय है। यह बात भी बिलकुल ठीक कही कि बहुत उतावले में पुलिस अधीक्षक, जालौर ने कुछ कदम उठाये। एक आई. पी. एस. अधिकारी को उतावले में कदम नहीं उठाना चाहिए था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप भी शायद उतावले में ही बोल रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह समाज है, इसमें धर्म के मानने वाले भी हैं, इसमें श्रद्धालु लोग भी हैं। लेकिन यह भी तथ्य बिलकुल ठीक था कि वे कदम नहीं उठाते तो भी उसकी आलोचना होती। उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रतिष्ठा का प्रश्न जहां भीनमाल के अन्दर समाज ने बना लिया था, वहीं अब दूसरा प्रतिष्ठा का प्रश्न जालौर में बना हुआ है। यह कहीं पाली और सिरोही के बाद में आगे नहीं बढ़े, इसी कारण से मेरा अनुरोध है कि आपस में बैठ जाएं, माननीय विरोधी दल के नेता को साथ में लेकर बैठ जाएं और चर्चा करके अगर यह आग बुझ सकती है तो तुगलकी निर्णय का मतलब यह है कि एस. पी. को वापस बहाल करना चाहिए। यह मेरा मतलब था।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा। यह सदन नियमों से चले, सरकार विधि-विधान से चले या ये सारी चीजें मात्र भावनाओं से ही चलें। मैं मेरे वरिष्ठ नेताओं के विषय में ही कहना चाहूंगा। मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है इस सदन के अन्दर। माननीय भाटीजी भी सरकार में होते हुए जो कुछ भी बोले, बातें बहुत ठीक थीं, लेकिन मैं यह सोचता था कि मंत्री होने के नाते इनको भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब मर्यादाओं का उल्लंघन हम जगह-जगह कर रहे हैं। माननीय कटारिया जी के प्रति सम्मान है मेरा, बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं हमारी पार्टी के लेकिन उन्होंने भी यहां कहने की बजाय माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रिपरिषद् के सदस्यों से बैठकर चर्चा की होती तो बहुत अच्छा होता। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में अगर मर्यादाओं का

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

उल्लंघन हुआ और यह सदन अगर नियमों और विधि-विधान से नहीं चला तो बाहर की प्रजा को यह कहना कि वह नियमों से चले वह नहीं चल पाएगी, वह मर्यादाओं से चले, वह चल नहीं पाएगी। हम तो उन लोगों के प्रतिनिधि हैं, कुछ नियम, कुछ व्यवस्थाएं हमें तय करनी पड़ेगी, मेरा तो इतना ही कहना था। धन्यवाद। और माननीय मंत्रीजी को भी बुरा नहीं लगा हो, इसके लिए भी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरपतसिंह राजवी।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था में लेजिस्लेचर, जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव के अपने-अपने फील्ड्स रहे हैं और संविधान में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसमें जहां कहीं भी किसी अंग ने ओवरस्टैप किया है वहां पर अव्यवस्था होने के आसार बने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रश्न नहीं पर संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले तीन-चार दिन से जब से हाउस असैम्बल हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन की जगह हमने इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी का काम करना शुरू कर दिया। जानकारियां शायद सब लोगों को उतनी पूरी नहीं थी जितनी जानकारी होने के बाद अगर वे बोलते तो बहुत ज्यादा अच्छा बोल सकते थे। सिर्फ मीडिया का अटेंशन अट्रैक्ट कर लें या कुछ बातें जो अधूरी हैं उनकी जानकारी सदन के रिकार्ड में आ जाए, मात्र उस स्थिति तक पहुंचने के सोच के कारण आज यह स्थिति सामने आयी है। अभी नाम लिया था कि 90 आदमियों के नाम है। नाम 120 के भी होंगे लेकिन जिन व्यक्तियों के नाम लिये क्या वे उस इण्डियन पीनल कोड के सारे इन्ग्रिडियेंट्स पूरे करते हैं जो आज से सवा सौ साल पहले बना। यह बात सही है, एस. पी. साहब चाहे कितने भी जवान हों, एक पद धारित करते हैं लेकिन जिस समय वे वहां पर गये उस समय नहीं जाकर अगर कोरोबरेटिव एविडेंस कलेक्ट कर लेते तो आज यह नौबत नहीं आती। अगर उनका दोष माने तो मात्र इतना। लेकिन एस. पी. को सस्पैंड नहीं करें तो मुख्य मंत्री इस्तीफा दें और एस. पी. को सस्पैंड कर दिया इसलिए भी चार्ज यह है कि मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।

श्रीमती बीना काक : गृह मंत्री को देना चाहिए।

श्री नरपतसिंह राजवी : अब गृह मंत्री जी को और आप दिलवा दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसद में इस प्रकार की चर्चाएं गम्भीरता को लेकर हुई हैं कि 50 वर्ष में हमारी इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था में और निखार होना चाहिए था। मेग्नाकार्टा साइन होने के बाद 1215 में लोकतान्त्रिक व्यवस्था इंग्लैण्ड में शुरू हुई है, वहां की प्रोसीडिंग्स को अगर आप देखें तो उसमें निरन्तर सुधार होने की स्थिति

67

(श्री नरपतसिंह राजवी)

आई है और यहां पर हमने पुलिस का, थाने का काम करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी का काम शुरू कर दिया। आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है लेकिन जिस प्रकार की चर्चा पिछले दो-तीन दिनों में हुई है और आज जो स्थिति बिगड़ी है वह उसी कारण बिगड़ी है, यह बात सही है.। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा। मदेरणा साहब, आपको अच्छी तरह याद होगा, इसी तरह का एक आन्दोलन था और उस आन्दोलन में जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के लोगों ने बहुत बढ़-चढ़कर भाग लिया था। निर्णय आखिर में सुखाड़िया साहब ने वही किया, उनका कहना यह था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जनमानस के सामने मैं मेरी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाता हूं तो वह गलत है, आप सबकी, जनमानस की भावनाओं का आदर करते हुए मैंने यह निर्णय लिया है। उसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर निर्णय ले लिया लेकिन एस. पी. का ट्रांसफर कर दिया तो उससे सन्तुष्ट नहीं हुए, उसके बाद एस. पी. को सस्पैंड किया उससे सन्तुष्ट नहीं हुए। अब दूसरी तरह की बातें आ रही हैं। दूसरी तरह की जितनी भी बातें हैं अगर जुडीशियल इन्क्वायरी में वे अपने तथ्य प्रस्तुत करना चाहें, माननीय सदस्य भी कर सकते हैं। लेकिन न्याय उस पर अगर नहीं निकल पाया और ऐसी तोड़-मरोड़ कर बात अगर आज हम करेंगे तो वहां पर बाहर बैठने वाले भी इन्सान हैं, समाज के इसी प्रकार के अंग हैं और अगर उसके अन्दर उनकी मानसिकता पर असर पड़ा, मीडिया का जिस प्रकार का अटेंशन इस पर दिया जा रहा है, जिस प्रकार का थ्रस्ट दिया जा रहा है वहां पर वे भी इन्सान बैठे हैं उनके मानस पर भी फर्क पड़ सकता है।

मैं बहन बीना जी के इस प्रश्न से तो सन्तुष्ट नहीं हूं कि हमारे गृह मंत्रीजी महिलाओं के बारे में संवेदनशील हैं। मेरे ख्याल से आप जब-जब भी कहती हैं वे हमारे से भी ज्यादा आपकी बात मान लेते हैं। संवेदनशील बहुत हैं।

श्री विष्णु मोदी : It is news to us.

श्री नरपतसिंह राजवी : अब इस प्रकार अगर सिर्फ भारत या राजस्थान____

श्रीमती बीना काक : एक मिनट।

श्री नरपतसिंह राजवी : I think it will be better if you let me continue.

श्रीमती बीना काक : ऑल राइट।

श्री नरपतसिंह राजवी : ये सिर्फ भारत या राजस्थान की व्यवस्था नहीं है, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी डाउन-टाउन जाने में लोग कतराते हैं। क्या वहां की मशीनरी, पुलिस मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इतनी कमजोर है? लेकिन वहां के समाज की इस प्रकार की व्यवस्था बन गई कि वहीं के नागरिक डाउन-टाउन में शाम को 6 बजे के बाद नहीं जाना चाहते हैं और बाहर से कोई भी जाता है तो उसको पहली बार यह कहा जाता है कि डाउन-टाउन सात बजे के बाद सूर्यास्त के बाद अगर आप जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

(श्री नरपतसिंह राजवी)

मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा माननीय प्रतिपक्ष के नेता और चन्दनमल जी बैद साहब बिराजे हैं, हमारे जो नेतागण बिराजे हैं उनसे कि इस प्रकार के जब भी कोई आरोप लगें या इस प्रकार के मसले जब आएं तो हाउस में किस प्रकार के इस विषय को उठाया जाए इसकी एक ब्राड कैटेगरी, एक आउटलाइन तय कर ली जाए तो कम से कम न तो जांच एजेन्सीज पर इसका प्रभाव पड़ेगा और समस्या का समाधान एक कदम आगे होगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलजीत सिंह ।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, for every action, there is a direct opposite reaction. विधान सभा में 11.9.97 को जो डिबेट हुई यहां पर वह डिबेट नहीं होती तो शायद आज जालौर, पाली और सिरोही में जो रिएक्सन हुआ है वह होता भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जनता को डर लगा कि हम जो असेम्बली में बैठे हुए हैं, हम कुछ शक्तिशाली लोगों को बचाना चाहते हैं, अपने यहां की गवर्नमेंट से सच्चाई को दबाना चाहते हैं उसका डाइरेक्ट रिएक्शन यह रहा है। एक दिन पहले एक ही सम्प्रदाय आब्जेक्शन कर रहा था पर जब यहां विधान सभा में चर्चा हुई उसके बाद में हजारों लोगों की संख्या में विभिन्न-विभिन्न सम्प्रदाय गरीब से लेकर अमीर सड़कों पर आ गये क्यों? आज हम क्या उलझे हुए हैं? हम ऐसे मैसेज भेज रहे हैं देश में कि हम लोग जिस पवित्र सदन में बैठे हुए हैं, उसमें हम धर्म, कास्ट और कम्युनिटी में बंटे हुए हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर हमें अपनी कास्ट, कम्युनिटी से ऊपर उठकर और सच को सच तथा असत्य को असत्य कहना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम पर दबाव पड़ता है, हम गलत लोगों के साथ जुड़ भी जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहना चाहता हूं कि सच्चाई तो सामने आएगी ही इसको कोई छुपा नहीं सकता है। पर हम यह चाहते हैं कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हो और जनता को भी यह डर है कि जैसे-जैसे लम्बा समय बीतता चला जाता है तो न्याय की जो प्रोग्रेस है वह धीरे-धीरे छुपती जाती है। एक्यूज्ड और एक्यूजर, दोनों कम्प्रोमाइज कर भी लेते हैं और इश्यु कम्प्रोमाइज हो भी जाता है। मेन मुद्दा इस बात का है, केवल इस केस में नहीं, यह पूरे राजस्थान में देखा गया है, हम भी अपने-अपने क्षेत्रों से आते हैं और हम देखते हैं कि जब भी कोई अपराध होता है लम्बा समय निकल जाता है जब बयान का समय आता है दोनों पार्टियां मिल जाती है, दबाव पड़ जाता है और न्याय नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है। अपराध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पर महिलाओं के प्रति। जब भी कोई महिला हिम्मत उठाकर सामने आती है और कहती है कि मेरे साथ में यह ट्रेजडी हुई है तो हमीं उस पर पहले आलोचना करते हैं, उसके चरित्र की हम आलोचना

(श्री दलजीत सिंह)

करते हैं ताकि मामला दब जाए। यह सदन लोगों के चरित्र और इस पूरे राजस्थान के न्याय के लिए है। हम न्याय की लिखने वाले हैं और हम न्याय को पास करने वाले हैं, We are law-makers and we ourselves break the law. तो हमें कोई अधिकार नहीं है यहां असेम्बली में चुनने के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी सारी बातें इस केस के बारे में कही गयी है। मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में 11.9.97 को कहा था कि मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाला गया है यह प्रेशर उचित नहीं है, इसका परिणाम कुछ पता नहीं क्या होगा। उस प्रेशर का परिणाम आज जालौर में, पाली में और सिरोही में आपके सामने है। पहले दिन प्रेशर डाला गया था कि डीवाई.एस.पी. का ट्रांसफर कर दो, डी.वाई.एस.पी. का ट्रांसफर हो गया। अगले दिन प्रेशर डाला कि एस.पी. का ट्रांसफर कर दो तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं कर देता हूं। उन्होंने यहां तक कहा था कि मेरे ऊपर और प्रेशर होगा, जब मांगा जाएगा कि होम मिनिस्टर को सस्पैण्ड कर दिया जाए, मेरे को भी सस्पैण्ड कर दें और सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। कोई भी सरकार बैठी होगी और दबाव डालें नम्बर के कारण, यह भी उचित नहीं है। मैं जरूर इस पार्टी की साइड में बैठा हूं परन्तु मैं कहता हूं, न्याय के अन्दर किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। न्याय को दबाने के लिए, चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, उसको कोई अधिकार नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यहां पर एस.पी. सस्पैण्ड हुआ तब हम में से बहुत सारे लोग नीचे गये श्रेय लेने के लिए कि यह काम मैंने आपका करा दिया। क्यों? क्या जरूरत थी इसकी ? इस सदन को क्यों ऐसा बनाया जा रहा है? मुझे इस बात का एतराज था, इसी बात का मैं मुद्दा उठाना चाह रहा था। उस दिन मैं बोलना भी चाह रहा था परन्तु बोलने का मौका नहीं दिया गया। यह मेरी तरफ से आज ऊंची आवाज उठी होगी और यह भी मेरे दुःख की वजह से उठी होगी कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

आगे इतना कहना चाहता हूं कि एक अफसर के खिलाफ जो सूचना आयी है, वहां के लोग भी कहते हैं कि अफसर अपनी ड्यूटी निभा रहा था, इस तरीके से अपनी ड्यूटी निभाते हुए किसी अफसर के साथ कोई अन्याय हो, मैं इसको उचित नहीं समझता। यहां जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम भी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या हुए आज सात-आठ साल बीत चुके हैं या 7 साल निकल चुके हैं उसकी जुडीशियल इन्क्वायरी आज तक चल रही है। ऐसी जुडीशियल इन्क्वायरी, जिसको सात साल निकल जाएंगे, क्या यह उचित रहेगा ? एक और एक्यूज्ड आदमी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और दूसरी तरफ जिसने एक्यूज किया है, जो जिन्दा है, उसकी आत्मा को शांति नहीं

(श्री दलजीत सिंह)

मिलेगी। Justice delayed is justice denied. डर इस बात का है कि शायद यह जस्टिस डिले होगा तो न्याय सामने नहीं आएगा, सच्चाई सामने नहीं आएगी। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय से कि जो डी.एन.ए. रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आए। दूसरी बात यह है, यह डर है उस लड़की की जान को खतरा भी हो सकता है, धमकियां भी हो सकती हैं, प्रेशर में भी आ सकती है इसलिए उस लड़की के मामले में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए कि वह किसी के प्रेशर में नहीं आए। उसको प्रोटेक्शन दिया जाए।

आखिर में, मैं इतना कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय इस सदन को हम डिवाइड नहीं करें, कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन से। सच को हम सच बोलें, इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। हम कुछ राजनीतिक फायदा उठाना चाहें सदन से और भी मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं, पर अपराध के नाम से कुछ फायदा उठाएं, अपराधियों को हम बचाएं और उनके पक्ष में बोलें, इसका मैं बिलकुल विरोध करता हूं। औरतों के ऊपर बहुत अन्याय हो रहे हैं, बहुत से कानून बनाने चाहिए वूमेंस एट्रोसिटीज एक्ट के, परन्तु उनका पालन तो करें हम।

आखिर में, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने कोई तेज आवाज से कुछ बोला होगा, मेरा कोई इन्टेंशन नहीं था। पर ऐसा लगा है कई दफा इस सदन में कि जब तक आप ऊंची-ऊंची आवाज से नहीं बोलोगें आपकी सुनवाई भी नहीं होती है। जब बच्चा दूध पीने के लिए अपनी मां के सामने चिल्लाएगा नहीं तो उसको दूध भी नहीं मिलता है। हम इस तरीके का हाउस नहीं चलाना चाहते हैं। सब जगह और विधान सभाओं के सामने कहा जाता है कि राजस्थान विधान सभा बहुत ही अच्छी है, यहां तो सुनवाई होती है। मैं चाहता हूं कि इस राजस्थान विधान सभा को हम ऐसी जगह नहीं बना दें जिसमें हम एक्सप्लीसिटली डिवाइड हो जाएं और सच्चाई को हम छुपाने की कोशिश करें, चाहे धर्म के नाम से, चाहे विकास के नाम से। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद दूंगा, आपने समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने दो अहम मसले आये, एक राजस्थान विश्वविद्यालय में बलात्कार से सम्बन्धित और दूसरा जैन मुनि की आत्महत्या का। उपाध्यक्ष महोदय, लम्बी बहस हुई दोनों ही पर, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला दोनों ही पर यही सोचकर नहीं बोला कि हमारे पास जो कुछ भी सूचना है वह अखबारों के माध्यम से है। सच्चाई क्या है उसकी तह तक न हम पहुंचे, न हम पहुंचेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विषयान्तर नहीं होना चाहता लेकिन निश्चित रूप से एक बात स्वीकार करता हूं उन दो दिनों का सदन का माहौल भी देखा और आज भी सदन का संचालन हो रहा है, ऐसा महसूस

(श्री हरिसिंह)

कर रहे हैं जैसे सदन कोई विशेष दबाव में है। आज वह बात नहीं है। जो उस दिन जोश-खरोश से यहां भाषण हुए थे, दोनों ही दिन, आज वह बात नहीं है। मैंने यह माहौल भी देखा है, उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्तिशः, मैं किसी एक फाइल के ट्रांसफर के सिलसिले में मुख्य मंत्री से मिलने उनके रूम में गया। वहां राजस्थान के सब आला अफसर, हमारे मुख्य सचिव भी थे, गृह सचिव भी थे, हमारे डी.जी. साहब भी थे और कई अधिकारी वहां थे। मुख्य मंत्री महोदय कुछ निर्णय करके यहां आ गये थे और मैंने पीछे वहां देखा तो एक बड़ा अजीब, गमगीन सा माहौल था, अधिकारियों के चेहरे उतरे हुए थे। मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे मुख्य मंत्री जी अधिकारियों की इच्छा के विपरीत कोई निर्णय करके गये हों और हुआ यही। मैं भी पीछे से सदन में आया, घोषणा हुई कि एस.पी. का निलम्बन करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र टीकमचन्द जी कान्त ने अभी एक बात कही थी कि प्रतिपक्ष की तरफ से यह आवाज उठायी गयी थी और प्रतिपक्ष ने बहिर्गमन किया था कि एस.पी. को निलम्बित किया जाए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से प्रतिपक्ष हमेशा यह मांग करता है, एस.पी. के निलम्बन की नहीं, प्रतिपक्ष तो मुख्य मंत्री से रोज इस्तीफे की मांग करता है, गृह मंत्री से रोज इस्तीफे की मांग करता है। कभी इस्तीफा नहीं दिया, न कोई गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, न मुख्य मंत्री जी ने इस्तीफा दिया और न ही प्रतिपक्ष के कहने से एस.पी. का निलम्बन किया, मात्र स्थानान्तरण किया गया। इस प्रकार का कोई आरोप राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए आज प्रतिपक्ष के ऊपर लगाया जाए। हमारा कत्तर्व्य है, हमारा फर्ज है, हमारा राजनीतिक दायित्व है और हमारा राजनीतिक धर्म भी है क्योंकि हम प्रतिपक्ष में हैं। जहां सरकार की कोई कमजोरी दिखेगी, जहां सरकार के काम में त्रुटियां दिखेगी उनको उजागर करना, राजस्थान की जनता तक उनको पहुंचाना हमारा राजनीतिक धर्म है और वह हमने निभाया है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक अनुरोध करना चाह रहा हूं। प्रश्न यह है कि जो आन्दोलन पहले तो भीनमाल में उठा और जालौर, पाली और सिरोही अब इसके आगोश में आने वाले हैं और आज के पेपर में समाचार था कि जोधपुर तक भी इसकी चर्चाएं होने जा रही हैं, क्या एक एस.पी. के निलम्बन पर इतना बड़ा आन्दोलन है? मेरे गले नहीं उतरता। सच्चाई यह है कि वहां की जनता यह महसूस कर रही है कि राजस्थान सरकार एक विशेष वर्ग के दबाव में आकर यह सरकार चला रही है। उन्होंने कोई इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं लिया। यह आन्दोलन इस बात का है, न कि कोई एस.पी. के निलम्बन का। एस.पी. का निलम्बन तो एक मुद्दा मात्र है। सवाल इस बात का है कि वहां की जनता यह महसूस कर रही है कि सरकार ने कोई

(श्री हरिसिंह)

गलत निर्णय ले लिया, इसके आगे उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाह रहा हूं मेरी सरकार से वह शिकायत भी है कि सरकार ने सदन को अंधेरे में रखा। माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट हुआ। हमारे पास अखबारों की करतनों से जो समाचार थे वे मात्र थे। सरकार के पास संचार के सब कुछ साधन उपलब्ध थे। एक-एक सैकण्ड में सरकार वहां की खबर ले रही थी, एक-एक सैकण्ड की सरकार को वहां की वस्तु स्थिति की जानकारी थी। सरकार को यह भी पता था कि वहां पर तेजाब पीकर मुनि महाराज ने आत्महत्या की है। यह सूचना थी, लेकिन सरकार ने उससे पहले यह जानने की कोई कोशिश नहीं की जैसा कि आज राजस्थान पत्रिका में आया, कि तेजाब आया कहां से, उसकी नसें कटी हुई हैं तो ब्लेड आया कहां से? यह सरकार की उस दिन की ड्यूटी थी जिसके ऊपर आज राजस्थान पत्रिका ने कुछ प्रश्न वाचक चिह्न लगाये हैं। क्या सरकार ने उस तह में जाने की कोशिश की? क्या सरकार ने इसकी हत्या का आत्महत्या के प्रकरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की? उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को राजस्थान के माननीय गृह मंत्री जी ने अंधेरे में रखा। एक हल्का-फुल्का स्टेटमेंट यहां दिया। अगर गृह मंत्री जी एफ.आई.आर भी यहां पढ़कर सुनाते, अगर गृह मंत्री जी 164 के बयानों को पढ़ कर सुनाते तो शायद हमारी भी कुछ आंखें खुलतीं, बहस किसी और तरीके से मोड़ ले सकती थी। इतना दबाव बढ़ाने की आवश्यकता होती या नहीं होती, उस समय हम हमारे तर्क को एप्लाई करते। उपाध्यक्ष महोदय, भावनाओं में सब बहे और भावनाएं जब तर्क के ऊपर सवार हो जाती हैं तो कुछ जल्दी में लिये गये निर्णय भी गलत हो जाते हैं।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारी कुछ संसदीय परम्पराएं हैं। हमने संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली अपनायी है और संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा माननीय सिंचाई मंत्री जी ने सब परम्पराओं को तोड़ कर यूनिवर्सिटी प्रकरण में, उसको मैं इंटरवीन करना भी नहीं कह सकता, अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई बात कही। वह बात उठाई उसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन भावावेश में आ गये दूसरे मंत्री भी। शायद माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया के दिमाग में यह हो कि मैं सिर्फ जैन हूं। वे शायद उस समय यह भूल गये कि वे राजस्थान के मंत्री हैं, वे केबिनेट के एक माननीय सदस्य हैं। शायद अनंग कुमार जी उस दिन यह भूल गये कि वह केबिनेट के सदस्य हैं, राज्य मंत्री हैं। उस दिन जिस प्रकार का + + + यहां किया गया, जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के मंत्री आपस में वाक्युद्ध में गुत्थमगुत्था हो रहे थे,

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

वह संसदीय लोकतंत्र के इतिहास पर एक कलंक है। राजस्थान के इस विधान सभा के इतिहास में पहले इस प्रकार कभी नहीं देखा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज का दबाव हो सकता है, किसी जाति का दबाव हो सकता है, मेरे ऊपर भी हो सकता है। यह बहुत बड़ी बीमारी है हिन्दुस्तान में। मैं कबूल करता हूं, बहुत बड़ी बीमारी है और इसमें आदमी बह जाता है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय कटारिया जी ने राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, या तो मुख्य मंत्री जी को उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिये था या राजस्थान की कानून और व्यवस्था की जो स्थिति बिगड़ी है उसमें सामूहिक जिम्मेदारी के नाम पर स्वयं कटारिया जी जिम्मेदार हैं, इनको तुरन्त उस समय मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे देना चाहिये था। वह सब कुछ नहीं हुआ। लोकतंत्रीय परम्पराओं को तोड़ा जा रहा है। बुरी तरह से उन पर आघात किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि आज भीनमाल का यह आन्दोलन जालौर, पाली, सुमेरपुर, सिरोही इन सब जिलों को आगोश में लेता चला जा रहा है। सरकार की जो कार्यप्रणाली है वह असंतोषजनक है। सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। सरकार तुरन्त निर्णय लेकर, गलत निर्णय लेकर राजस्थान की जनता को इन गलत निर्णयों में बहा रही है। इस प्रकार के जो आन्दोलन हो रहे हैं वे सरकार के इन गलत निर्णयों का नतीजा हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में सिर्फ एक बात का निवेदन करूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं, अंत में एक सुझाव देना चाह रहा हूं। आखिर इस आंदोलन से जुड़े हुए राजनीति के लोग हैं। दुर्गावाहिनी आंदोलन कर रही है या एन.एस.यू.आई कर रही है या यूथ कांग्रेस कर रही है या युवा जनता मोर्चा कर रहा है या जनता दल कर रहा है, कोई भी कर रहा है वह राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। मैं समझता हूं कि सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता इस मामले पर बैठकर बात करें और अपने राजनैतिक कार्यकर्ताओं को वहां भेजकर एक अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करे ताकि राजस्थान के हालात ज्यादा बिगड़ें नहीं, बद से बदतर न हों। जो कुछ भी हो, चाहे वह दुर्गावाहिनी हो या एन.एस.यू.आई हो, वे सभी हमारे राजनैतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। हम चाहेंगे जिस दिन उनकी नकेल वापस हो जाएगी। अगर नकेल ढीली की गई तो राजस्थान में ये जो हालात हैं वे बद से बदतर हो जाएंगे। मैं इतना ही कहकर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज तो आप बहुत गंभीरता से बोले।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं तो हमेशा ही गंभीरता से बोलता हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जालौर में कर्फ्यू लगा,

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

गोली चली, देवाराम सन आफ अमराराम की मृत्य हो गयी। आज हमारे सदन में किसी भी माननीय सदस्य का गला नहीं रुंधा, किसी ने भी अपनी अश्रुपूरित आवाज से कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। ऐसा लगा कि वह देवाराम किसी का कुछ नहीं लगता था——

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूरे सदन को अलेज कर रहे हैं। सदन में और लोग भी हैं जो कोई नहीं बात करना चाहते हैं, मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं। जो बोले उनके ऊपर आक्षेप करें तो ठीक है, पूरे सदन पर आक्षेप करना ठीक नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि 12 तारीख को हमारे इसी सदन में जब यह भीनमाल का प्रकरण चर्चा में था उस समय कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात बहुत ही दबाव से यहां रखी। मुख्य मंत्री महोदय यदि माननीय सदस्यों के राजनैतिक दबाव में नहीं आते तो जालौर में कर्फ्यू नहीं लगता और देवाराम की गोली से मृत्यु नहीं होती। देवाराम की मृत्यु के जिम्मेदार वे लोग हैं जिन्होंने सदन में अनधिकार मुख्य मंत्री जी पर दबाव डाला। मेरा स्पष्टतया कहना है कि उन लोगों पर जिन्होंने कि दबाव डाला, अबेटमैंट का चार्ज लगना चाहिये। यह बिलकुल सत्य बात है।

एक माननीय सदस्य : आपने ही दबाव डाला था।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो मैं बोला हूं उसको आप शब्दशः उठा लीजिए, आप हतप्रभ रह जाएंगे। मेरा कहना था कि जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। मेरा यह कहना है कि आज 4 करोड़ की राजस्थान की जनता, हम 200 व्यक्ति जो यहां चुनकर आते हैं उनकी ओर टकटकी लगाये हुए देख रही है कि हमारा जो उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है उसका हम निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं। मैं केवल दो मिनट बोलूंगा, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मामला हत्या का हो, बलात्कार का हो, लूट का हो, आगजनी का हो, बम काण्ड का हो, 200 माननीय सदस्यों को बोलने में कितना क्षेत्राधिकार बनता है कि किसी भी अपराधिक और हिंसक घटना या वारदात के बारे में हम किस दृष्टिकोण से यहां पर चर्चा करें जो कि न्यायसंगत हो, जिससे कि निश्चित तौर पर अन्यायी, आरोपी और जो-जो दोषी लोग हैं उनको दण्डित करने में मदद मिले, न कि यहां किसी को दूध का धुला साबित करें, न कि किसी मामले को डाइल्यूट करें। लेकिन देखा यह जा रहा है गये सात दिन में, कि अपराधियों को सजा दिलाने की बजाय, अपराध को त्वरित निर्णीत करने की बजाय, इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय अपने-अपने निहित स्वार्थ के लोग, भले ही वे किसी समाज के हों, किसी जाति के हों, किसी धड़ के हों, वे लॉबी और प्रेशर ग्रुप्स के रूप में इस हाउस में काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी का नाम लूं, यह बहुत गलत बात

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

होगी, लेकिन सार तत्व की बात यह है कि इस सदन का हम कब तक मिसयूज करते जाएंगे। किसी भी घटना का इस तरफ या उस तरफ करने में सदन के सदस्यों को कोई अधिकार नहीं है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को किसी भी तरह से लकवाग्रस्त करें। मुख्य मंत्रीजी ने जो अभिव्यक्ति की सदन में, उसमें स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा था कि वे नहीं चाहते थे कि एस.पी. को सस्पेंड किया जाए, वे नहीं चाहते थे कि और भी कोई घोषणा की जाए। उसके बावजूद भी जब उन्हीं की काउंसिल आफ मिनिस्टर्स के लोगों ने उन पर दबाव डाले, उन पर इस हद तक दबाव डाले कि वे यह कर देंगे, वे इस्तीफा दे देंगे, पता नहीं राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर क्या बिगड़ जाएगा, कैसी स्थिति हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर इस बात का सच्चा सबूत चाहिए तो उपाध्यक्ष महोदय, जब भीनमाल के लोग आए और माननीय मुख्य मंत्री महोदय उनसे मिलने गये तो सरकार में जो मिनिस्टर्स हैं, विधायक हैं बी.जे.पी. के, सारे अखबारों में फोटो छपे हैं, वे वाहवाही लूट रहे हैं भीनमाल के लोगों पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन वाह वाही लूट ली और उसके बाद जनता को मरवा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने निजी स्वार्थों के लिये किसी भी जाति के लोगों को मरवाने के लिये, कत्ले-आम कराने के लिये पूरे राजस्थान में हिंसक घटनाएं करा दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरत सिंह।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज रेल को क्षति हो रही है, रोडवेज को क्षति हो रही है, पैट्रोल पम्प को क्षति हो रही है, दुकानों को क्षति हो रही है। इसके लिये जिम्मेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के वे लोग जो अपने निहित स्वार्थों के कारण लामबंद हो गये। उन्होंने यह नहीं देखा कि जनता क्या है। अब सम्भालो जोधपुर संभाग की जनता को, जो एक-एक जिले में सत्य की लड़ाई के लिये हरिश्चन्द्र के रूप में आपके सामने आ रही है। अब उनको जाकर दबाओ, अब आपके उन लोगों को भेजो, जिन्होंने कहा था कि एस.पी. सस्पैंड हो। वहां ऐसी स्थिति हमारी कर दी.....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में ...(व्यवधान)... मैं अभी समाप्त कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कभी तो इस आसन की आज्ञा का पालन करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो निवेदन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाएं, बिराज जाएं। दूसरे माननीय सदस्य को मैंने पुकार लिया है।

श्री जुबेर खान : आज आज्ञा का पालन कर दिया।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जालौर के ऊपर जो वक्तव्य दिया उसमें यह बताया कि 10 हजार लोग की भीड़ थी और जालौर के कस्बे में एक समुदाय के लोगों को छोड़कर इस बात का आक्रोश है कि वहां के एस.पी. को क्यों सस्पैंड किया गया। उस सस्पेंशन के विरुद्ध जालौर और समीप के दूसरे कस्बों में तनाव है। उस तनाव के परिणामस्वरूप पुलिस और जनता के बीच में टकराव हुआ, सेना बुलाने की बात हुई। सेना आयी, रबड़ की गोलियां चलीं और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। आपके आसन के ऊपर जो धुंधले शब्द "सत्यमेव जयते" अंकित हैं, यह सत्य इस सदन में धुंधला गया है। हमारी पार्लियामेंट में धुंधला गया है, समाज में धुंधला गया है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है, चाहे प्राचीन या वर्तमान समय में, कि सत्य कभी समाज के साथ नहीं चलेगा। यह समाज है जिसको सत्य के साथ कदम रख कर चलना पड़ेगा और जो समाज सत्य के साथ कदम रख कर नहीं चलेगा वह समाज ध्वस्त हो जाएगा। इसी के लक्षण हमें इस विधान सभा में देखने को मिले। पिछले हफ्ते डिबेट हुई, दो मुद्दों को लेकर बात चली। शर्मनाक घटनाएं थीं। जीत सत्य की होनी चाहिए थी, मगर जीत हुई सदन की भावनाओं की। हम इस सदन की भावनाओं से अगर सदन को चलाएंगे और सत्य को धुंधला कर देंगे तो उसके परिणाम वे होंगे, जो जालौर में हुए हैं।

मैं समझाता हूं कि गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी तब तथ्यों से पूरी तरह अवगत थे, वे नहीं चाहते थे कि पुलिस अधीक्षक को सस्पैंड किया जाए। मगर दबाव इस प्रकार का था। 11 तारीख को जब मुख्य मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया, मैंने उनको उनके कमरे में जाकर बधाई दी। मैंने कहा कि मुझे खुशी है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री, आप इस प्रकार के प्रेशर के आगे नहीं झुके और आपने इस प्रकार का वक्तव्य दिया, मैं आपकी सराहना करता हूं। लेकिन एक बात का खेद भी है। जब हमारे पक्ष के लोगों के उस एस.पी. के सस्पेंशन की मांग की और वे गये। मैं नहीं जाना चाहता था, मैं यहां बैठा हुआ था लेकिन बड़े दुःखी मन से अपने आपको रोकता हुआ मैं भी गया। मन रो रहा था कि सही नहीं बोल रहा है तू, डरपोक है तू, उठकर जा रहा है, मगर हम गये। उसी दिन बोलना चाहता था जो अभी आपसे निवेदन किया, मगर दुःख की बात यह है कि + + +

मैं आपसे कहता हूं, महात्मा गांधी ने कहा था कि आत्महत्या करना कायरता का संकेत है। मैं सभी समुदायों की, सभी धर्मों

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भरत सिंह)

की इज्जत करता हूं। एक मुनिजी ने अपनी आत्महत्या कर ली, पूरे प्रकरण की जांच पर प्रश्नचिन्ह लग गया और दबाव बढ़ा इस सदन के ऊपर। अगर हम इस प्रकार की दबाव की स्थिति में आकर काम करेंगे और इस प्रकार के निर्णय सदन में होते हैं, तो यही नतीजा होगा कि समाज के अन्दर झगड़े होते हैं।

मैं गृह मंत्रीजी से एक प्रश्न करता हूं। आज लोग मांग कर रहे हैं कि एस.पी. को बहाल किया जाए, उसको क्यों सस्पैंड कर दिया। हाड़ौती में एक कहावत है, जिस इलाके से मैं आता हूं उसमें एक कहावत है कि सरकार ने रीछड़ी के पैर पकड़ लिये। एक जंगल में एक आदमी कुछ काम से गया था तो रीछ पीछे पड़ गया। वह रीछ के डर से भागा तो रीछ उसके पीछे दौड़ा। वह एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रीछ ने उसको पकड़ने के लिये पेड़ के पीछे से पांव बढ़ाकर ऐसे किया तो उस आदमी ने रीछ के पैर पकड़ लिये। अब रीछ उसको खा तो नहीं सकता था मगर वह रीछ को छोड़ भी नहीं सकता था। तो सरकार ने रीछ के पैर पकड़ लिये। अब रीछड़ी के पैर सरकार छुड़ाये कैसे? इसका तरीका है मगर उसके लिये, उपाध्यक्षजी, गृह मंत्रीजी में दम चाहिए। आप इधर-उधर किसी से न पूछें, अपने मन से पूछें कि सत्य क्या है। गृह मंत्रीजी, उस प्रकरण की सब सही बातें आपकी जानकारी में थीं। सरकार रीछड़ी से पैर छुड़ाना चाहती है तो उस एस.पी. को बहाल करिये और अपने आपको सस्पैंड करके त्यागपत्र दीजिए, तब जाकर राजस्थान में व्यवस्था कायम होगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जालौर जिला जो आम तौर से बहुत शांतिप्रिय जिला है, दुर्भाग्य से पिछले 4-5 दिनों से आक्रोश का शिकार बना हुआ है और आक्रोश और अशांति के माहौल के कारण से ही हमारी विधान सभा में चर्चा का विषय बना हुआ है।

परसों मैं जालौर चला गया था और कल दिन भर में जालौर में रहा। अलग-अलग लोगों से मैंने बातचीत की, अलग-अलग स्थानों का मैंने दौरा किया और जो कुछ भी वहां पर अभी महौल बना हुआ है उसके बारे में मैंने स्थिति का अध्ययन किया। यह सारा जो कुछ भी हुआ और हो रहा है उसका मुख्य कारण तो सरकार का जो निर्णय था एस.पी. के निलम्बन के आदेश का, वह है। अब किन हालात में सरकार को एस.पी. का निलम्बन करना पड़ा, क्यों किया, कैसे किया, मेरे ख्याल से इस के बारे में ज्यादा चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ हमारे सामने हुआ। बहुत-से माननीय सदस्य इसी सदन में निलम्बन की मांग कर रहे थे, कुछ साथ में और भी जोड़ रहे थे। जबकि मामला एक कानूनी प्रक्रिया का था। कानूनी प्रक्रिया के बारे में बहुत से माननीय सदस्य जानते नहीं हैं, जिनको कानून की जानकारी

(श्री भगराज चौधरी)

नहीं है। वे लोग भी उस प्रक्रिया से हटकर सरकार से मांग कर रहे थे। सरकार को चाहिए था कि सारी स्थिति के अध्ययन के बाद ही, कानूनी प्रक्रिया को समझते हुए, उसकी पालना करते हुए कोई निर्णय लेती। परन्तु जैसा भी हुआ, मैं समझता हूं उसके लिये हमारे गृह मंत्रीजी बहुत दोषी हैं। बिलकुल ठीक कहा कि किसी एक प्रकरण के अन्दर तो आप तुरन्त जयपुर शहर की नाकाबंदी करके, बिना मेडिकल एक्जामिनेशन की रिपोर्ट प्राप्त किये, बिना 106 सी.आर.पी.सी. के अन्दर बयान लिये ही सारे मुलजिमों की घेराबंदी करके, ताबड़तोड़ शाम से पहले-पहले सबको तालाबंदी करके जेल में डालना चाहते हैं और दूसरी तरफ अगर पुलिस एजेंसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए एविडेंस भी अगर जोड़ने का प्रयास कर रही है या सचाई मालूम करने का भी प्रयास करती है तो मेरे ख्याल से हम नहीं चाहते कि उसकी सच्चाई तक पहुंचे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। खैर, जो भी हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अब जो भी हालात बन गये हैं उनका मुख्य कारण यह है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वह बहुत ही गलत निर्णय लिया है, किसी दबाव में लिया है। कैसे लिया, क्यों लिया, मेरे ख्याल से इस बारे में हम तो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, मगर जनता इतनी जागरुक हो चुकी है, इतनी सजग हो चुकी है, पोलिटिकली और न्यायपूर्ण प्रक्रिया को समझते हुए कि वह यह महसूस कर रही है कि सरकार ने जो निर्णय लिया था एस.पी. के निलम्बन का, वह बिलकुल आर्बिट्रेरी है, गलत है। जनतंत्र की प्रणाली की जब सरकार हो तो आखिर में हमारा आर्डिनेंस देने वाली जनता होती है और जनता महसूस कर रही है कि इस आदेश को हमें वापस करना चाहिए। जालौर शहर, जालौर शहर के आसपास जो बड़े-बड़े कस्बे हैं उनमें, तख्तगढ़ में, पाली जिले के शहर फालना में, बाली में, सादड़ी में, सिरोही में और बड़े-बड़े काफी कस्बों के अन्दर में समझता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर जन-आक्रोश उभरा हुआ है। उसमें एक समुदाय तो अलग है और बाकी सारे समुदाय के लोग अलग हैं। अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं है। आज शहर में दूध का आना बंद कर दिया, सब्जियां आनी बंद कर दीं, यातायात के साधन बंद करवा दिये, आना-जाना रुक गया, सरकारी कार्यालयों का काम ठप्प कर दिया। एक ऐसी विषम स्थिति बन गयी कि पता नहीं किस समय क्या स्थिति बन पड़े।

(14.00)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री भगराज चौधरी : कल जो भी हुआ उसमें एक आदमी की जान चली गयी, दूसरा आदमी गम्भीर रूप से घायल हो गया। कुल मिलाकर 150 व्यक्तियों के चोटें आयीं। उसमें से करीबन 100 व्यक्ति उनमें से थे और चालीस-पैंतालीस आदमी पुलिस के थे।

श्री उपाध्यक्ष : कासनियांजी ! अब आप बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, गृह मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी, भाभड़ा जी, मुख्य मंत्री तो हैं नहीं, आप पर जिम्मेदारी है, आप मेहरबानी करके ऐसा कोई रास्ता निकालिये जिससे जालौर जिले का जो आक्रोश है वह फैलते-फैलते पाली, सिरोही, जालौर की सीमा को पार करते-करते जोधपुर और दूसरे जिलों में नहीं फैल जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये। समाप्त करिये। समाप्त करिये।

श्री भगराज चौधरी : इसमें कोई जाति विशेष का मामला नहीं है, किसी पार्टी विशेष का मामाला नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं ने फैलाया है, मैं यह भी नहीं कह सकता कि किसी जाति विशेष के लोगों ने फैलाया है मगर जन आक्रोश ऐसा फैला गया है जिसमें छोटे-मोटे, सारी ही पोलिटिकल पार्टीज के आदमी हैं। उसमें अधिकतर भाजपा के लोग हैं, साथ में कुछ दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं लेकिन सभी लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू करिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप जोर से बोलिये।

श्री भगराज चौधरी : इसलिए अच्छा तो यह होगा कि आपने जो इन्क्वायरी दी है डिवीजनल कमिश्नर को इसकी, इस इन्क्वायरी को जल्दी कम्प्लीट करवाइये और कम्प्लीट होने के पश्चात् आप आज शाम तक उसकी रिपोर्ट मंगवा लीजिये। मंगवाने के पश्चात् अगर हो सके तो शांति और अमन-चैन कायम करने के लिये, आम जनता के हित को देखते हुए जिले में शांति कायम करने के लिये और यह आक्रोश की आग दूसरे जिलों में नहीं फैले इसके लिये आपको एस.पी. के निलम्बन के आदेश को रिवोक करना चाहिये। यह उनकी मांग है, मेरे ख्याल से ठीक भी है। क्योंकि जैन समाज के लोगों ने जैन मुनि की हत्या को लेकर के उनका दाह संस्कार करना रोक दिया था, उनकी मुख्य मांग यह थी कि एस.पी. का तबादला कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आखिर आपको कितनी बार कहना पड़ेगा? अब समाप्त करें। अब अंकित नहीं होगा।

श्री भगराज चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। माननीय कासनियां साहब, बोलिये, आपका समय जा रहा है।

श्री भगराज चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : वह अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। मैं बारबार माननीय सदस्य को निवेदन कर रहा हूं,

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

आप बिराजिये। वह अंकित नहीं हो रहा है। आपका अंतिम निवेदन अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भगराज चौधरी : XXX

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, भीनमाल और जालौर में जो भी घटना घटी है वह बड़ी दुःखदायी है। वहां का वातावरण दुषित क्यों हुआ, इसमें कुछ हद तक इस सदन की भी अहम भूमिका है। जब भी हमारे सामने इस तरह के संवेदनशील मुद्दे आते हैं, उस समय हम बिना सोचे, बिना समझे और बड़े जोर-जोर से इस हाउस में उठाते हैं और हमारी उठायी हुई बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से जनता तक पहुंचती है। उपाध्यक्ष महोदय, जनता यह मान लेती है कि हमने जिन सदस्यों को चुन कर विधान सभा में भेजा है वे वहां पर बिलकुल सच बोलते हैं। जबकि हम बिना जानकारी के, बिना तथ्यों के, भावना में बहकर हमारे सामने जो भी बात आये झूठी-सच्ची, उसके आधार पर इस हाउस में बोल देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस एफ.आई.आर. लेते वक्त अगर किसी मुस्तगीस से यह पूछ ले थोड़ी ताड़ना करके कि सच्चाई क्या है, आप साफ-साफ बताओं तो पुलिस पर मार पड़ती है कि मुस्तगीस को पुलिस ने धमकाया। एफ.आई.आर. दर्ज होने के तुरन्त बाद, एक ही दिन में हम पुलिस से नतीजा मांगते हैं कि मुलजिमों का क्या हुआ और दूसरी तरफ हमारे जो नियम, कानून-कायदे बने हुए हैं, पुलिस मुलजिमों को पीट नहीं सकती, ताड़ना नहीं दे सकती। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के पास हाथ जोड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है। कोई मुलजिम अगर पकड़ा भी जाए और उससे जांच करनी है तो पुलिस उसके आगे हाथ जोड़कर यही कह सकती है कि आप सच-सच बता दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई मुलजिम हाथ जोड़ने से सच्चाई थोड़े ही उगलेगा? उसके लिये तो डण्डा ही –

श्री उपाध्यक्ष : हाथ जोड़ने का असर तो पड़ता है। ऐसी बात नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनियां : हाथ जोड़ने से मुलजिम कभी भी अपना जुर्म स्वीकार नहीं करता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : हाथ जोड़-जोड़ कर आप जीत गये।

श्री रामप्रताप कासनियां : हाथ जोड़-जोड़ कर मैं जीत गया, सब जीत गये, ठीक है। + + + तो ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : + + + आपके सामने?

श्री रामप्रताप कासनियां : + + +

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दोनों में से एक तो चुप रहिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस तरह के मामलों में हमें जांच करने के लिये पुलिस को समय देना चाहिये। बिना समय के हम कुछ रिजल्ट नहीं ला सकते। पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो दो मिनट में यह पता लगा दे कि यह मुलजिम है, यह तेजाब कहां से आया, यह फिनिट कहां से आयी। पुलिस को इस तरह की जांच करने के लिये समय की आवश्यकता होती है। विशेषकर जब यह सदन चलता है तब तो हम 107, 51 पर ही यहां पर बोल जाते हैं, बड़े ही खेद का विषय है, जब कि हमें अच्छी तरह से पता है कि इस हाउस के अन्दर बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जांच के बिना हम यहां न दण्ड दे सकते हैं, न हम किसी को अरेस्ट करवा सकते हैं, दबाव जरूर कायम कर सकते हैं। हमारी जो यहां की बोली हुई भाषा है, उसके दबाव में, हाउस का माहौल देखकर उलटी कार्यवाही जरूर हो सकती है, सच्चाई सामने नहीं आ सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जातिवाद की बात कही गयी। मेरी सोच अलग है। हम जो सदस्य इस विधान सभा में चुन कर आते हैं, मान लीजिये, मेरी जाति के वोट मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिलकुल ही कम हैं और कोई दूसरी जाति के साथ मेरी जाति का टकराव हो गया और वहां पर वोट कोई दूसरी जाति के हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो मैजोरिटी में जाति है उसके पक्ष में बोलूंगा, न कि मैं मेरी जाति के पक्ष में बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ज्यादातर माननीय सदस्य जो अपने क्षेत्र में ज्यादा जाति है, ज्यादा वोट है, उसके पक्ष में बोलते हैं। हो सकता है कि एकान्त में बैठकर के कोई जाति पर बात कर लें सामाजिक बन्धन के अन्दर या दूसरी तरह से, लेकिन यहां पर इस हाउस में मैंने ज्यादातर यही देखा है कि जो भी माननीय सदस्य बोलता है वह वोट के दबाव में बोलता है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : नहीं, हम नहीं बोलते।

श्री रामप्रताप कासनियां : मेरी सोच बतायी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी बात मानें। यह मेरी सोच है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इस तरह की सोच है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर उस दिन भीनमाल के विषय को लेकर, एस.पी. के मामले को लेकर प्रतिपक्ष वाक आउट नहीं करता तो आज सदन की स्थिति कुछ और ही होती, यह सदन आज चलता ही नहीं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या किया प्रतिपक्ष ने? आपने ट्रांसफर किया था। आप प्रतिपक्ष को आरोपित नहीं करें। अपने गुनाहों को छिपाने के लिये प्रतिपक्ष को आरोपित नहीं करें। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, एम्फोर्ट के मामले में सारा हाउस आन्दोलित था, उस वक्त दे दिया होता इस्तीफा। इम्फोर्ट के मामले में कितना बोले

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

थे हम लोग, उस दिन दे दिया होता इस्तीफा, अगर हमारे कहने से ही करते हो तो सब काम _ (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना इतना है कि उस दिन वाकआउट नहीं हुआ होता तो आज शोर-शराबा ज्यादा होता और मेरी इस तरह की मान्यता है कि आज हाउस चलता ही नहीं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह मजबूरी है। उस दिन हमारे दिमाग में यह बात नहीं थी कि इस तरह की घटना घटेगी, जालौर बंद होगा। बड़े ही खेद के साथ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी एक गरीब की वहां पुलिस की गोली से हत्या हुई है, सरकार को उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जालौर की जनता से और इसमें सिरोही को भी शामिल किया जा रहा है, कई जिलों के नाम लिये जा रहे हैं, राजस्थान की जनता से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भावनाओं में बहकर कहीं हम आपस में ही खून-खराबा नहीं कर लें, हमें बहुत सोच-समझकर निर्णय लेना है। इन तथ्यों में जो कुछ होना है, जो रिजल्ट आना है वह जांच से आएगा, न कोई जालौर बंद से आएगा, न सिरोही बंद करने से आएगा। जनता को भी भावना में नहीं बहना चाहिए और हम जो सारी बात यहां बोलते हैं उसको सच मानकर भी पब्लिक को एक्शन नहीं लेना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैंने काफी देर से हाथ उठाया था जब से अध्यक्ष महोदय थे। नेता महोदय के बाद स्थिति बोलने की नहीं रहेगी, एक मिनट के लिए बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा प्रतिपक्ष बोल रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, इसके बाद बोल नहीं पाएगा।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था। नेता महोदय के बाद मैं क्या बोलूंगा? पहले मुझे दो मिनट का टाइम दे दिया जाए, मैं इससे मिलती-जुलती मेरी बात कहूंगा। ऐसी ही परिस्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट हम को भी देना।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने आज वक्तव्य दिया है। जालौर में जो अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा हुआ है और कानून और व्यवस्था की स्थिति जालौर जिले में, आसपास के जिलों में काफी संवेदनशील है, इस सम्बन्ध में मैंने एक वक्तव्य की उनसे प्रातः मांग की थी सदन के प्रांगण में, उन्होंने यह वक्तव्य दिया है।

(श्री परसराम मदेरणा)

आज माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार रखे। 11 तारीख को जैन मुनि लोकेन्द्रजी की अखबार मे पहले बलात्कार की खबर आयी और उसके बाद दूसरे दिन आत्महत्या की खबर आयी 11 तारीख को। ये ऐसे विषय थे कि इस सदन के दोनों तरफ माननीय सदस्यों ने जो जैन समुदाय की भावनाएं उद्वेलित हुई थीं, उनको ठेस लगी थी उस मुद्दे को लेकर यहां पर सदन में चर्चाएं की हैं। मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने भी अपने विचार रखे, काफी वेदना के साथ रखे, प्रतिपक्ष के लोगों ने भी विचार रखे। दोनों तरफ के मन्तव्य यहां पर आये हैं।

मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसा कि महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी किया है कि प्रतिपक्ष की एक अपनी भूमिका रहती है। जब हमने देखा कि एक सिचुएशन ऐसी बनती हुई चली जा रही है, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जिसके ओवरफ्लोज पूरे राजस्थान में और राष्ट्र में इस अंत्येष्टि के नहीं होने से हो रहे हैं, इसका कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है और अभी पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य और सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि प्रतिपक्ष ने यह मांग की थी। प्रतिपक्ष ने मांग की थी, प्रतिपक्ष ने इसलिए मांग की थी कि प्रतिपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों की यह मांग थी। मैंने आपसे एक बात यहां पर इस सदन के अन्दर कही थी जो किसी माननीय सदस्य ने नहीं कही, कि जैन साधु को गिरफ्तार कर पुलिस ले गयी और ले जाने वाला राज्य का अधिकारी डीवाई.एस.पी. था तो डीवाई.एस.पी. का ट्रांसफर करने की मांग हमने तो नहीं की थी। लेकिन डीवाई.एस.पी. का ट्रांसफर राज्य सरकार ने किया। गृह मंत्रीजी, आपने जब डीवाई.एस.पी. का ट्रांसफर किया तो निश्चित तौर पर किसी भी विवेकशील आदमी के दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि डीवाई.एस.पी. ने जो कुछ भी किया है, संवतसरी के रोज वहां पर गया है, यह उसने गलती की है इसलिए राज्य सरकार ने उसका वहां से स्थानान्तरण किया। यह बात भी इस सदन में आयी कि यह डीवाई.एस.पी. उपासरे में एस.पी. के निर्देश से गया था। एस.पी. यहां से महिला को लेकर गये थे। मैं इस सदन में पहले कह चुका हूं, एक दफे नहीं दो-तीन दफे कह चुका हूं कि यह सदन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। यहां पर हास्टल के बलात्कार के मामले को लेकर जुडीशियल कमीशन बैठाने की मांग माननीय सदस्यों ने रखी थी उसको भी मैंने उचित नही समझा था, क्योंकि जुडीशियल कमीशन किसी भी फौजदारी केस के अन्दर कल्प्रिट्स को कानून के हवाले नहीं कर सकता। यहां पर आपने यह मांग भी की थी कि एस.पी. का स्थानान्तरण कर दिया जाए। मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य से जरूर ऐसा प्रतीत हआ कि उनके सामने पहले एक मांग आयी फिर दूसरी मांग आयी, जो उन्होंने स्वीकार कर ली। यहां पर दोनों तरफ से माननीय सदस्यों के जो विचार

(श्री परसराम मदेरणा)

आये, प्रतिपक्ष ने तो वह भावना सरकार के सामने रख दी जैसा कि गृह मंत्रीजी जानते हैं, मैं ऐसा सोच रहा था कि इसमें पुलिस आफिसर्स की गलती है या नहीं है इसकी राजस्थान के किसी सीनियर मोस्ट आई. ए. एस. आफिसर से जांच करा ली जाए ताकि थोड़ी-बहुत भी उनकी गलती रही है तो निश्चित तौर पर उनको सजा दी जानी चाहिए और वह जल्दी हो जानी चाहिए। मैंने एक रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर की बात रखी थी, लेकिन जब मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैंने जांच के आदेश डिवीजनल कमिश्नर से दे दिये हैं तो भी मैं सैटिस्फाइड था कि ठीक है। ताकि दो-तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट आ जाती है तो तथ्यों की जानकारी हो जाए और उसी के आधार पर सरकार आगे निर्णय ले सके।

कौन किसके दबाव में आया? यहां पर प्रतिपक्ष ऐसा नहीं करता तो स्थिति दूसरी होती। हमने जुडीशियल कमीशन की मांग की थी क्या? जुडीशियल इंक्वायरी की हमने तो कोई मांग नहीं की। यह तो मुख्य मंत्रीजी ने यहां जब हाउस में आकर उसकी घोषणा की तो हमें मालूम हुआ कि जुडीशियल इंक्वायरी की मांग भी कोई मांग थी और उसको स्वीकार कर लिया। हमने नहीं की।

आज इस सदन के अन्दर इन घटनाओं के होने के बाद यह बात निश्चित है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, निश्चित तौर पर यह रिएक्शन हुआ है। इस रिएक्शन होने के अन्दर आज कुछ बातें और छिपायी जा रही हैं, चाहे दबाव में छिपायी जा रही हैं, चाहे सत्य बात कहने के अन्दर हिचकिचाहट है। क्या यह सही नहीं है कि 11 तारीख की शाम को मुख्य मंत्रीजी ने एक बात और कही थी यहां पर और मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य से पहले गृह मंत्रीजी, आपके सामने प्रतिपक्ष की तरफ से मैं मांग रख चुका था। मुख्य मंत्रीजी ने सस्पेंशन की मेरी मांग को स्वीकार नहीं किया इसलिए प्रोटैस्ट में मैंने वाक आउट किया। वह जो किया वह मैंने मेरे उत्तरदायित्व को और मेरे प्रतिपक्ष के धर्म को निभाया है। इसमें आज मुझे कोई गिला नहीं है। लेकिन आप यह समझ रहे हैं कि जो कुछ भी वहां पर हो रहा है इसके पीछे कुछ लोग नहीं हैं, कुछ एलीमेंट्स नहीं हैं, वे नहीं करवा रहे हैं तो यह बात आप बिलकुल छिपा रहे हैं और यह छिपानी नहीं चाहिये।

प्रशासन को जिस मुस्तैदी से कानून और व्यवस्था की स्थिति जालौर में सम्भालनी चाहिये, गृह मंत्रीजी, आपने 13 तारीख को नहीं सम्भाली। 13 तारीख की रात को धारा 144 लगा दी। उसके पहले पथराव हुआ। पुलिस का रिसेंटमेंट है उसकी भी आपको जानकारी थी। सब तथ्य सदन के अन्दर रखने चाहिये थे, वे आपने नहीं रखे। शायद इसलिए नहीं रखे होंगे कि जो इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी है, वह निश्चित तौर पर किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। फैक्ट्स क्या हैं यह रखने में, दूसरी तरह का सोचने का लोगों का दिमाग बन जाता है, सबके सामने आने से।

92

(श्री परसराम मदेरणा)

राजस्थान पत्रिका और नवज्योति ने कहा कि तेजाब पी लिया तो क्या तेजाब पी लिया और तेजाब पिला दिया उनको? उन्होंने सुनी-सुनाई बातों को सामने रखा, यह भी इन्वेस्टीगेशन का मैटर है। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने 11 तारीख की शाम को यहां पर एक बात कही थी। चलिये, आप यौन शोषण की बात भी छोड़ दीजिये, उत्पीड़न की बात भी छोड़ दीजिये, बलात्कार की बात छोड़ दीजिये लेकिन उन्होंने राजनैतिक शोषण की बात कही। उस वक्त मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि राजनैतिक शोषण मत कीजिये। ऐसे मामले में उन्होंने बात नहीं मानी थी। उसी दिन प्रातः आपके ऊपर क्या दबाव आ गया कि जिस बात को, जिस मांग को आप नहीं मान रहे थे 11 तारीख की शाम को, 12 तारीख को उसको आपने स्वीकार किया? मुख्य मंत्रीजी ने मुझे बुलाया था। उप मुख्य मंत्रीजी ने मुझे आकर कहा था और मुझे कोई गलतफहमी भी नहीं है, उसके पहले कैबिनेट सब-कमेटी की या दूसरी तरह की मीटिंग आपके हुई है प्रातःकाल। मुख्य मंत्रीजी ने मुझे बुलाकर यह कहा था कि सिचुएशन इस तरह की डवलप हो गयी है और इस सिचुएशन को डिफ्यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा डिफ्यूज कीजिए नहीं तो और ज्यादा स्थिति खराब होगी। उसके बाद में हाउस में आकर इन्होंने यह घोषणा की। उसके पहले वहां घोषणा हो चुकी थी पब्लिक मीटिंग में। मुझे जानकारी मिली है भीनमाल से 11 बजे......

श्री राधेश्याम गंगानगर : सुबह क्या, 8 तारीख को ही हो गयी थी।

श्री परसराम मदेरणा : अब मुझे 8 का तो पता नहीं, मुझे जानकारी मिली है कि पब्लिक मीटिंग में हुई है।

अनूप मण्डल की मुख्य मंत्रीजी ने बात कही। अनूप मण्डल कब से स्थापित हुआ है, मुख्य मंत्रीजी ने उसके पूरे इतिहास को पढ़ा है। उन्होंने भी एक जाति विशेष के खिलाफ आन्दोलन चला रखा है। कल अनूप मण्डल ने जगह-जगह अपने ज्ञापन दिये हैं और उसके कार्यकर्ता काफी सक्रिय हुए हैं। चाहे दुर्गावाहिनी हो, चाहे अनूप मण्डल हो, मैं ऐसा सोचता हूं, मुख्य मंत्रीजी, कि जालौर में कल और परसों जो उपद्रव हुए हैं ये इस तरह का स्वरूप ले रहे हैं ताकि जातीय वैमनस्य बढ़े। यह इस सदन का दायित्व है, सदन के ऊपर गहरी जिम्मेदारी है। हम सबको सामूहिक प्रयत्न करना चाहिये कि इस तरह के जातीय तनाव से भाईचारा और जो सद्‌भावना है उसमें दरार नहीं पड़े। सेक्यूलरिज्म का मतलब बिलकुल साफ है, छोटे स्वरूप में इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते कि किसी को भी किसी के खिलाफ वैमनस्यता फैलाने का या विषवमन करने का कोई अधिकार नहीं है।

दूसरा आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, जिन सरकम्स्टांसेज में सरकार को एस. पी. को सस्पैण्ड करना पड़ा इस मुद्दे को लेकर राज्य का सभी तरह का जो प्रशासनिक वर्ग है वह अलग दिशा में सोचने का अगर विचार कर लेगा तो कभी

(श्री परसराम मदेरणा)

लोकतन्त्र में सरकार लॉ एण्ड ऑर्डर की ट्रेंकुलेट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती। सरकार घुटने नहीं टेक सकती। सरकार को कानून और व्यवस्था को लागू करने के लिये कई दफे अप्रिय निर्णय भी लेने पड़ते हैं। आज जो स्थिति बनी हुई है, मुझे मालूम नहीं कि आपके पास कोई समाचार आये या नहीं आये। स्थिति आगे बिगड़े नहीं और आगे इसका प्रसार नहीं हो, इसके लिये मैं इस सदन के मार्फत पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को जातीय वैमनस्यता का स्वरूप नहीं दें। सामाजिक सौहार्द को बनाये रखने में हरेक विवेकशील नागरिक का कर्तव्य बनता है और हरेक राजनैतिक दल का भी यह फर्ज बनता है। यह आन्दोलन एक मांग को लेकर चल रहा है कि जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया, वह रद्द कर दिया जाए और जिनको सस्पैण्ड किया गया है उनको रिइंस्टेट कर दें। यह मांग है।

आज की परिस्थिति में यह इस सरकार के सोचने की बात है कि वह क्या निर्णय लेना चाहती है। किसी जांच के बाद में वह निर्णय लेना चाहती है अथवा आज जो कुछ भी वहां का वातावरण बना है उस वातावरण को डिफ्यूज करने के लिये कोई निर्णय लेना चाहती है? यह सरकार के विवेक के ऊपर है क्योंकि हमारी बात भी आप मानते तो हैं नहीं। एम्फोर्ट के मामले में हम तो सी. बी. आई. जांच चाहते थे, आपने मानी बात? साढ़े चार महीने एजीटेशन चलाया था यहां पर। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह कभी नहीं कि हमने मांग नहीं रखी। प्रतिपक्ष ने मांग रखी लेकिन उस वक्त उस मांग को आपने स्वीकार नहीं किया और राजनीतिक शोषण किया है। इसका मतलब यह है कि निष्पक्ष तौर से हाउस में कोई भी मांग आती है, सरकार उससे प्रभावित नहीं होती, सरकार गुण-दोषों के आधार पर, मैरिट के ऊपर किसी मुद्दे के ऊपर निर्णय लेती है। अब इस सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या सोचा है? क्या प्रारूप बनाया है? जैसे सदन में अभी माननीय सदस्यों के मन्तव्य आये हैं, मैं यह बात तो निश्चित तौर पर कहूंगा कि सरकार पूर्व अनुमान लगाने में असफल रही है, अभी जो एज इट इज हुआ था उसका भी पूर्वानुमान लगाने में असफल रही है और पहले भी असफल रही है। इसलिए जो आज स्थिति है इसका सही आकलन किया जाना चाहिए और सही आकलन करने के बाद सरकार को निश्चित तौर पर जो राज धर्म है उसकी पालना करनी चाहिए। सरकार को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी कई बार इस बात को कह चुके हैं, कई बार दोहरा चुके हैं कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा राज धर्म है। पहले जो कुछ भी स्थिति बनी, इसके ऊपर किसी का दबाव था या नहीं था या स्वयं सरकार ने सामूहिक रूप से जोइंट रेस्पांसिबिलिटी से निर्णय लिया, लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कह

(श्री परसराम मदेरणा)

रहा हूं कि सरकार को घुटने टेकने वाली बात नहीं करनी चाहिए। सरकार को निर्णय वह लेना चाहिए जो आम जनता के हित में हो। लोकतन्त्र में हम हमेशा वही निर्णय लेते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य अभी यहां कह रहे थे, सुखाड़ियाजी ने जन भावना के सामने अपने आपको नत-मस्तक किया। जो आज स्थिति बनी है सस्पेंशन के बाद में, आप उसका सही आकलन करके जो निर्णय लेंगे उस निर्णय से तनाव आगे नहीं जाए, जाति वैमनस्यता नहीं फैले, सद्भाव और भाईचारे की स्थापना हो। उसको स्थापित करने में आप चाहे तो हमारा सहयोग मांगे, प्रतिपक्ष निश्चित रूप से ऐसी स्थिति बनाने में आपको सहयोग देगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रति इस बात के लिए आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने इस गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में अपने विचार बहुत ही ठीक प्रकार से रखे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि विधान सभा की कार्यवाही का प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। यह बिलकुल सही है कि जिस प्रकार का हम व्यवहार यहां करेंगे, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे या जिस प्रकार के विचार इस सदन में हम प्रकट करेंगे, उसका समाज पर निश्चित रूप से असर होता है।

यहां पर इस बात का उल्लेख किया गया कि सरकार ने दबाव में आकर इस प्रकार का फैसला किया है। दबाव के पीछे उन्होंने दो-तीन बातें बतायीं कि एक तो कटारियाजी ने या अनंग कुमारजी जैन ने सदन में जो व्यवहार किया, उसके कारण मुख्य मंत्री पर दबाव बढ़ा। यह सदन इस बात का साक्षी है कि इन दोनों के बोलने के पश्चात् ही मैंने अपना भाषण दिया था और उस समय एस.पी. को सस्पैंड करने की घोषणा नहीं बल्कि उनके स्थानान्तरण की घोषणा की थी। इस रूप में कोई यह समझे कि मैंने दबाव के कारण से कुछ किया है, वह उचित नहीं है। यह सही है कि दूसरे दिन एक जुलूस आया। उस जुलूस में हमारी पार्टी के भी सदस्य थे और आपकी पार्टी के भी अध्यक्ष उस जुलूस में शामिल थे। मांग तीन प्रकार की रखी गयी एस.पी. का स्थानान्तरण किया जाए, जुडीशियल इन्क्वायरी करायी जाए और उसके साथ ही धार्मिक स्थल पर पुलिस किस प्रकार से प्रवेश करे, इस सम्बन्ध में कोई नियन्त्रण रेखा तय की जाए। जिस समय जुलूस के सामने मैंने भाषण दिया उस समय मेरे साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ सदस्य थे। जो कुछ मैंने कहा उसके पहले उनसे बातचीत की, उसके बाद में विधान सभा में घोषणा की। घोषणा करने के पश्चात् मैं उस जुलूस से मिलने गया इसलिए दबाव का कोई प्रश्न नहीं है कि किसी के दबाव से किया। मेरे सामने कुछ प्रश्न थे जिन प्रश्नों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया। एक प्रश्न तो यह था कि जब उपासरे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में जाकर मुनिजी को पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस ले गयी, तो ले जाने के बाद उनको छोड़ा क्यों? मैं ऐसा समझता हूं कि वहां अगर मुनिजी को पकड़े ही रहते तो सही है कि कुछ विरोध होता। यह भी सही है कि कुछ तनाव बढ़ता लेकिन मुनिजी को आत्महत्या करने का मौका नहीं मिलता और आज जो वातावरण बना है वह वातावरण इस रूप में नहीं बनता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज मुनियों का जिस प्रकार का व्यवहार है, जिस प्रकार से वे त्याग तपस्या की मूर्ति बने हुए हैं, आज किसी एक मुनि ने दोष कर लिया तो मैं नहीं कहता, उसका भी अनुसंधान होगा, दोष कर लिया लेकिन दोष कर लिया तो पूरा जैन समाज उसके लिए दोषी नहीं हो सकता। आज मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने दोष कर लिया तो सारा परिवार या जाति उसके दोषी नहीं माने जा सकते। इसी रूप में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध कर ले, उस अपराध को लेकर हम पूरी जाति को एक्यूज करें या जाति से बदला लेने की सोचें, यह बिलकुल गलत परम्परा होगी और हमें इसको रोकना चाहिए। रोकने के प्रथम चरण के रूप में मैं विपक्ष के नेता ने जो बात कही उसको दोहराना चाहता हूं। विपक्ष के नेता ने कहा कि लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को मीट करने के लिए, शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उनकी तरफ से जो कोई भी अपेक्षा होगी उस अपेक्षा की पूर्ति करेंगे और उसमें सहयोग देंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज सब मिलकर हम राजस्थान की जनता से अपील करें कि इस प्रसंग के अन्दर कानून को अपने हाथ में नहीं लें। सारे सदन की अपील का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और लोग इस बात को सोचने के लिए विवश होंगे कि आखिर सदन के सब पार्टियों के नेताओं ने मिलकर इस प्रकार की बात कही है, सदस्यों ने मिलकर इस प्रकार की बात कही है। उस बात को लेकर मैं तो मानता हूं कि निश्चित रूप से असर पड़ेगा। इसलिए मैं यह मानकर चलूं कि यह सदन जनता को इस प्रकार की अपील करने को तैयार है।

दूसरा प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर है कि आज वहां एस. पी. का तबादला हुआ। मैं नहीं मानता कि केवल मात्र इसी के कारण से इस प्रकार की स्थिति बनी है। सस्पैण्ड करने की जो बात हुई है केवल उसके कारण से ही यह स्थिति पैदा हुई है, मैं यह नहीं मानता। मैं इस सदन के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एस. पी. के सस्पेंशन के मामले का प्रश्न होता तो जैन समाज टारगेट क्यों बनता? जैन समाज के मन्दिर टारगेट क्यों बनते? जैन समाज के व्यक्तियों की दुकानें टारगेट क्यों बनतीं? सरकार का ही विरोध करना था तो जैन समाज बीच में कहां आ गया? फैसला तो मैंने किया था, हमारी सरकार ने किया था उस सरकार का विरोध करने में जैन समाज को टारगेट बनाएं, मैं इसको उचित नहीं मानता। मैंने जिस समय उसको सस्पैण्ड किया उसके पहले इस सदन में मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि ट्रांसफर या कोई भी कार्यवाही, उसकी

(97)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

परिणति क्या होगी? मुझे मालूम था। आज आप कह रहे हैं कि आपने अनुमान नहीं लगाया सही प्रकार से, लेकिन मैंने अनुमान लगा लिया है। मैं यह समझता था कि सस्पेंशन या ट्रांसफर, यह कोई इश्यु नहीं है। मैंने कई और भी एस. पीज को सस्पैण्ड किया है, कई आई. ए. एस. ऑफिसर्स को सस्पैण्ड किया है, कई आर. ए. एस. और कई आर. पी. एस. ऑफिसर्स को सस्पैण्ड किया है, जनता ने उनकी बहाली की मांग भी की है जो उस मांग के उपरान्त भी मैंने नहीं किया लेकिन इस प्रकार का आन्दोलन नहीं चला। लेकिन यह आन्दोलन चला भीनमाल के जैन मुनि के प्रसंग में। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, जो जगह-जगह पर कलेक्टर्स को ज्ञापन दिये गये हैं उन ज्ञापन में वही लोग हैं जिन लोगों के बारे में मैं उनको भी कह चुका हूं कि जैन विरोधी गतिविधियां केवल इस आधार पर मैं सहन करने को तैयार नहीं होऊंगा कि जैन मुनि आते हैं वहां अकाल पड़ता है या जैन मुनि आते हैं तो जैनी हमारा शोषण करते हैं। इस आधार पर जैनियों के खिलाफ कार्यवाही करूं यह बिलकुल सम्भव नहीं है और इसलिये आपकी गतिविधियां यदि इस सम्बन्ध में फैलेंगी तो सरकार सख्ती से निपटेगी। मैं समझता हूं कि उसका असर हुआ। आज के दो महीने पहले कुछ लोग मेरे पास आये थे, आकर मुझे कहने लगे कि इस तरह की सारी स्थिति बनी हुई है। मैंने कहा कि यह सहन करने लायक नहीं है, इस प्रकार की यदि किताबें भी प्रकाशित होती हैं तो उनको जब्त किया जाए और इसके उपरान्त भी कुछ लोग जैन समाज को टारगेट बनाकर काम करना चाहते हैं तो उसको सख्ती से रोका जाए। वह उस समय रुक गया। रुकने के बाद अब यह स्थानान्तरण का मामला आया, भीनमाल में जैन मुनि का मामला आया। तो, जैन मुनि इसका आधार है, एस. पी. का निलम्बन आधार नहीं है, डीवाई. एस. पी. का ट्रांसफर इसका आधार नहीं है। आधार इस बात का है कि यह सब कुछ एस. पी. या डीवाई. एस. पी. की जो बात हुई है वह मुनि के कारण से हुई और जैन मुनि के कारण से हुई तो जैनियों के विरोध में जो वातावरण उस क्षेत्र में पहले से बना हुआ था उस वातावरण का लोगों ने लाभ उठाया। आज मैं पूछता हूं कि एस. पी. और डीवाई. एस. पी. के ट्रांसफर को लेकर किसको खुशी है और किसको दुःख है, यह मेरे समझ में नहीं आता। बहुत बार स्थानान्तरण होते हैं और स्थानान्तरण होते हैं तो मैंने इस प्रकार का कभी विरोध नहीं देखा। विरोध नहीं देखा इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एस. पी. का ट्रांसफर मसला नहीं है, डीवाई. एस. पी. का सस्पेंशन मसला नहीं है और डीवाई. एस. पी. का ट्रांसफर भी मसला नहीं है। मसला वह है जो भीनमाल में जैन मुनि के प्रसंग में उठा और उसके कारण से जैन विरोधी वातावरण बनाने की कार्यवाही की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यहां कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वहां आर्मी क्यों भेजी? आर्मी इसलिए नहीं भेजी कि पुलिस वाले काम नहीं कर रहे थे। मेरा अनुमान था कि यह गतिविधि यदि सख्ती से नहीं रोकी गयी तो यह गतिविधि बढ़ेगी। जैन समाज केवल एक क्षेत्र में नहीं, केवल जयपुर में हो या सिरोही में हो या जालौर में हो या भीनमाल में हो ऐसी स्थिति नहीं है। आज जगह-जगह इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाए तो वह राजस्थान के लिए एक संकट का कारण बनेगी। इसलिए कल भी मैंने उन लोगों से कहा कि एस. पी. को निलम्बन या डीवाई. एस. पी. का ट्रांसफर अलग इश्यु है, जैन विरोधी वातावरण राजस्थान में नहीं बनने दूंगा। मैंने जैन समाज के लोगों से भी कहा कि आपको प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिट्ठियां देने की आवश्यकता नहीं है। आपके जितने भी सम्पर्क के नॉन जैनी हैं उनसे आप बात करिये, उनको तसल्ली दिलाइये कि वे इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करें।

अब इस प्रसंग में कई बातें कही गयी कि एक आदमी मारा गया। मुझे दुःख है, मुझे उसके परिवार के प्रति सहानुभूति है। मैंने एक लाख रुपये मृतक के परिवार को देने की बात भी कही है लेकिन दो बातें मैं साफ कहना चाहता हूं आन्दोलन करना और भाषण देना। आप आन्दोलन करिये लेकिन आन्दोलन को कब रोका जाए, कैसे रोका जाए या आन्दोलन को विथड्रा कैसे किया जाए इसमें अच्छे-अच्छे नेताओं की हिम्मत नहीं होती। उसी प्रकार से जब हम भाषण देना शुरू करते हैं तो भाषण का अन्त कहां किया जाए उसमें वक्ताओं के सामने समस्या पैदा होती है। एक बार शुरू कर दिया तो शुरू करने के बाद में बन्द करना आसान नहीं है और इसी प्रकार से आन्दोलन करना और उस आन्दोलन को विथड्रा करना यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैंने उनका भाषण सुना। शायद विपक्ष के नेता को ध्यान होगा कि राजस्थान में गंगानगर जिले में, बीकानेर में, सीकर, झुन्झुनूं में एक किसान आन्दोलन चला था। उस किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में इस विधान सभा में हमने कई प्रकार की मांगें रखीं। तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री सुखाड़िया जी ने उन मांगों को मंजूर नहीं किया। आन्दोलन चला और चलते-चलते संगरिया में फायरिंग हुई। संगरिया की फायरिंग के बाद यहां विधान सभा में जब आया उसके पहले सुखाड़िया जी ने हम सबको बुलाया कि आपकी मांगें क्या हैं। हम बातचीत करने नहीं गये। बातचीत करने का सारी पार्टी का और संघर्ष समिति का यह मत था कि बातचीत इनसे नहीं, विधान सभा में आएं और विधान सभा में आये नहीं कि सरकार ने स्वतः ही सब बातों की घोषणा कर दी जिन बातों को लेकर आन्दोलन चल रहा था। जैसे मोदी जी बैठे हैं, मैं शायद इसी कुर्सी पर बैठा होऊंगा, यहां से मैंने सुखाड़िया जी को एक बात पूछी कि यह बात पहले आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मंजूर कर लेते तो शायद न तो आदमी मरते, न हजारों आदमी जेलखाने में जाते और न ही इस प्रकार का वातावरण तनावपूर्ण बनता। तो सुखाड़िया जी ने इसी स्थान पर कहा था कि जनमत के सामने झुकना किसी भी नेता का धर्म हो सकता है लेकिन जनमत का अनादर करना यह निश्चित रूप से जनमत की हत्या हो सकती है। यही बात कही थी। अब इस आधार पर आप यह बात करें कि आपने पहले हमारा कहना नहीं माना तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस जिम्मेदारी से भी बचने की तैयारी नहीं होनी चाहिए। आपने मांग की थी कि एस. पी. को सस्पैण्ड किया जाए, मांग पर डटे रहते। आज आप यह कहो कि अपोजीशन का तो धर्म है, जो चाहे सो ही हम मांग कर लें और जिस प्रकार से ही हम बोलें, तो मैं समझता हूं कि यह अपोजीशन धर्म नहीं है। अपोजीशन भी उतना ही रेस्पांसिबिल है, अपोजीशन भी उतना ही जिम्मेदारी के साथ काम करता है। इसलिए अपोजीशन यह कहे कि हमने मांग की थी और हमारी मांग मानी नहीं इसलिए हम वाक आउट कर गये और मेरे विरोध के कारण से यह आपने मांग की हो, ऐसी बात नहीं है। आपकी फीलिंग थी एस. पी. को सस्पैण्ड किया जाए, आपकी पार्टी की फीलिंग थी। आपकी पार्टी के अध्यक्ष दूसरे दिन जुलूस का नेतृत्व करके वहां से रवाना हुए। मतलब, पार्टी सारी ही यह चाहती थी। आज चूंकि तनाव बढ़ रहा है तो इस तनाव के वातावरण में हम उसे विथड्रा करना चाहें यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। जो कहा उसके ऊपर डटे रहना चाहिए। जो कहा वह आपने सरकार से करवा लिया। इसके लिए आपको ज्यादा अपनी ताकत का अनुभव होना चाहिए कि हमने कहा, सरकार ने आज नहीं माना तो दूसरे दिन ही सरकार को मानना पड़ा, ठीक है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा, 11 तारीख को आपने हमारी मांग को नहीं माना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं मानी, मैं खुद ही कह रहा हूं, नहीं मानी। दूसरे दिन मानी है लेकिन उस दिन नहीं मानी। आप उस दिन की मांग को कह रहे हैं कि अपोजीशन का धर्म है कोई भी मांग हो, करो, वह ठीक नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि दूसरे दिन आपने वाक आउट किया और वाक आउट करना मामूली बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह बात कही थी क्योंकि उस वक्त की जो स्थिति बनी हुई थी उस सिचुएशन के अन्दर अन्त्येष्टि नहीं हो रही थी। उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए हमने यह मांग की थी, यह मैं कह रहा हूं। आपने सब कुछ कर दिया कि आपकी वजह से हुआ है, इसके जिम्मेदार आप हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने हमारी मांग नहीं मानी थी। आप सुन नहीं रहे थे। इस प्रकार की जो बातें कही हैं वे निराधार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ किया है उसके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिए जिम्मेदार मैं हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहता।

श्री परसराम मदेरणा : हमने मांग की है तो हम कब कह रहे हैं कि हमने मांग नहीं की? हम भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि आप कभी गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं, कभी गुलाबचन्द जी कटारिया से इस्तीफा मांगते हैं। इस सदन का नेता मुझे सब लोगों ने विश्वास से बनाया है, जो कुछ भी एक्शन है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : जबरदस्ती बने हो, हमने तो नहीं बनाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने नहीं बनाया लेकिन आपकी कृपा जरूर रही है। आप भी समर्थन कर रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रसंग में मैं यह कहना चाहूंगा कि जालौर का एस. पी. था, जालौर की जनता की भावना हो सकती है कि हमारे एस. पी. को बदल दिया और अकारण ही बदल दिया लेकिन पाली जिले का तो एस. पी. नहीं था, सिरोही जिले का तो एस. पी. नहीं था, जोधपुर जिले का तो एस. पी. नहीं था, बाकी के जिलों का तो एस. पी. नहीं था। एस. पी. केवल जालौर जिले का था, आज जालौर के बाद में सिरोही में क्यों हो रहा है? पाली में क्यों हो रहा है? इसलिए मैंने एक बात कही कि अन्तरभावना कुछ और है और एस. पी. के इस सस्पेंशन की आड़ ली गयी है। यह मामला कोई सरकार तक सीमित नहीं है। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, बिलकुल सही है कि इस आन्दोलन में सब पार्टियां शामिल हैं वह चाहे कांग्रेस हो, चाहे बी. जे. पी. हो, चाहे हरिसिंहजी बोल रहे थे कि यूथ कांग्रेस और बाकी के सब शामिल हैं। आज यदि हम पार्टी के नाते, जिम्मेदार व्यक्तियों के नाते उनसे अपील करें तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी मांग उठायी गयी कि सी. बी. आई. से इन्क्वायरी करवायी जाए। आपको याद होगा कि इस विषय पर जब मैं बोल रहा था, 12 तारीख को उस समय मैं समझता हूं मैंने तीनों बातें कही थीं कि आप यदि जुडीशियल इन्क्वायरी करवाना चाहें तो मैं जुडीशियल इन्क्वायरी करवाऊंगा, आप यदि इसकी सी. बी. आई. से जांच करवाना चाहें तो सी. बी. आई. से जांच करवाऊंगा और आप यदि अन्य किसी अधिकारी से जांच करवाना चाहते हैं वह जांच मैं करवाऊंगा। लेकिन आपका रेस्पांस यह नहीं था कि मैं जुडीशियल इन्क्वायरी करवाऊं। यह रेस्पांस नहीं था कि मैं इसकी सी. बी. आई. से जांच करवाऊं। हालांकि मेरे मन में यह बात शुरू से ही थी और इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन रेज किया था कि इस मामले की जुडीशियल इन्क्वायरी हो जाए तो सारे तथ्य सामने आ जाएं और कोई आदमी यह शिकायत नहीं कर सके कि इस मामले में सरकार ने तथ्य छिपाये या लोगों ने किसी प्रकार के तथ्य छिपाये। इसी दृष्टि से मैंने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह प्रश्न पूछा था। उसका रेस्पांस नहीं था लेकिन मैं चाहता था कि इस मामले की जुडीशियल इन्क्वायरी हो।

श्री रामनारायण चौधरी : कितने वर्ष लगेंगे जुडीशियल इन्क्वायरी में? पता नहीं किसकी सरकार रहेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह दूसरी बात है। सरकार तो यही रहेगी, आप चिन्ता ही मत करो। उस उम्मीद के अन्दर कोई दूसरी मांग करो तो वह उम्मीद फालतू ही जाएगी।

सारे प्रसंग में अभी यहां एक प्रश्न आया कि साधुजी के पास पत्ती केसे पहुंची और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे पहुंचा। साधुजी जनता के बीच में रहते थे। साधुजी पर कोई पहरा नहीं था। कौनसी चीज आपको चाहिए जो सैन्ट्रल जेल में या तिहाड़ जेल में आपको नहीं मिलती हो? कोई चीज नहीं है जो नहीं मिल रही हो। लेकिन वह पहुंच गयी यह भी जांच का विषय है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे पहुंचा, किन लोगों ने पहुंचाया, यह पत्ती किसने पहुंचायी, यह पत्ती से हाथ के ऊपर जो कटने के निशान हैं वे किसने काटे या खुद ने काटे, वे कई बातें हैं जिनकी जांच होगी। यह मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि चाहे हत्या हो या आत्महत्या हो, दोनों प्रसंगों की पूरी छानबीन की जाएगी और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

श्री विष्णु मोदी : निष्पक्ष जांच होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निष्पक्ष रूप से, आप चाहो तो आपको लगा दूं। आप पर मुझे भरोसा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको लगाने पर तो लुटिया डूब जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं डूबेगी। यह आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। मैं जानता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो चीज इनको चाहिए इनके घर में पहुंच जाती है तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड कहां रहेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आज जितने मेरे पास ज्ञापन आये, कल सुबह जहां-जहां प्रदर्शन हुए और ज्ञापन निकाले गये उन ज्ञापनों में प्रमुख रूप से मांग यह की गयी है कि इनकी आत्महत्या के सम्बन्ध में जांच करवायी जाए कि हत्या है या आत्महत्या और हत्या के लिए कौन-कौन दोषी हैं। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई मेरा विरोध करे, कोई किसी तरह से करे मैं इस प्रसंग की भी गम्भीरता से जांच कराऊंगा। जांच कराने के सम्बन्ध में जो मेरे सामने तथ्य हैं मैंने पुलिस वालों को भी दिये हैं और जो तथ्य वहां से आ रहे हैं, किसी भी तथ्य को मैं छिपाऊंगा नहीं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सारे प्रसंग में हम थोड़ा-सा इस दृष्टि से विचार करें। आज कई माननीय सदस्य यहां बैठे हैं जो इसी बात की कोशिश में थे कि एस. पी. सस्पैण्ड हो जाए। इस बात के लिए उन्होंने कई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

साधु-संन्यासियों और मुनियों के पास भी एप्रोच की कि किसी तरह से आप सारे समाज को यह कहिये कि समाज उसके लिए आन्दोलित हो जाए। मैंने समाज के लोगों से भी कहा कि इसमें दो कारण हैं। वे कारण मैं भी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया हूं चूंकि सारा बेड़ा, सारी फ़ोर्स और इन्वेस्टीगेशन लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को कन्ट्रोल करने में लगा हुआ है इसलिए जितनी जानकारी हम कर सकते हैं उतनी जानकारी नहीं कर सकते। कोई ऑफिसर कहां खड़ा है, कोई ऑफिसर कहां खड़ा है, कोई वहां पर खड़ा है। ऐसी स्थिति में उन ऑफिसर्स से कहें कि आप कागज लेकर बैठ जाओ और कागज लेकर पहले मुझे सब बात की जानकारी दो। तो हमारे पास भी जितनी जानकारी होनी चाहिए, उस प्रकार की जानकारी अभी तक नहीं है।

यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, टियर गैस शैल्स के बारे में भी जिक्र किया गया। एक आदमी मरा है, मैंने आपको बताया, मुझे अफसोस है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आन्दोलन आपने भी किये हैं और हमने भी कई किये हैं, आन्दोलन जो करते हैं भगवान जाने वे कैसे बच जाते हैं और जो निरपराध आगे होते हैं, गोली के वही शिकार होते हैं। आप यह मत कहो कि जयपुर में आन्दोलन हुआ, फौज यहां थी, गोलियां चलीं 7 आदमी मरे। कोटपूतली में जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं था, तीन आदमी कोटपूतली में मरे। इस प्रकार से कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर आर्मी बुलायी गयी। आप यह मत कहो कि आर्मी पहली बार बुलाई गयी है। आर्मी जब भी पुलिस को सहायता की आवश्यकता होती है बुलायी गयी है। इस प्रसंग में सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन आर्मी जाते ही हमने डिप्लाय नहीं किया। आर्मी तो एक असिस्टेंस के लिए रहती है। यदि असिस्टेन्स के लिए मैं आर्मी नहीं बुलाऊं और वहां पर मामला ज्यादा बिगड़ जाए तो यही सदन मुझे कहता कि आपने टाइम पर 144 नहीं लगायी, आपने टाइम पर कर्फ्यू नहीं लगाया, आपने आर्मी को अलर्ट कर दिया लेकिन आर्मी को नहीं बुलाया। आर्मी को बुला लिया तो अब आर्मी को क्यों बुलाया? राजस्थान की पुलिस निकम्मी है क्या? राजस्थान की पुलिस ही कानूनी कार्यवाही कर रही है। आर्मी वहां मौजूद है। जिस समय पुलिस को आवश्यकता होगी कि आज हमें किसी तरह से मदद की आवश्यकता है आर्मी की, केवल वह उसी समय ली जाती है। बल्कि आर्मी के प्रसंग में भी कई बार ऑल इण्डिया कान्फ्रेंसेज में प्रश्न खड़े हुए कि आर्मी तो जिस ढंग से रहती है, वह तो कहती है कि टारगेट बताओ, हमको किस टारगेट पर शान्ति करनी है। वहां कोई शान्ति व्यवस्था का उल्लंघन तो उनका टारगेट बन जाएगा। तो इतना तो हम भी डरते हैं कि इन लोगों के हाथ में काम दे दिया तो इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। ये नेता लोग तो घरों में मिलेंगे और इनोसेंट आदमी उनकी गोलियां के शिकार हो जाएंगे। इसलिए इस

(१०२)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दृष्टि से आर्मी को बुलाना आवश्यक था और इसी दृष्टि से आर्मी हमने बुलायी। आर्मी बुलाने के साथ मैंने पुलिस को बार-बार यह कहा कि किसी भी कीमत के ऊपर फायरिंग नहीं होनी चाहिए। आप टियर गैस शैल्स का यूज करिये, टियर गैस शैल्स से आपका काम नहीं होता है तो रबर बुलेट्स आप काम में लीजिए/प्लास्टिक के बुलेट्स काम में लीजिए। इसके कारण से जब टियर गैस शैल्स ज्यादा इफैक्टिव नहीं हुए तो वहां पर पुलिस ने रबर के और प्लास्टिक के बुलेट्स चलाये। बुलेट्स चलाने के साथ ही जब भीड़ डिस्पर्स हुई, एक आदमी की हालत खराब थी उसको हास्पिटल ले गये, ले जाते, ले जाते उसकी मौत हो गयी। उस दृष्टि से ये सब चीजें आवश्यक हैं। मैं समझता हूं कई माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, वे कई वर्षों तक सत्ता

(15.00)

में रहे हैं। सत्ता में कभी यह क्वेश्चन नहीं खड़ा हुआ कि आपने आदमियों को क्यों बुलाया। सत्ता में कभी यह क्वेश्चन नहीं हुआ, हालांकि अपोजीशन में कई बार माननीय सदस्य बोलते हैं कि कितनी गोलियां चलायीं? गोलियां तो छिपाने का सवाल ही नहीं है। जितनी गोलियां चलती हैं वे सब अकाउंट फोर होती हैं। जितने टियर गैस शैल्स बर्स्ट किये जाते हैं वे भी सारे अकाउंट फोर किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में कितनी गोलियां चलीं, कितनी गोलियां नहीं चलीं, आर्मी को क्यों बुलाया, ये अगर मैंने प्रिकाशंस ले लिये तो कम से कम इसके लिये दोष नहीं दिया जा सकता है कि मैंने सिचुएशन का अनुमान नहीं लगाया। मैंने सिचुएशन का अनुमान जिस समय मैंने पहले दिन भाषण दिया था उस समय भी लगा लिया था और दूसरे दिन जिस समय सस्पेंशन का निर्णय लिया उस समय भी इस बात का अनुमान लगा लिया था कि यह स्थिति यहां तक आ सकती है। उसी स्थिति को रोकने के लिए मैं आप लोगों से सहयोग चाहूंगा कि एक समुदाय के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना पैदा नहीं हो और इस प्रकार की दुर्भावनाएं पैदा होती हैं तो उसको रोकने की हम कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां जे. सी. बोस हास्टल में जो सारी व्यवस्था हुई, उसके सम्बन्ध में भी कुछ प्रश्न उठाये गये और यह कहा गया कि एक तरफ 164 के बयान हो गये और दूसरी तरफ से 164 के बयान नहीं हुए। मैं आपको जानकारी दे जाऊं कि हमने प्रयत्न किया है कि उसके 164 के बयान हों। हमने मजिस्ट्रेट को लिखकर दिया। मजिस्ट्रेट ने उसके नाम सम्मन या नोटिस निकाला कि आपको 164 में बयान देने चाहिये। उनकी तरफ से आवेदन हुआ कि अभी मैं मानसिक या शारीरिक स्थिति में नहीं हूं कि 164 के बयान वहां दे पाऊं। इसलिए हमने हमारी तरफ से कोई कसर रखी हो, ऐसी बात नहीं है। मैं साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा, कोई माननीय सदस्य ने कहा कि 120 के नाम हैं, 90 के नाम हैं और ब्लैकमेल की बात है। ब्लैकमेल की बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं। बल्कि 161 में जो बयान दिये हैं, उन बयानों में और एफ. आई. आर. में जो तथ्य उल्लेख किये गये हैं उनमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। डिटेल्स में गयी है। किसी नये आदमी का उसमें नाम नहीं आया है। इसलिए किसी महिला पर यह आरोप लगाएं कि जो कुछ हुआ उसकी ब्लैकमेलिंग करने की बात हो रही है, यह मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, जो निर्दोष हैं उनको न पकड़ा जाएगा और न उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। यह मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं। इस एश्योरेंस के आधार पर आपको इस बात का विश्वास करके ही चलना चाहिये कि किस प्रकार की स्थिति का आज हम मुकाबला कर रहे हैं।

इस सदन में जैसे खैरथल से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है और पूनमचन्दजी विश्नोई ने जो बात कही है, उनका यह था कि विधान सभा में बलात्कार ही बलात्कार के ऊपर हम चर्चा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप स्वयं सोचें। मैं ऐसा समझता हूं कि सदन के नियम और पार्लियामेंट के नियमों में एक व्यवस्था है कि जो मामला अण्डर इंक्वायरी हो उस इंक्वायरी वाले मामले के सम्बन्ध में हम चर्चा नहीं करें, वरना डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली हम उस इंक्वायरी को इनफ्लुएंस करने की चेष्टा करेंगे। आज जो कुछ हम हाउस में बोलें, चाहे जे. सी. बोस का मामला हो, चाहे भीनमाल वाले मुनिजी का प्रकरण हो, जो बोलें, आखिर पुलिस में हों, चाहे मजिस्ट्रेट, वे सब इन्सान हैं। आप यह मत समझो कि वे भगवान हैं। आपमें से ही बनकर कोई मजिस्ट्रेट जाता है और कोई पुलिस अफसर जाता है और विधान सभा का सारा ट्रेंड देखता है। ट्रेंड देखने के बाद उसके मस्तिष्क के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका आप अन्दाज लगा लें। इसीलिये पार्लियामेंट की सारी व्यवस्थाएं की गयीं। एक पार्लियामेंट डैमोक्रेसी के नाम पर हिन्दुस्तान की ये सारी व्यवस्थाएं बनायी गयीं। उस समय जो रूल्स बनाये गये और हाउस आफ कामन्स के जिस प्रकार के रूल्स बने और जिनकी कापी हमने की, उसमें एक व्यवस्था थी कि हम इस प्रकार के इंक्वायरी के मामलों में कम से कम हाउस में न बोलें।

एक माननीय सदस्य ने कहा, बड़ी खुशी की बात हुई कि यह पुलिस के इन्वेस्टीगेशन का मामला है, यह सदन इन्वेस्टीगेशन एजेंसी नहीं हो सकता। मैंने उस दिन भी कहा था कि सदन इन्वेस्टीगेशन एजेंसी नहीं हो सकता और सदन जिस दिन इन्वेस्टीगेशन एजेंसी हो गयी उस दिन बहुमत के आधार पर मर्डर हो, चाहे रेप हो, चाहे किडनेपिंग हो, चाहे मोलेस्टेशन का मामला हो उनका तय होगा, उस दिन समाज न डूबा हुआ भी समाज अपने आप डूब जाएगा। निश्चित रूप से डूबे बिना नहीं रह सकता। इसलिए हम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अगर निष्पक्ष होकर बात करें तो इंक्वायरी के मामले हों, चाहे इन्वेस्टीगेशन के मामले हों, चाहे जुडीशियल इंक्वायरी के मामले हों, उन मामलों पर एक बार पुलिस इन्वेस्टीगेशन करे या जुडीशियली इन्वेस्टीगेशन करे, जिस समय तक उसका अन्तिम निर्णय नहीं हो। मान लीजिये, किसी मामले में फाइनल रिपोर्ट दे दी और किसी मामले के अन्दर निर्दोष को फंसा दिया, किसी मामले में दोषी के साथ ज्यादती की, उस प्रसंग में तो हम बोलें लेकिन पांच दिन पहले जो मामला हुआ है उसकी इन्वेस्टीगेशन चल रही है, इन्वेस्टीगेशन में पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, आज से ही हम अगर साइट्स लेना शुरू करेंगे तो पुलिस के ऊपर तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन पर फर्क पड़ेगा।

लेकिन सबसे मोटी बात जो इसी सदन में कही गयी, मैंने भी कही थी और कुछ माननीय सदस्यों ने उसको रिपीट किया कि हम जाति के आधार पर बंटे। अब यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम जाति के आधार पर सोचने लग जाएं। सामाजिक व्यवस्था जाति के आधार पर बनी हुई है इसमें कोई सन्देह नहीं है, जाति के आधार पर हम वोट लेते हैं लेकिन विधान सभा में आने के बाद मैं ऐसा मानकर चलता हूं कोई विधायक कोई जाति का प्रतिनिधि नहीं है, राजस्थान की चार करोड़ की जनता का प्रतिनिधि बनकर इस हाउस में बैठता है। वहां पर इस प्रकार की बात आना कि मैं अमुक जाति का हूं, यह अमुक जाति का नहीं है, इस कारण से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनने के अतिरिक्त और कुछ होने वाला नहीं है और इसलिए जब जाति का प्रश्न आता है तो हमें गम्भीरता से चिन्तन करना पड़ेगा।

आज आप पुलिस के बारे में कहते हैं, मेरे पास कोई दिन नहीं जाता जिस दिन लोकल पुलिस जो इन्वेस्टीगेशन कर रही है, एक पार्टी मेरे पास आती है कि लोकल पुलिस इसकी तफ्तीश ठीक नहीं कर रही है, इसको सी. आई. डी. क्राइम में दिया जाए। मैं उस समय भी उनको कहता हूं कि लोकल पुलिस हो या सी. आई. डी. (क्राइम) हो इसमें आप यह समझो कि कोई डिले हो जाए और हम इसका लाभ उठाएंगे, तो मेरी कोशिश यह होगी कि इसमें डिले नहीं हो। इन्वेस्टीगेशन जैसे लोकल पुलिस कर रही थी उसी प्रकार से करे और करके इस मामले का जो भी नतीजा निकालना हो वह निकाल ले। इसलिये आज आप कह रहे हैं कि पुलिस बहुत बढ़िया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। पहली बार विपक्ष के सदस्यों से मैंने सुना कि पुलिस बहुत अच्छी है। मैं इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं—और धन्यवाद के साथ—

श्री राधेश्याम गंगानगर : धन्य है प्रभु, धन्य हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा, मैं तो वही कह रहा हूं। मेरी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं। मैं इस मामले में बहुत निष्पक्ष हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सांप जो छोड़ा है इसको वापस पिटारे में डाल दो, बिजनेसमैन ठीक हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि सांप पिटारे में डालूं या पिटारे के बाहर रहे, क्षमता यह होनी चाहिये कि सांप अपना ही कर्तव्य करे और दूसरा ऐसा कर्तव्य नहीं करे कि जिसके कारण से दूसरे को हानि हो जाए। सांप पिटारे में तो नहीं रहेगा लेकिन बीन बजाने वालों से मैं कह रहा हूं कि वे सांप को अन्दर-अन्दर तड़पाएं नहीं। वह उस टोकरी के ऊपर अपना सिर लगाकर उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करें। कम से कम मैं इस बात के लिए सदन से पुनः निवेदन करना चाहूंगा, आप इस बात का भरोसा रखकर चलिये कि जो भी इन्वेस्टीगेशन में बात आएगी, निश्चित रूप से इन्वेस्टीगेशन करूंगा। अगर एडिशनल एस. पी. निर्दोष है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। निर्दोष है तो उसकी नियुक्ति बाकायदा होगी। लेकिन आप पांच दिन का समय देखें, हमने किस रूप में पांच दिन निकाले हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं रात को ढाई बजे तक लगातार कांटेक्ट करता रहा। ढाई बजे मैं सोया हूं और सोते ही बीस मिनट के बाद फिर टेलीफोन आ गया, सुबह यूं का यूं उठकर आया हूं। टेलीफोन के बीच में पन्द्रह मिनट नींद आ गयी, पांच मिनट नींद आ गयी, उठकर चले गये। आखिर मुझे भी चिन्ता है——

श्री शिवनाथ सिंह : राज का मजा भी तो आप ही लेते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ही लेता हूं भाग्यशाली हूं इसलिये। आप रात को यूं ही घूमते रहते हो, मैं घर पर बैठा-बैठा मजा लेता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अपने होम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं रात को फिर?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : होम मिनिस्टर में और आपमें कोई फर्क नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वही करते हैं जो आप करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वे आपसे सम्पर्क करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विपक्ष के नेता, विश्नोई साहब, आप दोनों के माध्यम से और बाकी सदन के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो मैंने प्रारम्भ में भी किया, बीच में भी किया और अब करना चाहता हूं कि हम सब एक मैसेज इस हाउस से दें कि जातीय विद्वेष के आधार पर किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं किया जाए। एस. पी. के खिलाफ कार्यवाही जांच की होगी और जांच की कार्यवाही में निर्दोष पाया गया तो निश्चित रूप से निर्दोष को कोई सजा नहीं मिलेगी। तीसरा प्रश्न, मुनि जी के बारे में जो बार-बार ज्ञापन आ रहे हैं उन ज्ञापनों में यही लिखा जाता है कि यह हत्या है या आत्महत्या है, इसकी जांच करायी जाए। इसकी निष्पक्ष रूप से मैं जांच करवाऊंगा। इन तीन बातों को लेकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कहें तो एक मैसेज पूरे सदन की तरफ से जनता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के नाम भेजा जाए। इस मामले को रोकने की कोशिश करनी चाहिये। इसे रोकने में ही हमें सफलता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री मदन मोहन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन सभी को रिहा कर दिया गया है या रिहा कर दिया जाएगा?

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह, सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 1997-98 समिति के निम्नांकित तीन प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करेंगे।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि—

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्रीमती कमला : डेयरी के बारे में जो एडजोर्नमेंट मोशन बहुत-से सदस्यों ने दे रखे हैं उस पर चर्चा की जाएगी।

श्री जगदीप धनखड़ : सदन में भी कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैंने कहा था और मैं आज भी स्टैण्ड करता हूं। लेकिन सही बात यही है कि मुझे समय नहीं मिला। कागज मेरे पास हैं सारे, मैं उनको पढ़ नहीं पाया। सदन में जो बातचीत होगी—

श्रीमती कमला : कल ले लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, सुन लीजिये। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर लेंगे, वरना आपको और पूनम चन्द जी विश्नोई को मैं इन्वाइट करता हूं। सारे मसले पर कोई हाउस में फैसला नहीं होगा। आप चर्चा करेंगे मैं इसका जवाब दूंगा। इस सारे को गंभीरता से देखकर जो निर्णय लेना है वह निर्णय लेने के लिये मैं तैयार हूं, आप भी आ जाइये।

श्रीमती कमला : हम तो निराकरण ही चाहते हैं। कोई भाषण देने से मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे बात करूंगा। आप जो भी मैम्बर्स बात करना चाहें मैं उनके साथ हूं। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, मैं डी. जी. साहब से भी कहूंगा कि मेरी बात सुनें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बात कर लेंगे वह ज्यादा ठीक है। चर्चा से कोई मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरा यह सोच रहा है कि आपके और कमला जी के सामने और कोई माननीय सदस्य शामिल होना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं सारा मसला रख दूंगा। राज्य हित में क्या है और दूध वालों के हित में क्या है, अपन निर्णय कर लेंगे। मुझे उसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती कमला : जल्दी इसलिये की है कि हमने 7 तारीख को एक रिट लगायी थी कि आर.सी.डी.एफ. के चुनाव कराये जाएं जो कि रोक रखे हैं। 12 तारीख को हमारे पक्ष में फैसला हो गया। सरकार उसको पहले डी.बी. में ले गयी, वह खारिज हो गया। अब सरकार उस पर वापस डी.बी. में न जाए और चुनाव को होने दे। आप उसको जल्दी कराएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कल ही फुरसत मिल गयी, परसों मिल गयी तो कल-परसों में आपको बुलाकर उसको तय कर लेंगे।

श्री महादेव सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 14.9.97 को पुलिस थाना खण्डेला के अंदर, खण्डेला के पास के गांवों के हजारों की संख्या में लोग गये और खण्डेला थाने में आकर बैठ गये...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये कैसे बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री महादेव सिंह : एक मिनट बोलूंगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपने मेरा नाम लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयेन्द्रपाल सिंह... (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आपको अवसर दे दूंगा, आप बिराजें। इस समय बैंठे।

समिति का प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 1997-98 का पहला, दूसरा एवं तीसरा प्रतिवेदन

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 1997-98 के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं : —

(1) सिंचित क्षेत्रीय विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग के वर्ष, 1991 के लंबित आश्वासनों से संबंधित प्रथम प्रतिवेदन,

(2) सामान्य प्रशासन, कारागार, पुरातत्व, उपनिवेशन एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के वर्ष, 1991 के लंबित आश्वासनों से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन, एवं

(3) अकाल राहत, ऊर्जा, आबकारी, चुनाव, आयोजना, राजकीय उपक्रम एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के वर्ष, 1991 के लंबित आश्वासनों से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त जी। सभापति, विशेषाधिकारी समिति, समिति का एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

विशेषाधिकार समिति, 1997-98 का छठा प्रतिवेदन

श्री रमाकान्त शर्मा (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, विशेषाधिकार समिति श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा सम्पादक, साप्ताहिक "हुआ सवेरा" के विरुद्ध दिनांक 31.8.1987 से 7.9.1987 के अंक में अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की यात्रा के संबंध में प्रकाशित समाचार में समिति सदस्य विशेषतः उनके चरित्र पर निराधार, बेबुनियाद, असत्य एवं कुत्सित बातें प्रकाशित करने पर विशेषाधिकार हनन के

(108)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्रश्न से संबंधित समिति का छठा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगी।

याचिकाओं का उपस्थापन
जयपुर शहर के ब्रह्मपुरी नाले का पक्का निर्माण बाबत

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर शहर के ब्रह्मपुरी नाले का पक्का निर्माण कराये जाने में निगम की ओर से कार्य शुरू कर बीच में ही रोके जाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम जी। सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

ग्राम रूण्डल तहसील आमेर (जयपुर) में पेयजल सप्लाई की पाइप लाइन बदलवाने बाबत

(1) ग्राम रूण्डल तहसील आमेर, जिला जयपुर में पेयजल सप्लाई की पाइप लाइन बदलवाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

आमेर की कतिपय अधूरी सड़कों को पूर्ण करवाने बाबत

(2) तहसील आमेर की कतिपय अधूरी सड़कों को पूर्ण करवाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

बूंदी की रामपुरिया माइनर के मिट्टी के धोरे को 200 फीट लम्बाई तक पक्का धोरा कराने बाबत

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला बूंदी की रामपुरिया माइनर के मिट्टी के धोरे से होने वाली पानी के रिसाव को रोकने हेतु 200 फीट लम्बाई तक पक्का धोरा कराने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : पाइंट ऑफ आर्डर। मैं पाइंट आफ आर्डर करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो बिजनेस आप लेने वाले हैं वह राजस्थान विनियोग संख्या 4, विधेयक 1997........

श्री उपाध्यक्ष : अभी आने तो दीजिये.....

श्री विष्णु मोदी : फिर पाइंट आफ आर्डर ही नहीं रहेगा। पाइंट आफ आर्डर तब होता है कि जब कोई बिजनेस आने वाला है। उस पर मैं अगर पाइंट आफ आर्डर करूं तो आप मेरी बात सुनेंगे, मेरे पाइंट आफ आर्डर पर रूलिंग देंगे। उसके बाद में वह बिजनेस आएगा। आपने उस दिन भी ऐसा ही किया कि मैं पाइंट आफ

(श्री विष्णु मोदी)

आर्डर रेज करता रह गया। आपने कह दिया कि आपका पाइंट आफ आर्डर रिजेक्ट, मैं पाइंट आफ आर्डर पूरा बोला ही नहीं। मेरे हाथ नियमों में बंधे हुए हैं तो आपके हाथ भी नियमों में बंधे हुए हैं। मैं पाइंट आफ आर्डर जब तक कि रेज नहीं करूंगा तब तक आप उस पर रूलिंग अपनी नहीं दें, रिजेक्ट कर दें क्योंकि आपके रिजेक्ट करने के बाद में तो मैं आपकी रूलिंग पर तो कह नहीं सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, आप कौनसे प्रक्रिया के नियम के माध्यम से पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं, वह बताएं पहले।

श्री विष्णु मोदी : यह भी सुन लेना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप कौनसे पाइंट आफ आर्डर से उठी थीं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कभी नहीं उठती।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++, देखो बात सुनो, हमारे काम में दखल मत दिया करो।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, पुरः स्थापित भी करेंगे, विचारार्थ भी लिया जाएगा और उसको पास करने के लिये भी इस बिजनेस में कहा है। उसके ऊपर कौल एण्ड शकधर में यह साफ-साफ लिख हुआ है कि "........by convention Bills are not put down for consideration and passing on the same day on which they are introduced in the House." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सदन के नियम हैं और सदन की कुछ मर्यादा है और हमेशा हमें सदन के नियम और मर्यादाओं के बारे में ज्ञान कराया जाता है। जबकि मेरा यह कहना है कि यह सरकार इस सदन को न नियमों से चलाना चाहती है न इस सदन को परम्पराओं से चलाना चाहती है। मात्र बहुमत से सदन चलाना चाहते हैं, और आप बहुत का दुरुपयोग करना चाहते हैं तो आप करिये, आपको खुली छूट है। लेकिन सदन को कृपा करके नियमों से और इसकी जो मान्यताएं हैं उससे चलाइये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है वह आप स्वयं ही नहीं समझे। आपने कहा कि इन्ट्रोडयूज जिस दिन बिल किया जाएगा उसी दिन उसको पारित नहीं करना चाहिये। यह विधेयक तो पहले इन्ट्रोडयूज हो चुका है, आज इन्ट्रोडयूज नहीं हो रहा है। वह विचारार्थ लिया जा रहा है, पहले इन्ट्रोडयूज हो चुका है। आप पढ़िये, मैं रखता हूं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

110

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये आपका पाइंट आफ आर्डर रिजेक्ट किया जाता है। विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधायक।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

विधायी कार्य : विधेयकों पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 4 से 9) विधेयक, 1997

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1997; राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1997; राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1997; राजस्थान विनियोग (संख्या-7) विधेयक, 1997; राजस्थान विनियोग (संख्या-8) विधेयक, 1997 एवं राजस्थान विनियोग (संख्या-9) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग विधेयक, 1997 संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिए गए।

विधेयकों का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग विधेयक, 1997 संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 को पारित किया जाए।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्षी सदस्यों को डिमाण्डों के अवसर पर बोलने का मौका नहीं दिया गया था, कहा गया था कि उनको एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बोलने का मौका दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1997; राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1997; राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1997; राजस्थान विनियोग (संख्या-7) विधेयक, 1997 राजस्थान विनियोग (संख्या-8) विधेयक, 1997 एवं राजस्थान विनियोग (संख्या-9) विधेयक, 1997 पारित किये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड पारित करते समय, उन्होंने यह बात कही थी कि जो सदस्य——

श्री उपाध्यक्ष : मौका दे रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, वित्त मंत्रीजी ने जो एप्रोप्रिएशन बिल हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं वे पास तो होने हैं लेकिन मैं अपनी बातें कहना चाहता हूं जो इन बिलों के अंदर हैं।

(श्री रामनारायण चौधरी)

माननीय वित्त मंत्रीजी और हमारे जलदाय मंत्रीजी, दोनों ने मिल कर झुन्झुनूं जिले और खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सौ गांवों और एक शहर के साथ जो ज्यादती की है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 1984 के अंदर हमारे इन गांवों की जल योजना बनी थी और राज्य सरकार ने उसको तारानगर-साहवा से कनैक्ट करके झुन्झुनूं जिले के सौ गांवों और एक नगरपालिका को जल सप्लाई करने की योजना बनायी थी। उस योजना को इस सरकार ने पोस्टपोन कर दिया और पोस्टपोन करके जर्मन योजना है उसके तहत जोड़ दिया। उसके साथ मान्यवर, फिर उसका भविष्य क्या जोड़ा कि पहले रतनगढ़ तक पानी को लाया जाएगा और रतनगढ़ से बाद में झुन्झुनूं जिले के अंदर लाएंगे। उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से माननीय वित्त मंत्री महोदय खुद अपनी ही उम्र के अंदर रतनगढ़ तक पानी नहीं पहुंचा सकेंगे और झुन्झुनूं जिले के अंदर तो कब आएगा, इसका कोई वर्णन माननीय जलदाय मंत्रीजी भी नहीं कर सकते। तब तक आप कहां रहेंगे, ये कहां रहेंगे, मैं कहा रहूंगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो सीधी लाइन आ रही थी तारानगर से, साहवा से झुन्झुनूं जिले के लिए, उसको दलबंदी के आधार पर माननीय मंत्रीजी तारानगर ले गए तारानगर से वापस रिटर्न होकर झुन्झुनूं जिले में आएगी, यह कौनसा आपने इन्साफ सोचा है। यह आपने इतना बड़ा अपराध किया है झुन्झुनूं जिले के इन सौ गांवों के साथ में जो कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। मैं पुरजोर शब्दों में आपसे मांग करता हूं कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए और इसको जर्मन योजना के साथ नहीं जोड़िए। आपके पी.एचईडी. शासन सचिव महोदय को भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने एक चिट्ठी भी इस मामले में लिखी है। प्लानिंग कमीशन के मैम्बर महोदय ने, प्रधान मंत्री जब झुन्झुनूं आए थे तब, आश्वासन दिया था कि इसको जर्मन योजना से न करके सीधा इन गांवों को शिफ्ट कर दें। मैं समझता हूं और प्लानिंग कमीशन के मैम्बर आए थे, उन्होंने भी हालात को देखा है और देखने के बाद प्लानिंग कमीशन के मैम्बर ने आपकी सरकार को, शासन सचिव को एक पत्र लिखा है कि यदि इन गांवों को आप साहवा से जोड़ते हैं तो हम योजना के अंदर आपको समावेश की धनराशि की जो आवश्यकता होगी उसको उपलब्ध करवाएंगे। यह आपके पास पत्र आया है।

अब भी मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारी इस बात को स्वीकार करें। प्रधान मंत्री यहां आए थे झुन्झुनूं जिले में, उन गांवों की हालत को देखा था। प्रधान मंत्री के बाद में एक कमीशन और आया था जिन्होंने जांच की। जांच करने के बाद कहा कि ये वास्तव में दुःखी गांव हैं 100 जिनको कहां रतनगढ़ के बाद में और जर्मन योजना के साथ जोड़ा, लास्ट में टेल एण्ड

(119)

(श्री रामनारायण चौधरी)

में और भारत सरकार की यह मंशा है और प्लानिंग कमीशन की यह मंशा है।

माननीय वित्त मंत्रीजी और जलदाय मंत्री महोदय, आप दोनों बैठे हुए हैं, बुद्ध और शुक्र दोनों साथ-साथ हो, आप मेहरबानी करके हमारी इस योजना को जर्मन से हटा कर सीधी योजना साहवा से लिफ्ट के द्वारा झुन्झुनूं जिले के सौ गांवों में पानी की व्यवस्था करवाएं। आज जलदाय की मांगों के सम्बन्ध में भी आपका विनियोग विधेयक है इसलिए मैं यह प्रश्न आपके सामने उठा रहा हूं।

मान्यवर, सड़कों के मामलें में मैं एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण देता हूं कि पाकिस्तान के प्रसिद्ध गायक मेहंदी हसन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव लूणा के रहने वाले हैं। 1990-91 में वे दिल्ली आए और दिल्ली के बाद में वे राजस्थान, जयपुर में भी आए थे। मुख्य मंत्रीजी से वे मिले। मिलने के बाद मुख्य मंत्रीजी के सामने उन्होंने एक ही बात रखी कि, साहब, मेरा गांव जो मंडावा विधान सभा क्षेत्र में झुन्झुनूं के पास पड़ता है, वहां पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। तो मुख्य मंत्रीजी ने बहुत मेहरबानी की कि उनके कहने से सड़क बनवा दी। अब वह सड़क ऐसी बनी कि उसका 8 वर्ष के बाद भी डामरीकरण नहीं हुआ। 1990 से आज 1997 आ गया, उसका डामरीकरण न होने का नतीजा यह है कि आज वह सारी टूट गई है। उस पर पैदल चल नहीं सकते, गाड़ियां चल नहीं सकतीं। वहां की चिकनी मिट्टी है, बरसात के दिनों के अंदर आवागमन बंद हो जाता है। लूणा गांव जो मेहंदी हसन का जन्म स्थान है, वहां तक सात साल पहले मुख्य मंत्रीजी ने सड़क बनाई थी, वह पंचायत मुख्यालय है, आज तक उसका डामरीकरण नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को आपके सम्मुख रखता हुआ मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें और इस समस्या का हल निकालने में मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर), (अनुपस्थित)। श्री किशन मोटवानी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बड़ी कृपा है आपकी। मैं बैठा हूं और आप आगे चल दिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी ने मांगें प्रारित होने के पश्चात् एप्रोप्रिएशन बिल सदन के समक्ष पारित करने के लिए रखा है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य सरकार का जो आर्थिक प्रबन्धन है, बिलकुल बिगड़ता चला जा रहा है, विकास के काम कम से कम पूर्वी राजस्थान में ठप्प हो गए हैं, कुछ गतिविधियां नहीं चल रही हैं, हमारे जो अन्तरराज्यीय जल समझौते हैं उन पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है, किसान विरोधी गतिविधियां दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच में मैं उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री हरिसिंह)

सबसे पहले तो मैं थोड़ा सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बहुत ही गर्व के साथ कह रहे थे कि मैं आने वाले कुछ समय के अंदर राजस्थान के प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर को सड़क से जोड़ दूंगा। हर गांव जिसकी एक हजार की आबादी है उसको सड़क से जोड़ दूंगा। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यहां 1995 और 1996 में बाढ़ आई, उसमें जो सड़कें टूट गई और जिन पर यातायात बंद हो गया उन सड़कों की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी अब तक नहीं करा पाए हैं। मैं इसके सम्बन्ध में विधान सभा के समक्ष जो आंकड़े रखे गये हैं, जो आश्वासन दिए गए हैं, उनकी ओर ध्यान दो मिनट दिलाना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में कुल 1721 किलोमीटर सड़कें हैं, उन 1721 किलोमीटर सड़कों में से 600 किलोमीटर सड़कों पर 3 महीनों तक लगातार पानी बहता है। इससे कुल 300 जगह पर पानी का कटाव हुआ। वहां पर जो विभाग है हमारे जिले का, आपसे निवेदन करूं कि आप हमें इसके लिए पैसा दें जिससे कि हम इनकी मरम्मत करा सकें। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने उन सड़कों की मरम्मत के लिए और उन कटावों को ठीक करने के लिए एक पैसा नहीं दिया। सिवाय इसके कि जो एम.एन.पी. के अंदर मरम्मत के लिए, पेशबंद चेपाचापी के लिए पैसा मिलता है, उसके अलावा, आप उप मुख्य मंत्री हैं, बता दें कि हमको भरतपुर जिले के लिए सड़कों के कटाव के सम्बन्ध में आपने एक पैसा भी दिया हो। मैंने प्रश्न रखा था विधान सभा के अंदर, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का गत बाढ़ से हुई क्षति का आकलन किया गया? यदि हां, तो कितनी क्षति का आकलन किया गया? क्षति के सड़कवार आकलन की सूची सदन की मेज पर रखें। उत्तर है, जी हां, भरतपुर जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों का 2293.45 लाख रुपए का आकलन किया गया। 22 करोड़ 93 लाख रुपये की क्षति हुई। उसका और काम नहीं होना था परन्तु उसके अगेंस्ट में आपके विभाग ने पैसा खर्च

(15.30)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

किया। फिर मैंने पूछा कि क्या उक्त क्षति को दुरुस्त करके सड़कों को बाढ़ से पूर्व की स्थिति में लाने हेतु सरकार ने कोई राशि स्वीकृत की है? जी हां, भरतपुर जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को पूर्व की स्थिति में लाने हेतु सहायता विभाग ने 2.45 करोड़ रुपये और तात्कालिक मरम्मत हेतु सहायता विभाग की ओर से 43 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई थी। क्या सरकार बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो

(श्री हरिसिंह)

कब तक मरम्मत कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? आपातकालीन मरम्मत हेतु राशि दे दी गई थी, और राशि नहीं दी जा सकती क्योंकि आपदा राहत सहायता कोष को मरम्मत हेतु सहायता दिये जाने में क्षतिग्रस्त सड़कों की सामान्य मरम्मत अकाल राहत कार्यों की तुलना में नीचे वरीयता दी जाती है। अब मरम्मत का कार्य सार्वजनिक विभाग के बजट से सार्वजनिक निर्माण विभाग को कराना होगा। यह कहकर अलग हो गए। 22.94 लाख की क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए रिलीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ पैसा देकर काम खतम कर दिया। अभी तो उन सड़कों की कोई मरम्मत नहीं हो रही है। जबकि इस विधान सभा में जब कभी भी आप जितनी मांग लेकर आए वह सब मंजूर की, कभी एक पैसे की कटौती नहीं की।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उप मुख्य मंत्री, महोदय, भरतपुर शहर में जितने भी पी.डब्ल्यू.डी. के पार्क्स हैं उन पार्क्स की हालत बहुत खराब हो गई है। जैसे कहते हैं चेचक का रोगी बताओ और एक हजार रुपया पाओ, मैं आपसे सदन में कहता हूं, भरतपुर जिले के पास में एक फूल बताओ और एक हजार रुपया पाओ। सब चौपट हो गया। उसमें घास भी पैदा नहीं हो रही है, आज यह स्थिति हो गई है। आप जो बजट हमसे पास करा रहे हैं उसमें से कुछ आप हमारी मदद करें। यह मैंने आपको सड़कों के बारे में कहा।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, सिंचाई के संबंध में जहां तक बाढ़ में क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत का सवाल है वह तो आज सुबह प्रश्नकाल के समय कुछ बातें हो गई। बहुत ही जोर-शोर के साथ में राजस्थान सरकार ने इस बात की घोषणा की थी, कितने सालों से यमुना जल का समझौता पड़ा हुआ था हमने वह समझौता कर दिया। अब भरतपुर में यमुना जल का पानी आएगा और आनन्द होंगे, लोगों को, किसानों को राहत होगी। अब मैं आपके ही आंकड़ों के हिसाब से बताऊं, जब से आपका समझौता हुआ है तब से पानी आना बंद हो गया। समझौते से पहले पानी आता था, लेकिन उसके बाद में पानी आना बंद हो गया। मेरे पास में आपके लिखित आंकड़ें हैं जिनके हिसाब से 1990 और 1991 में हमें जो पानी मिला, गुड़गांवा नहर में 27,401 क्यूसेक पानी हमको 1990 में मिला था और भरतपुर फीडर में 11,337 क्यूसेक पानी मिला था 1991 में, 7433 क्यूसेक पानी मिला भरतपुर 1990 में और 1992 में मिला 18,134 क्यूसेक पानी गुडगांव के अंदर। अब हमें भरतपुर फीडर में केवल 4,817 क्यूसेक मिला है और गुड़गांव में मिला है 4,997 क्यूसेक पानी। जहां 11 हजार मिलता था वहां 4 हजार मिला है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। यह एक ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया

(श्री हरिसिंह)

है कि जो पानी आ रहा है वह इतना प्रदूषित पानी आ रहा है कि उसका उपयोग करने से कोई भी बीमारी फैल सकती है। यमुना का, ओखला के बाद का जो प्रदूषण है वह उसके अंदर फैलता चला जा रहा है। देखने में वह काला पानी नजर आता है, गंदा पानी नजर आता है। उसमें बदबू आती है, उसके पानी को पी नहीं सकते।

मैं यमुना जल समझौते के बारे में निवेदन कर रहा हूं। बरसात में तो आप पानी दे सकते हो। 1.119 बी. सी. एम. पानी हमको मिलना चाहिए। जुलाई से अक्टूबर तक 0.963 बी. सी. एम. पानी मिलना चाहिए, उसके अगेंस्ट में आप पानी नहीं ले पा रहे हैं। आप पहले कहा करते थे, कांग्रेस सरकार के जमाने में, कि घुटने टेक देते हैं, आप जाकर हिमायत नहीं करते, आप पहल भी नहीं करते पानी लेने की। हमारे भरतपुर के साथ ही नहीं पूर्वी राजस्थान के साथ में, यमुना जल के पानी के संबंध में सरकार इस प्रकार से सोयी हुई बैठी है कि कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। कोई और या गवर्नमेंट सर्वेंट होते तो आज आंदोलन खड़ा हो जाता, लेकिन किसान ऐसी कौम है जो आंदोलन भी नहीं कर सकती है। वह तो सरकार का मुंह ताकती रहती है और सरकार मुंह लटकाए बैठी रहती है, उसमें आगे नहीं बढ़ पाती।

तीसरा मैं कह रहा था कि किसानों के ऊपर माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने इनडाइरेक्ट तरीके से टैक्स लगाया है। साधारण किसान को जो बात पिंच कर रही है, पहले जब हम जमाबंदी की नकल लेने जाते थे तो पूर्व में दो रुपये प्रति खाते के अंदर वह नकल मिल जाती थी, दो रुपये प्रति खाते की जमाबंदी की नकल मिल जाती थी। अब 20 रुपया प्रति खाते की नकल मिलती है। टैन टाइम बढ़ोतरी कर दी। पहले हमको डाइरेक्ट खाते की नकल चार रुपये में मिल जाती थी अब 20 रुपये में मिलती है। पहले खसरा, गिरदावरी में 50 नम्बर पर 18 रुपये लिए जाते थे, अब 10 नम्बर पर 20 रुपये देने पड़ते हैं। इस प्रकार सरकार ने जो आम किसान है उस पर इनडाइरेक्टली या डाइरेक्टली इस प्रकार से बढ़ोतरी कर दी। भरतपुर जिले की मैं कह सकता हूं, वहां पर इस प्रकार से रकम वसूल की जा रही है।

इसके अलावा किसान जो अपनी जमीन बेचता है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जब वह जाता है तो जितनी कीमत नहीं होती उससे ज्यादा उसको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। वह स्टाम्प ड्यूटी हर तीसरे महीने बढ़ रही है। अब तक तरीका यह था, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह इसलिए लिए जाते थे कि उस पर खर्चा आता है। उस काम में दफ्तर को मेंटैन करने में कितना खर्चा आता है, यह मतलब था स्टाम्प ड्यूटी रेवेन्यू लगाने का। अब सरकार ने उसको सोर्स ऑफ इनकम बना लिया। हर साल उस पर बजट दिया जाता है, टार्गेट दिया जाता है कि इतना रुपया आप वसूल करें। जब ऑफिसर्स मीटिंग होती है वो उसमें तय होता है कि कितनी कीमत बढ़ाई जाए और तीसरे महीने कीमत बढ़ जाती है। जितनी कीमत नहीं है उससे ज्यादा देना पड़ता है।

(श्री हरिसिंह)

हमारे यहां सैटलमैंट हुआ, सैटलमेंट के अंदर इतनी हेराफेरी कर दी गई कि कोई नक्शे नहीं बनाए गए, किसी की जमीन किसी खातेदारी में दर्ज कर दी गई। इस प्रकार से हजारों कैसेज एस. डी. ओ. साहिबान और तहसीलदार साहिबान के सामने पैंडिंग पड़े हुए हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा इतने कैसेज पड़े हुए हैं कि जिनके कारण से हर मेड़ पर, हर खेत पर झगड़े हो रहे हैं, फौजदारी मुकदमे किसानों पर लग गए। तो क्या सरकार इस बात का प्रबंध नहीं करेगी कि उन झगड़ों का जिनको सैटलमैंट विभाग ने पैदा किया है, जल्दी से निस्तारण करे।

सभापति महोदय, अब मैं पी. एच. ई. डी. के संबंध में थोड़ा निवेदन करना चाह रहा हूं। जो हैण्ड पम्प लगे हुए थे उन सबके बारे में सरकार ने घोषणा की थी कि जो परित्यक्त हैण्ड पम्प हैं उनकी जगह पर नए हैण्ड पम्प लगाए जाएंगे। मैंने प्रश्न पूछा था, उसकी लिस्ट मेरे पास है, कि 140 के करीब हैण्ड पम्प हैं जो परित्यक्त हैं। लेकिन उनकी जगह दूसरे हैण्ड पम्प लगाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कहते हैं कि ऐसे हैण्ड पम्प लगाएंगे जो कि कम खर्चे में लग जाएंगे और उससे गहराई से काम चल जाएगा। अब स्थानीय अधिकारी उतनी गहराई में पम्पों को लगाने के लिए तैयार नहीं क्योंकि वे फेल हो जाएंगे और उनके लिए परेशानी पैदा होगी। कृपा करके इस संबंध में कोई रास्ता निकालें और परित्यक्त हैण्ड पम्प हैं उनको सही तरीके से लगाकर उन गांवों में, कम से कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में जहां पानी दुर्लभ है, पानी मिल नहीं रहा वहां आप पानी का प्रबंध करें।

मैं अब बिजली के बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं। जैसा कि चेयरमैन साहब भी गए थे, भरतपुर जिला सबसे पहला निजीकरण का जिला माना गया है__

श्री सभापति : बिजली तो मांगों में नहीं थी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मुखबंद करके बिजली की मांग पास कराई है।

श्री सभापति : उस वक्त चर्चा करेंगे आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मुखबंद कराके पास कराई। आप क्षमा करेंगे। सरकार का इतना छलावा है। उसमें क्या किया है, अभी तो तय नहीं हुआ है कि राजस्थान बिजली बोर्ड की जगह बिजली कारपोरेशन बनाया जाएगा। यह नीतिगत प्रश्न है। यह अभी तक आपकी कैबिनेट भी नहीं तय कर पाई है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। सदन में जब तक इस बात के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो जाए, वह स्वीकृति नहीं हो जाए तब तक आप राजस्थान बिजली बोर्ड के स्थान पर कारपोरेशन स्थापित नहीं कर सकते। आप ऐसा करते हैं तो आप इस

(श्री हरिसिंह)

सदन की अवमानना करते हैं। आपने मुखबंद कर दिया हमारा और उसके बाद में अनुपूरक मांगों के अन्दर, जो एप्रोप्रिएशन बिल आया है, उसमें राजस्थान निगम के लिए पचास लाख रुपये हमसे मंजूर करा लिये आपने। कितनी गलत बात है। कोई तरीका है क्या इस बात का? यानि निगम अभी स्वीकार नहीं किया गया, जिस निगम के संबंध में अभी हाउस को डिसीजन लेना है, एक्ट पास होना है उसके लिए आप चुपचाप अनुपूरक मांगों के अन्दर पचास लाख रुपये राजस्थान निगम के नाम से हमसे पास कर रहे है? कितनी गलत बात आपने की है? मैं समझता हूं कि इसका जवाब हमको मिलेगा कि जो चीज आज एक्जिस्टेंस में नहीं है, जिस चीज का आज जन्म नहीं हुआ है और जिसका जन्म तब तक नहीं होगा, जब तक यह विधान सभा उसे एप्रूव नहीं कर देती, उस काम के लिए आप हमसे एप्रोप्रिएशन बिल के अन्दर मंजूरी चाह रहे हैं पचास लाख रुपये की।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक्सप्लेनेशन आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरह से पचास लाख रुपये मंजूर करवा लिये?

श्री सभापति : उनको बोलने दीजिये न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब कारपोरेशन है ही नहीं तो। वही बात में अर्ज कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप कृपया उनको बोलने दीजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यानि This is contempt of this House. This is breach of privilege of this House, कि जो चीज अभी है नहीं, जिस चीज को हाउस ने पास नहीं किया है, जिस पर अभी बहुत बहस होनी है, यह निजीकरण होगा या नहीं होगा, उस निजीकरण होने से पहले ही आपने एप्रोप्रिएशन बिल के अन्दर पचास लाख रुपये कारपोरेशन के लिए हमसे मंजूर करा लिये। हमसे मांग मंजूर करा ली, मुखबंद करके हमारा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, चूंकि उस बहस में शायद यह मुद्दा नहीं आया, मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि हमारे बजट में बिजली का हैड है, कारपोरेशन या आर. एस. ई. बी. का हैड नहीं है। वह कारपोरेशन बने या आर. एस. ई. बी. रहे, हमारा जो बिजली का हैड है उसमें से उतने रुपये हम देंगे। कारपोरेशन बन जाएगा विधान सभा की इजाजत से तो उसको मिल जाएगा, आर. एस. ई. बी. रहेगा तो आर. एस. ई. बी. को मिलेगा। यह जो पैसा हमने लिया है वह हैड में लिया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिजली हैड नहीं है। आपने उस मांग में कारपोरेशन लिखा हुआ है, कारपोरेशन वर्ड है।

श्री सभापति : Please one by one.

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उप मुख्य मंत्रीजी हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं।

(118)

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

अपनी अनुदान मांग का जो प्रपत्र आपने दिया है इसके पेज 47 को देख लीजिये, इसमें राजस्थान राज्य इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन के लिए आपने ईयरमार्क किया हुआ है, लेकिन पचास लाख नहीं है, पांच लाख रुपये है। आप कृपया हाउस को मिसगाइड मत कीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह आप हैड देखिये हैड, उसका।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आर. एस. ई. बी. के लिए पचास लाख है, कारपोरेशन के लिए पांच लाख रुपये है। पूछ लीजिये फाइनेंस सैक्रेटरी साहब से आप जाकर। आप मिसगाइड मत कीजिये।

श्री सभापति : आप समाप्त कर चुके? माननीय हरिसिंह जी, आप समाप्त कर चुके?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं-नहीं, समाप्त नहीं। मैं आपसे दो मिनट और लूंगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि अनुपूरक मांगों में आपने जो नोट दिया है न, उसमें स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान विद्युत निगम के लिए। शब्द हैं ये, अनुपूरक मांग जो आई है उसमें। बिजली हैड में देख लें, आपने लिखा है इसमें। तो मैं यह कह रहा हूं, this House demands from the Finance Minister, कि उन्होंने किस प्रकार से बगैर इस सदन के पास किये हुए यह हमसे पास करा लिया। हमारा मुखबंद था, इसलिए कुछ कह सकते नहीं थे। मुखबंद में आपने पास करा लिया, आप करा सकते हैं, आप सक्षम हैं।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि निजीकरण के संबंध में भरतपुर जिले को आपने सबसे प्रथम रखा है। आप यह कहते हैं कि घाटे में चल रहे हैं हम, हम घाटे में चल रहे हैं। आपके जो लेटेस्ट अकाउन्ट्स हमको मिले हैं, हमने जो देखा है सीएजी की रिपोर्ट के अन्दर, उसके हिसाब से तो आपका आर. एस. ई. बी. 57 करोड़ रुपये के मुनाफे में है। जो सीएजी की रिपोर्ट बनी है उसके हिसाब से तो आपका आर. एस. ई. बी. 57 करोड़ के, If I am not wrong, मुनाफे के अन्दर है और फिर आप कहते हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं। किसानों पर आप असल में थोप रहे हैं। जिन किसानों को 50-51 पैसे में बिजली मिलती है, आप येन-केन-प्रकारेण निजीकरण में जाकर और वह लैण्ड रिफार्म्स एक्ट पास करा कर यह अधिकार देना चाहते हैं उस अथोरिटी को कि सरकार यह कोई राइट नहीं रखेगी कि किसानों को किस रेट पर बिजली मिलेगी। आपने यह लिख दिया—11500 राजस्व हानि, 4.77 लाख उपभोक्ताओं में 550 करोड़ की वार्षिक हानि होती है। कहिये आप, कितने रोंग फिगर्स देते हैं, कि 550 करोड़ की प्रति वर्ष हानि होती है किसानों को देने के लिए। यह सब भ्रमजाल बनाकर इस बोर्ड को खतम कर, निगम बनाकर, अथोरिटी बना कर प्राइवेट डीलर्स को देकर बिजली के

(श्री हरिसिंह)

काम में हाथ खड़ा करना चाहते हैं कि हमारे बस का नहीं है, किसानों को बिजली मुहैया कराना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज Kheti is not an industry. You see Kheti is a way of living. आज राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता में से सत्तर प्रतिशत अपने जीवन का गुजारा करती है खेती के ऊपर और उसके लिए जो कुछ भी सस्ती रेट पर बिजली मिल रही है उससे आप उसे वंचित करना चाहते हैं। यह एप्रोप्रिएशन बिल इस बात की शुरूआत होगी। This will be the first nail in the coffin of agriculturists of Rajasthan to burry them. यह पहला आपका होगा, उप मुख्य मंत्री महोदय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस मामले पर आप बहुत ही तसल्ली के साथ में विचार करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री किशन मोटवानी, (अनुपस्थित)। माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : सभापति महोदय, हम आज एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार के कुछ फाइनेंशल मिसडीड्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ कमीशंस एण्ड ओमीशंस की तरफ सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जैसा कि मेज ने अपनी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बुक में कहा है, The excess demand or supplementary demand is a bad budget. 1995 के एप्रोप्रिएशन बिल की जब यहां पर चर्चा हो रही थी, शायद 60-70 करोड़ की ही सप्लीमेंट्री डिमाण्ड थी, उस वक्त माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि जो हमारा ओरिजिनल बजट है, उसका यह सिर्फ 1.7 प्रतिशत पार्ट है इसलिए इसको बैड बजटिंग नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज जो स्थिति है, आप देखिये, सभापति महोदय, कि 835 करोड़ 4 लाख 59 हजार रुपये के लिए यह सरकार एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आई है और इसको डेफिनेटली फाइनेंशल मिस मैनेजमेंट ही कहा जाएगा। यद्यपि, आवश्यक वित्तीय प्रबंध हेतु राज्य सरकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं, ऐसा उप मुख्य मंत्रीजी ने अपनी इस बुकलैट में कहा है, लेकिन इनके जो भी एक्ट्स हैं उससे लगता नहीं है कि कहीं मिस मैनेजमेंट ठीक हो रहा है। बल्कि दिन-प्रति दिन मिस-मैनेजमेंट की ओर यह सरकार अग्रसर होती जा रही है।

सभापति महोदय, यह सभी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स और एक्सेस डिमाण्ड में अन्तर होता है, अनुपूरक मांगें और अतिरेक मांगें लेकिन इस एप्रोप्रिएशन बिल के अन्दर दोनों प्रकार की मांगों का समावेश कर लिया गया है। एक्सेस डिमाण्ड के लिए अलग सरकार को सदन के सामने आना चाहिए था और सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के लिए अलग सरकार को यहां आना चाहिए

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

था। मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा, कि जैसे इन्होंने कहीं किसी सम्भागीय आयुक्त के लिए एक कार परचेज कर ली है, the act has already been done. उस कार को परचेज करने के बाद में उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री डिमाण्ड नहीं लेकर अतिरेक डिमाण्ड के साथ में आना चाहिए था। उसी प्रकार से जैसा कि इसके पेज 14 में दिया गया है, आपने कोर्ट के आदेश से कोई पेमेन्ट किया है, उसके लिए भी आपको एक्सेस डिमाण्ड के माध्यम से इस हाउस के सामने आना चाहिए था न कि सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के साथ। इसको मैं एक फाइनेंशल मिस मैनेजमैंट कहूंगा और यह सरकार का एक फेल्योर इस मामले में माना जाएगा।

सभापति महोदय, एक ऐसा भी एक्जाम्पल है जिसमें कि मूल अनुदान में जो राशि मांगी गई थी, ओरिजिनल बजट में जो राशि मांगी गई थी, उससे भी ज्यादा राशि इस सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के माध्यम से, इस एप्रोप्रिएशन बिल में अन्दर मांगी गई है। वह डिपार्टमेंट है हमारा लोक निर्माण विभाग, जिसमें कि मूल अनुदान तो आपका था 1 अरब 54 करोड़ 27 लाख 25 हजार और अनुपूरक अनुदान जो आपने मांगा है, जिसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल आया है वह है 1 अरब 59 करोड़। पांच करोड़ ज्यादा, एक अरब 59 करोड़ दो लाख 32 हजार रुपये। इसको आप कहते हैं कि अच्छा हमारा वित्तीय प्रबंधन है? इसके लिए बहुत गम्भीरता से इस सरकार को सोचना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि मूल आपकी क्या डिमाण्ड थी और सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स मूल डिमाण्ड्स से भी ज्यादा आ रही है।

सभापति महोदय, जो स्पष्टीकारक संबंधित पत्र हमको दिया है सरकार ने, उसमें माननीय श्री हरिशंकर जी भाभड़ा लिखते हैं कि विभिन्न विभागों के समक्ष व्यय के कुछ अप्रत्याशित मामले यानी अनएक्सपैक्टेड इश्यूज थे जिसके कारण से उनको यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स और एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ा। कैसे अप्रत्याशित मामले थे? अगर आप उसको देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि मुख्य मंत्रीजी के निवास पर साढ़े नौ-दस लाख के कम्प्यूटर लगाये गये। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आप कम्प्यूटर लगाइये, लगाना भी चाहिए, कम्प्यूटर का जमाना है लेकिन क्या यह चीज अप्रत्याशित थी? क्या उसकी आप प्लानिंग नहीं कर सकते थे? क्या आपने जो ओरिजिनल बजट प्रस्तुत किया था उस वक्त में यह नहीं सोच सकते थे कि मुख्य मंत्रीजी के निवास के ऊपर हमको 10 लाख रुपये के कम्प्यूटर लगाने हैं? साथ ही साथ में आपने डिवीजनल कमिश्नर के लिए साढ़े तीन लाख की कार खरीदी। इसको आप अप्रत्याशित व्यय मानते हैं? अगर उप मुख्य मंत्रीजी इसको अप्रत्याशित व्यय मानते हैं तो मेरे ख्याल से इस शब्द की पूरी तरह से इंसल्ट है और यह हमारे बजटिंग प्रोसीजर की भी एक तरह से इंसल्ट है।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

सभापति महोदय, एक बात आपने जो अभी बताई___

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य कृपया यह बताएं कि कार कौनसे साल में खरीदी ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने इसी के अन्दर लिखा है कि कार के ऊपर व्यय है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह आपको पता है, आप देख लीजिये। नहीं, आपको पता है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह तो अब आप बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा? आप सरकार में है। आप सारे कागज उपलब्ध करा दीजिये, मैं बता दूंगा।

अभी जो माननीय हरिसिंह जी ने बताई है बात और जिसके लिए भाभड़ा साहब ने आर. एस. ई. बी. के बारे में उत्तर दिया, वह नितांत अवांछनीय था। देखा जाए तो उस इश्यु के ऊपर यहां पर हाउस में प्रिविलेज लाया जाना चाहिये और सदन में विधिवत इस पर विचार करना चाहिए कि यह सरकार किस तरह से वित्तीय प्रबन्धन कर रही है।

आपकी मांग संख्या 48 है, उसमें क्लीयर कट मेंशन किया है कि राजस्थान राज्य इलैक्ट्रिसिटी कारपोरेशन के लिए आपने पांच लाख रुपये दिये हैं, नीचे और आर. एस. ई. बी. के लिए 50 लाख रुपये दिये हैं। जो एग्जिसटेंस में नहीं है, उसके लिए आप पांच लाख रुपये दे रहे हैं। इसमें नीचे कारण बताया है आपने कि राजस्थान राज्य इलैक्ट्रिसिटी कारपोरेशन में विनियोजन के नवीन व्यय के कारण राजस्थान आकस्मिकता निधि से पांच लाख की राशि स्वीकृत की गई। अब, सभापति महोदय, यह क्या आश्चर्य की बात नहीं है, क्या यह वित्तीय प्रबन्ध की निपुणता मानी जाएगी कि जो इश्यु अभी तक तय नहीं हुआ, जो कारपोरेशन अभी एग्जिसटेंस में नहीं है, जिस बात का अता-पता नहीं है उसके लिए सरकार ने पता नहीं किस कारण से क्या सोच-समझ कर किस परिकल्पना के अन्दर हवाई घोड़े बनाते हुए पांच लाख रुपये का प्रावधान कर दिया? मेरे विचार से असत्य बात को सत्य प्रदर्शित करने के लिए माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस बात का इसमें समावेश किया है और इसलिए बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए।

अब इस सरकार के कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज या जिस प्रकार से यह सरकार काम कर रही है, इससे इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से हम यह राशि सरकार को सौंपे। सरकार ने पिछले वर्षों में कई महत्त्वपूर्ण मामलों के अन्दर जो अपनी प्रशासनिक ढिलाई बताई है उसने इस पूरे इंस्टीट्यूशन का डीवैल्युएशन किया है। मैं दो बिन्दुओं पर ही जाना चाहूंगा। एक बिन्दु है जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी का। हम एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं इस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से इसलिए कहना चाहूंगा और मैं उसमें दो उदाहरण देना चाहूंगा। पहला तो

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

आपके जिले से संबंधित है, सभापति महोदय। कुछ समय पहले उद्योग राज्य मंत्री श्री नसरू खां जी ने वहां उद्योग विभाग में जाकर कोई फाइल दिखाने की बात कही। यह खुशी की बात है कि भाभड़ा जी ने उस समय उद्योग राज्य मंत्री का पक्ष लिया और कहा कि राज्य मंत्री को अधिकार है कि उसको उसका विभाग फाइल दिखाए। लेकिन उसके बाद में जो कुछ हुआ, जिस प्रकार से अलवर जिले के दो मंत्रियों यातायात मंत्री और उद्योग मंत्री ने अखबारबाजी की, जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी के प्रिंसिपल को फ्लाउट किया। उन्होंने इस इश्यु को लेकर एक-दूसरे की धज्जियां उड़ाई। यातायात मंत्रीजी ने किसी बहादुरी के अन्दर या चाहे किसी कारण से उप मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा। यह तो एक ऐसा वाकया है जिसमें कि संभवतः हिन्दुस्तान के अन्दर एक एग्जाम्पल पेश कर दिया होगा जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी का। बेहतर तो यह होता कि या तो नसरू खां जी अपने विभाग से त्याग पत्र देते और यातायात मंत्रीजी से अखबारबाजी करते, या यातायात मंत्रीजी जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी के महत्व को समझते हुए अपने विभाग से त्याग पत्र देते और फिर उद्योग मंत्रीजी को पत्र लिखते। मैं उसमें से कोट करना चाहूंगा क्योंकि यह इश्यु ऐसा है जिसको अगर ठीक नहीं किया गया, जिसमें भविष्य में सुधार नहीं किया गया तो हमारे पूरे डैमोक्रेटिक सिस्टम को खराब कर देगा, हमारी जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी का जो कांस्टीट्यूशन के अन्दर दिया हुआ है अधिकार, उसको यह समाप्त कर देगा।

सभापति महोदय, उद्योग राज्य मंत्री को रीको की एक फाइल नहीं दिखाने के मामले पर राज्य मंत्रिमण्डल के एक सदस्य ने उद्योग राज्य मंत्री के आचरण तथा उसके बाद उप मुख्य मंत्रीजी भाभड़ा जी की भूमिका को गलत ठहराया है। आगे इसी प्रकरण में यातायात मंत्रीजी ने लिखा है कि ये पूर्व में भाभड़ा जी के विचार और प्रशासनिक योगदान की कद्र करते थे लेकिन फाइल विवाद से उनका अनुमान अदूरदर्शिता-पूर्ण और अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी को समझना चाहिए। उनको इस इश्यु के ऊपर या तो यातायात मंत्री या उद्योग राज्य मंत्री, दोनों में से जिसकी भी गलती हो, उसका त्याग पत्र लेना चाहिए था क्योंकि यह जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी का मामला है।

मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी पर, जो कि हमारे सदन में हो रही है आजकल कुछ दिनों से आप भी देख रहे हैं, सभापति महोदय, अनंत कुमार जी जैन का जो व्यवहार रहा, गुलाब चन्द जी कटारिया का जो व्यवहार रहा, क्या वह आदर्श जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी माना जाएगा? अगर गुलाब चन्द जी कटारिया में हिम्मत थी, करेज आफ कन्विक्शन था तो गुलाब चन्द जी कटारिया को त्याग पत्र दे देना चाहिए था। या उनके दिल में इतनी पीड़ा थी, इतना दर्द था तो इस कुर्सी को छोड़ना चाहिए था, इस लालच को छोड़ना चाहिए

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

था। लेकिन मोह नहीं त्याग सकते। मोह नहीं त्याग सकते तो कम से कम इस जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी के प्रिंसिपल को तो क्यों फ्लाउट करते हो। मुझे तो दया आती है माननीय मुख्य मंत्रीजी के ऊपर। मुख्य मंत्रीजी, आप इतने निडर और शेर कहलाते हैं, लेकिन आप कागजी शेर सिद्ध हुए। आपकी आंखों के नीचे आपके एक कैबिनेट मंत्रीजी यहां पर रो रहे थे, आपको प्रैशराइज कर रहे थे और आपकी कोई हिम्मत नहीं हुई कि आप अपने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा ले सकें। इसलिए, सभापति महोदय, जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी का जिस प्रकार से डीवैल्युएशन इस सरकार ने किया है, यह अत्यन्त ही निंदनीय बात है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।

सभापति महोदय, आखिरी बिन्दु है एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज थे। आज प्रदेश के अन्दर, देश के अन्दर करप्शन के बारे में बहुत ऊंची-ऊंची बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ढिंढ़ोरा पीटती है भय, भूख और भ्रष्टाचार का, लेकिन हो क्या रहा है वास्तव में, मैं इसका एक क्लियरिंग एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। चार दिन पहले यहां पर हमें कार्य सूची दी गई जिसमें कि लोकायुक्त की रिपोर्ट यहां पर टेबल करने का था। लोकायुक्त की रिपोर्ट यहां पर टेबल की गई। हमने पाइंट आफ आर्डर रेज किया अण्डर रूल 126 कि उस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया। लोकायुक्त की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है और करप्शन को चैक करने के लिए लोकायुक्त एक्ट, 1973 बना हुआ है उस एक्ट के माध्यम से सीनियर आफिसर्स के ऊपर और मंत्रिमण्डल के सदस्यों के ऊपर लोकायुक्त द्वारा आरोपों की जांच की जा सकती है। लोकायुक्त महोदय ने कहा कि उनके पास कुछ आरोप पत्र दाखिल किये गये कुछ आई. ए. एस. आफिसर्स के बारे में, वह रिपोर्ट उन्होंने सब्मिट की सरकार को लेकिन यह सरकार, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार, इसने लोकायुक्त की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। सभापति महोदय, इसका परिणाम निकला कि जो इतना महत्त्वपूर्ण लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनको हार कर, थक कर एक स्पेशल रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ी और वह स्पेशल रिपोर्ट उन्होंने गवर्नर महोदय को प्रस्तुत की। राज्य सरकार जो ढिढोरा पीटती है भ्रष्टाचार खतम करने का जिस सरकार के 3-4 आई. ए. एस. आफिसर्स के अगेंस्ट में लोकायुक्त टिप्पणी कर दे, एडवर्स कमेंट्स कर दे, स्पष्ट रूप से आरोप सिद्ध होने का लिख दें, वह सरकार डेढ़-दो साल तक उस पर + + + इससे बढ़कर शर्म की बात, इससे बढ़कर लज्जा की बात इस सरकार के लिए क्या हो सकती है? सभापति महोदय, मैं इसके थोड़े से और विवरण में जाना चाहूंगा। यह रिपोर्ट सब्मिट की गई। ऐसे महत्वपूर्ण इश्यु

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(129)

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

की रिपोर्ट को हमको, विधायकों को सर्कुलेट नहीं किया गया जबकि हमारा अधिकार था। हमने सर्कुलेशन के लिए प्रेशराइज किया तो बहुत मुश्किल से वह लाइब्रेरी में रखी गयी। लाइब्रेरी में रखने के बाद में इसकी फोटोकापी निकली। इसकी फोटो कापी लेने से ऐसे तथ्य सामने आये हैं, जो चौंकाने वाले हैं और मैं आपको और सदन को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से यह सरकार भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण दे रही है।

पहली रिपोर्ट है आर. पी. जैन, आई. ए. एस. के बारे में, जो कि लोकायुक्त महोदय ने 16.10.95 को सब्मिट कर दी थी। लोकायुक्त महोदय बड़े दर्द के साथ लिखते हैं कि "This government is sitting on the report." इस सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया और जिसमें यह बिन्दु था। जिस समय आर. पी. जैन, आई. ए. एस. कोटा में कलक्टर थे, उस समय टीक की लकड़ी के 111 लट्ठों को उन्होंने अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट करवाया था।

लोकायुक्त महोदय ने उनके लिए कहा है कि इन पर मेजर पैनल्टी इम्पोज की जाए और आर. पी. जैन 'he may be put under suspension'. स्पष्ट शब्दों में लोकायुक्त ने कहा लेकिन यह भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, यह सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ लिप्त सरकार है इसलिए आर. पी. जैन के अगेंस्ट में इसने कुछ नहीं किया।

(16.00)

इसी प्रकार से लोकायुक्त महोदय ने एक रिपोर्ट दी जब मिस्टर आई. ए. एस. कावड़िया, आई. ए. एस., जे. डी. ए. कमिश्नर हुआ करते थे। यह रिपोर्ट 14.11.95 को प्रस्तुत की गयी। इस रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा—'disciplinary proceedings should be initiated for major penalty against Shri I.S. Kavadia.' लेकिन इस सरकार ने डेढ़ साल तक उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की। इसके लिए इनको यह स्पेशल रिपोर्ट गवर्नर महोदय को प्रस्तुत करनी पड़ी।

इसी प्रकार तीसरा, मिस्टर एम. डी. कोरानी, आई. ए. एस. के अगेंस्ट में लोकायुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट दिसम्बर, 1994 में प्रस्तुत की गयी। उसके अन्दर भी जब ये जे. डी. ए. के कमिश्नर थे उस वक्त, इम्प्रापर करप्ट मोटिव के लिए, ये शब्द हैं इसके अन्दर, उन्होंने कहा कि ये गिल्टी है और करप्शन और लैक ऑफ इंटीग्रिटी की लोकायुक्त महोदय ने इसमें टिप्पणी की है। इसके अगेंस्ट में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। इन्होंने लिखा है कि 'this Government, a competent authority are sitting over the Report, is a serious matter'. सभापति महोदय, एक आई. ए. एस. आफिसर हैं मिस्टर टी. आर. वर्मा, जिनके अगेंस्ट में 4-4 रिपोर्टें हैं, जिनके अगेंस्ट में पिछले दो

(125)

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

साल से इन लोकायुक्त महोदय ने चार रिपोर्टें दीं फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसकी भी उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट गवर्नर महोदय को प्रस्तुत की है जो कि 14.3.96 को प्रस्तुत की गयी थी। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 'it could be substantiated wholly and disciplinary proceedings for major penalty against Shri Verma in accordance with the disciplinary rules governing them are recommended.' इसके अगेंस्ट में भी कुछ नहीं किया गया और न ही कोई एक्शन लिया गया। टी. आर. वर्मा के अगेंस्ट में दूसरी रिपोर्ट अनुकम्पा बिल्डर्स है उसको स्वीकृत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर निर्माण कराने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करने के बारे में प्रस्तुत की गयी। इसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। टी. आर. वर्मा जब कमिश्नर थे तब उन्होंने अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिल्डिंग रैगुलेशन का उल्लंघन किया। प्लाट निर्माण में अधिक एफ. ए. आर., अधिक ग्राउंड कवरेज और जी. ओ. सैट-बैक आर. पी. सी. की मीटिंग करके उसको लाभ पहुंचाया, पद और स्थिति का दुरुपयोग किया। इसके लिए भी लोकायुक्त महोदय ने इनको दोषी माना है।

तीसरा मैटर था कि इन्होंने एम. आई. रोड पर आनन्द चैम्बर्स के निर्माण में हुई अनियमितताओं के लिए उसको मदद की। इसके लिए भी उनको सस्पैण्ड करने की लोकायुक्त महोदय ने अभिशंषा की थी।

चौथा, एम. आई. रोड के अन्त में ओम स्ट्रक्चर्स के रिवाल्विंग टावर के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए और टावर की छठी से नवीं मंजिल बनाने के लिए भी टी. आर. वर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया इसलिए उनको सस्पैण्ड करके उनके अगेंस्ट में कार्यवाही करने की लोकायुक्त महोदय ने अभिशंषा की थी।

अब, सभापति महोदय, प्रश्न यह उठता है कि क्या लोकायुक्त की इंस्टीट्यूशन को रखने का कोई फायदा है? मुख्य मंत्रीजी का एक भाषण मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूं और इस लोकायुक्त एक्ट, 1973 के दायरे के अन्दर मैं मुख्य मंत्री को भी लेकर आऊंगा और देश के अन्दर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। कहां गयी वे मुख्य मंत्रीजी की घोषणाएं, मुख्य मंत्रीजी की + + + घोषणाएं? it's full of sound and fury, signifying nothing. इसलिए सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी पर मैं चार्ज लगाता हूं कि इन्होंने लोकायुक्त महोदय की रिपोर्ट को जान-बूझकर दबाया, इनके ऊपर कोई ढंग से कार्यवाही नहीं की, इन आई. ए. एस. आफिसर्स को सस्पैण्ड नहीं किया। इसका

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

मतलब इनसे उनकी मिलीभगत है। इन करप्ट प्रैक्टिसेज के लिए मैं चार्ज लगाता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इसके विवरण में इसलिए नहीं जाना चाहता कि आज बी. ए. सी. की मीटिंग हो रही है। अगर आप वास्तव में राजस्थान से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, जैसे कि ऊंचे-ऊंचे दावे करते हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि आपको आज बी. ए. सी. की मीटिंग में तय करना चाहिए, इनीशिएटिव लेना चाहिए अपनी तरफ से कि यह लोकायुक्त की जो रिपोर्ट आयी है इसके ऊपर इस हाउस में कल चर्चा होगी। हम यहां से कुछ मैसेज दें राजस्थान की जनता को कि यह सरकार वास्तव में करप्शन हटाना चाहती है। वरना यही मैसेज जाएगा कि यह राजस्थान की सरकार करप्शन करने वालों को, करप्ट आफिसर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। सभापति महोदय, मैं इतना ही कह कर स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल जी।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, आज विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है......

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम पुकारा......

श्री सभापति : माननीय यातायात मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा, यातायात राज्य मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी के नाम पर माननीय सदस्य ने मुझ पर चार्ज लगाया है वह बिलकुल गलत है। केवल अखबारों की खबर पढ़कर और उसको सत्य मानकर इस हाउस में जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी की बात कह दी जाए, मैं समझता हूं माननीय सदस्य सीनियर हैं, उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। उन्हीं अखबारों में मैंने इसका स्पष्टीकरण दिया था। मैंने कोई दो बातें कहनी थीं। बिजनेस रूल्स के बारे में मैंने एक सीक्रेट लैटर माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा था। ज्ञान लेना और देना, किसी विषय में जानकारी हासिल करना, कोई जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी को तोड़ने जैसी बात नहीं आयी है। अब वह अखबारबाजी क्या हुई है और उस पत्र में क्या था वह समथिंग डिफरेंट है।

दूसरी बात, यह कोई इस हाउस में पहली बार नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इस हाउस में तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री श्री सुरेन्द्र जी व्यास ने भी तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी माथुर को रूल्स ऑफ बिजनेस की बात कही थी जो नेशनल पेपर्स में आयी थी। आप माननीय सदस्य उस बात को भूल गये

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

और इस सरकार पर चार्ज लगा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यातायात राज्य मंत्री जी, मैं ज्यादा इस बात को छेड़ना नहीं चाहता था। (व्यवधान) यातायात मंत्रीजी, मैं जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी दोनों की मानता हूं, नसरू खां जी की और आपकी। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया मुझे चर्चा का विषय नहीं बनाएं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप इनको पर्सनली मत लीजिये। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : मैंने कहा कि अखबार को पढ़ा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य, यह चर्चा का विषय नहीं बनाएं। चर्चा नहीं है। उन्होंने कुछ कहना था कह दिया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने इंस्टीट्यूशन का डीवैल्यूएशन किया है। आप इसको समझते नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय परसादीलाल जी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : क्या नसरू खां जी ने चार्ज नहीं लगाया? क्या नसरू खां जी ने आपके ऊपर चार्ज नहीं लगाया कि आप उससे मिले हुए थे? (व्यवधान) तो फिर वह जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी नहीं है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें। चर्चा का विषय नहीं है। माननीय परसादी लाल जी। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने अखबारबाजी की। या तो आपको इनको मना करना चाहिए था, आपको रिफ्यूट करना चाहिए था एलीगेशन जो लगाये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने कहां मना किया वह बताइए? (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी कह दी। समाप्त हुई बात। माननीय परसादी लाल जी।

विधेयकों का पारण

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, आज अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है और वित्त विधेयक वित्त मंत्रीजी पास कराएंगे। वित्त मंत्रीजी, आपने जब से राजस्थान का चार्ज सम्भाला है, आपने पहली बार तो यह बजट पेश किया और पहली बार इतनी जल्दी आप सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर आ गये। आपके वित्त मंत्री बनने के बाद, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, आपका स्टेटमेंट आया है कि हम अध्यापक नहीं लगाकर एक हजार रुपये में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक लगाएंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : आप जो बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। स्टेटमेंट यह नहीं है। हमने कहा है कि जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं हों तब तक के लिए हम यह व्यवस्था कर रहे हैं। यह नहीं कहा कि उनकी जगह लगाएंगे। यह गलत कहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : मैंने अखबार में पढ़ा है। माननीय वित्त मंत्रीजी, आपने यह भी कहा है कि नियमित नियुक्ति नहीं हो तब तक हम एक हजार रुपये में अध्यापक नियुक्त करेंगे। लेकिन न तो एक हजार रुपये में एक अध्यापक नियुक्त हुआ है और न प्राथमिक विद्यालयों में आज तक कोई अध्यापक पहुंचे हैं। आप तो इस वित्त मंत्रालय पर कर्ज बनकर बैठे हैं। आज हालत यह है, सभापति महोदय, गांव में प्राथमिक विद्यालयों में 200-200 विद्यार्थियों पर एक-एक अध्यापक है। स्कूल के व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं, कहीं सैकण्ड ग्रेड के पड़े हैं। वित्त मंत्रीजी ने एक नया आदेश और निकाला है। हमने एस्टीमेट कमेटी में वेटरिनरी डिपार्टमेंट को बुलाया था, वहां एक बात उभर कर आयी कि स्केल नम्बर एक से 6 तक का जो भी पद रिक्त होगा, चाहे वह सेवानिवृत्ति से हो, चाहे वह किसी के एक्सीडेंट में मर जाने से हो या किसी कारण से हो, हम उस पद को ही समाप्त कर देंगे। वेटरिनरी में आप देख लीजिये, आयुर्वेद औषधालयों में देख लीजिये, दूसरे हॉस्पिटल में देख लीजये, स्कूल में फोर्थ क्लास देख लीजिये, सारी जगह आज पोस्ट वेकेन्ट है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य एस्टीमेट कमेटी के सदस्य हैं जिसकी यहां पर चर्चा कर रहे हैं?

श्री परसादीलाल मीणा : हां।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपने नियमों में है कि जिस कमेटी के अपन सदस्य हैं उस कमेटी की चर्चा यहां नहीं करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : कमेटी के सदस्य बन जाएंगे तो उस बारे में कुछ बोलेंगे नहीं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो मामला वहां आया है वह यहां नहीं उठाएं। यह है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : जो कैबिनेट के मैम्बर हैं, जिनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं है, वे रोते हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : वे भी एस. पी. को सस्पैण्ड करने की मांग करते हैं। (व्यवधान) यह कहां की बात है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम किस बात की आलोचना करते हैं? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : कैबिनेट मैम्बर की क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। हमने आलोचना किस बात की, की है? (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन है, यह बात सही है कि यह परम्परा रही है कि जिस कमेटी के आप मैम्बर हैं यदि वहां कोई प्रश्न उठा दिया गया है तो वह यहां नहीं उठाएं। यह नियमों की परम्परा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : प्रश्न नहीं है___(व्यवधान)___कैबिनेट मंत्री यहां आकर

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

क्या बात करते हैं, कैबिनेट में क्यों नहीं बात की?

श्री सभापति : —इसलिए उस बात को अवाइड करें।

श्री परसादीलाल मीणा : कमेटी की बात नहीं है, सभापति महोदय, आप कहीं भी चले जाइये, औषधालय में चले जाइये, स्कूलों में चले जाइये। कौन तो सफाई करेगा? अध्यापक नहीं हैं, विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे गांव के? आज शहरों में स्कूलों को देख लीजिये, प्राथमिक विद्यालय में पहली से पांचवी क्लास में 7-8 अध्यापक हैं और गांव में एक-एक अध्यापक हैं। मेरे गांव की स्कूल की मैं बता रहा हूं, वह सीनियर सैकण्डरी बन गया, वहां व्याख्याताओं के दो पद दो साल से वेकेंट पड़े हैं। विद्यार्थियों ने आन्दोलन किया, वहां का रास्ता जाम किया। आज तक लेक्चरार नहीं लग पाये। विधान सभा में सवाल लगाया तो यह बताया कि आर. पी. एस. सी. से लिस्ट आएगी। कोई प्रमोशन वाले आते नहीं। ये हालात इस राज्य में हो चुके हैं। विद्यार्थियों की परीक्षाएं आने वाली हैं वे कैसे परीक्षाओं की तैयारी करेंगे? वित्त मंत्रीजी, अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। गांव में आज प्राइमरी स्कूलें आप खोल रहे हैं, एक भी अध्यापक का पद आप नया नहीं दे रहे हैं पंचायत समितियों को, जिसके कारण दो सौ, ढाई सौ एक-एक अध्यापक लेकर बैठा रहता है दिन भर।

दूसरी बात मैं बताऊं, लोक निर्माण विभाग में ये असली बजट से ज्यादा सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स लेकर आये हैं। मैं हालात बताता हूं, सभापति महोदय, डी. आर. डी. ए. की सड़कों में पी. डब्ल्यू. डी. जो काम कराता है उसका 30% भी ये खर्च नहीं करते हैं। सारा पैसा पी. डब्ल्यू. डी. के अफसरों की जेब में जा रहा है। हमने और हरिसिंह जी ने, दौसा जिले के सारे विधायकों ने यहां विधान सभा में मांग की थी कि दौसा जिले में जो डी. आर. डी. ए. में सड़कें बनी हैं आप उनकी जांच कराइये। पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री ने नहीं कहा, यह चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि हम एडिशनल चीफ इंजीनियर से इसकी जांच कराएंगे। एक-सवा साल हो गया, सभापति महोदय, आज तक उसकी जांच की कार्यवाही भी शुरू नहीं हुई। सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। एक्स. ईएन. के ट्रांसफर में पैसा, एस. ई. के ट्रांसफर में पैसा, ए. ईएन. के ट्रांसफर में पैसा, जे. ईएन. के ट्रांसफर में। दौसा में एक साल में चार-चार एक्स. ईएन. लगाये जाते हैं और ए. ईएन. और जे. ईएन. का तो पता नहीं कब आ गया। उनकी मंथली जब पूरी हो जाती है तो उनका बायकाट कर दिया जाता है कि जाइये आप दूसरे जिले में। यह हालात पी. डब्ल्यू. डी. के भ्रष्टाचार के हैं जिसके ललित जी आज कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं। पर यह जब जनता से पूछेंगे तो पता चलेगा कि पी. डब्ल्यू. डी. के क्या हालात हैं। सड़कों का कहीं अता-पता नहीं है और एम. बी. असत्य भर दी जाती है।

उसके बाद आप देखिये, सभापति महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं,

(130)

(श्री परसादीलाल मीणा)

सड़कों के लिए डी. आर. डी. ए. ढाई लाख रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा देता है। वहां मिट्टी बिछा दी जाती है___

श्री टीकमचन्द कान्त : मंत्री यहां है नहीं और विभाग की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब नहीं करें। कृपया व्यवधान नहीं डालें। बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सरकार बैठी है___(व्यवधान)___पढ़ लेंगे प्रोसीडिंग।

श्री परसादीलाल मीणा : और मिट्टी बिछाने के बाद मैं यह भी चार्ज लगाना चाहूंगा पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर के ऊपर कि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पर ठेकेदार बना दिया जो इंजीनियरों पर दबाव डालते हैं और हर तीन महीने में ट्रांसफर कराते हैं। जो उनके कहने से काम नहीं करता उसका तीसरे महीने में ट्रांसफर हो जाता है। देख लीजिये आप लिस्ट उठाकर, डिप्टी सी. एम. साहब, कि एक साल में कितने एक्स. ईएन. बदले जाते हैं, कितने जे. ईएन. बदले जाते हैं-उनको जो पैसा नहीं देगा, जो आपके कार्यकर्ताओं का कहना नहीं करेगा, गलत एम. बी. नहीं भरेगा, पेमेन्ट नहीं कराएगा। आप दौसा जिले में सड़कों की हालत देख लीजिये, कहीं भी चले जाइये। आप सप्लीमेंट्री डिमाण्ड ले रहे हैं, कम से कम पैसा तो लगवाइये। 80% जो ठेकेदार दौसा जिले में हैं वे बी. जे. पी. के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बिल्ला लगाकर घूमते हैं कि हमारा पेमेन्ट नहीं किया तो ललित जी से कह कर आपका ट्रांसफर करा देंगे। यह आपका विभाग है। इस तरह आपका सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है।

जैसा अभी लक्ष्मणसिंह जी कह रहे थे, आपने आई. ए. एस. अफसरों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? मैं भी पांच साल उधर बैठा हूं, भैरोंसिंह जी यहां बैठते थे तो, सभापति महोदय, सब अफसरों को गिनाते थे। कोरानी को गिनाते थे, कोरानी ने क्या किया? कावड़िया ने क्या किया? कोरानी, कावड़िया व राजेन्द्र जैन जिनके खिलाफ हमारे भाई साहब ने राष्ट्रपति शासन में चार्ज लगाया था, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर मुख्य मंत्री जी इनकी बात नहीं मानते हैं तो। इन्होंने लकड़ियों के ट्रक में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, वह रिपोर्ट आ चुकी है। मुख्य मंत्रीजी के पास है, लोकायुक्त की रिपोर्ट है। क्या करवाया आपने राजेन्द्र जैन का? आप भाषण देते थे। आप प्रमोशन करवा सकते हैं। आपको पैसा मिल गया होगा, आपके मुख्य मंत्री को मिल गया होगा, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल गया होगा इसलिए आप उसका प्रमोशन ही करवाएंगे। किसी को आप सजा नहीं दे सकते हैं। फिर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : प्रमोशन हुआ नहीं है, रुका है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वही व्यवहार होगा जो सिकन्दर ने पोरस के साथ किया था।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। उन्हें बोलने दीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी तो जबान ही बन्द हो गयी है मंत्री बनने के बाद। सभापति महोदय, हमारे जिले में मेरे साथी कह रहे हैं कि एक साल में 9 एक्स. ईएन. लगाये हैं। एक्स. ईएन. अगर दो महीने का पैसा देगा तो वह दो महीने रहेगा, तीन महीने का वह पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर को पैसा देगा तो तीन महीने रहेगा। मैं पूछना चाहूंगा, उप मुख्य मंत्रीजी, आप बैठे हैं कि जब मुख्य मंत्री जी ने यहां पर डी. आर. डी. ए. दौसा की सड़कों की जांच के लिए एडिशनल चीफ इंजीनियर को अपाइंट किया था यह कहा था कि हम तीन महीने में जांच कराएंगे। यहां फ्लोर का आश्वासन था। आज तक उसकी पूर्ति नहीं हुई है। एक भी सड़क की जांच नहीं हुई है और न ही एक भी इंजीनियर को उसके लिए पनिश किया है। पता है कि सारा बी. जे. पी. के ठेकेदारों को पेमेन्ट हुआ है, उनसे वसूली होगी इसलिए आप उनके खिलाफ भी कार्यवाही नहीं करेंगे।

मैं आपको कहना चाहूंगा, पेयजल योजनाओं की हालत आप देखिये——

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करिये, बहुतों को बोलना है। पहले लिस्ट नहीं थी अब लिस्ट बहुत लम्बी हो गयी है।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, योजना बना दी जाती है। उसके रख-रखाव के लिये कहेंगे हम ठेके पर देंगे। आज गांव की जो पेयजल योजनाएं हैं वे इसलिए नहीं चल पाती हैं, सभापति महोदय, कि उनका रख-रखाव नहीं है। महीने में 10 बार मोटर जलेगी, पांच बार मोटर जलेगी। उसके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ठेकेदार जान-बूझकर मोटरों को जलाता है, जान-बूझकर गांव की सप्लाई बन्द कराता है। आज ठेके पर यह जो दोहरी व्यवस्था है, हैण्ड पम्पों के रख रखाव की यह देख लीजिये। आज ज्यादातर गांवों के हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। आप साल में अभियान चलाते हैं, मैं कहता हूं, जलदाय मंत्री जी, आप देखिये, गांव में जाकर। एक बार बजट स्पीच में मुख्य मंत्री ने कहा था कि हैण्ड पम्पों की दोहरी व्यवस्था खतम कर रहे हैं। आप चले जाएंगे, आपकी दोहरी व्यवस्था खतम नहीं होगी। आप जब साल में दो बार अभियान चलाते हैं तो क्यों नहीं सारे हैण्ड पम्पों का रख रखाव एक बार ही डिपार्टमेंट को दे देते? इन मिस्त्रियों को आप डिपार्टमेंट के अण्डर में क्यों नहीं दे देते? आज गांवों में जो शिकायतें हैं वे इसी तरह की शिकायतें आ रही हैं।

मैं आपको कहना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी कि गांवों में प्राथमिक विद्यालयों में जो भी मास्टर लगाना है एक हजार रुपये में लगाने के बजाय आप परमानेंट पोस्टिंग करिये। बेरोजगारी जो बढ़ रही है, हमारे यहां के बी. एड. के छात्र हैं इधर-उधर घूम रहे हैं, अगर आपने एक हजार में लगाए तो हो सकता है आपको फिर एक आन्दोलन का सामना करना पड़े। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि गांवों में अध्यापकों के जितने पद रिक्त हैं आप इनको इसी सितम्बर माह में भरिये।

(132)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : एक बात मेरे लालसोट की कहूंगा कि लालसोट में व्याख्याताओं के चारों सैकण्डरी स्कूलों में 14 पद खाली पड़े हैं। कैसे पढ़ाई चलेगी? आप उन व्याख्याताओं के पदों को भरने के लिए चाहे आर. पी. एस. सी. कराइये, चाहे डी. पी. सी. कराइये, गांव के जितने भी पद खाली पड़े हैं उन पदों को भरिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति जी, बीच में बैठे हैं हम लोग।

श्री सभापति : सब ध्यान है।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सूरतगढ़ में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लग रहा है उसमें जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई थी उनमें से काफी काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिलने के पीछे ऊर्जा विभाग अकेले का दोष नहीं है, इसमें राजस्व विभाग की भी बाधा है। सभापति महोदय, जिन लोगों के पास सन् 1955 से पहले की भूमि है या सन् 1955 के बाद की है और 25-25 वर्ष के डी. सी. अलॉटमेंट हैं, उन्होंने खातेदारी लेने के लिए बार-बार प्रार्थना पत्र दिये। उन काश्तकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी अलॉटमेंट अधिकारी की है, सरकार की है कि उनको खातेदारी अधिकार देते। खातेदारी अधिकार नहीं होने के कारण काश्तकार मुआवजे से वंचित रह गये। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान को सूरतगढ़ थर्मल से बिजली मिलेगी लेकिन जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त कर ली, जहां पर थर्मल बन रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिला वे लोग दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। पिछले 6-7 वर्ष से भूमि अवाप्त कर ली गई, अगर उन काश्तकारों को उस समय मुआवजा मिल जाता है तो वे उस पैसे से भूमि खरीद सकते थे। सभापति महोदय, आज भूमि की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। उस मुआवजे से जितनी भूमि उनकी थर्मल में अवाप्त हुई है उससे वे उसकी आधी भूमि भी नहीं खरीद सकते। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले को तत्परता से निपटा कर काश्तकारों को मुआवजा दिलाया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, और पूर्व में भी मैंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो घरेलु कनेक्शन गांवों के लोग लेते हैं उसमें घोषणा आपने कर रखी है, नीति भी बना रखी है कि अभियन्ता गांवों में जाकर प्रार्थना पत्र लेंगे और वहीं पर सिक्योरिटी जमा करवा कर कनेक्शन करेंगे। परन्तु, सभापति महोदय, ऐसी व्यवस्था लागू नहीं हुई है। आज एक गांव का आदमी घर का कनेक्शन लेने के लिए 2-2 महीने तक सहायक अभियन्ता के

(श्री रामप्रताप कासनियां)

चक्कर लगाता रहता है और उसका हजारों रुपया किराये में खर्च हो जाता है। इस व्यवस्था में सरकार को कोई खर्च नहीं होने वाला है न कोई बजट में असर पड़ने वाला है, यह तो एक व्यवस्था लागू करने की बात है। आप बड़े आदेश दीजिये कि जिस गांव का विद्युतीकरण हो रहा है या हो गया है, जो लोग कनेक्शन लेना चाहें उनके प्रार्थना पत्र गांवों में ले लिये जाएं और वहीं मौके पर सिक्योरिटी जमा करवा कर उसी दिन कनेक्शन आदेश जारी होने चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जिन गांवों का विद्युतीकरण हो गया है उन गांवों में अधिकतर के अन्दर पोल्स पर जो तार लगे हुए हैं वे हवा में झूल रहे हैं। अब तो इस व्यवस्था पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने काफी ध्यान दिया है और नये गांवों का विद्युतीकरण हो रहा है, उनकी लाइन ठीक तरह से खींची जा रही है परन्तु 10-10, 15-15 वर्ष पूर्व में जो लाइनें खींची गयी थीं वे हवा में झूल रही हैं। ऊँट पर बैठा हुआ आदमी तार के चिपक कर मर जाए, इस तरह की दुर्घटनाएं कई गांवों में घट भी चुकी हैं। सभापति महोदय, तार खिंचवाने में सरकार का कोई बहुत बड़ा खर्चा लग जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर गांव के अन्दर विभाग के एक-दो आदमी चले जाएं तो गांव के लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आज गांव का आदमी हर तरह से सहयोग करता है, जब भी नये गांव में विद्युतीकरण होता है तो पोल वह स्वयं के खर्चे से लाता है__

श्री सभापति : समाप्त करें अब।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, अभी तो शुरू ही किया है।

श्री सभापति : बाकी बहुत लोगों को बोलना है। टेलीग्राफिकल लैंग्वेज में बोलिये फटाफट अपनी बात।

श्री रामप्रताप कासनियां : पढ़ा-लिखा नहीं हूं, बद्-किस्मती से अनपढ़ हूं, स्पीड से तो नहीं बोल सकता।

श्री सभापति : बोलने में पढ़े-लिखे और बिना पढ़े-लिखे की क्या बात है? खैर, प्लीज कंटीन्यू।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से कोशिश करके बोलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूं कि एकदम तेज स्पीड से बोल लूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो विद्यालय हैं वह चाहे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे सीनियर माध्यमिक विद्यालय हो, उनमें जो रिक्त पद पड़े हैं उनको शीघ्र भरा जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी शिक्षित हो सकें। सरकार ने बड़ी मुस्तैदी से बहुत स्कूल खोले हैं। सभापति महोदय, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में एक प्राब्लम और है।

मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 20-20, 30-30 वर्ष से आर. एम. पी. डाक्टर काम कर रहे हैं, वे

(134)

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सब नाकारा हैं, ऐस बात नहीं है। उनमें भी कुछ लोग काबिल हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार उनको स्वयं के खर्चे पर ट्रेनिंग दिला दे ताकि गांव के लोग प्राथमिक उपचार करा सकें। मैं उदाहरण के तौर पर एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी पिछले ही दिनों की बात है कि मेरे मामाजी के ब्रेन हैमरेज हुआ था, ब्लड प्रैशर हाई हो गया। वहां से शहर 40 किलोमीटर दूर था लेकिन एक आर. एम. पी. डॉक्टर गांव में था जिसने ब्लड प्रैशर लो करने के लिए उनके सुई लगायी और गोलियां दीं जिससे उनकी जान बच गयी।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो नीम हकीम हैं उस तरह के लोगों की भी छटनी की जा सकती है, स्वयं के खर्चे पर उन लोगों को प्रशिक्षण देकर। प्रशिक्षण तो वैसे वे लोग प्राप्त कर चुके हैं परन्तु फिर भी अगर सरकार समझती है कि उनको किसी न किसी तरीके से ट्रेण्ड करें तो स्वयं के खर्चे पर ट्रेनिंग दिलाकर उन लोगों को तब तक काम करने की छूट दी जाए जब तक ग्रामीण क्षेत्र में समस्त स्वास्थ्य चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं हो जाए।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन सरकार से आपके माध्यम से और करना चाहूंगा कि जब से हनुमानगढ़ जिला बना है तब से मेरा क्षेत्र दो भागों में बंट गया। आधा क्षेत्र तो गंगानगर में चला गया, वहां तो खूब विकास हो रहा है और पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़ जिले में चली गयी उसमें विकास नहीं हो रहा है। कुछ तो मंत्रियों की भरमार ज्यादा है, मैं सोचता हूं शायद उसकी मार पड़ रही है। इसके अलावा कोई बजट देने में कमी है या कोई और व्यवस्था है? सभापति महोदय, हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में शायद पूरे राजस्थान में सबसे कम पैसा मिला है विकास के नाम पर पीलीबंगा तहसील को।

सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्षों से जिन लोगों के पास भूमि थी उसका आबंटन सरकार ने रोक दिया है। कांग्रेस सरकार के समय में सन् 1987 में प्रथम चरण में भूमि अलाटमेंट पर पाबन्दी लगायी गयी थी सिर्फ भूमिहीनों के लिए। परन्तु अधिकारियों ने उस आर्डर को जारी करते समय इस तरह की व्यवस्था कर दी कि किसी भी तरीके का अलाटमेंट गंगानगर जिले में प्रथम चरण में नहीं हो सकता। सभापति महोदय, टी.सी. होल्डर्स हैं उनको खातेदारी दी जा सकती है, बालिग पुत्रों की मिसल जो पैंडिंग पड़ी है उनको भूमि अलाटमेंट किया जा सकता है परन्तु पाबन्दी लगा रखी है। सभापति महोदय, कानूनी तौर पर वे लोग भूमि पाने के पात्र हैं। सिर्फ सरकार के यह आदेश हैं इस कारण से आबंटन नहीं हो रहा है। सरकार चाहे तभी वो कोर्ट के माध्यम से अपना हक लेने में सक्षम हैं, पात्र हैं और ले सकते हैं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये कृपया।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय भंवरसिंह जी।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : सभापति महोदय, इस एक्ट के पास होने से पूर्व मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। एनुअल रिपेयर्स फण्ड का हाल यह हुआ कि सड़कों की लम्बाई बढ़ती गयी और एनुअल रिपेयर्स फण्ड कम होता गया। विशेषतः मेरे मेड़ता उप खण्ड में जो गत वर्ष रिपेयर फण्ड था वह उतना ही रहा जबकि सड़कें और बढ़ीं। कई खण्डों, तहसीलों में मालूम किया गया तो वहां पैसा कम कर दिया गया है। इस फण्ड में से 50 से 60 प्रतिशत पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग के उन कर्मचारियों की तनख्वाह में चला जाता है जो बारहमासिया कहलाते हैं। तो, सड़कें बन रही हैं, विकास हो रहा है लेकिन पुरानी सड़कें टूट रही हैं और उनका फण्ड उपलब्ध नहीं है। मिनिमम नीड प्रोग्राम में सड़कों की स्वीकृति के लिए न मालूम किस स्तर पर 6 महीने से हमारे पास प्रस्ताव पड़े है। इस प्रकार के रास्ते मुझे मालूम हैं, मैं हाउस के प्रांगण में कहना नहीं चाहता, लेकिन एक सितम्बर को सड़कें प्रारम्भ हो जानी चाहिए थी उनकी स्वीकृति नहीं आयी। कब उनके टेण्डर होंगे, कब सड़कें बनेंगी। जितने में बरसात आ जाएगी। तीसरा, नाबार्ड से लोन लेकर कुछ सड़कें स्वीकृत करने का राज्य सरकार का विचार था, उसकी भी आज तक एक भी स्वीकृति नहीं आयी। अब सड़कों की आम हालत के बारे में निवेदन कर दूं। डी. आर. डी. ए. के द्वारा बनायी गयी डब्ल्यू. बी. एम. सड़कें अगर साल भर के बाद ब्लैक टाप नहीं होती है तो वें सड़कें नहीं रहकर बाधा सड़कें बन जाती हैं। कंकर उछलते हैं, पैदल चलता हुआ आदमी गिरता है, गाड़ियों के टायर टूटते हैं। इसलिए प्रार्थना है कि राज्य सरकार को सड़क पॉलिसी में तय करना चाहिये कि डब्ल्यू. बी. एम. सड़क को बनाने के एक साल में उसको ब्लैक टाप किया जाए। सड़क नीति और कई नीतियां आबादी से जोड़ रखी हैं। इधर तो कहते हैं आबादी घटाओ और इधर कहते हैं कि इतनी आबादी लाओ तो सड़क दें। खैर, जो भी है। लेकिन मेरे इसमें दो निवेदन हैं कि टिवन विलेज, जो जुड़वां गांव हैं उनकी आबादियां अलग-अलग करके उन दोनों गांवों को सड़कों से महरूम रखा जा रहा है। सभापति महोदय, कई ऐसे गांव निकल जाएंगे जो बहुत सटे हुए हैं, फलां-कलां और फलां-खुर्द। लेकिन इस तरह करने से उन गांवों को सड़कें नहीं मिल रही हैं कि आबादी में नहीं आती। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे गांव हैं जिसमें चिकनी और काली मिट्टी है और आबादी में कम हैं। इन गांवों के लिये भी विशेष प्रावधान करना चाहिये। बरसात के 4 महीने में बीमार व्यक्ति भी गांव से बाहर नहीं निकल सकता। यह मेरी पीड़ा है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपकी सड़क नीति में ज्यादा स्ट्रिक्टली पापुलेशन पर डिपेंड नहीं रहकर कुछ ऐसे प्रावधान किये जाएं कि जिनको जरूरत है उनको सड़क मिल सके।

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

एक पाइंट और रह गया मिसिंग लिंक्स। दो तरह के मिसिंग लिंक्स हैं। एक सड़क इधर से बनना शुरू हुई दूसरी इधर से आयी बीच में 3-4 किलोमीटर पड़ा है। उस सड़क का न तो वह छोर उपयोग ले सकता है और न वह छोर उपयोग ले सकता है। इसी तरह अन्तरजिला सड़कें, इस जिले को इस गांव में पहुंचा दी सड़क, सामने वाले गांव में दूसरे जिले ने पहुंचा दी, 3 या 4 किलोमीटर का फासला कच्चा पड़ा है। एक जिले से दूसरे जिले में रिश्तेदार हैं, मंडियां हैं, अन्य काम होते हैं, आवागमन होना ही होता है। तो ऐसा भी प्रावधान रखा जाए कि अन्तरजिला सड़कों का निर्माण करने के लिये कोई न कोई प्रावधान हो। इस आबादी के मानदण्ड को, श्रीमान्, सब जगह काम में लिया जा रहा है। स्कूल देना चाहें तो इतनी आबादी होनी चाहिये। मैं तो यह प्रार्थना करता हूं कि छात्रों की संख्या को देख लें, जनसंख्या न देखें। छात्रों की संख्या देखकर स्कूलें खुलवायी जाएं। इसमें अगर एक या दो छात्र कम भी रह जाएं तो स्ट्रिक्टली यह नहीं कि 14-15 बच्चे होने चाहिये तभी हम स्कूल क्रमोन्नत करेंगे। अगर इसमें 14 हैं तो भी क्रमोन्नत की जाएं और 16 हैं तो वैसे होनी ही है। किसानों की सरकार को कई दफा लोगों ने धन्यवाद दिया और मैं भी इसमें शामिल हूं कि हमारी बिगोड़ी माफ की। कुल मिलाकर 5 करोड़ की बिगोड़ी माफ की होगी। हर साल 5 करोड़ का रजिस्ट्रेशन टैक्सेशन बढ़ रहा है किसानों पर। इससे ऊपर ही बढ़ता होगा। कोई भी ऐसा खेत नहीं है जो उसकी कीमत से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देता होगा। एक बंद कमरे में बैठकर यार्डस्टिक बना कर हर महीने 10 परसेंट कीमत बढ़ा दी जाएं और ऐसे नियम बना दिये जिन के कारण खेतों की कीमत की तीन गुणा और चार गुणा तक की रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, किसानों के साथ लूट है। मजबूरी है, हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन में हमें इतना पैसा देना पड़ता है जो उस कीमत से कई गुणा हैं।

दो मिनट का समय और लूंगा। मैं दो दिन पहले ही हनुमानगढ़ गया। 20 रुपये वाली नकल देने वाली बात वहां तो और भी विचित्र है। हनुमानगढ़ क्षेत्र में एक गांव चकों में बंटा, एक काश्तकार के चारों चकों में खेत आये। उस आदमी को कई-कई जगह 20-20 खातेदारियों की नकल देनी पड़ती है और 20 रुपये के हिसाब से 400 रुपये तक देने पड़ते हैं। जमाबंदी की अलग, गिरदावरी की अलग। इस तरह से यह जो तकलीफ है किसानों की, वह दूर की जानी चाहिये।

एक प्रार्थना ऊर्जा मंत्री जी से करूंगा जो अभी बैठे थे, चले गये। किसानों को सस्ती बिजली दी जा रही है, कोई अहसान नहीं। किसान इस देश का विकास करता है, किसान इस देश का भरण-पोषण करता है। बिजली सस्ती मत दीजिए लेकिन हमारी लागत कीमत में आप फसल लीजिए। कौन राय देता है आपको बिजली सस्ती देने की।

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

लेकिन एक और टैक्स लगता है किसान के ऊपर सब्सिडी के अलावा ई. डी., जिसको बोलते हैं इलैक्ट्रिक ड्यूटी। वह बोर्ड को नहीं जाती है वह इस सरकार में जमा होती है। ई. डी. का जितना भी पैसा आप ले रहे हैं उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं, किन्तु मैं यह प्रार्थना करता हूं कि बोर्ड का घाटा कम करने के लिये वह पैसा बोर्ड में जमा कराया जाए ताकि बोर्ड जो दिवालियेपन की कगार पर जा रहा है उसकी हालत सुधर सके।

अंतिम छोटा-सा एक प्रश्न है। मैं तो यह कहता हूं कि आप विद्युत कर और विद्युत चार्जेज बिलकुल बंद कर दें पंजाब की तरह और एक सोच लावें कि कृषि के द्वारा इस देश का विकास होता है। उत्पादन ज्यों ही बढ़ता है आपके सारे टैक्सेज भी बढ़ जाते हैं—मंडी टैक्स जिससे विकास होता है, सेल्स टैक्स जिससे विकास होता है। व्यापारी की खरीद की कीमत ज्यादा होने से व्यापारी को इनकम टैक्स देना पड़ता है, ये सारे टैक्सेज और बाकी बाजार के टैक्सेज किसान देता है। आप कर सकें तो एक नयी इकानामी आ सकती है, एक नया आर्थिक सोच आ सकता है। इतना ही कहकर, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय हरिसिंह जी (महुआ) (अनुपस्थित)। माननीय श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : सभापति महोदय, अभी इस सदन में वर्ष 1986-87 से लगाकर 1990-91 तक जो अतिरेक खर्चे किये गये हैं उनको रेगुलाइज करने के लिये डिमांड पास कराने के साथ-साथ एप्रोप्रिएशन बिल के जरिये सदन के द्वारा स्वीकृति लिये जाने के बारे में चर्चा की जा रही है और बिल पेश किये गये हैं। जिन डिमांड्स पर चर्चा की गयी है उन्हीं तक अपनी बात को सीमित करते हुए मुख्य-मुख्य बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा।

दुर्भाग्य से पूर्वी राजस्थान में पानी बहुत है और 10 साल के अर्से के दौरान 5-7 साल ऐसे बीतते हैं जिनमें पानी से लोग डूबते रहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का दुर्भाग्य यह है कि 10 साल में से 7 साल अकाल पड़ता रहता है और एक-दो साल फसलें होती हैं। उस समय दूसरे किसी कारण से संकट की स्थिति बनने से किसानों के हाथ में जब अनाज नहीं आता है तो उसका पैसा नहीं मिलता। इसलिए कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मेरा निवेदन यह है कि जब ऐसी स्थिति पश्चिमी राजस्थान में भूगोल की है तो वहां पर एक-एक बूंद जो बरसात की पड़ती है उसका सदुपयोग होना चाहिये। बरसात के दिनों में अरावली के पहाड़ से निकलने वाली सारी नदियां हैं जो पाली, सिरोही और जालौर जिले में होकर आगे जाकर कच्छ की खाड़ी में मिल जाती हैं। वह पानी प्रवाहित होकर हमारे जो काम में नहीं आता है उस पानी का उपयोग होना चाहिये। बहुत बड़ी नदी, जंवाई नदी जो कि जालौर जिले के लिये जीवन दायिनी अगर मैं कहूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी,

(श्री भगराज चौधरी)

उस नदी पर स्टेट के समय पर बांध बना दिया गया। वह हमारे जालौर जिले के लिये अभिशाप का कारण बना। उस पानी पर जब बांध बना था तो हमने सोचा था कि शायद हमें सिंचाई के लिये पानी दिया जाएगा। दुर्भाग्य से इस बांध में से आधा पानी तो चला जाता है जोधपुर शहर के पीने के लिये। जोधपुर शहर को इन्दिरा गांधी नहर से पीने के लिये पानी देने की बात 10 साल से चल रही है मगर अभी तक पूरा पानी आया नहीं है। मैंने बीकानेर से बात की, पूरा पानी सीमित मात्रा में देने के बारे में योजना बनायी है। उतना पानी जब तक पहुंचेगा तब तक फिर आबादी बढ़ती रहेगी और किसी भी प्रकार से कभी भी आपका बंधे का पानी जोधपुर शहर को देना बंद नहीं किया जाएगा। यह हमारा दुर्भाग्य है। इसके पश्चात् जो शेष आधा पानी बचा जंवाई बांध में उस पानी का उपयोग भी पेयजल योजनाओं के लिये पाली जिले में किया जा रहा है। यह तो हमारे लिये विपत्ति का कारण बन गया। जालौर जिले में जो हमारी जीवन-दायिनी नदी है उस नदी से क्षेत्र को हरा-भरा बनाये रखने के लिये, उसमें पानी की मात्रा बढ़ाने के लिये बांध तो बना लिया मगर उस नदी के दोनों किनारों पर डेढ़ सौ गांव बसे हुए हैं और करीबन दो सौ किलोमीटर नदी हमारे जालौर में होती-होती आगे जाकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी के साथ में 5-7 दूसरी नदियां हैं जो मारवाड़ की हैं–जोतड़ी, लीलड़ी, सूखड़ी, बांडी, लूणी और सांगी और ऐसी कई नदियां हैं, आगे जाकर सांचौर नेड़ क्षेत्र में जल प्रवाहित होकर जिनका सारा का सारा पानी कच्छ की खाड़ी में गिर जाता है। उस पानी का सिंचाई में उपयोग करने के लिये, इनंडेशन का सिंचाई के काम में लेने के लिये हमने वहां पर छोटे-छोटे बांध बनाए थे। वे सारे बांध टूट गये। खैर, वे टूट गये, सो टूट गये। इसकी मुझे शिकायत तो है ही, उनका भी दुबारा संधारण होना चाहिए। मगर मेरा दूसरा निवेदन यह है कि डेढ़ सौ गांव, जो इस नदी के प्रवाहित जल से हरे-भरे रहते थे और हजारों कुएं, जिन कुओं में पानी आता था, वे सारे कुएं आजकल निर्झर हो गये। सैकड़ों हमारी पेयजल विभाग की योजनाएं, ट्यूबवैल उन पर बने हुए हैं, स्रोत सूखने के कारण से उनकी समस्या बन गयी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जंवाई बांध के कुछ गेट्स, कम से कम 4-5 गेट्स खोलकर हमें जंवाई नदी में पानी डालना चाहिए जिससे कि कम से कम डेढ़ सौ गांवों की एक नयी समस्या जो खड़ी हो गयी है, उसका भी समाधान हो सके।

साथ में मेरा निवेदन यह था कि थोड़ा-बहुत, छोटा-मोटा पानी आप सिंचाई में जंवाई बांध से दे रहे हैं। उसमें-से बहुत-सी नहरें कच्ची हैं, टूट गयीं, फूट गयीं। जब भी हम पानी देते हैं नहरों के जरिये सिंचाई के लिये तो कच्ची नहरें होने के कारण 20 प्रतिशत पानी सीपेज, जमीन में चला जाता

(श्री भगराज चौधरी)

है और किसान के खेत में पहुंचता ही नहीं है। तो कितना बड़ा वेस्टेज हो रहा है? आप थोड़ा-सा इस पर सोचिये कि एक-एक बूंद का उपयोग केवल मात्र किसान के खेत में ही होना चाहिए बीच में वेस्टेज नहीं हो। इसको देखने के लिये, जो भी नहरें अभी कच्ची हैं, पक्की नहीं हैं या टूट गयी हैं, फूट गयी हैं उनकी रिपेयरिंग करवाइये तथा पक्का बनवाइये।

मेरे क्षेत्र में करीबन 30-32 गांव हैं जो कि जंवाई नहर के कमाण्ड क्षेत्र में पड़ते हैं, उनमें काफी नहरें कच्ची हैं। मैंने कई बार प्रश्न किये, मगर, सभापति महोदय, जवाब गलत ही आता है कि नहरें पक्की हैं, पूरी हैं, फलां हैं, वह हैं। किसी अधिकारी को फुर्सत नहीं मौके पर जाकर सही स्थिति देखने की मेरा निवेदन यह है कि जो नहरें कच्ची हैं उनको आप पक्का करवाएं जिससे कम से कम पानी का सीपेज रुक सके।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भगराज चौधरी : दूसरा मेरा निवेदन यह भी था कि इस से आगे जाकर जालौर के अन्दर बहुत नजदीक भैंसवाड़ा गांव में इसी नदी के साइड में एक बहुत बड़ी नदी चलती थी जिससे करीबन 20-25 गांवों को पानी मिलता था। वहीं पर हमारे हजारों कुएं भी बने हुए हैं और साथ-साथ छोटे-मोटे 25-30 ट्यूबवैल बने हुए हैं जो करीबन 30-35 गांवों के लिये जल के साधन हैं। वे सारे के सारे कुएं पेयजल विभाग के द्वारा बनाये गये हैं, वे भी सूख गये हैं। मैं यह चाहता हूं कि अधिकारियों से बातचीत करके उस पुरानी नदी में जो बहाव क्षेत्र, रुक गया है उसको दुबारा चालू कराने के लिये विचार करें। नदी के किनारे-किनारे कुछ छोटे गेट्स लगाकर के थोड़ा नीचे बैठा कर, थोड़ा-बहुत ही पानी अगर नदी में प्रवाहित होता है तो साइड में पानी बहता रहे जिससे कि उन गांवों में भी पेयजल स्रोत सूखें नहीं और साथ-साथ 15-20 गांवों के जो कुएं हैं उनको भी पानी मिलता रहे, इस समस्या का भी समाधान हो।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री मूलसिंह जी।

श्री भगराज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, आप मुझे थोड़ा-सा तो और समय दीजिए।

श्री सभापति : नहीं, समय नहीं है। कहां से देऊं मैं समय?

श्री भगराज चौधरी : अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। (व्यवधान) I Speak rarely.

श्री सभापति : नहीं तो, समय सबके लिये सीमित है।

श्री भगराज चौधरी : I speak rarely. You see, I am making my maiden speech.

श्री सभापति : वह ठीक है, मगर समय सबके लिये सीमित है।

श्री भगराज चौधरी : Maiden in the sense कि कल मैंने छोटी-मोटी बात जरूर कही थी, कोई काम की बात, बाकी तो मुझे कभी बोलने का मौका ही नहीं मिलता।

श्री सभापति : नहीं मिलता है तो इसके लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूं। परन्तु समय सबके लिये सीमित है।

श्री भगराज चौधरी : मैं कुछ समय और लेना चाहता हूं. I would not take much time. I would like to speak for five minutes time only.

श्री सभापति : नहीं, 5 मिनट नहीं है। आप एक मिनट के अन्दर समाप्त कीजिए।

श्री भगराज चौधरी : थोड़ा-सा मुझे समय दीजिए, कृपा करके।

श्री सभापति : नहीं, थोड़ा तो मैंने बोला कि एक मिनट मे समाप्त कीजिए बस।

श्री भगराज चौधरी : I agree.

दूसरा मेरा निवेदन यह था कि मेरे क्षेत्र के अन्दर दूसरा बांध है भाकली। भाकली बांध की नहरों की हालत भी यही है। मेहरबानी करके उनका भी थोड़ा सुधार करवाएं, टूट-फूट करवाएं। हमने केन्द्रीय जल मंत्रालय को करीबन पौने दो करोड़ की योजना बनाकर स्वीकृति के लिये भेज रखी है। चार साल का समय हो गया, मंजूरी आयी नहीं। थोड़ा आप उसको परस्यू कराएं, जिससे कि कच्ची नहरों के माध्यम से जो पानी का खराबा हो रहा है उसको रोक सकें और पानी को हम ठीक ढंग से खेतों में प्रवाहित कर सकें। साथ में एक मेरा बांधन का उनान क्षेत्र है। करीब 5-6 हजार बीघा जमीन के अन्दर अतिवृष्टि होने पर पानी बराबर आता है क्योंकि डिप्रेशन एरिया है। आज आप देखिये, एक तरफ तो पानी नहीं है हमारे पास में, दूसरी साइड जहां पानी पड़ा है उसको चैनलाइज करके, नहर बनाकर, फीडर बनाकर बांध में डालने के लिये हमारे पास कोई योजना नहीं है, पैसा नहीं है। और सरकार की दृष्टि और दिमाग काम करने का नहीं है। मैंने इसकी स्कीम बनायी है, मंत्रीजी आज नहीं हैं यहां पर, देवीसिंह जी भाटी साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम__

श्री सभापति : धन्यवाद। आप 15 मिनट बोल चुके। माननीय श्री मूलसिंह जी।

श्री भगराज चौधरी : भाटी साहब, मेहरबानी करके__(व्यवधान) उसकी योजना जो मैंने बनायी है।

श्री सभापति : माननीय श्री मूलसिंहजी, प्लीज स्टार्ट। समाप्त कीजिए, अंकित नहीं होगा अब।

श्री भगराज चौधरी : XXX

श्री सभापति : मेरा नम्र निवेदन है कि रात के 12 बज जाएंगे। सब लोगों को बोलना है, सभी की बात महत्वपूर्ण है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भगराज चौधरी : XXX

श्री सभापति : माननीय श्री मूलसिंह जी। अब आप आगे बोलेंगे, वह अंकित नहीं होगा।

श्री भगराज चौधरी : XXX

श्री सभापति : आप जो बोल रहे हैं, वह अंकित नहीं हो रहा है। फिर क्यों बोल रहे हैं आप? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप जो बोल रहे हैं, वह अंकित नहीं हो रहा है। न अखबार में जाएगा, न कोई अर्थ निकलेगा। उसका कोई मतलब नहीं है।

श्री भगराज चौधरी : XXX

श्री सभापति : आप ही अकेले हैं क्या सारी चीजें बताने के लिये? बहुत सारे और भी सदस्य हैं। सभी माननीय सदस्यों को रात हो जाएगी, बहुत लोग बोलने वाले हैं। (व्यवधान) आपको 17 मिनट दे चुका हूं। बाकी लोग 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोले हैं।

श्री भगराज चौधरी : XXX

श्री सभापति : मैं आपको 17 मिनट दे चुका हूं। (व्यवधान) माननीय श्री मूलसिंहजी। (व्यवधान) मैं देख रहा हूं, प्रत्येक मिनट घड़ी देखता हूं मैं।

श्री भगराज चौधरी : XXX

श्री सभापति : 5-5 मिनट बोलकर बात खतम कीजिए, यह पूरा बजट थोड़े ही है।

डॉ. मूलसिंह शेखावत (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विनियोग विधेयक, 1997 का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं उसने झुंझुनूं जिले की सड़कों और पेयजल के बारे में विकास और गति दी है। इसके लिये मैं सरकार का आभारी हूं। खास तौर से इस बात के लिये कि हमारे जिले में करीब 22 सौ किलोमीटर सड़क है और वह बहुत अच्छी हालत में है, मैं श्रीमान् सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मैं पेयजल के बारे में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले में कुओं का जल स्तर गिरता जा रहा है क्योंकि पेयजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इसके लिये सरकार से निवेदन है कि समय-समय पर कुओं की जांच करवाकर उन कुओं को गहरा कराने का कार्य सरकार करवाती रहे। इसके साथ ही काफी ओवर-हैड टैंक बने हुए हैं, उनकी संख्या 45-50 होगी हमारे जिले में। लेकिन उनके कनेक्शन अभी तक कुओं से नहीं हुए हैं और वे सब ओवर-हैड टैंक बेकार पड़े हुए हैं। खास तौर से हरिजन बस्तियां हैं उनके अन्दर पानी नहीं पहुंचता है, उनके लिये विशेष तौर से जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि घग्घर नदी जिसका पानी हनुमानगढ़ होते हुए पाकिस्तान में जाता है,

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(142)

(डॉ. मूलसिंह शेखावत)

सर्वे करवाकर घग्घर नदी के उस पानी को झुंझुनूं जिले में जाने की कृपा करें जिससे कि हमारे क्षेत्र में नहर भी आ सके और उसके कारण से कुओं के गिरते हुए जल स्तर में भी सुधार आए।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : उसका हम सर्वे करवा रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. मूलसिंह शेखावत : धन्यवाद, मंत्री महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भीमराजजी भाटी।

डॉ. मूलसिंह शेखावत : दो मिनट, सभापति महोदय।

इसके साथ ही खास तौर से जो हमारे यहां समस्या है वह गोचर भूमि के अतिक्रम की है। हर जगह प्रभावशाली लोग होते हैं, उन लोगों ने जो सरकारी भूमि है, गोचर भूमि है और जहां हमारी एक नदी निकलती है, कोठली नदी, उस पर भी परमानेंट अतिक्रमण करके अपने व्यक्तिगत कुएं बनवा रखे हैं। इस तरफ सरकार ध्यान दे कि इस तरह के जो माफिया गिरोह बनते हैं, ऐसे गिरोह नहीं पनपे। इसी तरह से चिड़ावा में मंडेरा रोड पर जो गोचर भूमि है, जो कि सरकारी भूमि है, खसरा नम्बर 650 है, उस पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकार इसके बारे में उचित कार्यवाही करे।

इसके साथ ही जो राजस्व अधिकारी और कर्मचारी हैं, तहसीलदार और पटवारी खासतौर से, जितने भी अतिक्रमण हमारे यहां मैंने देखे हैं, वे सब इनकी निगरानी में होते हैं, इनकी मिलीभगत से होते हैं, ऐसे मामलों में जिस अधिकारी के कार्यकाल में अतिक्रमण हों, उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी, ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन लोगों को सजा हो और इस तरह के कामों को बढ़ावा नहीं मिले। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भीमराजजी भाटी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यवाही पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय आज की कार्यवाही पूरी होने तक बढ़ाया गया। (व्यवधान) सबकी मैंने सम्मति ले ली है, आंखों ही आंखों से। भाटीजी।

विधेयकों का पारण

श्री भीमराज भाटी (पाली) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो राजस्थान के उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अब जोधपुर में इन्दिरा गांधी नहर से पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो गयी है। व्यवस्था तो

(श्री भीमराज भाटी)

यहां तक हो गयी है कि जोधपुर में इतना पानी अवेलेबल है, खाली सरकार की डिफैक्टिव प्लानिंग की वजह से वह फिल्टर हाउस नहीं बन पाया है लेकिन पानी जोधपुर में इतना अवेलेबल है कि अब जोधपुर को जवांई बांध के पानी की कोई आवश्यकता नहीं रही है। जबकि कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की आज भी भयंकर समस्या है। उस पीने के पानी की समस्या का हल तभी हो सकता है जब उस जवांई नहर के पानी के जोधपुर को देना बन्द किया जाए। पाली से जोधपुर जो जा रही है, उस जवांई नहर में एक पर्टीकुलर जंक्शन है, वहां से जैतपुर की जो तालाब की स्कीम है, रोई क्षेत्र के उन तालाबों को जब तक नहीं भरा जाएगा तब तक रोई क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का हल नहीं हो सकता।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं और सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों हमारे पाली विधान सभा क्षेत्र के कुछ लोगों ने काफी पैसा इकट्ठा करके कमाण्ड एरिया बढ़वाने के लिये, यहां पर खर्चा किया—पता नहीं किन-किन जगह, कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट में और इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में। अपना कमाण्ड एरिया बढ़वाने के लिये उन लोगों ने शिड्यूल्ड कॉस्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को वंचित कर दिया। माननीय देवीसिंह जी साहब, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का जो हिस्सा था, उनको उससे वंचित कर दिया। बीस-बीस साल से जो लोग खेत पिला रहे थे, नहर के पास से, उनको तो उस कमाण्ड एरिया में नहीं लिया, उनको तो उस कालोनी में लिया नहीं और जो दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूर के खेत थे, जो बड़े-बड़े लोगों के खेत थे, उन खेतों को उन्होंने उस कालोनी में डलवा दिया और उन खेतों को अभी पिलाने की तैयारी की जा रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वे मेहरबानी करके इस तरह के जुल्म किसी के साथ नहीं होने दें और कम से कम—

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं। (व्यवधान) बात तो आ गयी। उसमें अनधिकृत रूप से जिन्होंने पानी लिया था, उनके खिलाफ हमने पैनल्टी लगायी है। कोई भी नियमित रूप से हमने पानी स्वीकृत नहीं किया है।

श्री भीमराज भाटी : नहीं-नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जो बीस साल से पिला रहे थे और तावान दे रहे थे, उनके खेत तो आपने छोड़ दिये हैं, जो नहर से सटे हुए खेत हैं, वे तो आपने छोड़ दिये हैं और दो किलोमीटर आगे के खेतों को आपने उस कालोनी में ले लिया है, उस कमाण्ड एरिया में ले लिया है। यह मेरे पास आपके महकमे से जवाब आया है, वह जवाब भी मैं आपको बताऊंगा।

दूसरा मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री यहां पर बिराजमान हैं और वे उद्योग मंत्री

(श्री भीमराज भाटी)

भी हैं। मेरे पाली क्षेत्र में कपड़े की फैक्ट्रियों की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन कई सालों से हो रहा था। पाली में जो कॉटन टैक्सटाइल का काम था, अब वह तो हो गया कम और सिन्थेटिक्स प्रोसेस का काम हो गया चालू। वे सिन्थेटिक्स प्रोसेस वाले लोग जो उनकी डिसाइडेड पी. एच. वैल्यू का पानी है, जो एसिड एफ्लुएंट है, वह इतना हाई एसिड एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर रहे हैं नदी में कि जो नदी का बैड है, जो जमीन है उसमें गहरे तक वह एसिड पेनिट्रेट हो रहा है। मैं वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस पानी को डिस्चार्ज करने के लिये पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड से इण्डस्ट्रीज वालों के पास कोई एन. ओ. सी. भी नहीं है। न तो उनके पास पाली ट्रीटमेंट प्लांट का जो ट्रस्ट है उसकी एन. ओ. सी. है, न पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड की एन. ओ. सी. है। फिर भी वे इस तरह से हैवी एसिडिक डिस्चार्ज उस नदी में डालते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जमीनें खराब होती जा रही हैं। उसके लिये मैं सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। वह दस करोड़ रुपये का ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है लेकिन वह ट्रीटमेंट प्लांट है, डिजाइन एल्कोलिक डिस्चार्ज के लिये, जबकि एल्कोलिक डिस्चार्ज की जगह, चूंकि प्रोसेस चेंज हो गया है एसिडिक डिस्चार्ज हो रहा है। उस एसिडिक डिस्चार्ज की वजह से माननीय सभापति महोदय, हालत यह हो रही है कि पहले तो नदी के अन्दर रंग-रंगीला पानी नजर आता था लेकिन आज की तारीख में उस एसिडिक पानी की वजह से वह जमीन इतनी खोखली हो गयी है कि किसी भी समय में हमारे उस इलाके की जमीन एकदम कॉलेप्स हो सकती है, धंस सकती है। इतना गहरे तक वह एसिडिक डिस्चार्ज पहुंच गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो पानी की टंकियां बनायी हैं वे पिछले तीन-चार साल से पाइपों के अभाव में अनुपयोगी पड़ी हैं। जो पाइप खरीदे भी गये थे राजस्थान सरकार के द्वारा, वे पाइप घटिया क्वालिटी के थे। चार-चार साल हो गये उन टंकियों को बने हुए, लेकिन उन पाइपों की जगह नये पाइप खरीदे नहीं गये। आज दिन तक वापस नये पाइप नहीं खरीदे गये।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री भीमराज भाटी : हां, कर रहा हूं साहब। वे खरीदे नहीं गये। उसकी वजह से वे टंकियां बनी हुई पड़ी हैं, जिनमें लाखों रुपया सरकार का खर्चा हुआ पड़ा है। सिर्फ अच्छा पाइप अवेलेबल नहीं होने की वजह से, सरकार द्वारा दूसरी पार्टियों से नहीं खरीदने की वजह से वे टंकियां आज जर्जर स्थिति में बनी हुई हैं।

दूसरा, पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री महोदय, यहां पर बिराजमान हैं, मैं विशेष कर उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पी. एच. क्यू. की आप रोज घोषणा करते रहते हैं।

(श्री भीमराज भाटी)

उन पी. एच. क्यूज में पिछले चार साल में एक दो पी. एच. क्यूज तो जरूर हमारे वहां पर कनेक्ट हुए हैं, बाकी कोई पी. एच. क्यू. इस तरह के कनेक्ट नहीं हुए। सिर्फ गवर्नमेंट के रिकार्ड में यह दर्शाया जा रहा है कि यह पी. एच. क्यू. ऐसे हो गया, यह पी. एच. क्यू. ऐसे हो गया। धार्मिक मामलों के लिये हमने निवेदन किया था, माननीय मंत्री महोदय ने इसको सड़क नीति में भी इन्क्लूड किया। लेकिन धार्मिक मामलों की कोई भी सड़क जो विधायक कोटे से बनी, वह सड़क तो बन गयी लेकिन दूसरी कोई धार्मिक मामलों से कोई भी सड़क मंजूर नहीं हुई।

अंतिम बात मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं. . . . .

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाली बाई पास का धन्यवाद तो दीजिये।

श्री भीमराज भाटी : वह तो धन्यवाद दे दिया न। पिछली बार ही धन्यवाद दे दिया था। वह तो हम चूकते नहीं हैं। धन्यवाद देने में कंजूसी करते ही नहीं हैं। जो काम अच्छा करते हैं, उसका धन्यवाद देने में कंजूसी करते नहीं।

एक अंतिम निवेदन है। पिछले दिनों हमारे यहां पर बाढ़ आयी थी। गडवाड़ा और जैतपुर के बीच में बांडी नदी में 17 आदमी बह गये थे। उसकी तो अलग से बात चलेगी तब बात करेंगे लेकिन माननीय मंत्री महोदय, इस बाढ़ की वजह से कई जगह की पुलियाएं, विशेषकर गडवाड़ा वाली पुलिया और भूसाला महावीरजी जाने वाली पुलिया, कई सड़कों और सरकारी सम्पत्तियों का भारी नुकसान हुआ है। आप जो विशेष प्राकृतिक आपदाओं में सरकारी सहायता देते हैं, वह विशेष रूप से उसके लिये दें। विशेष सहायता देकर उन क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने या उन क्षतिग्रस्त पुलियाओं को रेज करने और रपटों को ठीक-ठाक कराने के लिये आप कोई विशेष प्रावधान बजट में कराएं तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री पारीक। आपका भी है, आपका भी आएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, बजट, अनुपूरक बजट, अतिरेक बजट एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन राज्य सरकार जिस खर्चे का प्रावधान करती है, उस खर्चे का हम जो विनियोजन करते हैं, उसके लिये हमें कुछ मान्यताएं तय करनी होंगी। किसी भी कल्याणकारी राज्य के बजट का जो दायरा होता है, उसमें सरकार कैसी भी हो, उसकी प्राथमिकताएं भिन्न हो सकती हैं लेकिन उसकी मूल भावना यह होनी चाहिये कि जो खर्च हम करने जा रहे है, जो खर्चा हमने कर दिया है उसके लिये एक तो समयबद्धता और पारदर्शिता हो और दूसरा उसके लिए हम किसी को जवाबदेह ठहराएं यह निहायत जरूरी है। जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है, राजस्थान विधान सभा के बजट की, तब से लेकर आज तक अनप्लांड वे में हमने अपने बजट को खर्च किया है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जितना पैसा हमने खर्च किया उस पैसे का हम हण्ड्रेड टाइम बेहतर उपयोग कर सकते थे, लेकिन हमने किया हैप-हैजार्ड वे में। किसी को उसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया, समयबद्धता हमने तय नहीं की। एक योजना बनी, योजना का प्रारूप तय हुआ कि इसमें एक करोड़ का बजट हमने दिया है, एलोकेट किया है और यह योजना एक करोड़ रुपये में तय होनी है लेकिन हमने उसकी समय सीमा नहीं रखी और बजट की सीमा बढ़ते-बढ़ते एक करोड़ से पचास करोड़ तक पहुंच गयी। उसके बाद इसकी क्या स्थिति है और क्या उसकी पोजीशन रह जाएगी, यह एक ऐसा शोचनीय बिन्दु है जिस पर हमें गहनता से विचार करना होगा। जब तक हम इस बारे में विचार नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि यह जो कुछ भी हो रहा है, उसका हम पूर्ण रूप से सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। यह एक ऐसा सत्य है, जिसको हम भले ही किसी पार्टी विशेष से सम्बन्धित समझकर स्वीकार नहीं करें, लेकिन यह वास्तविकता है। आप क्या कर रहे हैं इससे राजस्थान की जनता को कोई लम्बा-चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया हो गयी कि आप का बजट और जो कुछ भी होता है उससे आपकी महंगाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई जिस चीज की बढ़नी है आये दिन उसकी कीमतें बढ़ती हैं। इन सबसे अलग होकर मुख्य रूप से दो-तीन बातों पर मैं आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं।

(17.00)

किसी भी राज्य की जनता के लिए स्वास्थ्य, सफाई, सड़क, पेयजल, उद्योग, बिजली या शिक्षा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि अहम् हैं और जिन पर राज्य के बजट का अधिकतर भाग खर्च होता है।

सभापति महोदय, मैं बिन्दुवार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सड़क की जो नीति बनी है, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क नीति बनी, खनिज नीति बनी, यातायात नीति बनी या उद्योग नीति बनी, बेहतर होता हम उस पर इस सदन में चर्चा करते और उसके बारे में हम माननीय सदस्यों की आम राय लेते। उस राय से कोई निष्कर्ष निकलता। हो सकता है कि आपने अपने अधिकारियों के माध्यम से और अपने विवेक से उस नीति को बनाने में पूर्ण सक्षमता दर्शायी और उसमें जो कुछ भी आप रख सकते थे वह सब कुछ आपने रखा, बावजूद इसके कुछ जिलेवार स्थितियां हैं। सबसे बड़ा ड्रा बैक यही रहा है कि हर जिले की अपनी निजी आवश्यकताएं हैं। हर जिले की अपनी मूलभूत निजी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यदि हमने योजनाओं का प्रारूप तय किया होता तो मैं समझता हूं कि आज कुछ समस्याएं जो लगातार मुंह बायें खड़ी हैं, किसी जिले में लगातार 40 साल से पेयजल की समस्या आज भी बरकरार है, किसी जिले में सड़क की समस्या आज भी बरकरार है, उसका हम मुकाबला कर सकते थे।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मैं माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से सुनिश्चित रोजगार योजना में करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार को दिया जा रहा है लेकिन इस पैसे का जितना दुरुपयोग हो रहा है मैं समझता हूं कि शायद ही इतना बड़ा दुरुपयोग किसी दूसरे पैसे का हो रहा होगा। मामला चाहे सड़क का हो। सड़क के मामले में आपने तय कर दिया कि दो किलोमीटर की सड़क बनानी है। लेकिन उसमें सिर्फ ग्रेवल डालने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। वह सारा का सारा पैसा कहां जाता है, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि डी. आर. डी. ए. की गवर्निंग कौंसिल की जो मीटिंग्स होती है उन मीटिंग्स में भी केवल अप्रूवल के लिए रखा जाता है। उसमें विधायक को पूछ कर, विधायक की राय से और विधायक की कन्सेंट से काम हो तब तो फिर भी बात समझ में आती है कि विधायक की राय से यह काम हुआ है या प्रधान की राय से हुआ है या पंच की राय से हुआ है। सबसे पहले डी. आर. डी. ए. के अधिकारी योजना का क्रियान्वयन कर देते हैं, उसकी सैंक्शन निकाल देते हैं और फिर जब चार-पांच महीने बाद गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग होती है तो उसमें हमारे सामने तो केवल अप्रूवल के लिए रखा जाता है। करोड़ों रुपये एक अधिकारी अपनी मर्जी से इस तरह से यदि वहां व्यय कर रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए। इस पर यदि हमने अंकुश नहीं लगाया तो इस पैसे का भारी दुरुपयोग हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क की नीति बनी हुई है 1971 की जनसंख्या के आधार पर, 1991 की जनसंख्या के आधार पर लेकिन आज गांव में एक नयी संस्कृति पैदा हो रही है कि गांव का आम नागरिक अपने गांव का जो मूल क्षेत्र है उसको छोड़ कर अपने खेत या अपने फार्म में जाकर बस गया। अब एक गांव से दूसरे गांव तक बराबर छह किलोमीटर की दूरी है या सात किलोमीटर की दूरी है, एक इंच वाली जमीन नहीं है, उसमें पूरी जमीन पर आबादी हो गयी। लेकिन हम उसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि आपके जो नियम बने हुए हैं उनमें वह नहीं आता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों में हमें विशेष ध्यान देना है। कृषि उपज मण्डल के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, उन गांवों को सड़क से जोड़ने पर हमारी कृषि जिन्सों को एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाने का साधन होगा, वहां से आने वाले जो शिक्षार्थी हैं उनको फायदा होगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मैं पेयजल की समस्या पर कोई विशेष बात नहीं कहूंगा लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा। मैं सीकर की बात कहूंगा। सीकर में 20 साल के करीब होने को आये, लोक

(148)

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पिट्स खोद-खोदकर लोगों ने अपने सीवरेज का जो सिस्टम होता है उसमें एक तरह से वह डालना शुरू कर दिया। 50-50 फीट गहरे खड्डे खोदते हैं जिससे पेयजल की स्थिति आज इतनी पोल्युटेड हो गयी है कि सीकर का पानी जो अमृत तुल्य था वह बिलकुल खराब स्थिति में पहुंच गया। एक तरफ पेयजल की स्थिति इतनी खतरनाक हो गयी दूसरी तरफ आये दिन हादसे भी होते रहते हैं। सभापति महोदय, अभी परसों मेरे यहां सीकर में एक लड़का सीवरेज का खड्डा खोद रहा था तो उस खड्डे में गिरकर उसकी मृत्यु हो गयी। तो हमें कम से कम जिला स्तर पर एक योजना का रूप में इस बात को लेना चाहिए कि सीवरेज का सिस्टम हमें डवलप करना है। इससे पेयजल की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी।

एक सफाई की मूल समस्या हमारे सामने बनी हुई है। सभापति महोदय, कहते हुए शर्म आती है कि सफाई के मामले में तो हम इतने असंवेदनशील हो गये हैं कि पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। वे आकर हमारे मुल्क का पानी भी पीना पसन्द नहीं करते, केवल इस बात के लिए कि हम सफाई पसन्द नहीं हैं। सफाई चाहे अस्पताल की हो, सफाई चाहे सिटी की हो, सफाई चाहे किसी सरकारी दफ्तर की हो, रोडवेज के डिपो की सफाई हो, आज हम इस मामले में इतने असंवेदनशील हो गये हैं, हमारी अन्दर की जो एक भावना है वह मृतप्रायः हो चुकी है। इस पर हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा।

सभापति महोदय, जब सफाई की बात चली है तो मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा मिलावट के मामले में। इस सम्बन्ध में इतने जबरदस्त हालात पैदा हो गये हैं कि किसी एक व्यक्ति को कोई गोली मार दे या किसी का मर्डर कर दे तो एक आदमी की मृत्यु होगी लेकिन इस मिलावट की वजह से जितने लोग पीड़ित होते हैं उससे तो यह मास किलिंग जैसा मामला है। इस पर हमें विचार करना होगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता का स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया जा रहा है। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में कितने ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिनको आप स्वतन्त्रता सेनानियों की पेन्शन देते हैं? आजादी की हम पचासवीं सालगिरह मना रहे हैं, ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। उनके परिवारजन में से किसी एक को हम नौकरी पर रख सकते हैं। आज हाई कोर्ट के डाइरेक्शन आ गये, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार तो हम किसी को नौकरी पर रख लेते हैं लेकिन हर आदमी तो हाई कोर्ट में जा नहीं सकता। जो आदमी हाई कोर्ट में जाता है उसके लिए हाई कोर्ट कह देता है कि इस आदमी को आप नौकरी पर रखें। ऐसे थोड़े-से लोग होंगे। एक पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त होने जा रही है, उस पीढ़ी के लोगों को यदि आप कहीं न कहीं नौकरी

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पर रख लेंगे तो उन लोगों का भला होगा और हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति एक सच्ची आस्था व्यक्त होगी और जो इस दुनियां से जा चुके हैं उनके प्रति हमारी एक श्रद्धांजलि होगी।

श्री सभापति : धन्यवाद। बस हो गया, बहुत हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, दो-एक बात और कहूंगा।

श्री सभापति : बहुत हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : सिर्फ दो बात।

श्री सभापति : नैक्स्ट टाइम के लिए रिजर्व रखिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : अच्छा एक बात कहूंगा।

सभापति महोदय, मैं यातायात मंत्रीजी और साथ ही साथ गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। आजकल जिस किसी भी सड़क पर चले जाइये, रोज एक हादसा होता है और रोज सुबह हमें यह अखबार में पढ़ने को मिलता है कि 10 आदमी ट्रक एक्सीडेंट में मरे, 10 आदमी जीप एक्सीडेंट में मरे, 10 आदमी बस एक्सीडेंट में मरे। आज तक हम इस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रख पाये। यह बहुत गम्भीर मसला है, सभापति महोदय। सीकर से जो बसें गुजरती हैं उनमें आप रोज देख लीजिये कि जयपुर से सीकर तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि जिस पर लोगों की मृत्यु नहीं होती हो। कभी गृह मंत्रीजी जाते हैं सांत्वना व्यक्त करने, कभी यातायात मंत्रीजी सांत्वना व्यक्त करने जाते हैं। आप और कुछ नहीं कर सकते, आप उनको रोक नहीं सकते तो कम से कम इतना तो करवाइये कि जैसे रोडवेज डिपो की बसें चलती हैं उनके गवर्नर बंधे हुए हैं, 70 की स्पीड से ज्यादा वे नहीं चलतीं, वैसे ही उनकी भी स्पीड लिमिट करवाएं। आप ऐसा एक कानून बना दें कि 70 की स्पीड से जो ऊपर चलेगा उस पर पैनल्टी इम्पोज होगी। सभापति महोदय, ये कुछ ऐसी बाते हैं जिनके बारे में हमें बहुत ही संजीदगी से विचार करना होगा।

सभापति महोदय, उद्योग मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाहर से लोग आपके यहां आपके निमंत्रण पर उद्योग लगाने आ रहे हैं और आपकी जो नीति है उसमें आपने यह तय कर दिया कि वन-विन्डो पर हम उनको सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन आज भी हालात ऐसे बदतर हैं कि वे लोग आपके यहां उद्योग लगाने के लिए आ जाते हैं और आये दिन उनको परेशानियां आती हैं चाहे रीको से सम्बन्धित हों, चाहे आर. एफ. सी. से सम्बन्धित हों। आपका जो प्रदूषण बोर्ड है यह तो स्वयं में इतना प्रदूषित हो चुका है कि उस प्रदूषण बोर्ड से हम किसी तरह की उम्मीद कर ही नहीं सकते कि यह राजस्थान के प्रदूषण का कोई निवारण करेगा। सभापति महोदय, आये दिन किसी न किसी ऐसी समस्या को लेकर चर्चाएं होती हैं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय कन्हैयालाल जी पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांगों के अन्तर्गत मैं भी अपने आप को चर्चा में शामिल करते हुए आपके माध्यम से सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। वैसे तो आपकी महती कृपा से मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में जिन रोड्स की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था उनको भी आपने स्वीकृत किया लेकिन हमारे झालावाड़ जिले की सभी रोड्स की ऐसी दुर्दशा है कि वाहनों का चलना काफी कठिन होता है, वाहन टूटते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले की सभी सड़कें पेवर से बना दी जाएं तो झालावाड़ जिला आपका अत्यन्त आभारी रहेगा।

मेरे क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक से एक रोड स्वीकृत हुई है सेमल्या से सिरपोई, उसके लिये मैंने आपसे पहले भी दो-तीन बार अनुरोध किया था। आपने भी एक्स. ईएन. से कहा था कि इस रोड को ग्राम पंचायत भवन तक पहुंचाया जाए। लेकिन एक्स. ईएन. कतई परवाह नहीं कर रहा है और इस सेमल्या से सिरपोई रोड को बीच में ही आधा किलोमीटर दूर ही छोड़ दिया गया है।

पिड़ावा के नजदीक एक छोटी-सी नदी है नालानुमा, यह बरसात के दिनों में चार-पांच घण्टे ट्रेफिक रोक देती है। ऐसी दशा में इसके ऊपर पुलिया का निर्माण होना अति आवश्यक है। नाले जैसी नदी है, मात्र पचास फीट लम्बी पुलिया बनेगी। यदि वहां पर जो रपट है उसको रेज कर दिया जाए तो उस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से भी अनुरोध करना चाहूंगा, हालांकि आप सदन में उपस्थित नहीं हैं कि मेरे क्षेत्र में चंवली डैम का निर्माण हो रहा है परन्तु वहां कितने ही किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा वे अन्य जगह अपनी जमीन नहीं खरीद पाएंगे, मकान नहीं बना पाएंगे। ऐसी दशा में गरीब किसानों को तुरन्त मुआवजे का भुगतान करवाया जाए।

मेरे क्षेत्र में एक मथानिया डैम है जिसकी हम निरन्तर मांग करते आ रहे हैं कि इसको दो फुट रेज कर दिया जाए तो और सैकड़ों किसान लाभान्वित हो सकते हैं। इसी मथानिया डैम पर जाने के लिये विभाग ने एक रोड का निर्माण कराया है लेकिन यह रोड पूरी तरह से उखड़ चुकी है जबकि यह दो साल पुरानी रोड है। अत: इस रोड का भी पुनर्निर्माण कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं सवेरे ही अपने क्षेत्र से आया हूं, वहां कानून-व्यवस्था की दृष्टि से जो अवहेलना देखी उसके बारे में मैं निश्चित रूप से चर्चा करना चाहूंगा। यदि नहीं करूंगा तो मैं क्षेत्र के प्रति दोषी होऊंगा। पिड़ावा में गायों का काफी अवैध

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

धंधा होता है, दिनांक 7.9.97 को कल्लू कसाई और उसके साथी हमारे समाज सेवी, आर. एस. एस. के कट्टर कार्यकर्ता कैलाश राही को जो दूसरे गांव गये हुए थे, चाकू की नोक पर मोटर साइकिल पर बिठाकर कल्लू कसाई के घर पर लाये। सात-आठ आदमियों ने उनको बुरी तरह से पीटा। उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि तू आये दिन हमारी शिकायतें करता है, हमारी गायों को पकड़वाता है, अभी-अभी तुमने गायों का ट्रक पकड़वाया है जिसकी वजह से हमें साठ हज़ार रुपये का लोस हुआ है। तू साठ हजार रुपये हमें दे वरना तेरे टुकड़े कर हम कुत्तों को खिला देंगे। उन्होंने उस समय तो घर पर ही मार की डर से हां कर ली कि मैं आपके साठ हजार रुपये का इन्तजाम कर दूंगा। बाहर आकर वे अपने समाज के लोगों को, अपने साथी कार्यकर्ताओं को लेकर थाने में पहुंचे रिपोर्ट दर्ज करवाने लेकिन थानेदार थाने में मौजूद नहीं था, एस. आई. रतनलाल वहां मौजूद था। लेकिन वे लोग पहुंचे उससे पहले कल्लू कसाई के लोग थाने में पहुंच चुके थे। उस रतनलाल एस. आई. ने रिपोर्ट नहीं लिखी और यह कहा कि आप इन लोगों से समझौता कर लो। थानेदार जी भी नहीं हैं, या तो थोनदार जी को आ जाने दो। तीन घण्टे बैठे रहे। परन्तु उन्होंने रिपोर्ट को दर्ज

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

नहीं किया और मुलजिमों को भागने का पूरा मौका दिया। मुलजिम फरार हो गये। पुलिस ने अभी तक एक भी मुलजिम को नहीं पकड़ा। मात्र कल्लू कसाई के दो नौकरों को पकड़ रखा है और उन नौकरों का भी रिमाण्ड लेकर नहीं आये हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि क्षेत्र में फैल रहे रोष को दबाने के लिये कृपया तुरन्त अपराधियों को पकड़ा जाए। पिड़ावा थाने में डीवाई. एस. पी. रैंक के किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाए। थानेदार की इतनी हिम्मत नहीं है

(17.15)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि वह कल्लू कसाई के घर पर जाकर छापा मार सके। आज दिन तक पुलिस कल्लू कसाई के घर पर नहीं पहुंची, न वहां उसकी तलाशी ली है। मेरा अनुरोध यही है कि डीवाई. एस. पी. रैंक के किसी अधिकारी को थाने में लगाया जाकर अपराधियों को पकड़ा जाए ताकि उस क्षेत्र में और आस-पास के सभी गांवों में जो रोष फैला हुआ है उस रोष को दबाया जा सके। अन्यथा यह रोष कभी भी विकराल रूप धारण कर सकता है। मेरा यही अनुरोध है कि दो-तीन रोज में इस सारे प्रकरण का पटाक्षेप हो जाना चाहिये। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण डूडी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सुबह भी आप हमें खाली छोड़ गये। कौन उठाएगा अलवर की मांगों को ?

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए पी. डब्ल्यू. डी. मंत्रीजी को निवेदन करूंगा जो कि सड़क नीति के अनुसार बंधे हुए हैं। बहुत ही लोक महत्त्व की सड़कें जहां हमेशा बीस-बीस बसों का आवागमन हो, जो मिसिंग सड़के छूटी हुई हैं और पंचायत हैडक्वार्टर इन्होंने ज़ोड़ दिये। जोधपुर से एक सड़क आती है भोपालगढ़ समिति तक, दूसरी पीपाड़ से सड़क आती है पंचायत समिति भोपालगढ़ तक। मैं अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहकर यह बताना चाहूंगा कि किस प्रकार पीपाड़ रोड से खेड़ी यदि लोगों को आना हो तो वे पचास किलोमीटर का फासला तय करके भोपालगढ़ पहुंच सकते हैं जबकि पीपाड़ रोड से अलटिया वे आना चाहें तो उनके लिये कम से कम 15-20 किलोमीटर का फासला बच जाता है। आप ऐसी रोडों को भी नहीं लेते हैं। आपकी सड़क नीति के अनुसार आपने पंचायत हैडक्वार्टर जोड़ दिये इसलिए ये गांव नहीं आते, यह फलाना गांव नहीं आता। एक भी सड़क हमारे एरिये के अन्दर नहीं बन रही है। किसी प्रकार के पैच रिपेयर का मामला, बड़े-बड़े खड्डे आपके पड़े हैं, झाड़ियों की कटाई नहीं हो रही है। आपकी जो सड़कें हैं, जैसे कोई सांप चलता है इस प्रकार वे टूटी हुई पड़ी हैं। ऐसे हालात के अन्दर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मंत्रीजी बड़े लम्बे-चौड़े वायदे कर लेते हैं, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा।

यदि मैं जोधपुर जिले की बात करूं तो क्या पता ये एस. आर. का बजट देते हैं कि नहीं देते? यदि देते हैं तो किस प्रकार उनका खर्चा किया जाता है? मंत्री महोदय इन सारी बातों को देखें तो पाएंगे कि पिछली बाढ़ के समय सबसे ज्यादा बरसात हमारे क्षेत्र के अन्दर हुई है और सबसे ज्यादा डैमेज भी वह चाहे सड़कों का हो, चाहे बंधों का हो और चाहे दूसरी बातों का, मकानों का। पर किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला, किसी प्रकार की सड़क रिपेयर नहीं की गयी, न बंधों की रिपेयर की गयी। अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक तो मैं यह समझता हूं कि कई रोडों को इन्होंने डैमेज बताया ही नहीं। ओसियां के अन्दर 5.90 मीटर रोड क्षतिग्रस्त बतायी जबकि सोयला से लेकर नांदिया तक पूरी की पूरी रोड बह गयी, नांदिया से पड़ासला वासली खुर्द के बीच पूरी की पूरी रोड बह गयी। आज तक वे खड्डे पड़े हैं, उनकी कोई रिपेयर नहीं हुई। बासली खुर्द से आठ किलोमीटर का जो टुकड़ा है, उसमें बीसों बसें आती-जाती हैं। आप ऐसी रोडों को लीजिये, जहां आपका मैटल हुआ पड़ा है और उनको केवल डामर करना है। आपकी सड़क नीति लोक महत्व की नीति के अन्दर आती है। हमेशा वहां ट्रैक्टरों का आवागमन है, डीजल के लिये लोगों को जाना पड़ता है। इस प्रकार आप सड़क नीति को लेकर बैठते हैं लेकिन उसके आधार पर हमारे जोधपुर जिले के अन्दर किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। आप कृपया जोधपुर जिले को नैग्लेक्ट नहीं करें। सड़क नीति के आधार

(श्री रामनारायण डूडी)

पर उसमें बजट दीजिए और सड़कों को रिपेयर करवाइये। आये दिन खड्डों के कारण, आपकी गलती के कारण जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको आप रुकवाइए।

दूसरा मैं पी. एच. ई. डी. मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। आज हम यह बजट पानी को समर्पित करते हैं, दूसरा बजट उसको समर्पित करते हैं। राजीव मिशन पेजयल योजनाा हो, चाहे 30-70 की आगमेंटेशन स्कीम हो, इन योजनाओं के अन्तर्गत ट्यूबवैल खुदे हैं। दो-दो साल से ट्यूबवैल पड़े हैं पर जो आपका मंजूर शुदा बजट है, उसके बावजूद भी आपने अभी तक उनको इलैक्ट्रिफाई नहीं किया और न ट्यूबवैलों को चालू किया जिससे जनता आज भी महरूम है। आपके हैण्ड पम्प के जो गांव थे, इस एरिये के हिसाब से वहां वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, हैण्ड पम्प फिजीबल नहीं है। हैण्ड पम्प की स्कीम के जितने भी गांव थे, वहां आज जीरो सप्लाई हो गयी, पूरे के पूरे गांव तनावग्रस्त हो गये। हमने विधान सभा के अन्दर आपसे कई बार प्रश्नों के जरिये पूछा कि गांवों की आप क्या योजना बना रहे हैं। आज भी वहां हालत यह है कि एक घूंट पानी नहीं दे रहे हैं। हमने चेंज आफ स्कीम के लिए लिखा, अधिकारी आब्जेक्शन लगाकर वापस नीचे के लेवल पर भेज देते हैं। आये साल लोगों की यह समस्या रहती है। मेरा निवेदन है कि भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के गांवों की लिस्ट आपके पास मौजूद है, जो आपकी स्कीम के अन्दर थे और पानी नीचे जाने की वजह से समस्याग्रस्त हो गये, उनको आप दीजिये।

दूसरा, हमारे जोधपुर के अन्दर, जिसमें पंचायत समिति भोपालगढ़ भी है, ओसियां भी है, लूणी भी है और मण्डोर भी है जिन गांवों के अन्दर से स्रोत लिये और सोर्सेज बना दिये, आपके स्रोत सारे ड्राई होते जा रहे हैं। हालात गम्भीर पैदा होने वाले हैं आने वाले पांच वर्षों के अन्दर कई गांवों के अन्दर तो आज ही सारे के सारे ट्यूबवैल सूख गये। आप जब तक राजस्थान कैनाल की योजना नहीं बनाएंगे तब तक "आग लगे खोदे कुआं, कैसे आग बुझाय" वाली हालत होने वाली है। सारा अण्डर ग्राउण्ट वाटर जो किसानों के लिए था, वह जोधपुर को दे दिया, खतम हो गया। वहां कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। आज हमारे एरिया के अन्दर पानी नीचे चला गया है। रणसी गांव के टोटल ट्यूबवैल सूख गये। पी. एच. ई. डी. की ट्यूबवैल की स्कीम जोधपुर को पानी देने के लिए बनायी गयी, आज हजारों काश्तकारों के कुएं सूख गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लिफ्ट कैनाल है, उससे सुव्यवस्थित ढंग से जोड़ते हुए जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक ऐसा प्लान बनाइये कि लोग प्यासे भी नहीं मरे। हजारों-लाखों-करोड़ों रुपये का बजट जो एक साल, दो साल के अन्दर खर्च कर रहे हैं, तीसरे साल वह खतम हो जाता है और उस स्कीम के

(श्री रामनारायण डूडी)

अन्दर किंवाड़ भी लोग उठा-उठाकर ले जाते हैं। ये हालात होते जा रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इन बातों को ध्यान में रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप देखिये कि आज काश्तकारों की हालत क्या है। अपन उस राजस्थान के अन्दर रहते हैं जहां काश्तकार के लिए न तो कैनाल इर्रिगेशन है, न यहां छोटे, 20 या 25 फीट नीचे से पानी निकालने वाला इर्रिगेशन है जिससे कि पांच या दस हॉर्स पावर की मोटर्स से हम पानी निकाल सकें, खेती कर सकें। हमारे यहां नीचे से पानी खींच रहे हैं और उसके बाद आप बिजली हमको पांच घण्टे दे रहे हो और फिर आपने नर्सरी योजना, रोकड़ पैसे की योजना बना दी, कैसे काश्तकारों को आपने सक्षम और आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ समझ लिया जिससे कि पांच घण्टे में वह करोड़ों रुपये, पांच लाख, चार लाख रुपया एक ट्यूबवैल पर खर्च करता है, उसका रिटर्न वापस ले लेगा? उनका आप सर्वे कराइये। दिनों दिन काश्तकार की स्थिति कमजोर होती जा रही है। उनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, बिजली उनको टाइम पर मिल नहीं रही है। सारी अव्यवस्था आपकी नीतियों के कारण काश्तकारों को भुगतनी पड़ रही है। काश्तकार अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे लोगों का पालन कर रहा है, यदि उनकी स्थिति कमजोर होगी तो राजस्थान की स्थिति कमजोर होगी, आपका उत्पादन घटेगा और आपका जो भी मामला है, वह बड़ा कमजोर होगा। आप इस बिजली के मामले पर पुनर्विचार करके काश्तकारों को बिजली सब्सिडाइज कीजिये।

आज 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की रेट ढाई लाख रुपये है और उसकी एसेसरी लगाकर के चार लाख का हो जाता है। क्या काश्तकार ट्रैक्टर से खेती कर सकता है? दो नम्बर का जिसके धंधा है, ट्रांजेक्शन है, जिसको फाइल बनानी है एग्रीकल्चर के अन्दर, वह तो यह कर सकता है मगर एक आम काश्तकार जो हल चलाने वाला है, हाथों से खेती करने वाला है, वह काश्तकार ये सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकता। इसलिये उसकी आर्थिक स्थिति गिर रही है। कारण केवल यही है। बिजली के मामले में यदि आपने उसको सब्सिडाइज नहीं किया, उनसे बिजली की कम कीमत नहीं ली तो उनके खेत बिक जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा एजुकेशन का मामला है। गांवों के अन्दर आज हालात क्या हैं? सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के अन्दर, हमने पूछा है, आप हमें सब्जैक्टवाइज बता दें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कैमिस्ट्री हो, लैक्चरर्स के कितने सालों से कितने पद रिक्त पड़े हैं। शहरों के अन्दर एजिटेशन करके सरप्लस टीचर्स जो नहीं जाना चाहते हैं, वे धरना देकर सैशन बढ़वा लेते हैं। मगर वे वहां नहीं जाएंगे और गांवों के स्कूल खाली पड़े रहेंगे। उसकी वजह से परीक्षा परिणाम बहुत ही नीचे रहता है दूसरे स्कूलों के कम्पेरीजन

(श्री रामनारायण डूडी)

में। यह हालत है। आज मिडल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और साक्षरता का अभियान आपने छेड़ दिया। जो भी टीचर्स वगैरह हैं, वे सभी 26 दिन में से आठ दिन साक्षरता में चले जाते हैं और जो गांव की बेसिक शिक्षा है वह बहुत कमजोर होती चली जा रही है। इस पर हमें विचार करना होगा। साक्षरता भी एक राष्ट्रीय अभियान है, मगर मैं अध्यापकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो प्राइमरी के छोटे-छोटे बच्चे हैं वे सेंट जेवियर जैसे स्कूल में नहीं आ सकते हैं, वे गरीब काश्तकारों के बच्चे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री रामनारायण डूडी : उनको कम से कम एक प्राइमरी का मास्टर जो एक स्कूल के अन्दर दो हैं, वे भी नहीं दिये जाते हैं। आज हजारों स्कूलें इस प्रकार से खाली पड़ी हैं। यह हमारा जो सोच है, हमारा विचार है, उस पर हमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर हमें किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करानी हैं, इन सारी बातों को देखने की आवश्यकता है। उसके अन्दर आप लोगों का जो सोच है, जैसाकि मैं समझ रहा हूं, पिछले समय से यह कुछ अलग होता जा रहा है इसलिए इस पर विचार बदलिये और नजरिये को बदलकर उन गरीब लोगों की सेवा करिये। यही मेरा निवेदन है। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री रामनारायण डूडी : सोच मेरा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनायी जा रही है और पैसा जो है वह उन सैक्टर्स के अन्दर लग रहा है। ग्रामीण और गरीब बच्चों व काश्तकारों का जो पैसा है यदि हिसाब से पापुलेशन के आधार पर राजस्थान के पैसे का डिवीजन किया जाए तो वह अरबन एरिये के अन्दर ज्यादा लगता है और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कम लगता है, आप रिकार्ड उठाकर देख लें। पापुलेशन के आधार पर हमारे क्षेत्रों को पैसा दीजिये, उनका डवलपमेंट कीजिये और उनकी जो सुख-सुविधाएं हैं, एनवायर्नमेंट है, उनको आप दीजिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं। बजट के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से पिछले वर्षों के अन्दर राजस्थान का जो विकास हुआ या विकास के जो नये आयाम हमने शुरू किये हैं, इस बात में तो कोई दो मत नहीं कि राजस्थान विकास की गति पकड़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े रह गये, पिछले कई वर्षों से, सड़क के माध्यम से, इरिगेशन के माध्यम से, और पानी के माध्यम से सारी सुविधाएं हम पहुंचाकर उनको विकास की गति दे रहे हैं। इतना होते हुए भी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर, जैसलमेर आदि जो हैं उन पर विशेष ध्यान देने की बात मैं सरकार से कहूंगा। दूरस्थ जिले हैं, रेगिस्तानी एरिया है, क्षेत्र बड़े हैं, दूर-दूर तक बस्तियां बिखरी हुई हैं इसलिए हम विकास की बात करें पूरे राजस्थान में। अगर ये रेगिस्तानी जिले,

(श्री टीकमचन्द कान्त)

अगर यह मरू प्रदेश जो राजस्थान का लगभग 60 प्रतिशत से ऊपर है, पिछड़ा रह गया, उसका समुचित विकास नहीं हो पाया तो हम राजस्थान का पूर्ण विकास हुआ है, यह नहीं कह पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़क नीति के अन्दर यह तय किया गया है कि सामान्य गांव जिनकी जनसंख्या एक हजार की है वे सड़क से जुड़ जाएंगे, रेगिस्तान के चार गांव जो साढ़े सात सौ के हैं वे सड़क से जुड़ जाएंगे। अब यह कार्यक्रम शीघ्र प्रारम्भ करना चाहिए। वित्त मंत्री महोदय, इस कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। कम से कम यह विचार करना पड़ेगा कि इन रेगिस्तानी जिलों में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा बजट के अन्दर प्रावधान करना पड़ेगा। लम्बी सड़कों की आवश्यकता है। बहुत सड़कें इस रेगिस्तान को मिली हैं लेकिन फिर भी जो मांग अभी तक बनी हुई है, समुचित विकास के लिए जिन सड़कों की आवश्यकता है उसके लिए ज्यादा बजट मिलेगा तब कहीं जाकर ये सड़कें पूर्ण हो पाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के बाद जहां तक पानी का प्रश्न है, हरिसिंह ही बिराज रहे हैं, वे भी कहेंगे कि रेगिस्तान के अन्दर वर्षों जिन गांवों के अन्दर पानी नहीं पहुंचा था वहां आज पानी पहुंचा है। हमने ढाणियों को चिन्हित किया है। मेरे क्षेत्र के अन्दर भी 154 ढाणियां चिन्हित हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 6 ढाणियों की स्वीकृति तो मिल गयी है, 148 ढाणियों की स्वीकृति आनी शेष है। मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल का पैसा ज्यादा मात्रा में इस क्षेत्र को और मिले, यह वर्षों की प्यास रेगिस्तान की तभी बुझ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर भी हमने यह तय किया है कि राजस्थान के अन्दर 200-250 की जनसंख्या का जो भी गांव होगा उसके अन्दर प्राइमरी स्कूल खोली जाएगी। रेगिस्तान के अन्दर यह जनसंख्या का आधार हमने 150 का रखा है। लेकिन अभी पंचायती राज मंत्री जी रेगिस्तान के इलाके के एम. एल. एज. के क्षेत्र में भी दो-दो प्राइमरी स्कूलें खोलने की बात कर रहे हैं, तो हमने जो नये नार्म्स बनाये हैं उनको हम कैसे पूर्ण कर पाएंगे? उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के दृष्टिकोण से हमें ज्यादा मात्रा में स्कूलें उस क्षेत्र को देनी चाहिए, ज्यादा मात्रा में स्कूलें उस क्षेत्र की क्रमोन्नत करनी चाहिए। तब कहीं जाकर इस रेगिस्तान का विकास हो पाएगा। मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि वे अपने विभागों को कहें कि रेगिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा वित्त उपलब्ध करवाएं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर एक और हमारी कमजोरी रही। राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र के, प्रत्येक जिले के व्यक्ति को पूरे राजस्थान के अन्दर नौकरी करने का अधिकार है। वह किसी भी जिले के अन्दर प्रार्थना पत्र दे सकता है, प्रतियोगिता में बैठ सकता है। लेकिन मुश्किल हुई रेगिस्तान के जिलों के अन्दर उनके गांवों की स्कूलों के अन्दर न तो अध्यापक हैं और हमारी शालाओं से निकले हुए विद्यार्थी उतने नम्बर

(श्री टीकमचन्द कान्त)

भी प्राप्त नहीं कर पाते जो अन्य जिलों से प्राप्त करते हैं। तो जहां प्रतियोगिता की बात आती है, मैरिट की जहां बात आती है उस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाती नौकरी, सेवा नहीं मिल पाती क्योंकि वह मैरिट में नहीं आता। और जो दूसरे जिलों से लोग आते हैं वे किसी न किसी प्रकार से तुरन्त उन रेगिस्तानी जिलों से निकलना चाहते हैं और स्कूल यों के यों खाली रहते हैं। वहां चिकित्सालय में ए. एन. एम. नर्सेज, कम्पाउण्डर आदि की चिकित्सा सेवाएं उनको नहीं मिल पातीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर विचार करे। बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जिलों के अन्दर जहां दूसरे जिलों के लोग सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं, कोई ऐसा नियम बनाइये, न्यायालय को भी इस प्रकार की प्रार्थना करनी पड़े तो कीजिये ताकि उन्हीं जिलों के लोगों को वहां सेवाएं करने का मौका मिल सके। उन्हीं को ज्यादा नौकरी हम दें, इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही यह शिक्षाकर्मी योजना है। इस शिक्षाकर्मी योजना के कारण तो हमारे वहां एक क्रान्ति आयी है। मैं तो निवेदन करूंगा, पंचायती राज की स्कूलें खुलें न खुलें, प्राइमरी शिक्षाकर्मी योजना की ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक शालाएं हमारे वहां खुलनी चाहिए। उसके कारण पढ़ाई का स्तर सुधरा है। वहां जो अध्यापक हैं वह उसी गांव के अन्दर रहता है, उसी ढाणी के अन्दर रहता है, बच्चों की शिक्षा ढंग से हो रही है। शिक्षाकर्मी योजना रेगिस्तान के गांवों के लिए, इन जिलों के लिए बहुत उत्तम योजना है। इसे लागू करके हमें इन जिलों को लाभान्वित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के अन्दर एक बी. ए. डी. पी. का पैसा भी आता है, बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम का। अब बार्डर एरिया के चार ब्लॉक हैं वे ही उससे लाभान्वित हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि पूरा जिला बार्डर पर है पूरे जिले का विकास होना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार केन्द्र सरकार को लिखती जा रही है लेकिन अगर यह स्थिति है तो राज्य सरकार को चाहिए कि चार बचे हुए विकास खण्डों के लिए भी कोई अलग पैसा प्राप्त करे ताकि समूचे जिले का विकास हो सके। इसलिए मेरा विशेष कर निवेदन है कि इन रेगिस्तानी जिलों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय, इनके लिए ज्यादा बजट का आबंटन किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री टीकमचन्द कान्त : अब मैं पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्दर कुछ बड़े गांव हैं, उन बड़े गांवों के अन्दर खारा आया हुआ है। खारे की वजह से वहां बरसात का पानी हो या घरों से निकलकर नाली का पानी हो, वह पानी जमीन सोखती नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि थोड़ी-सी बात पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : सुन रहे हैं वे।

श्री टीकमचन्द कान्त : समदड़ी गांव, मजल गांव, खंडर गांव, ये ऐसे गांव हैं जहां खारे की वजह से कीचड़ इस प्रकार फैला हुआ है कि उनकी सड़कें भी समाप्त हो जाती हैं और पूरी नारकीय जिन्दगी वहां के लोग व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार इन्होंने पचपदरा के अन्दर पूरे गांव की सड़क को ऊपर उठाकर उसके किनारे-किनारे नालियां बनाकर कीचड़ से मुक्त किया है, इन गांवों को भी कीचड़ से मुक्त करने के लिए पचपदरा जैसी योजना दें तो बहुत उचित होगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : कोई प्रवासी राजस्थानी को पकड़िये, सहभागिता में बन जाएगी।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर थोड़ा ध्यान देंगे तो उचित होगा। कुल मिलाकर इस समय मेरा इतना ही निवेदन है कि बार्डर जिले पर, रेगिस्तानी जिलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब हैं नहीं। मैंने उनको बार-बार कहा है कि रिंग बांध की जरूरत है उन पहाड़ियों के सहारे-सहारे ताकि उस रिंग बांध से पहाड़ियों से आता हुआ पानी रुके, उसकी गति कम पड़े और उस क्षेत्र के अन्दर पानी से होने वाली बरबादी को भी रोका जा सके। इतना कहकर आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल पर कोई भूमिका बनाऊं तो आप घण्टी बजा देंगे इसलिए मैं सीधे-सीधे मांग रख देता हूं। एक तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ऐसा है कि अलवर में कम्पोजिट मीट प्लान्ट बेकन फैक्ट्री है जो काफी समय से बन्द है। राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव शिप एण्ड वूल फैडरेशन, जयपुर ने दुबारा से एन. आई. टी. लगायी है। किसी को देने के लिए कि उसमें बूचड़खाना खुले। अलवर की जनता और सभी संगठनों की मांग है कि अलवर खेतिहर इलाका है, फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रोन एरिया है इसलिए वहां मीट की दुकानें बन्दी की जाएं और इसे फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज को किसी को दिया जाए। लोग लेने के लिए तैयार हैं। जितने पैसे में यह फैडरेशन मीट के लिए लोगों को देने के लिए तैयार हैं उतने ही किराये में लोग फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज को लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इसकी व्यवस्था कराएं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि जब से ललितजी मंत्री बने हैं इनकी संवेदनशीलता बिलकुल धार्मिक मामलों में खतम हो चुकी है। आप स्वयं गवाह हैं भर्तृहरि जी का धार्मिक स्थान कितना मशहूर है, लाखों लोग मेले में वहां हर साल जाते हैं और मंगलवार को लोग गोठ लेकर जाते हैं। वहां की सड़क की स्थिति यह है कि सिंगल रोड है। वहां इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, माननीय ललितजी, आप भी गये हैं।

(श्री जुबेर खान)

मुश्किल से डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा है वाइडनिंग करवाने के लिए, उसके लिए पैसे नहीं दे सकते? इसी तरह से पाण्डुपोल में हर मंगलवार को इतनी मान्यता है कि कभी-कभी तो——

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किसकी बात कर रहे हैं?

श्री जुबेर खान : भर्तृहरि की। पाण्डुपोल में तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे भी मिलता एरिया है। यहां तक होता है कि एक-एक घण्टा ट्रैफिक जाम होता है मंगलवार को, क्योंकि सकड़ा रोड है। मेरा निवेदन है कि उस सड़क को भी आप चौड़ा कीजिए, सरिस्का से निकलती हुई जाती है। एक मेरा निवेदन है कि हमारे यहां सरिस्का की टाइगर सैंक्चुरी बनी हुई है, ऊंचा-नीचा इलाका है। सुनिश्चित रोजगार योजना अलवर में है। एनीकट मैं मानता हूं कि फोरेस्टेशन के लिए अच्छा ही होता है। एनीकट बनेगा, पानी जमा होगा, जल स्तर बढ़ेगा और वाइल्डलाइफ के लिए पानी की व्यवस्था होगी। फोरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा है कि एनीकट खुद तो बना ही नहीं रहा लेकिन अगर दूसरी एजेन्सी भी बनाने की कोशिश करती है तो उसको बनाने नहीं देता।

एक माननीय उप मुख्य मंत्रीजी अलवर में बहुत कम ऑफिस हैं और अलवर बड़ा जिला है। डिप्टी टाउन प्लानिंग का ऑफिस 1962-63 से कार्यरत है। हमको बड़ी खुशी हुई जब अखबार में पढ़ा कि सरकार ने भरतपुर में भी डिप्टी टाउन प्लानिंग का आफिस खोल दिया है। लेकिन तकलीफ तब हुई कि अलवर का बन्द कर रहे हैं और भरतपुर लेकर जा रहे हैं। यह कहां का न्याय हुआ? आप भरतपुर में खूब बनाइये लेकिन हमारे अलवर का ऑफिस तो उठाकर मत ले जाइये। इतना पुराना है। नेशनल कैपीटल रीजन में अलवर आता है, बड़ा शहर है, प्लाण्ड सिटी है, इण्डस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है और आप वहां से डिप्टी टाउन प्लानिंग का ऑफिस लेकर जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि सरकार के मंत्री भी हर बार जब बाढ़ आती है सुनेड़ा गांव में हैलीकॉप्टर लेकर आते हैं, खाने के पैकेट टपकाते हैं। सुजानसिंह जी भी जाते हैं, नसरू खांजी भी जाते हैं, रोहिताश्वजी भी जाते हैं और आपके सामने बड़ी-बड़ी डींगे हांकर कर आते हैं। सुनेड़ा की हालत यह है कि हर साल वह बरसात में पूरे इलाके से कट जाता है, टापू बन जाता है। एक डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा, सड़क आलरेडी बनी हुई है उसको रेज करने की बात है। मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि सुनेड़ा को अब तो बी. बी. सी. भी जान गयी, उसकी सड़क को रेज करवाइये, मुश्किल से डेढ़-पोने दो किलोमीटर है। तीन महीने गांव बिलकुल कट रहता है। नावें चलती हैं, आर्मी की नावें चलती हैं हर साल। इतना खर्चा हो जाता होगा कि आप सड़क बनाएं तो इतना खर्चा नहीं हो। पी. एव. ई. डी. मिनिस्टर

(श्री जुबेर खान)

साहब, आपके लिए मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि चांदी में दाग हो सकता है, भंवरलाल शर्माजी में तो है नहीं। कहा था, हम तो मानते हैं कि नहीं होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके अन्दर दाग है लेकिन मैंने ध्यानाकर्षण भी लगाया है। एक जे. ईएन. जो कार्यरत था मालवीय नगर खण्ड अलवर में, उसने एक साल एक ट्रेजरी का पैसा अपने घर में इस्तेमाल किया जबकि जब बिल जमा होता है पी. एच. ई. डी. का, उसी दिन या महीने के आखिर में पैसा ट्रेजरी में जमा हो जाना चाहिए। उसने एक साल तक पैसा अपने पास बरता। उसकी जांच हुई और जांच में उसको दोषी पाया गया। आज 6 महीने से फाइल जयपुर में आपके एडिशनल चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के यहां पड़ी है, उसको सस्पैण्ड तक नहीं कर रहे हैं। आपके एस. ई. ने रिपोट्र बना कर भेज दी कि इसने गबन किया है। सब मालूम है इनको। तकलीफ की बात यह है कि मुझे किन लोगों ने ज्ञापन दिये? भारतीय मजदूर संघ ने दिये, जिसका उद्घाटन आपने जाकर किया। इसके कर्मचारी के खिलाफ, जिला जलदाय विकास संगठन जिसका आप मुर्हूत करके आये थे अलवर में, उसने दिया। वह त्राहि-त्राहि कर रहा है। आपसे कह-कहकर थक गये और हमारे पास उनको आना पड़ रहा है कि अन्याय के खिलाफ लड़िये और मांग करिये कि उसको सस्पैण्ड किया जाए। कितने दुःख की बात है। बी. एम. एस. ने किया, बी. जे. पी. ने लिखा, भारतीय युवा जनता मोर्चा ने लिखा, दुनिया भर के ज्ञापन इसके खिलाफ दे चुके हैं। मैंने 131 के साथ में सारे ज्ञापन आपको लगाकर दिये हैं, आप यह कार्यवाही कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्रीमती मीना अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बोलना चाहूंगी। अलवर का विषय है।

श्री जुबेर खान : अलवर के अस्पताल के लिए, चिकित्सा मंत्री बैठे हैं, आप भी जानते हैं कि अगर मरीज से मिलने जाएंगे तो आपके साथ-साथ डॉक्टर नर्स नहीं डोलेंगे, कुत्ते और सूअर डोलेंगे वार्ड में। यह हालत तो अस्पतालों की हो रही है। सड़कें टूटी पड़ी हैं दो साल की बाढ़ में आज तक। और भाषण देते हैं कि धन की कमी नहीं आएगी। हम पी. डब्ल्यू. डी. के एक्स. ईएन. के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि क्या करें, साहब मेंटिनेंस, रिपेयर के लिये पैसे नहीं देते। यह कौनसी कथनी और करनी है? आप कहते हैं कि धन की कमी नहीं आएगी, वे कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। आप हमारी सड़कों की मरम्मत कराइये। आपने पैसा ले रखा है मण्डी समिति से, मार्केटिंग बोर्ड ने आपको 50 प्रतिशत पैसा दे दिया, अलवर की तीन मंडियों का 50 प्रतिशत पैसा जमा हो गया पी. डब्ल्यू. डी. के पास, आप उसका कार्य शुरू कराइये। अलवर को आपने पांच बस्तियां दे दीं, पांच गाड़ियां दे दीं लेकिन अलवर की जनता के साथ जितना अन्याय कर रहे हैं ये पांच मंत्री, कोई कर नहीं

(श्री जुबेर खान)

सकता। ये तो बोलते नहीं हैं, इसलिए कि कुर्सी का खतरा है। लेकिन अलवर की बहनजी से पूछ लीजिए, किस तरह की हालत अलवर की आज हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आप और रमाकान्तजी तो डी. आर. डी. ए. की मीटिंग में कहते ही हो।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मैं इनका समर्थन करती हूं।

श्री जुबेर खान : आप तो डी. आर. डी. ए. की मीटिंग में हमारे साथ +++ कि कुछ नहीं हो रहा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि लंगड़ी, लूली सरकार से कहिये कि कुछ करे और अलवर का ध्यान रखे। यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदयजी, अलवर का विषय है मुझे मौका दें, अलवर का विषय है बोलने दीजिए। चर्चा आगे बढ़ेगी___

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्रीमती मीना अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर के अन्दर इन्होंने टाउन प्लानिंग के बारे में जो कहा वह बिलकुल सही कहा। मैंने यह पत्र परसों भंवरलाल जी मंत्रीजी को दे दिया है कि यह ऑफिस भरतपुर नहीं जाए। इन्होंने मीट प्लान्ट के बारे में कहा, वह भी बड़ा जोर का आन्दोलन चल रहा है कि बूचड़खाना नहीं चलना चाहिए। यह फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज को ही दिया जाए, इसका मैं समर्थन करती हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा (धानमण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड बोलना चाहता हूं, भरतपुर के अन्दर चाहे आप चीफ टाउन प्लानर का दफ्तर कीजिएगा, अच्छी बात है, हमारे साथी हैं, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है कि अलवर के डिप्टी टाउन प्लानर को वहां शिफ्ट कर दें। यह न तो दूसरी जगह सम्भव है, न ही अलवर में सम्भव होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कुचेष्टा नहीं करें वरना अलवर के अन्दर इसकी बहुत तीखी प्रक्रिया होगी और यह उचित नहीं होगा, आन्दोलन होगा।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अलवर राष्ट्रीय राजधानी में है, साहब।

श्री रमाकान्त शर्मा : पहले ही वहां कई एस. ई. के ऑफिस थे। सिंचाई विभाग का एस. ई. का ऑफिस था, अब नहीं है वहां पर, खतम कर दिया गया है। दूसरे-दूसरे खतम कर दिये गये हैं। यह अलवर के साथ में अन्याय है, यह नहीं होना चाहिए। डिप्टी टाउन प्लानर के दफ्तर वहां से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन भी करना चाहता हूं और आश्वासन भी चाहता हूं।

श्रीमती मीना अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(162)

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

चाहती हूं मंत्रीजी से कि अलवर राष्ट्रीय राजधानी है यहां ऑफिस और बढ़ने चाहिए, बजाय इसके कि ऑफिस भरतपुर चले जाएं और वहां रिक्त पदों से इस तरह की व्यवस्था का मैं इनसे आश्वासन चाहती हूं कि अलवर का टाउन प्लानिंग वहीं रहे और रिक्त पद भरे जाएं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बैठ हुए हैं, इन्होंने 14.3.97 को आश्वासन इसी सदन में दिया था कि अलवर की सड़कें मैं बिलकुल ठीक करवा दूंगा एक हफ्ते के अन्दर, ये लिखकर भेज दें। मैं इनको बराबर लिख कर दिये जा रही हूं, आज 6 महीने हो गये, मगर आज तक उसका मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। इतने-इतने गड्ढे हो रहे हैं, डेढ़-डेढ़ फुट। अलवर राष्ट्रीय राजधानी, इण्डस्ट्रियल एरिया, अलवर जंक्शन है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये, समाप्त।

श्रीमती मीना अग्रवाल : आप मेरी बात सुनें। मैं पूरे छह दिन में आज बोली हूं। आज तो बोलने दीजिये। एक कम्पनी बाग इनके अण्डर में है। ऐतिहासिक कम्पनी बाग है, उसकी राजा मंगल सिंह ने स्थापना की थी। 40 फुट गहरा 200-300 फुट चौड़ा गड्ढा है मगर उसमें पानी की बूंद भी नहीं रुकती चाहे बारिश कितनी ही हो जाए। उसकी आप व्यवस्था देखें। हालत इतनी खराब हो गयी है कि हमें सदन में कहते हुए शर्म आ रही है। वे उसको सम्भालें।

हमारे देवस्थान मंत्रीजी को मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पाण्डुपोल, भर्तृहरि बाबा स्थान इतना बढ़िया स्थान है____

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती मीना अग्रवाल : कि दूर-दूर से देखने आते हैं। आप मुझे बोलने दें।

पर्यटन विभाग को भी मैंने कहा, इसमें मेला लगाइये जिससे उसमें सुधार हो मगर पर्यटन मंत्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, पर्यटन विभाग उसको मेले के अण्डर में ले, पर्यटन विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया।

चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, एक बात और कहना चाहूंगी। मैं आपको यह दिखाना चाहती हूं, इन्होंने 1996 में मुझे आश्वासन दिया था कि एक हफ्ते के अन्दर अगेंस्ट पोस्ट हटा दूंगा। मगर इन्होंने अगेंस्ट पोस्ट एक भी नहीं हटायी। आज भी यह लिखित में मौजूद है। रिक्त पद आज भी मौजूद हैं। आज दूसरे चुनाव होने में साल भर रह गया और आज भी अलवर की हालत इतनी खराब है– इमरजेंसी सेवा, चाहे हास्पिटल हो, चाहे सड़क हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे बूचड़खाना हो। इतने आन्दोलन होते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अलवर जैसे लावारिस हो गया है, अलवर में कोई नहीं है, इस तरह की हालत है। पांच क्या छह, छठे मंत्री हमारे उपाध्यक्ष जी ही हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। लावारिस मत बनाइये, मैं आपसे यही कह रही हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पांच मंत्री हैं मंत्रिमण्डल में। पांच मंत्री हैं अलवर जिले के।

एक माननीय सदस्य : इस्तीफा मांग लेना चाहिए।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस चर्चा में भाग लेते हुए राजस्थान के हमारे उप मुख्य मंत्रीजी बिराजमान हैं उद्योग मंत्री के रूप में, इनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। उद्योग नीति बनी, बूंदी जिले में चार वर्ष में एक बीघा जमीन भी हम उद्योग के लिए रीको के माध्यम से नहीं ले पा रहे हैं। मैंने कई बार निवेदन किया कि कलक्टर और आपके अधिकारी को बैठाओ, जमीन दो तब जाकर वहां उद्योग लगेंगे। वहां जमीन ही नहीं होगी तो उद्योग कहां से लगेंगे? पूरे चार वर्ष के अन्दर एक बीघा जमीन भी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी जिले के अन्दर, बूंदी जिले के आस-पास जहां उद्योग लग सकते हों, पानीदार भूमि हो, उसकी व्यवस्था करायी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही राजस्थान में सफाई की, कचरे की समस्या बनी हुई है। पोलीथीन, प्लास्टिक की थैलियां बनती हैं और प्रत्येक परिवार में काम आती हैं। कोई भी सामान इन थैलियों में जाता है और महिलाएं इनमें कचरा इकट्ठा करके नाली में फेंक देती हैं। वह थैली न गलती है, न फटती है, न जलती है, वह फंस जाती है। उससे समस्या पैदा हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पोलीथीन की थैलियों का उत्पादन बन्द किया जाए। इससे सफाई व्यवस्था में बहुत लाभ मिलेगा। इससे कोई लाभ नहीं है। पहले भी कागज की बनी थैलियां हुआ करती थीं, परन्तु इन प्लास्टिक, पोलीथीन की थैलियों से समस्या पैदा हो रही है।

सफाई के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार की स्थिति बूंदी नगरपालिका या मेरे बूंदी जिले में हो रही है, ऐसी समस्याएं पहले भी रही होंगी परन्तु वहां पर जब अधिकारीगण जाएं, मंत्रीगण जाएं और देखने के बाद सफाई नहीं हो तो यह उचित नहीं रहता। एक मांजी साहब का कुण्ड है, हर बार वहां बारिश के मौसम में बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। नैनवां रोड पर बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। उसके समाधान के बारे में कई बार चर्चा हुई परन्तु समाधान नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसका सर्वे के साथ-साथ समाधान अति आवश्यक है। काम भी आवश्यक है, काम कराया जाए।

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पहली बार बूंदी नगर को सड़कों के लिये पैसा दिया है, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनके लिये प्राथमिकता के आधार पर फिर पैसा आबंटन करना पड़ेगा। श्रीलंका गेट से श्री अम्बेडकर सर्कल, वह सड़क खराब है,

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

उसके लिये पैसा आबंटित कर दिया गया। रोजाना दस हजार आदमी निकलते हैं वहां से। मण्डी जाने का रास्ता है परन्तु वह ठीक नहीं हो पाती। आज भी वहां पर लोग गन्दगी में रह रहे हैं। एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट का कचरा उसमें भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, गड्ढ़े पड़े हुए हैं। तो उनके लिये भी कुछ व्यवस्था की जाए।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है वे मुख्यालय पर नहीं रहते। जब तक अधिकारी, वह चाहे किसी भी विभाग का हो, अगर वह अपने स्थान पर नहीं रहेगा, सुबह 11 बजे आए शाम को 4 बजे चल दिये, अध्यापक 12 बजे आए शाम को 3 बजे चल दिये, तो काम कैसे होंगे? काम तो वे अधिकारी ही बैठकर करेंगे। इसलिये आप पाबन्द कराएं कि अधिकारी अपने स्थान पर रहें। जो नहीं रह सकता है उसको दूसरी जगह भेज दें। कोई आवश्यक नहीं है कि वह वहीं रहे। अधिकारियों को पाबन्द कराएं।

मैं बिजली के बारे में निवेदन करूंगा। मैंने वैसे मंत्री महोदय से निवेदन किया है। सौभाग्य से बिजली मंत्री हमारे यहां के हैं परन्तु वे कहते हैं बिजली बोर्ड है। वहां पर जे. ईएन. मिले नहीं, ए. ईएन. मिले नहीं और अन्य अधिकारी मिले नहीं। बिजली बन्द रहती है। बूंदी शहर की स्थिति यह है कि चार घण्टे से लेकर आठ घण्टे तक बिजली बन्द रहती है। लगभग दो महीने से यह स्थिति है। वहां ए. ईएन. नहीं है, जे. ईएन. गायब है, पता नहीं रहता कहां-कहां रहते हैं। रात को लाइट जाती है, दिन को लाइट जाती है। उसकी व्यवस्था के लिये कई बार निवेदन किया जा चुका है लेकिन वे कहते हैं, बोर्ड बना हुआ है। बोर्ड बना हुआ है तो बोर्ड की व्यवस्था कौन करेगा? आप सरकार के मंत्री हैं, आप व्यवस्था कीजिये। बूंदी का विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि बूंदी की जनता को जब परेशानी होगी तो वह परेशानी मेरी है और मेरा दायित्व है कि मैं अपनी बात रखूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड हो, चाहे आप हों, मुझे तो बिजली की व्यवस्था ठीक चाहिये। अगर वहां बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं हुई और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की नौबत आयी तो फिर वहां की जनता की जिम्मेदारी नहीं होगी। वहां पर कोई भी परिस्थिति घट सकती है। अंधेरे में नहीं रहेंगे। अगर कटौती होती है तो बूंदी की कटौती की जाती है। अधिकारी गायब रहते हैं, किससे बात करें? रात को 12.30 बजे तक मैं वहां बैठा रहा, ढाई घण्टे बिजली नहीं थी। कोटा अधिकारियों से बात की, बोले व्यवस्था करेंगे। कब करेंगे व्यवस्था? डेढ़-दो महीने से यह व्यवस्था हो रही है। मैंने जब से कई बार निवेदन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, चावल बूंदी में होता है, बासमती चावल होता है परन्तु वहां पर इस चावल को देखने वाला कोई नहीं है। सेला चावल भी होता है, पाकिस्तानी भी

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

होता है, देसी होता है, लोग मिलावट करके इसको विदेशों में बेचते हैं इससे वहां पर हमारे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। वह चावल वहां से वापस आ गया। तो व्यवस्था हो कि चावल किस प्रकार का है, कैसे जाएगा। विदेशी मुद्रा हमको मिलती है। इस वर्ष मेरी जानकारी है कि विदेशों से चावल वापस आया है। इससे हमारी साख खराब हुई है।

कृषि विपणन बोर्ड और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कें बनायी गयीं, गांवों में सड़कें बनायी गयीं, मंजूरी भी हुई परन्तु कोई तो एक किलोमीटर दूर छोड़ दी, कोई आधा किलोमीटर दूर छोड़ दी। अब न तो गांव जुड़ा है, गांव के बीच में वह सड़क बनी हुई है। मेरा निवेदन यह है कि जो सड़क एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर गांव से दूर है उसको गांव तक लाया जाए, उसका लाभ होगा। वरना जो सड़क बनी है वह बेकार होगी।

आखिर में निवेदन करना चाहूंगा——

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उसी पर जा रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। मेरे यहां पर खनिज विभाग भी है, बर क्षेत्र ऐसा है जहां माइन्स एरिया है। वहां पर सड़कें बनीं। मलबा डालने वाले सड़क के सहारे-सहारे मलबा डालते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, खनिज विभाग और वन विभाग, तीनों के अधिकारी बैठकर तय करें कि यह जमीन किसकी है, कहां सड़क निकल सकती है, मलबा कहां डाला जा सकता है। वह सड़क बना दी गयी, फिर मलबा डाल देंगे। वह नाली बन जाती है और जब बरसात का पानी आता है वह सड़क पर आता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बैठकर इस पर विचार करके कार्य किया जाए।

(18.00)

अन्तिम निवेदन करना चाहूंगा। बूंदी जिले में सी. ए. डी. के माध्यम से सिंचाई होती है। वहां पर जैसा मैंने निवेदन किया, चावल, गन्ना पैदा होता है। कृषि पर आधारित बूंदी जिला है। नहरों की स्थिति बहुत खराब है। जब तक नहरों की स्थिति सुधारी नहीं जाएगी वहां पर, किसान को उससे लाभ नहीं मिलेगा, कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही जो मशीनें दी जाती हैं वे मशीनें सहायक अभियन्ता को दी जानी चाहिये। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, उलटा हो रहा है, पानी देने वाला एक्सईएन. अलग, मशीन को देने वाला एक्सईएन अलग, ठीक करने वाला एक्सईएन. अलग और फिर उनके एस. ई. अलग और वे सारे बैठें कोटा में और एरिया पड़े बूंदी में। एक लाख दो हजार हैक्टेयर जमीन बूंदी में है और उसमें केवल एक एक्सईएन. है जबकि दो एक्सई.एन. होने चाहिए। मेरा निवेदन करना यह है कि एक्सई.एन. के अण्डर में ही जो सिंचाई विभाग का काम देख रहा है, पानी का काम देख रहा है, ये मशीनें हों। सहायक अभियन्ता को मशीन दी जाए जिससे वह सुचारू रूप से काम कर सके।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

सारी जिम्मेदारी एक ही अधिकारी को दी जाए, अलग-अलग अधिकारी को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाए। वहां पर पैसा आबंटन किया जाए वरना नहरें ठीक नहीं हो पाएंगी। आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल की बाबत कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहता हुआ अपने मुख्य मुद्दे पर आता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में आना है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, दो मिनट में। हमारे यहां के मंत्री महोदय ही बिराजमान हैं। कोटा शहर हर साल बाढ़ का शिकार होता है। 1986 में भी एक प्लान बना 10 करोड़ रुपये का कि किस तरह से डाइवर्शन कैनाल बनाकर जो बाढ़ का पानी है वह नदी में डाल दिया जाए। कोटा शहर की स्थिति यह है कि 17 किलोमीटर दूर जो बोरावास गांव बसा हुआ है वह समुद्र तट से 1700 फीट ऊंचा है और कोटा शहर समुद्र तट से सिर्फ 820 से लेकर 880 तक है। यह इतना 700 फीट का ढलान है। जितनी बारिश वहां पर होती है उससे लखवा का, रामपुर का या 2-3 तालाब ऐसे हैं जिनसे कुछ बचत हो जाती है। लेकिन इनके बाद का जो इलाका है, जो 9-10 किलामीटर के करीब बैठता है, वहां जितनी बारिश होती है वह सीधे विज्ञान नगर, तलवंडी वगैरह-वगैरह इन इलाकों में आती है, सारे इंडस्ट्रियल एरिये में आती है। उप मुख्य मंत्रीजी वहां पर बाढ़ का दौरा खुद करके आये हैं, सारे इण्डस्ट्रियल एरिये का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। विज्ञान नगर में रहने वालों का, तलवंडी में रहने वालों का, दादाबाड़ी में रहने वालों का, एक-एक व्यक्ति का कम से कम 40-40, 50-50 हजार और इण्डस्ट्रीज का 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उसके लिये सिंचाई विभाग ने प्लान बनाया, फिर दुबारा बनाया। वहां 10 साल पुराना प्लान छोड़िये आप। वह बना 26 करोड़ 50 लाख रुपये का। वह भेजा गया तकनीकी स्वीकृति के लिये केन्द्रीय जल आयोग को। जल आयोग ने यह कह दिया कि यह तो बहुत लम्बा-चौड़ा प्लान है इसको रिवाइज करो। और फिर उसमें वैस्टर्न रेलवे की एन. ओ. सी. कहां है? फोरेस्ट की एन. ओ. सी. कहां है? यों करके वह प्लान लौटा दिया। मेरा कहना यह है कि अगर इस समस्या से वाकई राज्य सरकार कोटा को दूर करना चाहती है, इस समस्या का निराकरण करना चाहती है तो पांच करोड़ तक की तो खुद की क्षमता है राज्य सरकार की। पांच करोड़ तक का जितना भी प्लान है आपका, वहां पर सैन्ट्रल वाटर बोड में भेजने की जरूरत नहीं है। उसकी तो तकनीकी स्वीकृति आप ही देंगे, आप ही करेंगे। टुकड़ों-टुकडों में करके अगर इस काम को करवा दिया जाए और किसी प्रकार से बाढ़ से जो हर साल करोड़ों

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

रुपयों का नुकसान कोटा शहर को होता है उससे उसको बचा दिया जाए तो यह बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

दूसरा मेरा निवेदन बहुत शार्ट में है कि बी. ओ. टी. को आपने आपकी सड़क नीति का मुख्य आधार बनाया है। इसी बी. ओ. टी. बेसिस पर आपने 4-5 चीजें भी राजस्थान में दे दी, जैसे एक करौली का पुल दे दिया, जयपुर और पाली का बाई पास दे दिया। आप खुद जानते हैं कि कोटा में ऐसा कौनसा दिन जाता है जबकि दो-तीन मौतें एक्सीडेंट से नहीं होती हैं। वे महज इस वास्ते होती हैं कि बाई पास आप नहीं बना रहे हैं। आपने पचासों बार घोषणाएं कर दीं कि बाई पास बनाएंगे, पुल बनाएंगे। बी. ओ. टी. बेसिस में पांच पैसे भी राज्य सरकार के खर्च नहीं होते तो आप दूसरा पुल चम्बल पर क्यों नहीं बनवाते? क्या वजह है, क्यों नहीं बनवाते ? इसका कोई कारण तो बताइये आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना 80 करोड़ रुपये की है और उससे जो टोल टैक्स की वसूली है वह नहीं हो पा रही है। इस कारण से जहां भी वह स्कीम बनाकर भेजते हैं वे इसको स्वीकृत नहीं करते और बी. ओ. टी. का कोई व्यक्ति आने के लिये तैयार नहीं होता। कोशिश पूरी है। मैं आपसे भी सहयोग चाहूंगा, अगर इस प्रकार का बड़ा कान्ट्रैक्टर बी. ओ. टी. की स्कीम में आ सके। आज तो सचमुच उतना ट्रैफिक नहीं है किन्तु शनैः शनैः ट्रैफिक बढ़ जाएगा, यह बात सच है और शायद वह जब तक बनकर तैयार होगा 5-6 साल में, तब तक उस प्रकार का ट्रैफिक हो जाएगा। किन्तु आज कोई रिस्क लेने के लिये तैयार नहीं हो रहा है, स्थिति यह है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मान ली बात सब। लेकिन आज जो स्थति है, कोटा का जो पुल है चम्बल का, उसकी स्थिति भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। वह कितने दिन सरवाइव करेगा, उसका कुछ पता है? वह तो बिलकुल लक्ष्मण झूला है, पता नहीं किस वक्त क्या हादसा ले बैठेगा और गजब हो जाएगा। आप इस बात की सीरियसनैस को खुद समझते हैं। आप तो ठेकेदार मुझसे मंगवा रहे हो। पी. डब्ल्यू. डी. का महकमा तो लेकर आप बैठे हो और मुझसे कह रहे हो कि ठेकेदार लाओ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं ठेकेदार कहां से लाऊं ? बस खतम कर रहा हूं, सर। दो मिनट, अब आखिरी निवेदन यह कर रहा हूं। एक अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि जोधपुर में आपने एक भाषण दिया 17 अप्रेल को। आपने भाषण यह दिया कि ठेकेदारी कर रहे अभियन्ताओं के रिश्तेदारों की सूची बनाएंगे। उसमे बात लिखी है कि ऐसे अभियन्ता जिनके कि भाई-भतीजे ठेकेदारी कर रहे हैं या किसी न किसी प्रकार से अभियन्ता लाभ कमा रहे हैं उस ठेकेदार से, उनकी लिस्ट बनेगी और उनके

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

खिलाफ कार्यवाही होगी। राधेश्याम गुप्ता नाम का एक एईएन. जो कि आर. बी. सी. सी. में यूनिट सैकण्ड, कोटा में कार्यरत है, उसके भाई ओम खण्डेलवाल और भतीजा अशोक खण्डेलवाल अलग-अलग फर्मे बनाकर के बकायदा उसी यूनिट में काम कर रहे हैं जिसमें यह एईएन. है। यह देखिये आप कि उसी यूनिट में काम कर रहे हैं। और काम भी कौन-कौनसे हैं? डी. टी. ओ. की बिल्डिग बूंदी की, सी. डी. वर्क्स डाबी रोड के, बासनी हाइवे पर फैसिलिटी सेन्टर, तालेड़ा नेशनल हाइवे 12 का ब्रिज, जिसको ऊंचा करना है। ये बड़े-बड़े काम एक एईएन. जो कि आपका कृपा पात्र है____

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसी के भाई को उसी में ठेकेदार और वही____

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खण्डेलवाल भी, अग्रवाल भी, पोरवाल भी, जैन भी (व्यवधान) धारीवाल भी____

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसा गजब मत करिये। इस महकमे में बड़े अच्छे-अच्छे मंत्री रहे हैं, आप क्यों इस महकमे को बदनाम कर रहे हैं?

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत चल रही चर्चा में मैं भी अपने आपको सम्मिलित करते हुए____

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आखिरी निवेदन है, एक लाइन का मेडिकल कालेज कोटा को मान्यता, मुख्य मंत्री जी, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और फाइनल ईयर के एग्जाम 20 तारीख से चालू हैं। अगर वह फाइनल ईयर के एग्जाम इन लड़कों ने दे दिये और देने के बाद में मान्यता आपने दिलवा भी दी तो ये लड़के मान्यता प्राप्त नहीं कहलाएंगे। या तो उनके एग्जाम पोस्टपोन करवा दीजिये। अगर नहीं मिल सके, किसी न किसी कारण से टैक्निकल ग्राउण्ड से मेडिकल कौन्सिल की रिकाग्निशन, तो उनके एग्जाम पोस्टपोन तो करवा सकते हैं कम से कम। हैल्थ मिनिस्टर साहब, जरा आप दो मिनट इस पर बोल लें, लड़कों के भविष्य का सवाल है। आप भी छात्र रहे हैं और छात्र कैसे रहे हो, यह हम भी जानते हैं। इसलिए ख्वाहमख्वाह इनसे + + + उसमें यह हालत हो गयी। आप जरा फरमा दें, इन लड़कों के एग्जाम तो पोस्टपोन करवा दें। मुख्य मंत्री महोदय, ये लड़के जाएंगे साहब, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। दुआएं देंगे वरना इनका साल खतम हो जाएगा। पोस्टपोन के लिये तो फरमा दें कम से कम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा): उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया को राज्य सरकार ने ईस्पैक्शन करने के लिये पत्र लिख दिया है। पहली बार जो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इंस्पैक्शन हुआ था उसमें 40 आक्षेप आये थे। जिन-जिन चीजों की कमियां बतायी थीं, राज्य सरकार ने सारी कमियां पूरी कर दी हैं। मुख्य मंत्री जी ने अपने स्तर पर भी समीक्षा की थी। हमें स्वयं चिंता है कि विद्यार्थियों का किसी तरह से भविष्य नहीं बिगड़े। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले के अन्दर, चाहे परीक्षा पोस्टपोन करने की बात हो या उसका इंस्पैक्शन करके मान्यता दिलाने की बात हो या मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया से प्रोविजनल मान्यता लेने की बात हो, कोई न कोई प्रक्रिया करके इन छात्रों के भविष्य के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए इस सरकार ने विभिन्न विभागों के द्वारा विशेष रूप से उदयपुर संभाग में जो काफी विकास के कार्य किये हैं उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें कुछ कमियां रही हैं, जिनको करने के लिये आग्रह भी करता हूं।

उदयपुर नगर पर्यटन नगरी है, साथ ही साथ ऐतिहासिक नगरी भी है। उदयपुर पर्यटन नगरी के पीछे जो उसकी धरोहर है वह वहां की झीलें हैं और झीलों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। वहां की होटलें, वहां के जो उद्योग हैं, वहां का जो आने वाला प्रदूषित पानी है उसके कारण से सारी झीलें प्रदूषित हो रही हैं। मैं हमारे पास में बैठे हुए नगर नियोजन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर नगरपरिषद् वास्तव में चुनी हुई परिषद् है और आर्थिक दृष्टि से सक्षम है। वह आपसे केवल यह अपेक्षा रखती है कि जो प्रशासनिक स्वीकृतियां चाहिए वे स्वीकृतियां आप बराबर समय पर देते रहेंगे तो आने वाले समय में नगरपरिषद् चुनी, यह जो उदयपुर नगर की झीलों की समस्या है उसका निदान करने के लिए सक्षम। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास जो-जो प्रशासनिक स्वीकृतियों के लिए कागज आए हुए हैं वे स्वीकृतियां प्रदान करें।

उदयपुर में आबादी के अनुपात में जितने सफाई कर्मचारी होने चाहिए वे नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां कर्मचारियों की संख्या बढ़े लेकिन समस्या यह है कि सरकार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करे। इसमें सरकार को आर्थिक रूप से कोई भार नहीं पड़ रहा है क्योंकि नगरपरिषद् स्वयं सक्षम है। अतः मंत्री महोदय परमिशन दें।

उदयपुर जिलाधीश महोदय ने झील के पांच सौ मीटर दायरे में निर्माण के लिए प्रतिबन्ध लगा रखा है। पांच सौ मीटर अगर झीलों के आसपास प्रतिबंध लगता है तो कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। यह जो निर्णय स्थानीय लेवल पर लिया गया है यह अव्यावहारिक है, अतः मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको भी पुनः

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

दिखाएं। पांच सौ मीटर के अंदर निर्माण रुकेंगे तो विकास के कार्य नहीं हो पाएंगे। (व्यवधान)____

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अलग विषय है जो हमारे सम्माननीय सदस्य बता रहे हैं। पांच सौ मीटर नीचे के एरिये में पानी नहीं रूकता है, ऊपर वाले पर प्रतिबंध तो हमारे प्रशासन ने लगा दिया हैं उसके लिए तो हमने अपनी तरफ से उनको धन्यवाद दे दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर का मास्टर प्लान बहुत समय से पैंडिंग है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मास्टर प्लान की सारी योजना आपके पास आई हुई है, जल्दी से जल्दी उसको स्वीकृति प्रदान करें ताकि वहां पर होचपोच में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वे नहीं हो और आने वाले समय में उदयपुर नगर का विकास योजनाबद्ध ढंग से हो। यह हमारे जन-प्रतिनिधियों की सोच है, अतः इस विषय पर आप विशेष रूप से ध्यान दें।

उदयपुर के आसपास कई झीलें हैं। उदयसागर एक ऐसी बड़ी झील है जिसका बिलकुल शुद्ध पानी उदयपुर नगर के निवासियों के लिए सप्लाई किया जा रहा है। वहां आसपास निर्माण कार्य न हों, यह भी मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा। अभी हमारे एक पूर्व कलक्टर महोदय ने वहां जमीन आबंटित करके एक होटल व्यवसायी को जमीन दे दी, वहां पर होटल बना। हमने काफी विरोध किया लेकिन वहां के कुछ बुद्धिजीवियों, कुछ वकीलों ने मिल करके हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। लेकिन सरकार के द्वारा भी यह प्रयास रहे कि कम से कम झीलों के आसपास होटल निर्माण के लिए परमिशन नहीं मिले ताकि आने वाले समय में जो झीलें हैं वे प्रदूषित न हों और हमारा उदयपुर पर्यटन नगर की दृष्टि से बना रहे।

पानी की उदयपुर के लिए नितान्त आवश्यकता है। आज हम जयसमन्द से पानी ले रहे हैं, इस सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि जयसमन्द योजना को इस सरकार ने क्रियान्वित करके उदयपुर नगरी को पानी पिलाया है। लेकिन यह एक टेम्परेरी व्यवस्था की है। इसके लिए स्थायी और व्यावहारिक हल हो सकता है। तो मानसी वाकल योजना है। मानसी वाकल योजना को व्यावहारिक रूप में तो स्वीकृति प्रदान कर दी है लेकिन वहां कुछ परिवार मुआवजे के लिए अड़े हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान जिंक जो एजेन्सी के रूप में वहां निर्माण करने के लिए अपने आप आगे आयी है, अगर सरकार उनको बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दे सकती है तो हिन्दुस्तान जिंक से करार करके जो परिवार हैं उनको मुआवजे के लिए तय कर लें। इस तरह का उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था, उन्होंने भी पहल की थी। अगर इस छोटी-सी समस्या का समाधान हो जाता है तो कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा और अभी जितना जल्दी होगा उतने ही पैसे की कम लागत होगी। जितना लेट होगा उतना पैसे

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

की लागत ज्यादा होगी और आने वाले समय में उदयपुर की समस्या है उसका निदान होने में समय लगेगा। इसलिए उप मुख्य मंत्रीजी, हमारे आदरणीय हमारे जल मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि समस्या का अपने स्तर पर जल्दी से जल्दी निदान करें।

मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कुछ योजनाएं पैंडिंग हैं। मंत्रीजी अभी यहां बिराज नहीं रहे हैं लेकिन वे सुन रहे होंगे। बारापाल और कुडिया चौकी, कुडिया चौकी ऐसी योजना है जो उदयपुर नगर के लिए जो बाढ़ आती है, इस तालाब को अगर बना लेंगे तो बाढ़ से उसको बचा सकते हैं। सबमर्सिबल बांध के रूप में इसको बना सकते हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था लेकिन भारत सरकार में स्वीकृति के लिए भेज दिया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह राज्य सरकार अपने स्तर पर इसको स्वीकृत कर सकती थी लेकिन पता नहीं किस कारण से भारत सरकार के पास चला गया। अगर भारत सरकार के पास गया है तो अपने स्तर पर भी पहल करके इस योजना को स्वीकृति प्रदान करें। आने वाले समय में यहां बाढ़ के लिए योजना बनाई गई है वह कार्यान्वित होगी तो उदयपुर नगर के लिए लाभदायक रहेगा।

उसी तरह बारापाल ट्राइबल क्षेत्र का गांव है, जहां के लोग केवल श्रम के आधार पर अपनी जीविका यापन करते हैं। यह तालाब अगर मंजूर हो जाता है तो वहां के काफी लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आने वाले समय में उनके पास जो जमीन है, कम होल्डिंग की जमीन है, इससे सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : और इससे हम काफी कुछ आदिवासियों को लाभान्वित कर पाएंगे।

रोड के बारे में भी मैं मंत्री महोदय से थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद भी दे रहा हूं, निवेदन भी कर रहा हूं। हमारे मंत्री महोदय ने वास्तव में बाइपास के लिए जो पहल की, बाइपास उदयपुर के लिए बहुत जल्दी ही मिलने वाला है, उसके लिए मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन साथ-साथ एक आग्रह भी करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को उदयपुर से लेकर रतनपुर तक जो टुकड़ा है, उसके लिए पूरी सरकार भी बधाई की पात्र है लेकिन पहल चूंकि पी. डब्ल्यू. डी. मंत्रीजी ने की है इसलिए विशेष रूप से वे बधाई के पात्र हैं। साथ-साथ एक समस्या पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा___।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, समाप्त।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : जनजाति क्षेत्र की समस्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उदयपुर से रतनपुर का जो टुकड़ा है, वास्तव में नेशनल बाइपास का टुकड़ा है और इस पर इतना प्रेशर ऑफ व्हीकल रहता है

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

जितना उदयपुर और दिल्ली के बीच में रहता है। जयपुर और दिल्ली के बीच फोर लेन बन चुका है लेकिन वहां फोर लेन नहीं बना, क्योंकि वह हिल स्टेशन है वहां फोर लेन बनना असम्भव है। मंत्री महोदय स्वयं ने कंसैप्ट बनाया है कि सलम्बूर होकर एक ऐसा बाइपास है जो हम गुजरात में मिला सकते हैं। किसी भी एजेंसी के माध्यम से अगर यह अल्टरनेट व्यवस्था बनती है तो आने वाले समय में इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा और आए दिन जो एक्सीडेंट्स और जाम होते हैं वे जाम भी कम करने में कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल जी इन्दौरा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : शिक्षा के क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा क्षेत्र में।

श्री उपाध्यक्ष : अब अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं हो रहा है। आपका बोलना व्यर्थ है, अंकित नहीं हो रहा है, कृपया बिराजें। श्री हीरालाल जी इन्दौरा, शुरू करें आप।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल को पक्का करने के लिए 1982 में कैबिनेट ने एक निर्णय लिया। जल्दी में अपनी बात समाप्त कर लूंगा, कृपया मुझे अपनी बात कहने का मौका दें। उसके लिए लिंक चैनल बनाया। सारे काम पूरे हो गए, लिंक चैनल भी पूरा हो गया उसके बाद आज नौ साल निकल गए-पांच साल पहले के, चार साल अब के, नौ साल के बाद भी सरकार आज तक गंग कैनाल पक्का करने के लिए निर्णय या विचार नहीं ले पाई है। गंगानगर के किसानों और वहां के लोगों को निराशा की तरफ देखना पड़ रहा है। इस बात के ख़ास सबूत मेरे पास हैं कि यहां की सरकार की बिलकुल भी मंशा नहीं है गंग कैनाल को पूरा करने की, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है। नौ साल तो उनके राज के निकल गए और पांच साल के लिए और समय मांगा है। अब ये राज में रहेंगे या नहीं रहेंगे यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मंशा कतई नहीं है।

दूसरी बात, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने मिल कर चुनाव लड़ा पंजाब में और वहां पर दोनों की कोएलीशन सरकार बनी। सरकार बनने के बाद भी हमारे साथ कितना अन्याय पंजाब की सरकार कर रही है, यह माननीय मंत्री महोदय के नोटिस में है या नहीं है यह मैं नहीं कह सकता लेकिन गंगानगर की जनता

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

और तमाम आवाम जानता है कि गंदा पानी सेम का जो पंजाब का है वह गंग कैनाल में छोड़ दिया गया। उससे कितना नुकसान, कितना हैल्थ का नुकसान गंगानगर के लोगों का होता है, वह माननीय मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं। आपकी वहां पर कोएलीशन सरकार है, आपकी साझेदारी है, आप पंजाब से बातचीत करके कृपया यह तो रोकिए कि सेम का गंदा पानी तो गंग कैनाल में न डाले। वह नहर तो पक्की बनाएंगे तब बनाएंगे क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं है, क्योंकि पूरे पांच साल का समय और मांग लिया कि तकनीकी परियोजना तैयार होगी, बजट उपलब्ध होगा तब बनेगी। इन सबसे जाहिर है कि नौ साल पहले निकाल दिए, पांच साल बाद में ले ही रहे हैं, चौदह हो गए।

दूसरी बात माननीय मंत्री महोदय, यह आपका है या आपके कर्मचारियों का है, शायद आपके नोटिस में है या नहीं। "जी हां, पंजाब व राजस्थान में स्थित बीकानेर कैनाल व गंग कैनाल की समस्त नहरों को पक्का करने की गंग नहर योजना में तकनीकी स्वीकृति को पर्याप्त बजट उपलब्ध होने पर यह कार्य पांच साल में पूरा कराया जाना प्रस्तावित है।" पांच साल में आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह जनता जानती है, गंगानगर के किसान बताएंगे कि पांच साल बाद आपको वहां से वापस भेजना है या नहीं है। आपका जो जवाब आया है उसको गंगानगर का किसान और व्यापारी तो जानता ही है। गंगानगर के लोग भी जानते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अपन रहें या नहीं, पर पोते-पोतियों की फिर भी आशा लिए बैठे हैं। आशावादी रहो।

श्री हीरालाल इन्दौरा : फिर ठीक है। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि "ए" माइनर के लिए मैंने आपसे कई बार निवेदन किया कि यह 2700 क्यूसेक की नहर है, शहर के अंदर से जाती है तथा उसमें वाटर लास भी होता है। उसमें मरे हुए पशु डाले जाते हैं, शहर की गंदगी डाली जाती है। वह 25-30 गांवों को पानी देती है, वहां के किसान उस पानी को पीते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने कई बार यह एश्योर भी किया है कि इस माइनर को शहर के बाहर से डाइवर्ट करके निकालेंगे। आपने कई बार कहा भी, लेकिन वह सब ठण्डे बस्ते में पड़ा हुआ है। आप कह तो रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। आपने उस स्कीम को ही सुला दिया या उठाना चाहते हैं, यह तो आप जानें।

श्री देवीसिंह भाटी : आप जब सत्ता में थे तो आपने कुछ नहीं किया। हमने इतना बड़ा निर्णय लिया उसको करेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : हमने तो सत्ता में रहते हुए कैबिनेट में डिसीजन लिया कि गंग कैनाल को पक्का किया जाएगा। चार साल में हमने लिफ्ट चैनल को पूरा किया, काम शुरू कर दिया, लेकिन 9 साल में वही ढाक के तीन पात। आपने क्या किया?

(174)

श्री विष्णु मोदी : गंग कैनाल नहीं भाटी कैनाल कहो तो सब हो जाएगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हम तो भाटी कैनाल कह दें अगर कुछ होता हो तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। लगता है आप गम्भीर नहीं हैं बोलने में।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर का सारा इलाका, इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का और दूसरा भाखड़ा नहर का सी. ए. डी. में आ गया है। पिछले दिनों ज्ञानसिंह जी चौधरी की बहुत फोटो छप रही थी, भाखड़ा की जनता व नोहर की जनता उनको मुबारकबाद देती है कि पूरा इलाका, सिद्धमुख नहर वगैरह सी. ए. डी. में आ गई। गंगानगर की पांच तहसीलें व गंग कैनाल का क्या हाल है? क्यों नहीं सी. ए. डी. में लेते हैं? कृपया हमारी तरफ भी देखिए, जो सबसे पुरानी अन्न देने वाली नहर है उसकी तरफ भी देखिए।

मेरा तीसरा निवेदन यह था, मेरी जानकारी में यह आया है कि पांच सौ करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने आपको दिया था।

श्री देवीसिंह भाटी : एक हजार करोड़ रुपया, जून 1998 में।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हां, एक हजार करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने आपको दिया था। उस एक हजार करोड़ रुपये की स्कीम आपने बनायी नहीं है और आपके कागज ठण्डे बस्ते पड़े हुए हैं। उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इस तरफ भी देखिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पी. एच. ई. डी. के बारे में मेरा निवेदन है कि पिछली बरसात के दिनों में 15-16 गांवों में वाटर की स्कीम सब नष्ट हो गई। पी. एच. ई. डी. मंत्री यहां हैं, ये 15-16 जो गांव हैं, मदेरा है, पन्दराजड़ है, बुर्जवारी, चारावाली, लठावाली, धनूर, मिर्जेवाला, कालिया इत्यादि यहां की जो वाटर स्कीम हैं वे डेस्ट्राय हो गई हैं, उनमें कुछ पैसा और दीजिए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिले। आपका फिल्टर चोक हो गया है, आपके चैनल्स टूट गए हैं, इन सब पर ध्यान दीजिए।

मेरा दूसरा निवेदन है कि बहुत पहले जो खारे पानी के नल लगे थे, गांव वालों ने यह सोचकर लगा लिए कि पानी तो मिलेगा। अब वहां वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट स्कीम देता नहीं है, न अच्छा पानी देते हैं। खारे पानी को मीठे पानी में डाइवर्ट करने की जो स्कीम है, जहां-जहां खारे पानी के हैण्ड-पम्प हैं वहां की स्कीम को डाइवर्ट कीजिए ताकि वहां मीठा पानी मिल सके।

मेरा एक निवेदन यह था कि गंगानगर में लम्बे समय से डी. आर. ओ. (जिला पुनर्वास अधिकारी) की पोस्ट खाली पड़ी है, तीन साल से खाली पड़ी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खास तौर से रिफ्यूजी ज्यादा हैं, उनके रिसैटलमैंट करने में दिक्कतें आ रही हैं। बहुत-सी फाइलें पड़ी हुई हैं और वहां डी.आर.ओ. की पोस्ट पर नियुक्ति नहीं हो रही है। कृपया उसकी तरफ भी ध्यान दें।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

अब मैं पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि उसने एक किलोमीटर सड़क भी गंगानगर में नहीं दी है। पिछले साल 90 लाख दिए, इस साल घटाकर 75 लाख कर दिए। सड़कें टूटी हुई हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : विभिन्न विभागों से बन रही हैं। सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. के अलावा अन्य विभागों से भी बन रही हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : बन रही हैं, लेकिन पैसा कम कर दिया। 90 लाख था उसको 75 लाख कर दिया। पदमपुर व गजसिंहपुर में एक इम्पोर्टेंट रोड 10 किलोमीटर बाकी पड़ी है। गंगानगर से मिर्जावाला की वाइडनिंग बाकी पड़ी है। आपने गंगानगर में पिछले साल कुछ भी नहीं दिया। आप इस ओर ध्यान दीजिए और सड़कों को ठीक कराइए, मैं यही निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस सदन को नियमों से चलाइए। आप नियमों से चलाइए, हम भी नियमों से चलेंगे।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरे अपने जिले की तरफ से कोई बात आपके सामने नहीं रखी गई है। वित्त विधेयक पास हो रहा है उसके अन्दर हमारी बात नहीं रखी जाए तो हमारे साथ अन्याय होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोलने का समय दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है, आपने कहा था कि अभी टाइम दे देंगे और कहने के बावजूद आपने बोलने का मौका नहीं दिया और मंत्रीजी का नाम पुकार लिया। आप तो आसन पर बैठते हैं, आप तो असत्य बोल ही नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया__(व्यवधान)__

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने खुद ने कहा था कि आप सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें अपने जिले की बात करनी है। (व्यवधान) मेरे इलाके के अन्दर चार सड़कें मंजूर हुई थीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, अभी एक माननीय सदस्य ने संकेत किया है कि आप हाउस को नियमों से चलाइए। आप सारे के सारे किन नियमों के अन्तर्गत बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं? कृपया आप बिराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।__(व्यवधान)__माननीय मोदी जी, बिराजें।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

श्री विष्णु मोदी : बिराज तो जाएंगे, आसन पैरों पर है यह तो मालूम है हमें भी। मैंने सुबह से आपको नोटिस दे दिया, फिर भी आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। क्या हम नहीं बोलेंगे ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले से कोई नहीं बोला___(व्यवधान)___

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य___(व्यवधान)___

श्री विष्णु मोदी : आप बोलने से कैसे रोक सकते हैं ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। वहां की बात नहीं कही जाएगी तो बहुत अन्याय वाली बात हो जाएगी। आप पांच मिनट का मौका दे दीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : दो-दो मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा ? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं, हमको 5-5 मिनट का मौका तो दें। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके जिले के बारे में ही बात चल रही है। बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने करबद्ध निवेदन आपसे बहुत पहले किया था। आपने कहा टाइम निश्चित रूप से दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : जो डिमाण्ड पर बोल लिए वे ही एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लिए। यह ऐसे नहीं चलेगा।

श्री बनवारीलाल बैरवा : हमारे जिले की बात तो सुनिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। बाद में कोई सवाल पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : दो मिनट का समय मांग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रभारी मंत्रीजी के बोलने के बाद आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आधा घण्टे का टाइम और दे दीजिए, हमको 2-2 मिनट बोल लेने दो। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आज की इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार के अनेक विभागों का ध्यान आकर्षित किया इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने जिन-जिन विभागों के बारे में अपनी समस्याओं को यहां उजागर किया है वे विभाग निश्चित रूप से उन समस्याओं का निराकरण करेंगे।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम बजट पर, वित्त विनियोग बिल पर चर्चा करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखें। लेकिन मुख्य रूप से मेरा दायित्व यह है कि राजस्थान का वित्तीय प्रबन्धन, राजस्थान की वित्तीय स्थिति, राजस्थान का केन्द्र से वित्तीय सम्बन्ध, राजस्थान की आय, उसके स्रोत, उसके व्यय, उस पर लाइबिलिटी है सरकार पर, उन सबका विस्तार से विवरण आपके सामने रखूं, क्योंकि आपकी समस्याओं का निराकरण इस बजट पर निर्भर करता है। यदि बजट अच्छा रहा, हमारा वित्तीय प्रबन्धन ठीक रहा, पैसा रहा, सब विभागों को मिलता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद तो कुछ खर्च करता नहीं, सब विभागों को हम देते हैं और विभाग अपने-अपने हिसाब से प्राथमिकताएं तय करके व्यय करते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में बजट के बारे में जो राजस्थान की वित्तीय स्थिति है उसके बारे में मेरी बात सुनें और समझें तथा जब कभी भी आपको अवसर मिले, यदि आप सुझाव देना चाहें तो आपके सुझावों का स्वागत है। निश्चित रूप से उन सुझावों पर बड़ी गम्भीरता से विचार होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वित्त विनियोग बिल है, यह दो तरह की मांगों को लेकर है। एक जो अतिरेक व्यय हुए हैं और एक जो अनुपूरक अनुदान हैं। मुझे बहुत संकोच के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इसी सदन के भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अतिरेक मांग और अनुपूरक मांग का भेद मुझे समझाने की कोशिश की है। मुझे उनको समझाना पड़ेगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अतिरेक मांगे वे होती हैं___

श्री रामनारायण चौधरी : दोनों ही आपत्तिजनक हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लेकिन यह सारे हिन्दुस्तान में है। केन्द्र सरकार से लेकर आपके राज्य में भी हुआ है। किसी भी राज्य में यह कभी नहीं हुआ कि जब अतिरेक मांगें या अनुपूरक अनुदान की मांगें नहीं आयी हों। इसलिए अच्छा है कि हम हिप्पोक्रेट नहीं बनें, जो हम कर रहे हैं उसको स्वीकार करें और यह आदर्श बताने की कोशिश नहीं करें। सारा हिन्दुस्तान जिसको मान रहा है और जिसको कहीं चुनौती नहीं दी जाती, यह परम्परा हो गयी है और इसका कारण भी है। आप कारण तो समझिये। एक्सेस मांगों का मतलब यह है कि जो पिछले सालों में खर्चा हुआ उन सारे खर्चों की जांच इसी विधान सभा की समिति करती है जो बहुत पीछे से करती है, दो-चार-पांच साल से करती है। वह जांच करके जो भी अकाउंट्स में खर्चे आते हैं, जो ज्यादा हो गये हैं, क्योंकि लम्बे-चौड़े खर्चे होते हैं तो उनको वह ढूंढ़ती है। फिर वह यह देखती है कि ये खर्चे सही हुए या गलत हुए। इन खर्चों के सही होने के बाद यह सिफारिश करती है कि इन खर्चों को विधान सभा के सामने प्रस्तुत कर उसकी

(178)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

स्वीकृति ली जाए। इसलिए ये जो अतिरेक मांगे हैं ये सब पुराने वर्षों की हैं। हमारे यहां तो जो पेश हुई हैं वे 1986-87 से 1990-91 तक की मांगें आयी हैं और पी. ए. सी. की सिफारिश के आधार पर आयी हैं। इसकी व्यवस्था संविधान में भी है। आप आज तो इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन इसकी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 205 में है कि इस तरह से यदि एक्सेस खर्च हो जाए तो विधान सभा के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चूंकि लम्बे-चौड़े अकाउंट्स होते हैं, स्वाभाविक है कि एक्सेस हो सकता है। यह बहुत ज्यादा रकम नहीं होती है इसलिए पी. ए. सी. जहां यह समझती है कि गैर नियमित है, गलत है वहां पर यह एक्शन लेने के लिए लिखती है और जहां वह समझती है कि वाजिब है तो वह सिफारिश करती है। इसलिए एक्सेस मांगें आती हैं।

जहां तक अनुपूरक मांगों का सवाल है, अनुपूरक मांगें तो केवल चालू बजट में जो बजट से ज्यादा खर्चा होता है, वे होती हैं। इसलिए भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक उदाहरण दिया कि कार खरीद ली उसको आपको एक्सेस में लेना चाहिए। वह इस साल खरीदी है तो एक्सेस में नहीं आएगी, अनुपूरक में ही आएगी। वह एक्सेस में तब आती है जब पी. ए. सी. के सामने पिछले अकाउंट्स जाते। खैर, फिर भी कुल अनुपूरक मांगें जो हमने की हैं वे 835 करोड़ की हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह 835 करोड़ में से 774 करोड़ 77 हजार तो केवल लेखांकन के हैं जो प्रो-रेटा चार्जेज के लिए हैं। इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं है। यह केवल अकाउंट्स बुक में एडजस्ट करने के लिए है। जो अधिक राशि हमने मांगी है वह केवल 60 करोड़ 27 लाख 77 हजार मात्र है। इसलिए 835 करोड़ का यह आंकड़ा देखकर यह नहीं समझें कि 835 करोड़ हमने खर्च किये हैं, यह केवल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट की बात है। इसलिए हमने यह आपके सामने प्रस्तुत की है।

मान्यवर, हमारे बजट में मैं सबसे पहले तो आपका ध्यान राजस्थान सरकार की नवीं पंचवर्षीय योजना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि सारा बजट उस पर निर्भर करता है। हिन्दुस्तान में सन् 1952 से लेकर आज तक जितना भी विकास हुआ है, आलोचना तो कुछ भी की जाए लेकिन योजनाओं के अन्तर्गत हुआ है। अब उसमें कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना व्यर्थ गया, यह अलग बात है। लेकिन जितना भी विकास हुआ है वह योजनाओं के आधार पर हुआ है। हर साल योजनाएं बनी हैं और अभी हम आठवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं। राजस्थान का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी योजना का आकार क्या है और यह सरकार की इच्छा भी प्रदर्शित करता है कि सरकार विकास के काम करना चाहती है या नहीं। यदि हम पैसे की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से विकास के काम भी होंगे और हम पैसे की व्यवस्था नहीं करेंगे, कम पैसा रखेंगे योजना में, तो निश्चित रूप से विकास के काम कम होंगे।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आज यह जो विकास के कामों की आलोचना और ज्यादा मांग हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले पांच वर्षों में आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने जो 11500 करोड़ की थी, उसमें 12 हजार करोड़ रुपये, बल्कि उससे भी ऊपर खर्च कर दिया और उसके कारण से जो विकास हुए हैं उससे गांवों में तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। यह स्वाभाविक है। आप कितनी भी समस्याओं का समाधान करिये, समस्याएं तो हमेशा बनी रहेंगी। जब तक जीवन रहेगा, यह सृष्टि रहेगी, एक समस्या का समाधान करिये दूसरी खड़ी हो जाएगी। यह चलती भी रहनी चाहिए क्योंकि यह हमारे आपके बस में नहीं है। सरकारें भी निरन्तर चलती हैं, समस्याएं भी निरन्तर चलती हैं और उनके निराकरण के प्रयास भी निरन्तर होते हैं। इसलिए इस बार हमने योजना आयोग के पास यह प्रस्ताव रखा। पहले हमने केवल 27 हजार करोड़ का रखा था लेकिन योजना आयोग ने 27,650 करोड़ की राशि इस योजना में निर्धारित की है। मान्यवर, यह आठवीं पंचवर्षीय योजना से लगभग 133 प्रतिशत अधिक है। इससे एक बात स्पष्ट है कि हमारी सरकार की इच्छा राजस्थान का अधिकतम विकास करना है। हम राजस्थान का सर्वांगीण विकास सभी मदों में करना चाहते हैं आज की आर्थिक दुरवस्था में भी, जो हमारी ही नहीं केन्द्र सरकार की भी है। केन्द्र सरकार की स्थिति तो यह है कि केन्द्र सरकार की नवीं पंचवर्षीय योजना, यह फ़ाइनेंस मिनिस्टर के शब्द बता रहा हूं, नवीं पंचवर्षीय योजना में एक भी पैसा केन्द्र सरकार अपने पास से खर्च करने की स्थिति में नहीं है। सारा पैसा ऋण में लेकर खर्च करना पड़ेगा। यह भारत के वित्त मंत्री का वक्तव्य है। लेकिन उसकी तुलना में हम देखें तो हमने यह एक साहस किया है कि हम आने वाले पांच वर्ष में राजस्थान में 27 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे और उसके लिए हम कहां-कहां से स्रोत जोड़ेंगे, उसमें हमको आपने स्रोत कितने करने पड़ेंगे, केन्द्र से हमें कितनी सहायता मिलेगी, कर्ज हम कितना लेंगे, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने यह योजना बनायी।

चालू वित्त वर्ष की योजना हमारी 3500 करोड़ की निर्धारित की है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गयी कि अधिक पैसे खर्च करने चाहिए। मान्यवर, इस आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र पर इस योजना का 66 प्रतिशत खर्च करने की योजना है। 1991-92 में 61.71 परसेंट था जो 1994-95 में बढ़कर 61.89 हुआ, 1995-96 में 62.05 हुआ, 1996-97 में 63.32 हुआ और 1997-98 में अब 66 परसेंट होगा। इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने यह शंका उठायी कि गांवों का विकास ज्यादा होना चाहिए, मैं समझता हूं कि उनको यह सुनकर सन्तोष होगा कि इस योजना का 66 परसेंट रुपया हम गांवों के लिए खर्च करने वाले हैं।

मान्यवार, इस नवीं पंचवर्षीय योजना में जो हमने राशि रखी है, उसमें कृषि पर

(180)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

1880 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की हमने व्यवस्था की है और ग्रामीण विकास में 2,357 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में हम खर्च करेंगे, 3,100 करोड़ रुपये सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु होगा, 6,535 करोड़ रुपये की राशि विद्युत परियोजना में होगी, 2,154 करोड़ रुपये की राशि औद्योगिक विकास हेतु होगी। 2,689 करोड़ रुपये की राशि सड़कों और यातायात विकास के लिए होगी, आप सड़कों की बात कर रहे थे, और 7,519 करोड़ रुपये की राशि हम शिक्षा पर, चिकित्सा पर, पेयजल पर, शहरी विकास आदि पर और जो सामाजिक सेवाएं हैं उन पर खर्च करेंगे। इस नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,100 प्राथमिक शालाएं, 987 उच्च प्राथमिक शालाएं, 625 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने, 400 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की व्यवस्था हमने की है। इसी प्रकार हमने 50 स्नातक कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है। हमने राज्य में बेहतर चिकित्सा के लिए 9,650 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 1,721 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 261 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 220 अस्पताल खोलने का लक्ष्य रखा है. . . . .

श्री विष्णु मोदी : इस साल के खर्चे में तो नाइंथ प्लान आने वाला नहीं है। इस साल में कहां से आएगा नाइंथ प्लान?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्यों?

श्री विष्णु मोदी : यह तो टर्मिनल ईयर है। नाइंथ प्लान का बखान तो आप फिर करना। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूं जो घोर निराशा में डूबे हुए हैं और जिनको हमेशा एक चित्र का काला साइड ही दिखाई देता है। इस संसार में तो दोनों हैं, काल भी है और अच्छा भी है। वह तो जैसी जिसकी भावना है लेकिन हमारी जो इच्छा है, सरकार जो चाहती है, मैं तो वह आपको बताना चाहता हूं।

हमने इसी प्रकार 3,051 "बी" श्रेणी आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव किया है। 20,211 गांवों को सड़कों से जोड़ने का हमारा लक्ष्य है और एक लाख कुओं तथा 2,750 गांवों को हमने विद्युतीकरण करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि राजस्थान इस योजना को पूरा करने के लिए——

श्री रामनारायण चौधरी : प्राथमिक शिक्षा पर बहुत कम रखा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप कहेंगे तो और बढ़ा देंगे। जरूरत पड़ेगी वैसे। प्राथमिक शिक्षा पर हमने इस आधार पर रखा है कि प्राथमिक शिक्षा लगभग सारे गांवों में इन स्कूलों के खोलने के बाद सम्पूर्ण हो जाएगी कोई गांव नहीं बचेगा कि जहां प्राथमिक स्कूल नहीं हों, इस हिसाब से किया है। उसका एक स्लेब पूरा

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हो जाएगा, एक स्तर पूरा हो जाएगा, इस हिसाब से हमने रखा है।

मान्यवर, आज हमारा जो बजट है उस बजट में आय के तीन स्रोत हैं। एक तो हम टैक्स लगाते हैं उससे हमको आय होती है। दूसरा, हमको केन्द्र की सरकार जो सहायता देती है वह हमारी आय का स्रोत है और तीसरा आय का स्रोत है कि जो विकास योजनाओं से परिसम्पत्तियां निर्माण करने के लिए ऋण लेते हैं। ये तीनों हमारी आय के स्रोत हैं लेकिन आज के हालात में केन्द्रीय सरकार को जैसी वित्तीय स्थिति और प्रबन्धन है, उसमें इन तीनों पर ही हमारे सामने कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। हमने जिन वर्गों पर अब तक टैक्स लगा रखा है वह इतने सैचुरेटिंग पाइंट पर पहुंच गया है कि अब उन पर और अधिक टैक्स लगाना सम्भव नहीं है और इसलिए इसमें निरन्तर कमी आने की सम्भावना है। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार का जो रवैया है, वह भी धीरे-धीरे सहायता करने में कमी करने का है। वह सब्सिडी बन्द करने जा रही है, अनेक प्रकार की शर्तें लगाती हैं और इस प्रकार से कम से कम पैसा राज्यों को दे, यह उनकी नीति है। इसके कारण भी असर हमारे बजट पर पड़ता है।

जहां तक कर्ज का सवाल है, हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कर्ज इतना नहीं बढ़े कि हम कर्ज के कुचक्र में फंस जाएं इसलिए हम कर्ज एक सीमा तक लेते हैं. और उससे आगे लेना नहीं चाहते। हम कर्ज लेना चाहें तो राजस्थान की साख सारे देश में बहुत अच्छी है, हमारे कारपोरेशन्स की साख बहुत अच्छी है। जब कभी भी हमने जनता से कर्जा मांगा है, यदि हमने 200 करोड़ रुपये मांगा है तो उन्होंने 3-4 दिन में 500 करोड़ रुपया हमको दे दिया। आर. एस. ई. बी. ने मांगा तो 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर दे दिया, रीको ने मांगा, यानी हमारी यह क्रेडिट है। वर्ल्ड बैंक भी इसकी ताईद करता है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा जो वर्ल्ड बैंक ने खुद की। वह तो किसी पार्टी का मेम्बर नहीं है, न विपक्ष का है, न सत्ता पक्ष का है। उनकी तो राय बिलकुल इंडिपेंडेंट होती है। बहुत ही स्क्रूटनी करने के बाद में वे राय देते हैं, ऐसी चालू राय नहीं देते हैं, न किसी दबाव में वे आते हैं। इस हालत में कर्ज की हमारी जो स्थिति है, अभी हमारे राजस्थान में टोटल जो ओब्लिगेशन है वह 18,972 करोड़ रुपये का है और हमारा सकल उत्पादन 50715 करोड़ रुपये। हम उस अनुपात में बराबर ध्यान रखते हैं कि टेन्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन के मुताबिक जितना प्रतिशत उन्होंने तय किया है, उससे ज्यादा हमारा कर्ज नहीं रहे। एक ओर तो स्थिति यह है, दूसरी स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार हमारे ऊपर बोझा लाद रही है। अभी पांचवें वेतन आयोग की बात है, पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है। केन्द्र सरकार पर भी इसका बड़ा भारी बोझ है। मुझे तो आश्चर्य है कि फाइनेंस मिनिस्टर एक मिनट तो कहते हैं कि हम दे नहीं सकते और दूसरी मिनट में कर्मचारियों

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

से समझौता करके अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अगर वे बढ़ाएंगे उसका इलाज उनको करना है लेकिन हमारे ऊपर वह लाइबिलिटी आ रही है जिसका आज बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से लाइबिलिटी हमारे ऊपर इस बजट में लगभग 1300 करोड़ रुपये की आएगी और जो समझौता हुआ है इसमें और बढ़ोतरी होगी। बिना बजट के राजस्थान जैसे राज्य पर इतना बड़ा भार आना और उस भार को भी बजट में सन्तुलित रखना, यह बहुत कठिन है और इसलिए हमने कई सुझाव दिये हैं। हमने एक सुझाव दिया था, पिछले बजट में मैंने कहा कि हम ऋण शोधन हेतु एक कोष की स्थापना करना चाहते हैं। हमने रिजर्व बैंक को उसके लिए लिखा है और रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया। उस सम्बन्ध में बम्बई में बैठक हुई थी और हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद में अब वे विनियोजन के सम्बन्ध में नियम और शर्तों को अन्तिम रूप दे रहे हैं। जिस दिन वे देंगे, हम उसी वर्ष इस कोष की स्थापना, जो हमने बजट में घोषणा की है उसकी पूर्ति करते हुए उतना रुपया हम जमा कराएंगे ताकि यह रुपया कालान्तर में बढ़कर हजारों करोड़ रुपये हो जाए। इसकी आमदनी से कभी भी किसी की सरकार हो, यह पैसा रहेगा तो ऋणों को चुकाने में हमको बहुत बड़ा लाभ होगा।

मान्यवर, अभी राजस्थान में 31 मार्च, 1997 को जो हमारा वर्ष समाप्त हुआ है, हमने अपनी इस योजना के अन्तर्गत जो परिसम्पतियां निर्मित की हैं, उनका मूल्यांकन 14147 करोड़ रुपये था। ये परिसम्पतियां या तो सिंचाई की योजनाओं में हमने परिसम्पतियां बनाई हैं, विद्युत परियोजनाओं में बनाई हैं, भवन बनाये हैं, सड़कें बनाई हैं या उद्योगों में जो पूंजी का विनियोजन हुआ है, हमने इतनी-इतनी परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है। बावजूद इसके बाद——

श्री विष्णु मोदी : बेची कितनी है?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बेची कितनी हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बैठो ना? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्या? बजट पर तो मैं ही बोल रहा हूं, आप तो अपने-अपने क्षेत्र की बात कर रहे थे। अब आप यदि समझना नहीं चाहेंगे तो फिर यह मांग मत करिये कि पैसा दीजिये, सड़कों के लिए दीजिये, उसके लिए दीजिये। मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि आप सब लोग यहां आने के बाद राजस्थान के हितों की चिन्ता न करें। अपने क्षेत्र की तो करें ही करें, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है, इसकी चिन्ता करना बहुत जरूरी है। यदि आज इसकी जानकारी आप नहीं करोगे तो फिर आप सुझाव भी नहीं दे पाओगे। फिर खाली ऐसी आलोचना करना जिसका कोई आधार नहीं हो इसलिए, माननीय सदस्य, इसको थोड़ा हम ध्यान में रखें।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

अभी भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया कि इस बजट में हमने आपको बहुत धोखा दिया है। बिजली का अभी कारपोरेशन बना नहीं और हमने इस मांग में यह रुपया मिलाकर पूरे सदन को अंधेरे में रखा है। मैं आपको ध्यान दिलाऊं, मैंने अपने बजट भाषण में पैरा नम्बर 41 में यह घोषणा की थी कि हम विद्युत मण्डल की कार्य कुशलता में सुधार के लिए कम्पनीज एक्ट के तहत एक निगम बनाने की योजना बनाएंगे। उसका बिल भी तैयार हो गया है, जब समय होगा वह भी आएगा। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो प्रारम्भिक खर्चा पांच लाख का हुआ, वह कंटींजेंसी से हमने लिया है। कंटीजेंसी से वह भर्ती करने के लिए पांच लाख रुपया हम मांग रहे हैं। आपने कहा कि इसमें कारपोरेशन अभी बना नहीं है और आपने कहां से यह रुपया ले लिया। तो मान्यवर यह हमने कोई कारपोरेशन के हैड से नहीं लिया है, इसका हमारा अलग हैड है और यह हैड है विद्युत का। उस हैड के अन्तर्गत इसमें आर. एस. ई. बी. है, उसमें कारपोरेशंस हैं, अनेक प्रकार के खर्चे हैं। उस कारपोरेशन का आपको पता है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यह उसका टोकन है। उसको अमली रूप तो तभी दिया जाएगा जब हम कारपोरेशन एक्ट को वहां पर पास करवा लेंगे। विधान सभा जब तक उसकी स्वीकृति नहीं देगी तब तक नहीं होगी। यह प्रारम्भिक खर्चा है इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार का हमने धोखा किसी को नहीं दिया है।

इसी प्रकार से माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया था और बड़े जोर से उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोकपाल की रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अन्दर हमने अभी तक कोई काम नहीं किया और हम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। अच्छा होता कि माननीय सदस्य यह प्रश्न उठाने के पहले उस रिपोर्ट को पढ़ लेते क्योंकि इस रिपोर्ट में उसका कारण दिया गया है। क्यों नहीं उठा पाये, उसका कारण दिया हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बारे में जिस तरह का कानून बना हुआ है वह विवादास्पद है कि लोकायुक्त की रिपोर्ट को हम क्या समझें। आई. ए. एस. आफिसर्स के अपने सर्विस रूल्स हैं जो केन्द्र सरकार के बने हुए हैं और उनकी सर्विसेज, उन पर कोई एक्शन लेने का, सारा उसी में प्रक्रिया में दिया हुआ है। आज जब हमारे सामने लोकायुक्त की रिपोर्ट आई, हमने कहा कि हम अब इसमें क्या एक्शन लें? तो वहां सवाल आया कि इसमें आपको आई. ए. एस. सर्विस के रूल्स के अन्तर्गत दोबारा उनको नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस देकर जवाब लेना पड़ेगा। जवाब लेने के बाद यदि उनके खिलाफ चार्ज बनता है तो फिर उसकी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी शुरू होगी और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी शुरू होने के बाद फिर एक्शन की बात होगी उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी आएगी। अब हमने हर तरह से इसको एडवोकेट___

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस एस. पी. के लिए क्या परमिशन ली है भारत सरकार से?

(184)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब सुन लीजिये पहले मेरी बात। पहले मेरी बात तो सुन लीजिये आप। इसलिए जब तक समस्या हमारे सामने आई तो हमने लॉ डिपार्टमेंट, एडवोकेट जनरल, सबसे कन्सल्ट किया। सब ने यह कहा कि यह कानून लोकायुक्त का जो बना हुआ है इस कानून में जब तक कोई प्रावधान नहीं होगा तब तक लोकायुक्त की रिपोर्ट की, यानि इसको आप एफ. आई. आर. भी नहीं मान सकते, इतनी भी उसकी वैल्यू नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार से____

श्री रामनारायण चौधरी : तो यह कसरत क्यों कराई आपने ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी लाचारी स्वीकार कर रही है कि लोकायुक्त की रिपोर्ट के ऊपर वह कुछ कार्यवाही नहीं कर सकती। आप इस बात को मान रहे हैं यहां पर कि किसी को सस्पैण्ड नहीं कर सकते।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरी पूरी बात सुनिये। पूर्व मंत्री महोदय, धैर्य रखिये, मैं आपको बहुत विद्वान समझता हूं। मैं कोई फालतू बात नहीं कर रहा, इसको समझिये, और लोगों को समझने दीजिये।

मान्यवर, हमने इस सम्बन्ध में एक कैबिनेट सब कमेटी बनायी कि लोकायुक्त कानून में उचित संशोधन कर लोकायुक्त को अधिक अधिकार मिले, उसके क्षेत्राधिकार बढ़े, उसकी रिपोर्ट पर वास्तव में कोई कार्यवाही की जा सके। इस प्रकार से संशोधन करने के लिए कमेटी बन चुकी है, वह उस पर विचार कर रही है। और प्रदेशों में इसमें क्या है, केन्द्र की सरकार भी बना रही है, उसको भी हम देखेंगे, उस आधार पर जो भी बनाएंगे, वह आपके सामने लेकर आएंगे। जहां तक अभी हमारे पास यह रिपोर्ट है____

श्री विष्णु मोदी : पाइंट ऑफ आर्डर। I am on a point of order. (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट ऑफ आर्डर है, सर। यह है कि एप्रोप्रिएशन बिल पर जब भी बहस हो रही हो तो आप उस सब्जैक्ट पर ही कन्फाइन करेंगे। आप नाइंथ फाइव ईयर प्लान की बात करने लग जाएं, बजट की बात करने लग जाएं तो वह नहीं होगा। यह कौल एण्ड शकधर में साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं—"If an Appropriation Bill is in pursuance of a supplementary.........."

श्री रामप्रताप कासनियां : + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + आप* मजाक की बात हो तब बीच में बोल जाना, कानून की बात हो रही है।

"If an Appropriation Bill is in pursuance of a supplementary

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

grant in respect of an existing service, the discussion has to be confined to the items constituting the same, and no discussion.........."

श्री हरिशंकर भाभड़ा : धन्यवाद। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, यह लागू होता है माननीय सदस्यों पर भी, यह मेरे पर ही लागू नहीं होता है, माननीय सदस्यों पर भी लागू होता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पढ़ तो लेने दीजिये, साहब।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और जब माननीय सदस्य यह सवाल उठाते हैं तो उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : सदस्यों पर लागू है या नहीं है, आप मंत्री हैं, उप मुख्य मंत्री हैं, इसको नियमों से तो चलाओ। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय सदस्यों को यह आपत्ति उठाने के पहले यह कानून जो मुझे बता रहे हैं, उनको खुद पढ़ना चाहिए था। इसलिए इस पाइंट ऑफ आर्डर में कोई दम नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह किस को सिखा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप अपने बजट भाषण का पैराग्राफ बता रहे हैं, You are not supposed to tell about your budget. You kindly hear.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : "______to the items constituting the same, and no discussion can be raised on the original grant not the policy.........." उपाध्यक्ष महोदय, यह +++

श्री हरिशंकर भाभड़ा : विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी इस सदन के सदस्य हैं, हिन्दी में बोलें तो कुछ हम भी समझ पाएं। +++ (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह हिन्दी भी नहीं समझ पाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय, समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था तो फरमाएं।

श्री उपाध्यक्ष : जितने विस्तार से माननीय सदस्य बोले, उतने ही विस्तार से माननीय प्रभारी मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं इसलिए आपके पाइंट आफ आर्डर को मैं रिजेक्ट करता हूं। विराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कुछ व्यवस्था तो दीजिये। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इस फाइव ईयर प्लान पर कोई नहीं बोला है.....

श्री विष्णु मोदी : यहां के किसी भी माननीय सदस्य ने नाइंथ फाइव ईयर प्लान के ऊपर कोई नहीं बोला।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : .....कोई नहीं बोला है।

श्री विष्णु मोदी : मैंने सेटर डे को, फ्राइडे को जो सैक्रेटरी हैं प्लान के, उनको फोन करके यह पूछा कि साहब किस-किस हैड में कितना पैसा आपने नाइंथ प्लान में रखा है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने फाइनल ही नहीं किया। and he refused to tell me, कि नाइंथ प्लान का कितना पैसा क्या है और प्रपोज्ड है। अभी तक इन्होंने फाइनल ही नहीं किया। और फाइनल अगर कर दिया होगा तो भी अभी किसी माननीय सदस्य ने नाइंथ प्लान का यहां जिक्र तक नहीं किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिक्र तक नहीं किया, साहब।

श्री विष्णु मोदी : तो आप कहलवाना क्या चाहते हैं? आप क्या लिखना चाहते हैं? आपको इस सदन में जो भी डिस्कशन होता है उसको डाइल्यूट ही करना है तो ठीक है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये कहां से कहां घुमा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वैसे भी मुख्य मंत्री महोदय, बहुत टैक्नीकल यह डिपार्टमेंट है, हर किसी के वश का है भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय धारीवालजी, कृपया बिराजें आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सारे इश्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे यहां पर। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो आप ही कर लेते वही ठीक रहता.....

श्री उपाध्यक्ष : इधर भी देखिये जरा। बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपने किस को टेलीफोन किया था?

श्री विष्णु मोदी : अरविन्द मायारामजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अरविन्द मायाराम ने कहा कि प्लान एप्रूव नहीं हुआ?

श्री विष्णु मोदी : नाइंथ फाइव ईयर प्लान फाइनल नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं बता सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, प्लन एप्रूव नहीं हुआ, यह कहा क्या?

श्री विष्णु मोदी : नहीं? साहब, य कहा है कि अभी किस हैड में कितना पैस है.....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रांग नम्बर डायल नहीं किया?

श्री विष्णु मोदी : अरविन्द मायाराम को टेलीफोन किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसने देखा होगा कि कौन डिजायरेबल आदमी है, उनको जवाब सही देना कि नहीं देना, यह बात हुई होगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जब वाद-विवाद होता है तो उसमें तर्क होना चाहिए लेकिन जब तर्क नहीं होते हैं, लोग कुतर्क पर उतरते हैं, वितण्डा पर उतरते हैं, गाली-गलौच पर उतरते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : जिस प्रकार आप उतर रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्योंकि तर्क तो होते नहीं। मैं उस पक्ष में नहीं हूं। इस सदन में तर्क होना चाहिए, कुतर्क, वितण्डा और गाली-गलौच, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यह तो उन सदस्यों की योग्यता है, इसका मैं क्या करूं।

मैं बता रहा था कि जहां तक बाकी आपराधिक मामले हैं इस रिपोर्ट में, इन आपराधिक मामलों में जिनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है उसकी सारी जांच करने के लिए राज्य अन्वेषण ब्यूरो को हमने सौंप दिया है कि यदि इसमें कोई आपराधिक मुकदमा बनता है तो हम डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के चक्कर में न पड़कर सीधे इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। उसकी वे जांच कर रहे हैं।

अब मान्यवर, इस बजट के बाद हमने जो आय की है, 1996-97 में हमारे संशोधित अनुमानों के अनुसार जहां पर राजस्व से 3284 करोड़ रुपये की आय हुई, वहीं चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में कर राजस्व से 3928 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य रखा है जो कि गत वर्ष की आय से 19 प्रतिशत से भी अधिक है। यह तरीका है कि जिससे हम अपनी आय बढ़ाएं। जो हमारे सामने कन्स्ट्रेन्ट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उनको दूर करना है तो एक तरीका तो उसका यह है कि हम अपनी आय बढ़ाएं, टैक्स की जो लीकेज हो रही है उसको हम रोकें। दूसरा तरीका यह है कि अपने खर्चे कम करें और तीसरा तरीका यह है कि जहां आवश्यक हो वहां पर हम कर्ज लें। इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। या नया कर लगाने के लिए हम नये स्रोत ढूंढ़ें, इसके सिवाय चारा नहीं है। इसलिए हम इस साल 19 प्रतिशत पहले से ज्यादा वसूली करेंगे।

मान्यवर, भिन्न राजस्व में भी वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 1388 करोड़ रुपये की आय हुई। इसके विपरीत हमने चालू वित्तीय वर्ष में 1496 करोड़ रुपये की कर भिन्न आय का लक्ष्य रखा है जो पिछले वर्ष से आठ प्रतिशत अधिक है। अभी जहां तक चालू वित्तीय वर्ष का सवाल है, इस वर्ष के प्रथम चार माह में कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व, दोनों ही मदों में हमारी अच्छी वृद्धि

(19.00)

हुई है। 1996-97 के प्रथम चार माह में जहां 949 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त

(182)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हुआ था उसकी तुलना में चालू वर्ष के प्रथम चार माह में हमने 1191 करोड़ रुपये का कर वसूल किया है। यह वृद्धि 31 प्रतिशत से भी अधिक है। इसी प्रकार कर भिन्न राजस्व के अन्तर्गत जहां गत वर्ष के प्रथम चार माह में हमें 177 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे उसकी तुलना में चालू वित्त वर्ष में चार माह में हमने 214 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

इसके अलावा हमने एक कमेटी बनायी है। दो कमेटियां कैबिनेट की बनी हैं। एक कमेटी तो ललित किशोर जी की अध्यक्षता में बनी है कि हम किस प्रकार से हमारे प्रशासनिक खर्चों को कम करें। उस सम्बन्ध में हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी सिफारिशें भी आई हैं। दूसरी कमेटी मेरी अध्यक्षता में बनी है कि जिसमें हम इस योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्रोतों का अनुसंधान करें। अभी फिलहाल इस कमेटी की दो बार बैठकें हुई हैं कि राजस्थान सरकार की पूरे प्रदेश में जितनी नजूल सम्पत्तियां हैं और उसमें ऐसी सम्पत्तियां हैं जो किसी काम आ नहीं रही हैं, लोग कब्जा कर रहे हैं, ऐसी सम्पत्तियां का चिन्हीकरण किया जाए, जो करीब-करीब पूरा हो चुका है, और उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए ताकि करोड़ों की आय हम उसमें कर सकें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : देवस्थान की प्रापर्टी का?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, देवस्थान में भी ऐसी प्रापर्टी यदि है, राजस्थान या राजस्थान के बाहर जिन पर लोग कब्जा कर रहे हैं, जिनका उपयोग हो नहीं रहा है। मन्दिर रहा नहीं, नाम मात्र का देवस्थान रहा और वहां पर अब कुछ है ही नहीं। ऐसे जो मन्दिर हैं, जहां पर सम्पत्तियों की जरूरत है उनको हम नहीं छेड़ रहे हैं___

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रामपाल जी उपाध्याय का क्या होगा?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उस पर भी हम विचार करेंगे। इसके अलावा हम ऐसे उन और वर्गों की भी खोज कर रहें जो आज अच्छी कमाई कर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे हैं तो अभी जो वर्ग टैक्स दे रहे हैं उनमें और लोगों को एडीशन किया जाए ताकि हम कर से भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें।

मान्यवर, एक हमारी आमदनी का जरिया है "अल्प बचत योजना"। अल्प बचत योजना में हमारी जो भी राशि जमा होती है उसकी 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार हमको विकास योजनाओं के लिए दीर्घकालीन ऋण के रूप में देती है। वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य को अल्प बचत के पेटे 564 करोड़ रुपये का ऋण भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। इसके मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य को 630 करोड़ रुपये प्राप्त करने का हमने लक्ष्य रखा है। इस दृष्टि से हमने अल्प बचत योजना पर पूरा जोर दिया है और मैं समझता हूं कि इस बार भी हम अल्प बचत

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

में बहुत कुछ रुपया अधिक जमा करेंगे जिससे वहां से हमको अधिक ऋण प्राप्त हो सकेगा।

मान्यवर, हमने इस बात का भी ध्यान रखा____

श्री खेतसिंह राठौड़ : भूतपूर्व वित्त मंत्री से आप ज्यादा एफीशिएंट हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भूतपूर्व से सभी अच्छे होते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह वहम मुझे नहीं है। आप कह सकते हैं लेकिन मैं इस तरह का वहम नहीं पालता। मुझे 7-8 महीने हुए हैं, मैं बजट का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, भूतपूर्व तो मेरे से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। बहुत आगे बढ़े हुए हैं इसलिए मैं इस वहम में नहीं हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, मैंने आय के हिसाब से कहा है। वह अलग काबलियत है। आपने आय बहुत बढ़ाई है और राजस्थान का बहुत ज्यादा भला कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा है कि भूतपूर्व से आप ज्यादा एफीशिएंट हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस अल्प बचत से हमने 1996-97 में इसी समय में माह अगस्त, 1996 तक 536.50 करोड़ रुपये इकट्ठे किये थे। इस बार हमने 31 अगस्त, 1997 तक 712.49 करोड़ रुपये किये हैं जो 32.80 प्रतिशत ज्यादा है।

मान्यवर, बजट बनाने में और वित्तीय प्रबन्धन में हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि राजकोषीय घाटा न बढ़े। यह खुशी की बात है कि जहां हमारे 1996-97 के अनुमानों में राजकोषीय घाटा 2373 करोड़ रुपये का अनुमानित था, चालू वर्ष में इसको घटाकर हमने 2003 करोड़ रुपये की सम्भावना कर ली है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि राजस्थान की आय का बजट कोषीय घाटा जो 5 प्रतिशत से भी ज्यादा था उसको घटा कर अभी हम 4 प्रतिशत तक ले आये हैं और हम बहुत शीघ्र ही इसको 4 प्रतिशत से भी नीचे ले आएंगे। इस सम्बन्ध में वर्ल्ड बैंक की अभी जो रिपोर्ट आयी, मई, 1997 में उसके कुछ एक्स्ट्रेक्ट पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। ज्यादा लम्बा नहीं है, दो-चार लाइने हैं—

"With a growth rat of 6% over the past 15 years, Rajasthan has emerged as one of India's fastest growing states. This is a significant developm-ent. Over the last 15 years, the growth was achieved through rapidly increasing public spending on power, irrigation, potable water, roads, manufactur-ing, tourism, health and education. However, this develo-pment strategy has led the public sector to provide a wide range of goods and services."

(190)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

"The Government of Rajasthan has decided to redefine its development strategy, Fiscal......."

जिसकी मैं चर्चा कर रहा था उसके बारे में लिखा है : —

"Fiscal reforms implemented by Government of Rajasthan include ambitious and comprehensive reforms os Sales Tax and Sales Tax administration which may set a model for other Indian States to follow." उन्होंने यह भी कहा है——

श्री पूनमचन्द विश्नोई : राजस्थान के सज्जन ही बैठे हुए दिखते हैं वहां।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : "Strict annual ceiling on net borrowing by the state to reduce the fiscal deficit to below 3.5% by Government of Rajasthan by 2001 and 2002 from its current average level of 5.5% in 1994-97."

मान्यवर, इसलिए——

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजस्थान के वित्त सैक्रेटरी की जो रिपोर्ट है वह और सुना दो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अच्छी बात है। बात यह है कि आपने तो यह मान लिया कि मेरी मुर्गी की टांग एक है। अब किसी ने कहा कि भई मुर्गी ले आओ। बोले, आप क्या करोगे? बोले मैं मानूंगा तब, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं कहूंगा कि मेरी मुर्गी की टांग एक है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : चलो ये है। नहीं आपकी चार टांग की मुर्गी भी नहीं चल रही है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : होती होगी सारी दुनिया में दो टांगे मगर मेरी मुर्गी की टांग एक है। अब आपने यह तय कर रखा है तो उसका मेरे पास जवाब नहीं है। मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि——

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं आप एक सवाल का जवाब दे दें कि सी. एम. आई. की जो रिपोर्ट आई है वह राजस्थान के बारे में क्या कहती है? वह अगर आपके पास है तो पढ़कर सुना दें और नहीं है तो आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। आप कहीं के एक्सट्रेक्ट पढ़कर कहीं सुना देते हैं। इनसे कोई रिलेवेंस नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पहले मेरी बात सुनिये। प्रशासनिक और अनुत्पादक व्यय में कटौती करने के लिए जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, ललित किशोर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और मैंने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

स्वयं लगभग 20 विभागों का परीक्षण किया है। हर विभाग को इस बात के लिए गाइडलाइन्स दी है कि आपके कौन से फालतू खर्चे हैं जो आप कम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस बजट में बहुत-सा फालतू खर्चा कम करके हमारी आय के स्रोत को बढ़ाएंगे।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कुछ लोगों ने कहा था, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा वित्तीय ढांचा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए,—

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय मंत्री महोदय, सी. एम. आई. वाला तो पढ़ लें आप। वर्ल्ड बैंक का पढ़ दिया तो कम से कम यह सी. एम. आई. वाला भी तो पढ़ लो। साहब, ये क्या बात हुई? (व्यवधान) यह गलत है।

श्री रामप्रताप कासनियां : पूरे राजस्थान की आपको चिन्ता है हर बात में।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : —योजनाबद्ध तरीके से खर्च होना चाहिए इसलिए हमने सारे विभागों में जीरो बेस बजट लागू किया है। जीरो बेस बजट का मतलब ही यही है कि कोई योजना ऐसी न हो जिसको यदि हम समयबद्ध तरीके से लागू नहीं कर सकें तो उसमें पैसा व्यर्थ जाए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सी. एम. आई. की रिपोर्ट सदन से छुपाई जा रही है जिसने राजस्थान के बारे में राजस्थानवासियों की आंखें खोल दीं। सब लिखा हुआ है उसमें। विभिन्न राज्यों में निजी पूंजी निवेश के ब्यौरे के सन्दर्भ में राजस्थान का हिस्सा केवल 1.9 प्रतिशत बैठता है जबकि पड़ोसी राज्य गुजरात में 13.5 प्रतिशत और महाराष्ट्र का 14.3 प्रतिशत बैठता है। अब आप बताएं। जो रिपोर्ट आपके माफिक हो वह तो आप पढ़ दो और जो रिपोर्ट आपके—(व्यवधान)— उसको आप पढ़ो नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिए हर योजना का समय-समय पर पुनर्परीक्षण किया जाए। यदि हमको लगता है कि वह योजना सार्थक नहीं होगी तो उस योजना को ड्राप किया जा सकता है और पैसा उन्हीं योजनाओं में खर्च किया जाए जिनका तत्काल परिणाम हमको मिले। इसलिए जीरो बेस बजट के बाद मैं समझता हूं कि जो शंकाएं इन लोगों ने उठाई हैं वे शंकाएं इससे दूर हो जाएंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या करेंगे, साहब। धारीवाल जी क्या करेंगे इसमें?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। बीच में नहीं। कृपया बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं सी. एम. आई. की रिपोर्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, सी. एम. आई. की रिपोर्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं, माननीय सदस्य, श्री धारीवालजी।

(199)

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, ये सी. एम. आई. क्या है, यह बता दें जरा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की आय बढ़ाने के लिए और राजस्थान के वित्तीय प्रबन्धन को और ज्यादा मजबूत चलाने के लिए हमारे दो मुख्य विभाग हैं, एक कृषि का क्षेत्र है और एक उद्योग का क्षेत्र। यदि हम कृषि के क्षेत्र को मजबूत करेंगे तो राजस्थान की सकल आय बढ़ेगी। और यह आय बढ़ी है। पिछले वर्षों में जो हमारा औसत उत्पादन 78 लाख टन था उसको बढ़ाकर हमने 130 लाख टन उत्पादन बढ़ाया है और वह इसलिए बढ़ा है कि राजस्थान में इर्रिगेटेड एरिया हमने बढ़ाया है। सन् 1990 में सातवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक हमारे यहां पर जो ग्रोस इर्रिगेटेड एरिया था वह 45 लाख हैक्टेयर था और नेट था 36 लाख हैक्टेयर। आज 1996-97 में एट्थ प्लान समाप्त होने के बाद यह एरिया बढ़ा है, 66 लाख हैक्टेयर ग्रोस और 52 लाख हैक्टेयर नेट। कुल मिलाकर हमने 21 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की है। यह इस बात को दर्शाता है कि हम कृषि को किस प्रकार से मजबूत करने में लगे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप थोड़ी जल्दी ही समाप्त करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप सुनना नहीं चाहते तो मुझे बोलने का बिलकुल शौक नहीं है। मैं आपके आदेश का तत्काल पालन करने को तैयार हूं मगर इन बातों की कि आप जानकारी नहीं करोगे तो फिर अंधेरे में लट्ठ चलाते रहोगे और अंधेरे में ही हवा खाते रहोगे, असलियत आपको पता चलेगी नहीं। आप न सुनना चाहें तो न सुनें।

मान्यवर, 1996-97 के दौरान सिंचाई के क्षेत्र में हमने 223 करोड़ रुपये का लक्ष्य किया है जिसमें पांच लघु परियोजनाएं पूर्ण की गयीं। 37 नई लघु सिंचाई परियोजनाओं पर नाबार्ड की आर्थिक सहायता से कार्य प्रारम्भ किया है। वर्ष 1996-97 के दौरान 9700 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई में जोड़ा गया है। दो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर भारत सरकार के एक्सिलरेटेड सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत कार्य प्रारम्भ किया है। मान्यवर, 1997-98 के दौरान सिंचाई विभाग के द्वारा 268 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस वर्ष 16,300 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने का हमने लक्ष्य किया है, जिसमें से 3 हजार हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा जून, 1977 तक उपलब्ध कराये जा चुके हैं। इस वर्ष जाखम सिंचाई परियोजना को पूर्ण करने व 15 अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। साथ ही 36 नई लघु सिंचाई परियोजनाओं का नाबार्ड की सहायता से हम कार्य प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अभी विश्व बैंक के एक मिशन ने जून माह में राजस्थान का दौरा किया और दौरा करने के बाद राजस्थान वाटर रिसोर्सेज कंसल्टेशन प्रोजेक्ट के लिए

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की सैद्धान्तिक सहमति दी। वे इतने इससे प्रभावित हुए। अकेले इन्दिरा गांधी कैनाल में हमने अब तक 2600 करोड़ रुपये खर्च करके 15 हजार करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है, और 11 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित करने का पोटेंशल बना दिया। उसमें से 8 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई हो रही है और बहुत शीघ्र ही, आने वाले पांच वर्षों में पूरा 18 लाख का जो लक्ष्य है उसको भी हम निश्चित रूप से पूरा कर देंगे।

मान्यवर, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में जैसा कि मैंने आपको पहले निवेदन किया, बीज उत्पादन में, दलहन-तिलहन उत्पादन में हम आगे बढ़े हैं, हमने प्रगति की है। किसी में हम सारे देश में दूसरे नम्बर पर हैं, किसी में हम तीसरे नम्बर पर हैं। यह इसलिए हो रहा है कि हमने स्प्रिंकलर सिंचाई पर जोर दिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जहां केवल 3500 स्प्रिंकलर लगे थे, आज आठवीं पंचवर्षीय योजना में 70 हजार स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और राज्य सरकार इसको सहायता दे रही है। यदि यह कामयाब हुए, किसान इसमें बहुत उत्साह से भाग ले रहे हैं, तो इतने ही पानी में और अधिक जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था हम कर पाएंगे।

श्री अमराराम (धोद) : आप बता रहे हैं, उनकी सब्सिडी तो अभी पिछले साल की ही नहीं मिली, उप मुख्य मंत्रीजी। आपका क्या योगदान है?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात की शिकायत कर रहे थे कि साहवा लिफ्ट योजना में हमने एरिया कम कर दिया। हमने इसका एरिया कम नहीं किया है। साहवा का एरिया जो ओरिजिनल 96 हजार हैक्टेयर था हमने, उसको बढ़ाकर 2 लाख 40 हजार हैक्टेयर किया है। अब इस 2 लाख 40 हजार हैक्टेयर में और एरिया सरदारशहर का, तारानगर का, राजगढ़ का सम्मिलित होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम किसानों को और कृषि को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और उसको समर्थ करने में हम लगे हुए हैं।

मान्यवर, जहां तक दूसरा सवाल है, उद्योग का, राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में आज एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जो केवल राष्ट्र में ही नहीं अन्तरराष्ट्रीय नक्शे में भी उभरकर आया है। हमने पिछले पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इतना ही नहीं, बेकारी को दूर करने के लिए पिछले साल हमने 1 लाख 25 हजार को काम दिया था, इस साल हम 1 लाख 35 हजार को काम देंगे। हमने एक नयी तत्काल रोजगार देने की योजना शुरू की है। हमारे जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों में हम उद्योगपतियों को किस तरह के, कौन-सी क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए, उनकी लिस्ट मंगा लेते हैं और फिर एक के अगेंस्ट में तीन आदमियों को हम बुलाते हैं।

(194)

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री बन्द पड़ी है। + + +

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और उन तीनों का इन्टरव्यू लेकर तत्काल उनको अपाइंटमेंट दे दिया जाता है। हमने यह भिवाड़ी में किया। भिवाड़ी में हमने इसमें एक हजार से अधिक लोगों को नियुक्तियां दीं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बात नहीं करें, माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उसके बाद हमने आबू रोड में किया। वहां पर हमने लगभग 600 लोगों को नियुक्ति दी। अब हमने भीलवाड़ा में किया, वहां पर 1200 लोगों को नियुक्तियां दीं। और जो लोग बच गये उनकी वेटिंग लिस्ट बनती है उस वेटिंग लिस्ट में बाकी साल भर में, हर साल मेले लगेंगे। अब हम ये मेले अन्य जिलों में भी कोटा में, चित्तौड़ में, उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में, अलवर में, टोंक में, राजसमन्द में, सब जगह लगाएंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोटा में जे. के. सिन्थेटिक्स बन्द कर दी आपने।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हजारों लोगों को तत्काल बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने की हमने योजना बनायी है। मुझे विश्वास है कि यह योजना, यद्यपि उद्योगों में आज बहुत ज्यादा मंदी आ ही है___

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप स्टेट टेनरीज के बारे में कुछ फरमाएं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लेकिन मन्दी के बावजूद भी जो उद्यमी ज्ञापन आज केन्द्र सरकार को मिल रहे हैं राजस्थान में उनकी संख्या आज भी बहुत अधिक है। लगभग 12 हजार करोड़ रुपये के विनियोजन के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास ज्ञापनों के रूप में आये हैं और उनका प्रोसेस हो रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान का औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है और इसका जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना है वह हमने किया है।

अब, मान्यवर, अन्त में, एक बात कहना चाहता हूं कि 11वां___(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर रो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुझे लगता है कि माननीय सदस्य राजस्थान विधान सभा का महत्व कम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान विधान सभा के महत्व को कम करके किस तरह से बोल रहे हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और मैं इस तरह की विधान सभा चलाने वाले को ठीक नहीं समझता। यह गलत बात है। आपको कोई अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजस्थान में कौन-सा उद्योग बन्द नहीं हुआ?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कार्य नियमों का उल्लंघन करते हो......

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके शासन काल में क्या जे. के. सिन्थेटिक्स बन्द नहीं हुआ? मेवाड़ टैक्सटाइल बन्द नहीं हुआ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बात कर रहे हो कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं हुआ? (व्यवधान) क्या अपने दुःख नहीं कहे? अगर यहां नहीं कहे तो कहां कहेंगे?

श्री बनवारीलाल बैरवा : सब विधायकों को अपनी बात कहने का अधिकार है (व्यवधान) हम अपने जिलों की, अपने क्षेत्रों की बात क्या यहां नहीं कहें?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 5 हजार मजदूरों को निकाल दिया जे. के. सिन्थेटिक्स के, कैसी बात कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजें। (व्यवधान) कृपया, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप आइये सवाईमाधोपुर, वहां पर पता लगेगा। सीमेंट फैक्ट्री बन्द पड़ी है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक करोड़ रुपये की चुंगी तो नगर निगम को मिलती थी और तीन करोड़ रुपये गवर्नमेंट को मिलते थे......(व्यवधान)......तीन करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का राजस्थान सरकार को मिलता था......(व्यवधान)......एक करोड़ की चुंगी नगर निगम को मिलती थी......(व्यवधान)......

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार जी धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और 11 करोड़ रुपये......(व्यवधान)......13 करोड़ रुपये एक्साइज को......(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है, पांच बजे बाद चले गये। डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है अब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और आप कहते हैं कि राजस्थान का औद्योगिक विकास कर रहे हैं। एक-एक करके सारी इण्डस्ट्री जो चालू थीं सब बन्द हो गयी हैं आज। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवालजी आसन पैरों पर है......(व्यवधान)...... श्री धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : करने के नाम कुछ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धारीवाल जी बिराजें। श्री रामस्वरूप जी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप ज्यादा सीमाएं पार न करें। माननीय धारीवालजी बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जे. के. सिन्थेटिक्स बंद हुई कि नहीं हुई?

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री रामप्रताप कासनियां : XXX

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अन्तिम सूचना जो मैं माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं वह यह है कि शीघ्र ही केन्द्र में 11वें वित्त आयोग का निर्माण होने जा रहा है और उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगी उसके बारे में हमने कुछ सुझाव केन्द्र सरकार को दिये हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में उनका उल्लेख करना चाहूंगा और इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा कि आपके ध्यान में आ जाए। आप यदि सुझाव दें तो हम उन सुझावों को भी उसमें इन्कारपोरेट कर लेंगे जो राजस्थान के हित में हो। इसलिए आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 280 के अन्तर्गत यह 11वां कमीशन जून तक नियुक्त हो जाना चाहिये था लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उसकी नियुक्ति हुई नहीं है। हमने केन्द्र सरकार को इस बारे में अपना व्यू दिया है कि यह 5 वर्ष पूरे होने के तुरन्त बाद या विदिन दैट पीरियड इस तरह की हमने उसमें नजीरें भी दी हैं कि जो पहले हुई है, यह नियुक्त होना चाहिये।

दूसरी बात हमने दी है कि अभी इंटर स्टेट काउंसिल में यह तय हुआ है कि जो टैक्सों का डिवोल्यूशन है वह 29 परसेंट हुआ है, हमने 33 परसेंट की मांग की और प्रदेशों ने 50 परसेंट, किसी ने कितनी मांग की लेकिन अन्त में सारे हिन्दुस्तान के राज्य राजस्थान की बात पर सहमत हो गये कि राजस्थान के प्रस्ताव 33 परसेंट को स्वीकार किया जाए। मगर हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि 3 परसेंट बढ़ाने का मतलब होगा मेरे पर एक परसेंट का 6 हजार करोड़ का भार। मैं इस बजट पर 18 हजार करोड़ का भार नहीं ले सकता इसलिए बढ़ाने में सक्षम नहीं हूं। लेकिन फिर हमने उनसे यह तय करवाया कि यह 29 परसेंट की सिफारिश जो 10वें फाइनेंस कमीशन ने दी है यह फिक्स नहीं होनी चाहिये। आपके टैक्स कलेक्शन में जो बोएंसी होगी उस पर भी कंसीडरेशन करना चाहिये। यह बात वित्त मंत्री ने मानी कि दिसम्बर के बाद जनवरी में हम टैक्स कलेक्शन की बोएंसी को देखेंगे और यदि टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है और 29 परसेंट में बढ़ोतरी हो सकती है तो हम करेंगे। हमने उनको सुझाव दिया है कि इसका अमेंडमेंट कांस्टीट्यूशन में करना पड़ेगा। जब तक कांस्टीट्यूशन में आने के बाद ही की जाए।

हमने यह भी सुझाव दिया है कि पांचवें वेतन आयोग के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है, केन्द्र में और राज्यों में, उस पर भी 10वें फाइनेंस कमीशन को विचार करना चाहिये।

हमने यह भी सुझाव दिया है कि 11वें

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

फाइनेंस कमीशन को नार्मेटिव एप्रोच करनी चाहिये। नार्मेटिव एप्रोच का मतलब यह है कि जो नॉन डवलप्ड स्टेट्स हैं, यदि आपने एक नार्म्स बना लिया कि हम तो आबादी के आधार पर मदद करेंगे तो जो नॉन डवलप्ड हैं वे हमेशा के लिये नॉन डवलप्ड रह जाएंगे और जो डवलप्ड हैं वे और डवलप्ड हो जाएंगे। इस गैप को पूरा करने के लिये जरूरी यह है कि जो नॉन डवलप्ड हैं, अविकसित प्रदेश हैं, विकासशील प्रदेश हैं उनकी जरूरत के हिसाब से न्यूनतम इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिये, उनको मदद की जानी चाहिये और जो विकसित है, जो आगे बढ़े हुए हैं उनको उससे कम देकर दोनों को बराबर लाना चाहिये। इसलिए नार्मेटिव एप्रोच करें। यह जो पापुलेशन का उन्होंने बेस किया है 1971 का, हमने कहा कि यह गलत है। क्योंकि हमको सर्विसेज आज की पापुलेशन में देनी पड़ती है इसलिए उसका आधार वर्तमान पापुलेशन को बनाया जाए। इसी तरह से अल्प बचत में हमको जो लोन देते हैं, हमने यह मांग की है कि यह लोन इन-पर्पिचुएटी होना चाहिये। इस पर 10वें फाइनेंस कमीशन ने आपत्ति की और कहा कि इसका पेमेंट केन्द्र सरकार को करना पड़ता है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि इसके पेमेंट में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों का योगदान है। केन्द्र सरकार 75 परसेंट हमको देती है, 25 परसेंट रखती है और जो 75 परसेंट हमको देती है उसका इतना ब्याज होता है कि केन्द्र सरकार पूरा पेमेंट उस ब्याज से कर सकती है। ऐसी स्थिति में इसको लोन इन-पर्पिचुएटी माना जाए। अनेकों प्रदेशों ने भी इस सम्बन्ध में हमारा सहयोग किया है।

मान्यवर, हमने यह भी कहा है कि सेन्टर और स्टेट के बीच में जो केन्द्रीय योजनाएं हैं उन योजनाओं पर हम अपने राज्य की जरूरत के मुताबिक, प्राथमिकताओं के मुताबिक खर्च करें। आप वहां से नार्म्स तय कर देंगे कि इस योजना में इतना हजार करोड़ रुपया है जिसमें आप सूअर बनाइये और मुर्गियां पालिये। हमको सड़क की जरूरत है, पानी की जरूरत है तो हम सड़क और पानी में खर्च करना चाहते हैं। इसीलिए यह छूट हमको होनी चाहिये कि आप हमको रुपया दे रहे हैं, जितना भी है, हम अपनी प्राथमिकताओं को स्वयं तय करें। इस पर भी हमने तय किया है।

मान्यवर, अभी जो केन्द्र सरकार के पास बाहर से ऋण आता है उसमें 70 परसेंट तो वे हमको देते हैं ब्याज पर। मजेदार बात यह है कि उनको ब्याज देना पड़ता है एक परसेंट, दो परसेंट और हमसे वे साढ़े बारह परसेंट, तेरह परसेंट ब्याज चार्ज करते हैं और 30 परसेंट देते हैं सब्सिडी के रूप में। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह सवाल उठाया था कि हमसे ब्याज किस बात का ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि एक्सचेंज रिस्क हम लेते हैं। इस पर आपने बताया था कि एक्सचेंज रिस्क क्या होगी, क्योंकि आपको बाहर से जो सहायता मिलती है वह केवल डालर में थोड़े ही मिलती है, वह

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पौण्ड में भी मिलती है, दीनार में भी मिलती है, सब तरह से मिलती है और आप सबको मिलाकर करते हैं। फिर भी आप हमको इसका हिसाब बताइए कि अब तक आपने हमको जो पैसा दिया है, जो हमसे ब्याज लिया है उसमें आपने कितनी इस रिस्क को कवर किया है? यह हमको बताइए ताकि हमको पता चले। लेकिन अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं किया। बार-बार जब भी इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग होती है मुख्य मंत्री जी इस पर जोर डालते हैं, क्योंकि हमको यह वहम है कि केन्द्र सरकार अपने चहेते राज्यों को इसमें से ज्यादा पैसा दे देती है और जो नीडी है उनको पैसा देती नहीं है। यह भेदभाव की नीति नहीं चलनी चाहिये।

मान्यवर, हमने अन्तिम उनको यह भी सिफारिश की है कि जिस तरह से अभी फाइनेंस कमीशन नोन प्लान पर विचार करते हैं, प्लान पर विचार करते हैं, अब स्थिति यह बन गयी है कि 1952 से लेकर आज तक प्लान में जो परिसम्पत्तियां बनी हैं उन परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, जैसे आज सारे माननीय सदस्य कह रहे थे सड़कों का रख-रखाव आदि वह भी इतना जरूरी हो गया है, इसलिए जब फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट दे तो प्लान को भी ध्यान में रखें कि हम प्लान में कितनी परिसम्पत्तियां बना रहे हैं और उनके रख-रखाव के लिये हमको कितना पैसा और चाहिये। उसके लिये भी राज्यों को मंदद करें। इसी तरह से हमने प्लानिंग कमीशन को भी कहा था कि आपको भी नॉन प्लान के बारे में विचार करना चाहिये केवल प्लान नहीं, बल्कि पिछले प्लानों से जो परिसम्पत्तियां बनी हैं उनके रख-रखाव के लिये भी हमको और अधिक पैसा चाहिये। ये सुझाव हमने टेन्टेटिव अभी दिये हैं। आप चाहे तो इस सम्बन्ध में अपनी राय दे सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत आभारी और हमारे माननीय सदस्य खड़े हैं, उनके लिये भी बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल।

माननीय वित्त मंत्री महोदय, आपकी कमिटेड लायबिलिटिज को कम करके और जो सैलेरीज में पैसा चला जाता है उसके बाद में आपके पास कुल कितना परसेंट पैसा डवलपमेंट के लिये बचता है, उतना-सा ज्ञानवर्धन और इस सदन का करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल्स ऑफ प्रोसिजर की किताब पढ़ लें, उसमें यह लिखा हुआ है कि ऐसे प्रश्न नहीं किये जा सकते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पेज नम्बर भी फरमा दें, बहुत मोटी किताब है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सदस्यों की बात नहीं सुनी जा रही है इसलिए मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री रामस्वरूप मीणा, माननीय सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आपने जो डिमाण्ड पेश की है उसमें 75 परसेंट खर्चा डिक्रियों के भुगतान का है। आपको हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह निर्देशित किया है कि जिन अफसरों की गलती से डिक्रियों का पेमेंट सरकार को करना पड़ता है उनसे वसूल की जाए। आपने अभी तक इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये हैं, क्या कदम उठाये हैं, यह बात आप बताएं। आपकी जितनी भी यह डिमाण्ड है उसमें 75 परसेंट तो___

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र जी आप क्या पूछना चाहते हैं? हो गया आपका सवाल बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी सदन के एक माननीय सदस्य महानुभाव ने अपने भत्तों के बारे में लिखित में आवेदन किया उसके लिये एक दोहा सुना रहा हूं —

"रहिमन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाएं,

तिन से पहले वे मरे जिन मुख निकसित नाहीं॥"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4,5,6,7,8 व 9) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किये गये।

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996

श्री नरेन्द्र कंवर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित, राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक को नयी प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा विधेयक को एक नयी प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह प्रवर समिति के माध्यम से संशोधित होकर हमारे सामने आया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रवर समिति के सभी सदस्य बड़े विद्वान थे,

(श्री शिवनाथ सिंह)

उन्होंने इसमें अपना बहुत योगदान दिया है लेकिन कुछ चीजें ऐसी रह गयी हैं जिनकी तरफ प्रवर समिति में ध्यान नहीं दिया गया। मैं 2-3 बातें 2 मिनट में कह कर समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें रोप-वे के सम्बन्ध में 3-4 प्रावधान हैं। एक प्रावधान है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा प्रावधान है कि इस रोप-वे के बनाने में जिन लोगों की सम्पत्ति प्रभावित होती है, उनको भी कम्पनसेशन दिया जाएगा, उनके लिये यह विचार रखा जाएगा। तीसरा यह है कि जो आदमी इस एक्ट के प्रावधान से एग्रीव्ड हैं, चाहे लाइसेंस होल्डर हों, चाहे वह व्यक्ति जो इससे प्रभावित हुआ हो, उनको अपील का मौका दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो लाइसेंस दिया जाएगा, उसमें 4 श्रेणियां आपने रखी हैं। राज्य सरकार रोप-वे बना सकती है, लोकल बॉडी बना सकती है, कोई कम्पनी बना सकती है और कोई प्राइवेट व्यक्ति बना सकता है। आपने जो प्रावधान रखा है उसमें इन तीनों के लिये तो लाइसेंस लेना जरूरी है लेकिन राज्य सरकार कहीं भी रोप-वे बनाती है तो उसके लिये लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। इसका असर यह होगा कि लाइसेंस के अन्दर जो कंडीशंस हैं सरकार अगर रोप-वे बनाएगी तो उन कंडीशंस में बरी हो जाएगी। माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी हमेशा वहां बैठा रहेगा, यह जरूरी नहीं है। सरकार के कर्मचारियों के माध्यम से यह काम होगा और कहीं भी कोई कमी रह गयी तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसमें कई समस्याएं हैं जैसे रोप-वे के ऊपर चलते हुए कहीं भी आदमियों का एक्सीडेंट हो गया, कहीं और कुछ हो गया तो इन सब प्रावधानों के लिये उसको कम्पनसेट करने का इसमें प्रावधान है। उपाध्यक्षजी, आप चाहें तो मैं प्रोविजंस को क्लाजेज में बतला सकता हूं लेकिन समय ज्यादा नहीं लेना चाहता इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को जो लाइसेंस लेने से मुक्त रखा गया है, यह उचित नहीं है, इसको मुक्त नहीं रखा जाए, सरकार के ऊपर भी लाइसेंस लेने की वही पाबन्दियां हों, ताकि वह लाइसेंस की कंडीशंस को पूरी करे। सरकार भी इस रोप-वे के संचालन में, रोप-वे के संधारण में, रोप-वे को बनाने में, सब तरह से दूसरे व्यक्तियों के समान ही है। अगर कहीं किसी से एक्सीडेण्ट होकर नुकसान हो गया तो लाइसेंस की कंडीशंस को वायलेट करने से तो उस आदमी को कम्पनसेशन मिलेगा नहीं और कुछ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार बरी है, इसलिए इसको कुछ नहीं मिलने वाला है।

उपाध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों की परिसम्पत्तियां इससे प्रभावित होती हैं उन लोगों को कम्पनसेशन देने का सवाल है और उसका एक निर्धारण है। उस निर्धारण में यह प्रावधान इसमें रखा गया है कि कलक्टर उसका कम्पनसेशन तय करेगा और

(श्री शिवनाथ सिंह)

कम्पनसेशन तय करने के बाद में यदि वह एग्रीव्ड व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को राज्य सरकार में अपील करने का अधिकार होगा। उपाध्यक्षजी, कानून के प्रावधान में जो एक व्यक्ति को सिविल राइट है उसको एक्सरसाइज करने की इसमें रुकावट होगी। राज्य सरकार के पास कितनी अपीलें आती हैं और उनका किस प्रकार से निराकरण होता है, निर्धारण होता है और कोई सुनवाई होकर क्या न्याय मिलता है, सदन के हम सब माननीय सदस्य इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। एक बार सरकार के पास अपील आ गयी, सैक्रेटेरिएट में पड़ी रहती है और उन अपीलों का फैसला भी किस आधार पर होता है, यह भी हम जानते हैं। इसलिए मेरा इसमें सब्मिशन यह है कि अपील सुनवाई का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को दिया जाए। राज्य सरकार के पास अनावश्यक वजन होगा, पार्टियों को न्याय मिलने में शंका होगी इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज जो एक अथोरिटी है, जो कलक्टर का निर्णय हो, कलक्टर को करना चाहिए, कलक्टर को अधिकार है, देना चाहिए, वह उसका कम्पनसेशन तय कर दे और भी कुछ कर दे लेकिन उसके खिलाफ अगर एग्रीव्ड पार्टी है तो उस पार्टी को डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपनी अपील करने का अधिकार होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें 33, 34 व 35 इन तीन क्लाजेज को डिलीट किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में यह नया प्रयोग है। नये प्रयोग में जहां खामियां होती हैं, उसमें बहुत सावधानी से हमको देखना चाहिए। ये तीन क्लाजेज ऐसे हैं जिनमें गलती करने वालों को स्पेशल पनिशमेंट का प्रोविजन है। आपने इन तीनों को हटाकर इनकी जगह कर दिया है कि आई. पी. सी. के प्रोविजंस डील होंगे। माननीय उपाध्यक्षजी, पहले जो प्रोविजंस थे उनमें मिसचीफ करने वालों को बहुत बड़े दण्ड की व्यवस्था थी, 14 साल का दण्ड इसमें रखा गया था। आज आई. पी. सी. के प्रोविजंस जब इसमें लागू होंगे तो यह नया हमारे सामने प्रावधान है, यह नयी व्यवस्था है और बदमाशी करने वालों की आज कमी नहीं है। आज इस समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो मिसचीफ करते हैं। हम रोजाना देखते हैं कि रेलवे की पटरियां उखड़ती हैं, हम रोजाना देखते हैं कि बसों के अन्दर विस्फोट होते हैं, इस प्रकार की बदमाशियां अगर इन रोप-वे के साथ होने लग जाएंगी तो कितना भयंकर नुकसान होगा, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो प्रावधान पहले थे, सख्त प्रोविजंस थे, इन प्रोविजंस को यथावत रखा जाए। आई. पी. सी. के प्रोविजंस में वह कुछ भी नहीं होता, टिल राइजिंग आफ द कोर्ट, कोर्ट ने दे दिया 5 बजते हुए, कोर्ट के समय से एक सैकण्ड पहले फैसला सुनाया और अफसर चला गया तो चला गया। इससे लोगों में भय भी नहीं होगा और मेरे ख्याल से जो हम सुरक्षा चाहते हैं वह इस हिसाब से नहीं हो सकती। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज कोई भी जल्दी

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं है, आगे आने वाला जो सदन होगा——

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें, माननीय सदस्य। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, कह लेने दीजिए, क्या बात है यह?

श्री उपाध्यक्ष : कह लिया न आपने।

श्री शिवनाथ सिंह : क्या हो गयी बात?

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी और क्या चाहते हो? (व्यवधान) मैंने आपको समय दे दिया, आपने अपनी बात कह दी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, (व्यवधान) मुझे समय दे दिया तो कोई अहसान नहीं किया गया है मेरे ऊपर।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप इतना आक्रोश क्यों कर रहे हो?

श्री शिवनाथ सिंह : कोई अहसान नहीं किया गया है मेरे ऊपर, मेरा अधिकार है। मैंने अमेंडमेंट दिया है और अमेंडमेंट पर मुझे पूरी बात कहने का अधिकार है। अगर मुझे समय दिया गया है, कोई अहसान थोड़े ही है मुझ पर। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कोई रिपीटीशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने एक शब्द का रिपीटिशन नहीं किया है। सब प्रोविजंस को अलग करके मैं बता रहा हूं और उस पर मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज कोई समय ऐसा नहीं है कि यह रोप-वे ऐसा हो, आज यह बिल पास हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए मेरा सब्मिशन यह है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए, जिन बातों पर मैंने ध्यान दिलाया है, उनको रखते हुए इसमें बेटर प्रोविज़ंस किये जाएं। यह मेरा सब्मिशन है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रवर समिति में एक साल तक रहा है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 को पारित किया जाए।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, जवाब नहीं दिया जाएगा क्या? जो मैं बोला हूं उसका जवाब तो मंत्रीजी देंगी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्षजी, अभी तो इनका जवाब आएगा, पारित करने की बात कहां से आ गयी?

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो आप उत्तर दीजिए पहले। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका पहले आप उत्तर दीजिए।

श्री रमाकान्त शर्मा : प्रवर समिति के बारे में जवाब दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : उत्तर दीजिए उसके बाद में मेरे संशोधन पर मतदान कीजिये, राय लीजिए, उसके बाद में करिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, बिराजें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : उपाध्यक्ष महोदय, पहला पाइंट जो आपने उठाया है कि सरकार चलाएगी। सरकार चलाएगी तो आटोनोमस बॉडी से चलाएगी। आटोनोमस बॉडी जैसे आर. टी. डी. सी. है तो उनके ऊपर यह लागू होता है।

यह प्रवर समिति के पास में एक साल से विचाराधीन था। सबने इसको पचासों बार पढ़ा है, सौ बार पढ़ा है और उसके बाद जैसा इन्होंने चाहा है, वैसा संशोधन करके अभी प्रस्तावित किया है। इसे लागू नहीं करने से स्वरोजगार के जो साधन बढ़ेंगे उनमें बाधा आएगी और पर्यटन में भी कमजोरी आएगी। इसलिये इसको पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 को एक नयी प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

नयी प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 पारित किया गया।

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997.

श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय की

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

अनुमति के अनुसार यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंड आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीं हरिसिंह कुम्हेर, सदस्य, विधान सभा, विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार आप इधर तो देख लीजिये। एक बात के ऊपर माननीय सदस्य पाइंट आफ आर्डर देना चाहते हैं, आप सुन तो लीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। सुनो तो सही कि पाइंट आफ आर्डर क्या है? एक मिनट आप सुन तो लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थानों में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि मैं सदन को इस बारे में कार्यक्रम बनाकर सूचित कर दूंगा। आज आखरी दिन है, कब करेंगे सूचित? हमारा निवेदन है, मुख्य मंत्रीजी, आज ही हमको इसकी सूचना दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी मेरे पास कागज नहीं है लेकिन चुनाव का सबका कार्यक्रम बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। अभी नहीं है। अभी मेरे पास नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप मंगवा लें जब तक। हाउस को बताएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बता देंगे।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सवाल उठा था, उसके बाद इस पर हमने एक्सरसाइज की और जितनी भी प्रधानों की वैकेंसीज थीं, वे 30 तारीख से पहले-पहले यह जो 30 तारीख आ रही है इससे पहले चुनाव कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आपको धन्यवाद।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : और जो सरपंच और पंच हैं उनके लिये 14 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में कार्यक्रम बनाकर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है।

श्री परसादीलाल मीणा : 14 से 27 कौनसी?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : नैक्स्ट मंथ।

श्री परसादीलाल मीणा : अक्टूबर में?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जी हां, अक्टूबर में।

श्री परसादीलाल मीणा : ठीक है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

विधेयक को प्रवर समिति के निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान सरकारी भवनों की बेदखली के सम्बन्ध में संशोधन लाया जा रहा है इसके सम्बन्ध में मैंने एक प्रस्ताव दे रखा है इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। मैंने वह प्रस्ताव इसलिए रखा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में किरायेदारी का एक कानून है और उस किरायेदारी के कानून के अन्तर्गत कोई भी मकान मालिक अपने किरायेदार से मकान साधारणतः खाली नहीं करवा सकता। बहुत कुछ शर्तें हैं और वे जितनी भी शर्तें हैं, अधिकतर किरायेदार के पक्ष में होती हैं। इस सबसे बचने के लिये सरकार ने 1964 में, जिसका कि नाम पड़ा जाकर "एक्ट नम्बर-2, 1965", उसमें एक कानून बनाया कि यह कानून सरकारी भवनों पर लागू नहीं होगा। सरकारी भवनों पर जिन लोगों का नाजायज कब्जा है, या जायज कब्जा है, जिनका जायज कब्जा बेदखली का नोटिस देने के बाद नाजायज कब्जा हो जाएगा, उनको बेदखल करने के लिये उन्होंने एक अलग से प्रावधान कर दिया, अपने एस्टेट आफिसर मुकर्रर कर दिये। अब प्रश्न यह आता है कि सरकारी स्थानों की परिभाषा क्या होगी? सरकारी स्थानों की परिभाषा जो इनके "एक्ट नम्बर-2, 1965" के अन्दर है, उसके मुताबिक इन्होंने यह परिभाषा रखी है : —

"सरकारी स्थान से ऐसा कोई भी स्थान अभिप्रेत है जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन हो, या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया हो या अधिगृहीत किया गया हो और उसके अन्तर्गत ऐसे कोई भी स्थान आते हैं जो निम्नलिखित निकायों के स्वामित्वाधीन हों।"

इन निम्नांकित निकायों के अन्तर्गत श्रीमान् जी, इन्होंने उस समय कानून के अन्तर्गत नौ रखे। उनमें सबसे पहले म्यूनिसिपल बोर्ड है, मतलब इस प्रकार की संस्थाओं के जो भवन होंगे, स्थान होंगे, वे सरकारी माने जाएंगे और उन पर यह कानून लागू होगा। नम्बर एक है म्यूनिसिपल बोर्ड, नम्बर दो है—इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट; नम्बर तीन-राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन के भवन; नम्बर चार-पंचायत के भवन; नम्बर पांच-पंचायत समिति के भवन; नम्बर छः-गवर्नमेंट कम्पनी के भवन; नम्बर सात-देवस्थान डिपार्टमेंट के भवन; नम्बर आठ-वक्फ के भवन और नम्बर नौ-मार्केट कमेटी के भवन। अब उसके बाद में सरकार को एक बहुत जरूरत महसूस हुई और वह जरूरत यह महसूस हुई कि इसमें हमको दो तरह के भवन और जोड़ने चाहिये इस संशोधन में। एक तो वे भवन जो कि किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के कानून के अन्तर्गत बनी हुई गवर्नमेंट बॉडी के हों और दूसरे वे जो कि राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास के हों। दस और ग्यारह ये दो प्रोविजन इन्होंने जोड़े जो बिल नम्बर-23, सन् 1994 के

(श्री हरिसिंह)

द्वारा जोड़े गये हैं। यह बिल इन्होंने एसेंट के लिये, गवर्नर साहब की मंजूरी के बाद में प्रेसीडेंट महोदय को भेजा और प्रेसीडेंट महोदय ने उस पर स्वीकृति दे दी। अब मैं आपसे निवेदन यह करना चाह रहा था कि प्रेसीडेंट की स्वीकृति के साथ में वहां से जो रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, गनर्वमेंट आफ इण्डिया का और मिनिस्ट्री आफ अरबन डवलपमेंट, गवर्नमेंट आफ इण्डिया, उन्होंने एक चिट्ठी साथ में लगा दी कि आप इस कानून को राजस्थान में लागू करने जा रहे हैं तो आप यह सुनिश्चित कर लें, इसमें केवल such protection should be restricted to the premises owned and controlled by Government Bodies. यह उनकी चिट्ठी और उस चिट्ठी के आधार पर आपने यह कानून में संशोधन पेश किया है। इसमें ग्यारहवें तरह के जो भवन हैं, मतलब जो राजस्थान लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास के भवन हैं, ये वे हैं जो कि धार्मिक संस्थाओं के भवन हैं, जो एनडाउमेंट संस्थाओं के भवन हैं। इनके बारे में जो इस विधान सभा ने प्रोविजन किया था, उसको डिलीट करने के लिये यह संशोधन लाया गया है।

अब मुझे इसमें आपत्ति यह है, श्रीमान् कि इस संशोधन से मैं इस विधान सभा के अधिकारों पर कुठाराघात मानता हूं और मैं किस प्रकार से कुठाराघात मानता हूं? कि हमारे कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत पार्लियामेंट कोई कानून बना सकती है और राजस्थान स्टेट लैजिस्लेचर कोई कानून बना सकती है। जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, आर्टिकल 246 की जूनियर लिस्ट है, नम्बर एक, उसमें विषय लिखे हुए हैं कि इनके बारे में पार्लियामेंट कानून बना सकती है। आर्टिकल 246 की लिस्ट है, नम्बर दो, उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट लैजिस्लेचर उसके बारे में कानून बना सकती है, वे स्टेट सब्जैक्ट कहलाते हैं। तीसरी एक लिस्ट और है, जिसे हम कानकरेंट लिस्ट कहते हैं, नम्बर तीन लिस्ट कहते हैं, उसमें दोनों कानून बना सकते हैं। स्टेट लैजिस्लेचर भी बना सकती है और पार्लियामेंट भी बना सकती है। फर्क केवल इतना है कि अगर उस विषय में पार्लियामेंट का कोई कानून बना हुआ है तो स्टेट लैजिस्लेचर के कानून को लागू करने के पहले प्रेसीडेंट की एसेंट लेनी पड़ेगी। यह एक स्पष्ट कानून है। अब इसमें आप यह देखें कि यह जो हमारा कानून बना है, चाहे स्टेट लिस्ट में आप मान लीजिये इसके लिये, या कानकरेंट लिस्ट में मान लीजिये, दोनों में से किसी एक लिस्ट में यह कानून होगा। मैं तो इसको मानता हूं स्टेट लिस्ट में। आप यह देखें कि आज भी राज्य सरकार इस बात को कह रही है, आपने अपने "उद्देश्य और कारणों" में कथन किया है कि—"लम्बे समय से यह विचाराधीन रहा है कि कतिपय लोक न्यासों के स्थानों के लिये बेदखली के मामले में वैसा ही संरक्षण प्राप्त नहीं है, जैसा कि राजस्थान सरकारी स्थान अधिनियम, 1964 के अधीन सरकारी

(श्री हरिसिंह)

स्थानों के लिये प्राप्त है। परिणामस्वरूप ऐसे स्थानों को अप्राधिकृत अधिभोगियों से सरलता से खाली नहीं करवाया जा सकता। इन स्थानों को उनके धार्मिक और पूर्त उद्देश्य या स्वरूप की दृष्टि से वास्तव में संरक्षण की आवश्यकता है।" आज भी सरकार यह कहती है, यानि सरकार इस बात को मानती है कि जो पब्लिक ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं उनको हमें संरक्षण देना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वह चिट्ठी है अरबन डवलपमेंट डिपार्टमेंट की इसलिए राज्य सरकार यह कह कर आयी है कि उस चिट्ठी की अनुपालना में हम इसको अमेंड करना चाहते हैं।

अब, जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या अरबन डवलपमेंट डिपार्टमेंट की चिट्ठी के आधार पर यह लैजिस्लेचर इसके लिए बाध्य है कि इस बात को मान ले? या तो सरकार यह कह कर आए कि हमें इस प्रकार के अमेंडमेंट करने की आवश्यकता उस समय भी नहीं थी और आज भी नहीं है। अगर सरकार का यह व्यू है तो लैजिस्लेचर को आप एक कठपुतली समझते हैं क्या? इसको सरकार इस प्रकार से हल्का लेना चाहती है क्या? क्या लैजिस्लेचर के अधिकारों का इस प्रकार से हरण करने के लिए हम अपने मत दे दें क्या आपके सामने? इस लैजिस्लेचर को अधिकार न केवल उन विषयों में है जैसा कि आपको मैंने 246 में बताया बल्कि उसके जितने भी एंसिलियरी विषय हैं, उसमें भी है। मैं आपका इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहता हूं। बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इस राजस्थान विधान सभा के कानून बनाने का अधिकार कितना है और जो कानून बना दिया जाए उसको किस प्रकार से, क्यों बदला जाए। यह प्रश्न आपके सामने पैदा हो रहा है इसलिए मैं इसको सलैक्ट कमेटी में रैफर करना चाहता हूं जिससे कि उस पर तसल्ली से विचार किया जा सके। हम उसमें एडवोकेट जनरल की राय भी ले सकें, हम उसमें यह भी देख सकें कि केन्द्रीय कानून के कौनसे कानून के विपरीत है, हम उसमें यह भी देख सकें कि जो डिपार्टमेंट ऑफ अरबन डवलपमेंट है उसको इस प्रकार की राय देने का अधिकार है या नहीं। प्रेसीडेंट ने तो अपनी एसेंट दे दी। प्रेसीडेंट ने एसेंट देने से इन्कार नहीं किया है इसके अन्दर। अब आप आर्टिकल 246 के अन्दर देखें, इसमें ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गये हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है, उसका एक बहुत बड़ा सिद्धान्त है जिसको हम पिथ एण्ड सब्सटेंस रूल कहते हैं। पिथ एण्ड सब्सटेंस रूल का मतलब यह है कि अगर किसी लैजिस्लेचर को किसी पेड़ के तने के बनाने में कानून अधिकार देता है, अगर किसी पेड़ के तने के बनाने में कानून बनाया जा सकता है तो

(श्री हरिसिंह)

उस पेड़ की टहनियों के सम्बन्ध में भी कानून बना सकते हैं। यह एक अधिकार है इसके लिए। अब मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी स्थान से, किसी भी भवन से बेदखल किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, उसके कानून बनाने में अगर यह लैजिस्लेचर एन्टाइटल्ड है, सक्षम है तो फिर हम यह भी कानून बना सकते हैं कि किसी भी पब्लिक ट्रस्ट के भवन पर जो कब्जा कर रखा है उसको बेदखल किया जाए या नहीं किया जाए। उस पर हम कानून बना सकते हैं।

हमने एक बार कानून बना दिया, अब उस कानून को अमेंटमेंट कराने के लिए सरकार क्यों आ रही है? अगर आ रही है तो या तो फिर यह कहे कि अब सरकार की मंशा बदल गयी है। अगर सरकार की मंशा नहीं बदली है, जैसा कि आपने अपने आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया है, तो यह कोई विषय नहीं है कि डिपार्टमेंट आफ अरबन डवलपमेंट यह चिट्ठी लिख रहा है कि इसको बदल दिया जाए। मैं समझता हूं कि यह लैजिस्लेचर इसे बदलने से पहले तीन बातें जानना चाहेगी। एक तो यह जानना चाहेगी कि जो हमने पहला कानून बनाया था क्या वह गलत बनाया था? दूसरी बात यह जानना चाहेगी कि जो डिपार्टमेंट आफ अरबन डवलपमेंट की चिट्ठी है उसके बारे में एडवोकेट जनरल की क्या राय है? तीसरी बात हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या केन्द्र में ऐसा कोई कानून बना हुआ है जो इसके विरुद्ध है? चौथी बात हम यह जानना चाहेंगे कि क्या यह लैजिस्लेचर भी मुनासिब समझती है? जो पब्लिक ट्रस्ट के भवन हैं, हमारे यहां पर गंगा मन्दिर है, लक्ष्मणजी का मन्दिर है उसमें आज से 50-60 साल पहले दो-दो रुपये महीने पर किराये पर भवन दिये हुए हैं और जिन पर आज तीन हजार रुपये महीने किराया आ सकता है, ऐसे लोगों को बेदखल करने के लिए कानून बनाया गया था? जो धार्मिक ट्रस्ट है, जो रिलीजियस एंडाउमेंट्स हैं उनको संरक्षण देने के लिए, इस प्रकार के कानून में बेदखल करने के लिए यह कानून बनाया गया था और बहुत सोच-समझ कर बनाया गया था। इस विधान सभा ने बड़ा सोच-समझ कर 1994 में कानून बनाया था। आज हम 1994 से 1997 में आ गये हैं, तीन साल तक इस कानून में अमेंडमेंट किया नहीं है और कानून ठीक प्रकार से चल रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि क्या जल्दी है? इस विधान सभा में मैंने हमेशा यह देखा है कि एक मिनट के अन्दर तीन-तीन कानून पास होते हैं। कोई विचार नहीं किया जाता उन पर। आपने स्वयं देखा होगा, एक मिनट में हमने तीन-तीन बिल इस विधान सभा के अन्दर पास होते हुए देखे हैं और आज वही हालत इसकी हो रही है। क्या जल्दी है आज राजस्थान सरकार के लिए जो एक मिनट में इस कानून को पास कराना चाहती है? Let it be come, say, by Select Committee, को भी कानूनी विषय इसमें

(श्री हरिसिंह)

सम्बन्धित हैं उन पर विचार करें कि क्या वाकई पब्लिक ट्रस्ट के लिए संरक्षण देना आवश्यक है या नहीं? क्या इस विधान सभा को इसमें अमेंडमेंट करना जरूरी है या नहीं। या हम ऐसे एग्जाम्पल सैट कर रहे हैं, हम ऐसा प्रीसीडेंट सैट कर रहे हैं कि एक केन्द्रीय सरकार से चिट्ठी आ आए और चिट्ठी के आधार पर यह लैजिस्लेचर अपने कानून को बदल दे? क्यों बदल दे हम? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रवर समिति को सौंपा जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खतरनाक बिल है और इसमें कतई आवश्यकता नहीं है कि इसको रश-थ्रू किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री विष्णु मोदी : इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सलैक्ट कमेटी को सौंपा जाए और रश-थ्रू करने की कतई आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ये नॉर्म्स हैं कि जो बिल आता है उसको सलैक्ट कमेटी में भेजा जाए।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : मानीय सदस्य, आपका संशोधन नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : इस तरह से रश-थ्रू करने से हमारे यहां जो कानून बने हैं क्या वे ठीक नहीं बने हैं? इस तरह जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। इसके भी दूरगामी खामियाजे भुगतने पड़ेंगे।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टेज पर बोल नहीं सकते, तृतीय वाचन पर बोल सकते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस बात का विरोध कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी, आप आधा मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान पब्लिक प्रीमिसेज एण्ड अनोथराइज्ड आकुपेंट्स एक्ट में यह जो संशोधन किया गया है इसके द्वारा प्राइवेट ट्रस्ट जो कि जयपुर, उदयपुर जैसे बड़े-बड़े शहरों में हैं, उनके अन्तर्गत जो दुकानें हैं उन सब को अब राजस्थान रेंट कंट्रोल के ग्राउंड पर इवेक्टमेंट नहीं करवा कर केवल समरीली एक नोटिस टर्मिनेशन का देकर उनमें जो हजारों गरीब किरायेदार अपना काम कर रहे हैं उनको बेदखल कर दिया जाएगा। आज जौहरी बाजार में कम से कम 40 दुकानें ऐसी हैं जो प्राइवेट ट्रस्ट की हैं, उन सब को हटा कर 20-20, 30-30 लाख की पगड़ी ली जाएगी। वह पगड़ी लेकर इस एक्ट के अमेंडमेंट का मिस यूज होगा। राजस्थान के जो अमेंडमेंट हुए हैं उनमें यह काला कानून माना जाएगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इससे पहले राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट,

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

1950 और राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 और उसके बाद राजस्थान पब्लिक प्रीमिसेज एण्ड अनोथराइज्ड आकुपेंट्स एक्ट, 1964 में भी ये प्रोविजन किये जा सकते थे। लेकिन उस समय लोगों ने देखा। रेंट कंट्रोल में एक निजी एवं सद्भावी आवश्यकता के ग्राउंड पर किसी पब्लिक प्रीमिसेज को वेकेट करने के लिए ग्राउंड पूव करने पड़ते हैं और कोर्ट में केस पांच साल तक, दस साल तक चलते हैं। इसके बजाय आज शार्ट सर्किट से, जैसे कि एक राजकीय अधिकारी है और वह अपने टर्मिनेशन के बाद भी रहता है, उसके द्वारा केवल नोटिस देकर एस्टेट ऑफिसर के जाकर पब्लिक प्रीमिसेज खाली करायी जाती है या फोर्सफुल इजेक्टमेंट हो जाता है। उसी तरह आज प्राइवेट प्रीमिसेज के लिए यह एक्ट लागू होगा। यह प्रीमिसेज एक्ट इन कंट्रावेन्शन आफ दी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, इसके बाई-लाज चैलेंज होंगे और यह अनकांस्टीट्यूशनल संशोधन एक तरह से किया जा रहा है। आने वाले समय में वे पगड़ी की रकम कमाएंगे।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो ट्रस्ट हैं वे अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं, उनको करोड़ों का मुनाफा होगा। उनको करोड़ों का मुनाफा दिलवाने के लिए यह अमेंडमेंट किया जा रहा है। यह बहुत ही गलत है। इसको सलैक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं और इसलिए यह जो अमेंडमेंट हम ला रहे हैं वह इन्हीं की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ला रहे हैं क्योंकि राजस्थान लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किसी लोक को जो अधिकार दिया था वह हटा रहे हैं। किसी प्राइवेट ट्रस्ट को यह अधिकार कि वह अपनी दुकानों को गवर्नमेंट की तरफ से बेदखल कर दे, यह इसमें आ गया था; इसको हटाने का हम अमेंडमेंट लाये हैं और इसलिए मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं, उनकी बात ही कर रहा हूं।

अब दूसरी बात सुनिये। माननीय हरिसिंहजी ने जो सवाल उठाया है, अच्छा होता कि वे आर्टिकल 250 और 365 देख लेते।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अब देख लेंगे।

(20.00)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : देख लेना मान्यवर, यह कानकरेंट लिस्ट में है और कानकरेंट लिस्ट में होने के कारण हमको प्रेसीडेंट से एसेंट लेनी पड़ी। स्टेट लिस्ट में होता तो प्रेसीडेंट के पास नहीं जाता। प्रेसीडेंट से एसेंट लेने के बाद सैंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन हैं उनका आधार बांदीकुई से आने वाले माननीय जोशीजी ने बता दिया। माननीय विधायक ने जो आधार

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बताया है उसी आधार पर उनका यह डायरेक्शन है कि आप यह गवर्नमेंट तक सीमित रखिये या सेमी गवर्नमेंट के कारपोरेशन हैं उन तक सीमित रखिये। मगर यह अनिलिमिटेड अधिकार आप प्राइवेट ट्रस्ट को क्यों दे रहे हैं, उससे कई काम्प्लीकेशन होंगे। जैसा कि इन्होंने बताया, लोग प्राइवेट ट्रस्ट का मिसयूज कर रहे हैं। कोई भी प्राइवेट ट्रस्ट बना लेगा और बनाकर उसके दुरुपयोग करने की स्थिति में वह उसका दुरुपयोग करेगा। वह नहीं हो। सैंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल 250 में जो डायरेक्शन हैं जो पार्लियामेंट को अधिकार हैं उस अधिकार के मुताबिक वह कानून बना सकती है, उस कानून से हम बाउंड हैं और इसीलिए हमने प्रेसीडेंट को भेजा था। अब हमें गवर्नमेंट आफ इण्डिया डायरेक्शन दे सकती है उन्हीं आधार पर कि पार्लियामेंट जिसमें कानून बना सकती है, जो कानून बना हुआ है उसको लागू करने के लिये वह डायरेक्शन दे सकती है। यदि हम उस डायरेक्शन को नहीं मानें तो आर्टिकल 365 यह कहता है कि उस हालत में प्रेसीडेंट इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस स्टेट में कांस्टीट्यूशन फेल हो गया है और आर्टिकल 356 में इस सरकार को, इस विधान सभा को रहने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : यह तो हम चाह ही रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप तो यह चाहते हैं मगर यह मौका हम आपको देंगे नहीं। यह मौका हम आपको देंगे नहीं इसलिए बहुत सिम्पल-सा है। हमारी भी मंशा नहीं कि इसमें यह रखकर हम काम्प्लीकेशंस पैदा करें, प्राइवेट लोगों को यह अवसर दें कि वे प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर किसी किरायेदार को परेशान करें और उसका दुरुपयोग करें, यह हम नहीं चाहते। हम भी नहीं चाहते और सैन्ट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन भी है इसीलिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सलैक्ट कमेटी को भेजने में क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरी बात सुन लीजिए आप एक मिनट। आपने आर्टिकल 250 का हवाला दिया है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अक्टूबर के अन्दर आप पास करा लीजिए, सलैक्ट कमेटी में भेज दीजिए। सलैक्ट कमेटी में भेजेंगे जब तक तो आपको सैंट्रल गवर्नमेंट बर्खास्त नहीं कर रही है। आपका यह तरीका ही गलत है कि आप जो बिल लाते हैं उसको यहीं पास कराना चाहते हैं। Let it be examined by the experts.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आसन को बाई-पास न करें। बिराजें आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने आर्टिकल 250 का हवाला दिया है, अब जरा 250 को आप पढ़ लें और मैं भी पढ़ लूं। आप आर्टिकल पढ़िये। सदन में पढ़िएगा।

(श्री हरिसिंह)

Power of Parliament to legislate with respect to any matter in the State List if a proclamation of emergency is in operation. इमरजेंसी के ऑपरेशन के दिनों में आर्टिकल 250 लागू होता है? श्रीमान्, जरा पढ़ें तो सही इसको। जब इमरजेंसी लागू हो तब आर्टिकल 250 लागू होता है। क्यों इस सदन को आप मिसलीड कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया गया।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री का स्पष्टीकरण

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां उपस्थित नहीं था किन्तु मुझे सूचना मिली कि लालसोट से आने वाले माननीय विधायक ने मुझ पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक्स. ईएन. और ए. ईएन. के तबादले में पैसे लिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : यह तो सभी जानते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूर्णतया असत्य है और चरित्र हनन की राजनीति कर रहे हैं वे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताया गया कि शायद विलोपित करने के लिये आपने यहां पर कह दिया है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि उन शब्दों को विलोपित किया जाए। (व्यवधान)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पूरी बात कहने दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो इस प्रकार का कोई नोटिस पहले दिया गया था, न कोई सूचना दी गयी थी और किस समय कौनसी चर्चा एब्स्टली उन्होंने कर ली। मुझे तो अभी जानकारी मिली, न कुछ तथ्य है, केवल मात्र कोई बात कहकर, पैसे लिये गये, इस बात की चर्चा कर ली उन्होंने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसके लिए प्रोपर नोटिस देते, मुझे सूचना देते, कुछ चर्चा करते। मुझे जानकारी चाहिए कि आपने विलोपित करने के लिये कहा है हो गया तो बहुत अच्छा वरना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन शब्दों को विलोपित किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा, सुनिये। माननीय सदस्य, यह नोटिस आपने नहीं दिया था कि आप चार्ज लगाएंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, नोटिस की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, जरूरत है। इसलिए उनको विलोपित किया जाए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, दो साल में 9 एक्स. ईएन. वहां लगाये गये। उसके अन्दर हमने मेंशन किया है। 9 एक्स. ईएन. बदले गये हैं वहां। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : हर तीसरे महीने वहां एक्स. ईएन. बदलते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का नियम है कि दो साल में तबादला किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। कृपया, माननीय सदस्य, **बिराजें। (व्यवधान)**

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन **पैरों** पर है, माननीय सदस्य। (व्यवधान) शासकीय संकल्प।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अंकित नहीं हो, यह कहिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अंकित तो होगा। अंकित तो होगा। **दौसा** जिले में जितना डिस्क्रिमिनेशन **हुआ उतना कहीं** नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, बच्चा-बच्चा कह रहा है___(व्यवधान)___

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह कोई आर्युमेंट है क्या? **बच्चा-बच्चा कहता है,** उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजनीति **छोड़** दूंगा। क्या **बोल** रहे हैं ये, **बच्चा-बच्चा कहता है।** (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जितना डिस्क्रिमिनेशन दौसा जिले के **अन्दर हुआ** उसकी हद नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : (व्यवधान) हमारा अंकित होगा।

(214)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपकी आपके जिला प्रमुख से नहीं बनती। राजनीति चलाते रहते हैं आप। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : ये गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह बात बिलकुल गलत है___(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप जो + + + करेंगे वह सब अंकित होगा। सब अंकित होगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारा क्षेत्रीय असंतुलन कायम करवा दिया। दौसा जिले को बिलकुल अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य___ (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, ये अनर्गल बात कर रहे हैं, बिल्कुल अनर्गल। इनको लिखित में न लिया जाए (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यहां पर मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था गत वर्ष कि एडिशनल चीफ इंजीनियर से जांच करवाऊंगा। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा क्या पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर ने उन सड़कों की जांच होने दी? एक भी सड़क की जांच नहीं हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : ये माननीय सदस्य प्रोपरली आएं। आप किस बात की परमिशन दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मैं परमिशन नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए मैं यह समझता हूं कि नोटिस देकर आएं। नियमों में सारे प्रावधान हैं, नोटिस देकर आएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : क्या सड़कों की जांच हुई? मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया___(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री रामप्रताप कासनियां : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

शासकीय संकल्प

विद्युत मण्डल द्वारा ऋण लेने की अधिकतम राशि

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं : —

"कि यह सदन विद्युत मण्डल द्वारा किसी भी समय विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 का केन्द्रीय अधिनियम, 54 की धारा 65 की उप धारा-3 के अधीन यथा परिकल्पित ऋण लेने की अधिकतम राशि 4,000 करोड़ रुपये नियत करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।"

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय मंत्री महोदय ने पिछली बार 2,500 करोड़ रुपये का लोन लेने का अनुमोदन कराया और अब फिर 4,000 करोड़ रुपये का स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लोन ले, उसका संकल्प लेकर हमारे सामने आये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि आप ऋण लें और ऋण से परिसम्पत्तियां बनाएं लेकिन अभी जो वातावरण प्रदेश में बिजली का बना हुआ है उसके बारे में हमारी तरफ से बहुत-से माननीय विधायकों ने चिन्ता जाहिर की है। 1997 में तो यह सैशन चला ही नहीं और जिस तरह से हाउस चलता है वह आपकी जानकारी में ज्यादा है, मेरी भी जानकारी में है इसलिए मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पिछली बार बिजली की जो चर्चा हुई थी उससे अब तक डेढ़ साल के अन्तराल में बिजली की चर्चा के बारे में यह सदन महरूम रहा कि बिजली के बारे में चर्चा हो सके। पहले 2,500 करोड़ से अब आप 4,000 करोड़ ले आये। पूरे राजस्थान भर के समाचार पत्रों में इस बात की चर्चा है और विधान सभा में मेरा ख्याल है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए लेकिन यह था कि इस विधान सभा सत्र में पावर रिफोर्म बिल आने वाला है। खैर, पावर रिफोर्म बिल आता है तो हमें उस पर चर्चा का मौका मिलता है। लेकिन आप 4,000 करोड़ रुपये किस बात के लिए लेना चाहते हैं, यह सीमा क्यों बढ़ाना चाहते हैं? (व्यवधान) एक मिनट, जब बिजली नहीं मिलेगी, तब पता लगेगा। यहां इस तरह से बोलते रहने से कोई फायदा नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के बयान से यहां पर और इस सदन के अलावा बाहर समाचार पत्रों के माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी के बयानों से यह बात बहुत साफ है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, चाहे वह इस स्वरूप में रहेगा, चाहे उसका दूसरा स्वरूप होगा, जो जनरेशन है, वे कहते हैं कि हम जनरेशन नहीं करेंगे, वह प्राइवेट सेक्टर में होगा। अगर आप चार हजार करोड़ रुपये के बजाय दस हजार करोड़ रुपये की भी सीमा चाहते तो मैं समझता हूं कि यह सदन आराम से देता, अगर आप यह कर्जा जनरेशन में लगाते।

(श्री विष्णु मोदी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पिछली बार चर्चा के वक्त जिक्र आया था कि आपने लीजिंग से पैसा इकट्ठा किया। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन राजस्थान के सचिवालय से लेकर राजस्थान विद्युत मण्डल के गलियारों में आप जाकर पूछ लीजिये कि जिस तरह से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने लीजिंग के ऊपर पैसा लिया उसमें कितना भारी भ्रष्टाचार हुआ। राजस्थान के अन्दर जो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, जो पोल हैं, जो तार खिंचे हुए हैं, जो सब-स्टेशन बने हुए हैं, उन सब पर आपने कर्जा ले लिया। अब आप यह चार हजार करोड़ का कर्जा लेना चाहते हैं। जनरेशन आप प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं। पहले तो डेढ़ साल से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का करोड़ रुपया खर्च करके, रिटायर्ड आदमियों को रखकर, कंसलटेन्ट्स को नियुक्त करके आप मैनेजमेंट कान्ट्रेक्ट का प्रोफार्मा बना रहे थे और उसमें कम से कम नहीं तो पांच-सात करोड़ रुपया राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का खर्च किया गया। लेकिन जब उड़ीसा के अन्दर, जो कि दो साल पहले पावर रिफार्म्स कर चुके थे, वहां पर उन्होंने बॉम्बे इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को मैनेजमेंट कान्ट्रेक्ट दे दिया था और जब वह कान्ट्रेक्ट फेल हो गया, जब उड़ीसा के अन्दर केओस की स्थिति बन गयी, जबकि उड़ीसा के अन्दर बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के लोगों की पिटाई हुई और उड़ीसा अंधकार में डूब गया उस वक्त उड़ीसा सरकार ने यह मैनेजमेंट कान्ट्रेक्ट खतम किया, तो जो डेढ़ साल से यहां पर कार्यवाही चल रही थी, जो कंसलटेन्ट्स अपाइंट थे, जो रिटायर्ड लोगों की फौज थी वह उन्होंने बन्द कर दिया। विद्युत मण्डल के अध्यक्ष का स्टेटमेंट दूसरे दिन से ही हम अखबारों में पढ़ने लगे कि हम मैनेजमेंट कान्ट्रेक्ट नहीं देंगे, हम जाइंट मैनेजमेंट कम्पनी लाएंगे जिसमें 51 प्रतिशत प्राइवेट आदमी की होगी और 49 प्रतिशत हमारी होगी। हमारी 49 प्रतिशत कैपिटल जो हमारा इक्विपमेंट है, जो सिस्टम लगा हुआ है वह होगा और 51 प्रतिशत इक्विटी जाइंट मैनेजमेंट कम्पनी को लानी होगी। जनरेशन आप प्राइवेट पार्टी को दे रहे हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन जाइंट मैनेजमेंट कम्पनी को दे रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पाया। एक तरफ तो सारे सिस्टम पर आपने लीजिंग से पैसा ले रखा है, आप कैसे 40 प्रतिशत इक्विटी में दे देंगे? हो सकता है, हमारे विद्युत मण्डल ने और ऊर्जा मंत्रीजी ने कोई रास्ता निकाला होगा लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रीब्यूशन में वह पैसा लाएगा, पॉवर जनरेशन में दूसरा आदमी पैसा लाएगा तो ट्रांसमीशन के लिए आपको ढाई हजार करोड़ रुपये से चार हजार करोड़ रुपये की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता क्या है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यह भी जिक्र करना चाहूंगा, 1996 में गवर्नर के भाषण में पढ़ा कि सूरतगढ़ चालू हो जाएगा। 1997 में गवर्नर का भाषण आया कि सूरतगढ़ चालू हो जाएगा। सूरतगढ़ एक हजार मेगावाट की स्कीम है।

(श्री विष्णु मोदी)

मुख्य मंत्रीजी ने, ऊर्जा मंत्रीजी ने जो-जो भाषण इस सदन में दिये हैं, उनको मैंने प्रोसीडिंग्स में अण्डरलाइन कर रखा है कि किस वक्त क्या-क्या बातें बिजली के सम्बन्ध में यहां कही हैं। मुझे मालूम नहीं था कि आज यह संकल्प आएगा। यहां आने के बाद संकल्प मिला इसलिए मैं वह तो पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन सभी को ज्ञात है कि सूरतगढ़......

श्री उपाध्यक्ष : इनको पूरा ज्ञान है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे ख्याल से अब आप समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : मैं अभी समाप्त नहीं कर रहा, मैं अभी सवाल करूंगा। उन सवालों के जवाब आप दिलवाएंगे, उसके बाद में आप यह संकल्प पास कराएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार मेगावाट की स्कीम, 1996 में पहली स्टेज में जो 500 मेगावाट आना था उसमें......

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, अण्डरलाइन करने के लिए घर पर मुनीम रख छोड़े हैं। एतराज का क्या ठिकाना है, ये तो रात भर करते जाएंगे। इनका तो हर काम मुनीम करता है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेज वन में दो यूनिट आनी थीं, 250 मेगावाट की जिसमें एक यूनिट का काम चालू किया, वह 1996 में आने की बात कही फिर 1997 में आने की बात कही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी कोई बिजली संयंत्र से बिजली उत्पादित होती है तो उसका बायलर लाइट अप होता है और बायलर के लाइट अप होने के 15 से 18 महीने के बाद कार्मशियल प्रोडक्शन शुरू होता है। अगर यह सरकार नवम्बर-दिसम्बर, 1998 तक भी, जब तक इस विधान सभा का कार्यकाल है, उस बायलर को लाइट अप कर दे तो भी मुझे शंका है। जब तक बिजली सूरतगढ़ से ही ली जाएगी। बरसिंहसर की स्थिति यह है बरसिंहसर के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में भी और सदन के बाहर भी ऐसा वातावरण बनाया कि सी. ई. ए. ने (सैन्ट्रल इलैक्ट्रिक अथोरिटी) जो भारत सरकार का एक आर्गेनाइजेशन है, कहा कि वह बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, वह रोड़े अटकाती है। उसमें एक षड्यन्त्र है और उस षड्यन्त्र का पर्दाफाश हुआ, इस कारण कि उन्होंने मंजूरी दे दी। उसकी क्रेडिट मुख्य मंत्रीजी ने ली, चाहे दिग्विजयसिंह को दो, किसी ने भी ली, कि एक हजार करोड़ तक की परियोजनाएं सी. ई. ए. के टैक्नो-इकानामिक फिजिबिलिटी के लिए नहीं जाएंगी उसके ऊपर वे जाएंगी।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : टाइम हो गया।

श्री विष्णु मोदी : टाइम तो आपका हो गया, हमारा टाइम नहीं हुआ है।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे किसी ने न्यौता दे रखा है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बरसिंहसर में जो लिग्नाइट बेस करखाना लगने वाला है, जिसकी 500 मेगावाट की बात करते हैं उसमें पहली गड़बड़ तो यह की कि एन्वायर्नमेंट क्लियरेंस 120X2 का था लेकिन उसको बढ़ा कर अपने आप में 250X2 कर दिया। उसके बाद में दो हजार चार सौ करोड़ की योजना बनी जबकि भारत सरकार का नियम है कि जो एक हजार करोड़ के ऊपर के कारखाने होंगे, उसकी टैक्नो-इकानामिक फिजिबिलिटी जब तक सी. ई. ए. नार्म्स तय नहीं कर देगी तब तक वह तय नहीं होगी। लेकिन इस राजस्थान सरकार ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हालांकि इस सदन में नाम आ चुका है कि बरसिंहसर का कान्ट्रेक्ट किसको दिया है? आपने पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया, आपने टैक्नीकल क्लोज अप कर दिया, आपने फाइनेंशियल क्लोज अप कर दिया। आप कर ही नहीं सकते। जब तक वे नहीं करेंगे तब तक आपका कोई अधिकार नहीं है। सी. ई. ए. के अन्दर जब वह प्रपोजल गया तो उन्होंने फैंक दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो नार्म्स हैं, जो चार्ट्स हैं, आप उन पर लेकर आएं। अब राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया है कि चूंकि हम पी. पी. ए. कर चुके हैं इसलिए हमें तो उसी को सपोर्ट करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : अब समाप्त कर ही रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में मेरा आरोप है और स्पेसिफिक आरोप है, मुख्य मंत्रीजी तो यह कहते हैं कि हमने हिन्दुस्तान में सबसे कम बिजली की दर पर समझौता किया है लेकिन बरसिंहसर जिस रेट पर समझौता किया है वह छः करोड़ रुपया पर मेगावाट होगी और वह हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया में सबसे महंगा समझौता होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेफ्था का क्या किया? आपने धौलपुर में गोयनका को दिया। आप बहुत जोर-जोर से कहते आये कि हमने जो कुछ काम किया, इन्टरनेशलन काम्पीटेटिव बिडिंग से किया है। क्या आपने धौलपुर भी इन्टरनेशनल काम्पीटेटिव बिडिंग से किया? नहीं, आपने एम. ओ. यू. से किया। और जब आपका एम. ओ. यू. था वह कोल बेस्ट था फिर अचानक आपने उसको नेफ्था बेस्ट में चेंज कर दिया, क्यों किया? आपकी तरफ शक की सुई घूमती है। उपाध्यक्ष महोदय, फिर जब नेफ्था का एलोकेशन हुआ, कृभको, जो भारत सरकार की संस्था है, जो झुन्झुनूं में लगाना चाहती है उसको एलोकेशन नहीं लेकिन 1415 का, 688 का एलोकेशन तो आर. पी. जी. को कर दिया और ऐसी कम्पनियों को कर दिया, जिन्होंने जमीन नहीं खरीदी। जब एनरॉन के बारे में यहां पर बहस हुई थी तो मुख्य मंत्रीजी ने ही मुझ से पूछा था कि क्या आप यह कहते है कि कांग्रेस सरकार ने जो फैसला किया था, वह ठीक किया था? मैं आज भी उस बात को दोहराता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने जो एनरॉन से समझौता किया था, वह महाराष्ट्र की जनता के हित में था क्योंकि आज सारी

(श्री विष्णु मोदी)

रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि नैफ्था एन्वायर्नमेंटल है जाईस हैं, जिसके अन्दर सल्फर कन्टेन्ट हैं, जिससे कि वहां अल्फांसो मैंगों उगते हैं, उनकी खेती नष्ट होने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, बहुत टाइम हो गया। प्रभारी मंत्री महोदय। बिजली मंत्री महोदय।

श्री विष्णु मोदी : दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि नेफ्था के अन्दर जो सौदे राजस्थान सरकार ने किये हैं_

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी टाइम दिया जाए।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लिग्नाइट पर फैसला किया उसमें राजस्थान की जनता के साथ धोखा हुआ। जो नेफ्था का समझौता हुआ वह एनरॉन का नेफ्था में एक रुपया 86 पैसे में हुआ और इस सरकार ने धौलपुर में दो रुपये दो पैसे में किया। तो नेफ्था का सौदा महंगा, बरसिंहसर का सौदा महंगा, सूरतगढ़ का पता नहीं, आप कारपोरेशन बनाएंगे या कम्पनी बनाएंगे, उसकी जानकारी नहीं। आप डिस्ट्रीब्यूशन जाइंट सैक्टर मेनेजमेंट कम्पनी में देंगे, आप जनरेशन प्राइवेट सैक्टर में देंगे और उसके बाद आप इस सदन के सामने आये हैं कि 2,500 करोड़ के बजाय चार हजार करोड़ की हमारी लिमिट कर दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुमत के आधार पर कुछ भी इस सदन में पास करा ले लेकिन मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के मामले के अन्दर जितना इस सदन को गुमराह किया गया है, जितना इस राजस्थान की जनता को गुमराह किया गया है वह आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं इस बात को कहते हुए कि "वो वक्त भी देखा है तवारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पायी है" अगर आप इसी तरह से कहते रहे तो इस राजस्थान का भविष्य अंधकारमय ही है, राजस्थान की आने वाली पीढ़ीयां हमें कभी माफ नहीं करेंगी कि आपको हमने चुनकर भेजा था और आप फिर किस तरह से इस बात को नहीं कह सके। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से थ्री फेस से जोड़ दिया जाएगा सीधा कनेक्शन।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : शार्ट एण्ड स्वीट। माननीय सदस्य, शार्ट में।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : दो मिनट। मैं जवाब ही दे रहा हूं, उन्हीं को दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत किया उस पर माननीय सदस्य ने मुख्य रूप से दो-तीन बातें कही। एक तो यह कि ढाई हजार करोड़ से चार हजार करोड़ की क्या

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

जरूरत है? उन्होंने यह भी बात मानी कि जनरेशन प्राइवेट सैक्टर को दे रहे हैं। तो जनरेशन हो गया और इवेकुएशन के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स का अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो वह जनरेशन क्या काम का? एक तो यह पाइंट।

दूसरी बात उन्होंने कही सी. ई. ए. के लिए कि सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी ने इसमें आब्जेक्शन किये हैं। 1948 का जो इलैक्ट्रिसिटी एक्ट है उसके अन्दर सी. ई. ए. का जो रोल दूसरा था क्योंकि एस. ई. बी. थी। आज प्राइवेट सैक्टर में जब अपन जा रहे हैं तो सी. ई. ए. का रोल आब्सोलीट हो गया। क्योंकि अगर बी. एच. ई. एल. और खुद का जोइंट अगर पैसा लगता था तो उसमें तो सी. ई. ए. बता सकता था कि आप गलती कर रहे हो। यहां प्राइवेट सैक्टर पूरा पैसा लगा रही है, सी. ई. ए. का रोल ही नहीं होना चाहिए। सी. ई. ए. को आब्जेक्शन करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? जब पूरा पैसा प्राइवेट सैक्टर दे रहा है, तो वे अपना पैसा कोई खराब करने के लिए लगा रहे हैं? वह बिना बात ही रोड़े क्यों अटकाती है?. . . (व्यवधान). . .

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जनरेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो फिर पैसा किसलिए चाहिए? जी. एस. एस. बनाने के लिए पैसा चाहिए, गांवों के विद्युतीकरण के लिए पैसा चाहिए, चोरी रोकने के लिए, एल. टी. लेस सिस्टम के लिए पैसा चाहिए। इसलिए यह चार हजार करोड़ तक की सीमा हम मांग रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके साथ ही साथ आपने बताया सूरतगढ़, सूरतगढ़ में भी पैसा इसी कर्जे से लग रहा है। मोदी जी, आपकी चिन्ता मैं समझ सकता हूं लेकिन if other things remaining the same, इस मार्च के पहले-पहले सिंक्रोनाइज हमारा सूरतगढ़ हो जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। भगवान से आप भी प्रार्थना करो कि यह सिंक्रोनाइज हो जाए।

श्री विष्णु मोदी : मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि मार्च से पहले—

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बरसिंहसर की बात आयी। बरसिंहसर के बारे में मैं आज भी कहता हूं कि आप जैसा आदमी, जो इतना पढ़ता लिखता है और बिजली के बारे में समझता है ऐसा एक ले मैन की तरह उत्तर देगा इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। उनका 1 रुपया 96 पैसा, हमारा 2 रुपये 10 पैसा है। ये बातें देखिये कि रेट फिक्स करने के लिए कोई किसी प्लांट की रेट नहीं बता सकता, रेट बताई नहीं जा सकती क्योंकि इसमें रेट निकालते समय दो चीजें देखी जाती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक फिक्स कास्ट होती है, एक होती वेरिएबल कास्ट। जो काम्पीटिशन हो सकता है वह फिक्स कास्ट में हो सकता है कि इसमें कितनी लागत लगेगी, इसकी पूंजी कितनी है वेरिएबल कास्ट होती है कि यदि सी कोस्ट पर लगेगा कोई प्लांट तो नेफ्था का ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगेगा। यदि कोई प्लांट कहीं लग रहा है वहां पानी उपलब्ध है, कहीं पानी उपलब्ध नहीं है तो उसके कारण कम ज्यादा होगी। इस कारण निश्चित दर

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

नहीं बतायी जा सकती। यह 1 रुपया 96 पैसे और 2 रुपया 10 पैसे जो बतायी जाती है यह कोई सही रेट नहीं हैं। सही रेट तो आंकड़ों से निकलती है और उन आंकड़ों के आधार पर मैं मोदी जी को यह चुनौती भी देना चाहता हूं, मैं सारे कागज उनके सामने रखूंगा और उनसे पूछूंगा की ज्यादा रेट राजस्थान की है या उनकी है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भूल मत करना उनके सामने कागज रखने की।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं, वे विधान सभा में कुछ और हैं, बाहर बहुत अच्छी तरह बात करते हैं। समझने और समझाने की कोशिश भी करते हैं इसलिए मैं उनको जरूर बताऊंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप चिन्ता ही मत करो, भाई साहब, सब जानते हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात आयी कि मोदी जी को दे दी, मैं समझता हूं कि राजस्थान ने यश प्राप्त किया है कि इंटरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग किया है। जैसी पारदर्शिता राजस्थान में रही है वैसी शायद किसी दूसरी स्टेट में नहीं रही है। इसलिए काम्पीटिटिव बिडिंग में यदि मोदी आ जाए, गोयनका आ जाए या कोई और आ जाए तो हम उसको रोक नहीं सकते, उसे हमें उस आधार पर देना पड़ेगा चाहे वह कोई भी हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : सवाल यह है कि आर. पी. मोदी की बजाय विष्णु मोदी को क्यों नहीं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विष्णु मोदी नहीं आये तभी तो शिकायत है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बात आयी कि धौलपुर को कोयले से नेफ्था पर क्यों परिवर्तित कर दिया? एक बात वे स्वयं कह गये कि इससे पर्यावरण में कम से कम क्षति होती है। दूसरा यह कि आज हमको जल्दी से जल्दी बिजली चाहिए। कोयले का जेस्टेशन पीरियड चार से पांच साल है और नेफ्था का डेढ़ साल, दो साल। इसलिए हमने यदि वह कर दिया तो इसमें कोई अनुचित नहीं किया। इन दी इन्ट्रैस्ट आफ स्टेट किया है।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, ये जितने भी प्लांट चल रहे हैं, अब इनको यही शंका हो रही है कि बरसिंहसर नहीं आएगा। मान्यवर, बरसिंहसर में काफी स्टेजेज पार हो गयी हैं। गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है, जगह का जो झगड़ा चल रहा था उसका फैसला नवेली ने कर दिया, उनके बोर्ड ने पचास करोड़ रुपये में उसका फैसला कर दिया है। इन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस की बात है, सी. ई. ए. से कह रहे थे तो एक जयदीप समिति राजस्थान पर्यावरण बोर्ड ने बना दी थी, यहां से क्लीयरेंस करके सेंटर में भेज दिया है, वह भी हो जाएगा। हमें आशा करनी चाहिए कि बरसिंहसर बहुत जल्दी आएगा और राजस्थान के अंधेरे को मिटाने में बहुत बड़ा योगदान देगा।

मान्यवर, राजस्थान बिजली बोर्ड की सेवा कैसी है, यह दूसरे बिजली बोर्ड बता सकते हैं। जानते मोदी जी भी हैं पर यहां बोलते नहीं हैं। आस-पास की स्टेट्स में

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

जब हम होकर आते हैं तब हम देखते हैं राजस्थान के कम्पेरीजन में, कि राजस्थान की क्या स्थिति है। अभी पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने एक निकाला था कि पीक पीरियड में सबसे अच्छा परफारमेंस कहां, कौनसी स्टेट के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का रहा है। मुझे कहते हुए गर्व है कि पीक पीरियड में बेस्ट परफोरमेंस के लिए राजस्थान को चुना गया। इसलिए एफीशिएंसी बढ़ रही है। जनरेशन में विलम्ब हुआ है उसके लिए आपका कहना सही है। सूरतगढ़ में हमें देरी हुई है, हम मानने को तैयार हैं क्योंकि फाइनेंसेज की व्यवस्था हम नहीं कर पाये थे।

अब आपने लीजिंग के लिए कह दिया। यह लीजिंग तो एक ऐसी अद्‌भुत प्रक्रिया थी कि जो देश के लोग जानते नहीं थे। एक अभूतपूर्व काम के लिए इस लीजिंग के लिए राजस्थान के बिजली बोर्ड को कहा गया कि देश के जो प्रमुख चार काम हैं उनमें से एक यह हुआ है। हमें पांच परसेंट, छः परसेंट, सात परसेंट, आठ परसेंट में पैसा मिला लीजिंग का और उसके बाद प्रतिबंध लग गया, फोर योअर इन्फार्मेशन, इसलिए कि इसमें इनकम टैक्स का कुछ मामला होता है। इसलिए हमने जो कुछ किया है, इस बिजली बोर्ड ने जो किया है जनहित में किया है। और मैं तो आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत करता हूं कि उससे हमको अपना रास्ता ठीक करने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि यह राशि, इस संकल्प को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन विद्युत मण्डल द्वारा किसी भी समय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम, (54) की धारा 65 की उप धारा (3) के अधीन यथा परिकल्पित ऋण लेने की अधिकतम राशि 4,000 करोड़ रुपये नियत करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

माननीय सदस्य, राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े हो जाएं।

राष्ट्र-गान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा,
जन-गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता,
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय जय हे।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 20.32 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 146 का विवरण) परिशिष्ट 'क'

वर्ष 1996-97 की अवधि मे लाभ व हानि में रहे आगारों का विवरण

क्र.सं.	लाभ में रहने वाले आगारों का नाम	क्र.सं.	हानि में रहने वाले आगारों का नाम
1.	धौलपुर	1.	अलवर
2.	जयपुर	2.	मत्स्य नगर, अलवर
3.	डीलक्स	3.	भरतपुर
4.	सीकर	4.	हिण्डौन
5.	झुन्झुनूं	5.	वैशालीनगर, जयपुर
6.	बून्दी	6.	कोटपूतली
7.	टोंक	7.	जवाहरनगर, जयपुर
8.	अजमेर	8.	खेतड़ी
9.	ब्यावर	9.	कोटा
10.	भीलवाड़ा	10.	बारां
11.	जोधपुर	11.	झालावाड़
12.	आबूरोड	12.	अजय मेरू, अजमेर
13.	सिरोही	13.	नागौर
14.	जालौर	14.	फलौदी
15.	फालना	15.	डूंगरपुर
16.	बाड़मेर	16.	बांसवाड़ा
17.	उदयपुर	17.	सरदारशहर
18.	चित्तौड़गढ़	18.	तिजारा
19.	बीकानेर	19.	विद्याधरनगर, जयपुर
20.	गंगानगर	20.	सांगानेर, जयपुर
21.	हनुमानगढ़	21.	झालाना डूंगरी, जयपुर
22.	अनूपगढ़	22.	लोहागढ़, भरतपुर
23.	पाली		

अवैध वाहनों की जांच
वर्ष 1996-97

परिशिष्ट-'ख'

क्र.सं.	जिला	संधान राशि	क्र.सं.	जिला	संधान राशि
1.	जयपुर	233.53	17.	जैसलमेर	16.04
2.	दौसा	26.65	18.	सिरोही	140.31
3.	सवाईमाधोपुर	16.22	19.	जालौर	59.11
4.	सीकर	27.97	20.	उदयपुर	105.71
5.	झुन्झुनूं	3.18	21.	चित्तौड़गढ़	11.46
6.	कोटपूतली	3.28	22.	डूंगरपुर	34.96
7.	अलवर	85.53	23.	बांसवाड़ा	31.54
8.	भरतपुर	69.55	24.	राजसमन्द	17.02
9.	धौलपुर	69.55	25.	कोटा	70.52
10.	अजमेर	90.18	26.	बूंदी	24.76
11.	भीलवाड़ा	46.05	27.	झालावाड़	34.94
12.	नागौर	56.30	28.	बारां	11.38
13.	टोंक	30.89	29.	बीकानेर	23.91
14.	जोधपुर	98.08	30.	चूरू	13.56
15.	पाली	62.32	31.	गंगानगर	81.70
16.	बाड़मेर	19.21	32.	हनुमानगढ़	40.24
				योग	**1661.66**

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

कस्टोडियन भूमि का पट्टा जारी करने के मानदण्ड

147. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कस्टोडियन भूमि का पट्टा जारी करने के लिए क्या-क्या मानदण्ड एवं कानून हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कस्टोडियन भूमि के पट्टे जारी करने पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कस्टोडियन भूमि के पट्टे "दी डिस्प्लेस्ड परसन (कम्पनशेशन एण्ड रिहेब्लीटेशन) एक्ट 1954 व डिस्प्लेस्ड परसन (कम्पनशेशन एण्ड रिहेब्लीटेशन) नियम 1955" के अधीन जारी किये जाते हैं, उक्त अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत पट्टा वही विस्थापित व्यक्ति प्राप्त करने का हकदार है जिसने भारत सरकार को अपना क्लेम का दावा समय पर पेश कर दिया हो और जो दावे की पूर्ति भूमि आबंटन के रूप में चाहता हो तथा जिसने समस्त देनदारियों का भुगतान सरकार को कर दिया हो।

भारत सरकार से राज्य सरकार को पैकेज-डील से प्राप्त हुई सम्पत्तियों के पट्टे राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का प्रयोजनार्थ स्थायी आबंटन) नियम 1963 व राजस्थान अधिशेष निष्क्रान्त सम्पत्ति व्ययन नियम, 1975 के अन्तर्गत दिये जाते हैं।

(2) भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने 25.7.91 से 23.2.92 तक निष्क्रान्त भूमि/सम्पत्तियों के आबंटन पर रोक लगाई थी। अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग द्वारा 2.7.97 से तहसीलदारों द्वारा कस्टोडियन भूमिका आबंटन व पट्टे जारी करने पर रोक लगाई हुई है।

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की पंचायतों का अंकेक्षण

148. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत पांच वर्षों में पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की कौन-कौनसी पंचायतों का अंकेक्षण नहीं हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति की अन्य कई पंचायतों के अंकेक्षण आक्षेपों की पालना भी हो गई? यदि हां, तो इन पंचायतों के क्या-क्या आक्षेप थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिन पंचायतों का अंकेक्षण नहीं हुआ है उनमें काफी अनियमितताएं हैं, जिससे उनका अंकेक्षण नहीं कराया गया है?

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की जिन पंचायतों के सदस्यों का चुनाव जीतने के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है उनको हटाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार इन्हें कब तक हटाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) कुल 47 ग्राम पंचायतों में से 12 ग्राम पंचायतों का आडिट नहीं हुआ है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों ने अभी तक आडिट आक्षेपों की अनुपालना नहीं की है। सामान्यतया ऐतराज बजट पारित न करवाने, रिकार्ड का सही संधारण नहीं करने, सामान खरीद व मस्टररोल में अनियमितता, निर्माण कार्य में श्रम व सामग्री के अनुपात का अभाव, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का अभाव तथा निर्धारित राशि से अधिक नकद शेष रखने आदि से सम्बन्धित हैं। पंचायतों से सम्बन्धित एतराजों की विस्तृत सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। जिन पंचायतों का आडिट नहीं हुआ है उनका आडिट होने के पश्चात् ही अनियमितताओं के बारे में जानकारी हो सकेगी। कुल 12 पंचायतों की आडिट नहीं हुई है। सूची संलग्न है।

(4) जी नहीं। पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन की विभिन्न पंचायतों के कुल 15 पंचों एवं सरपंचों के विरुद्ध अतिरिक्त संतान होने के आधार पर जांच प्रकरण विचाराधीन है। इनमें से 7 प्रकरण जिला परिषद, पाली और 8 प्रकरण पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन के स्तर पर लम्बित हैं।

जांच के उपरान्त जो स्थिति प्रकट होगी तदनुसार नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीसलपुर (टोंक) बांध निर्माण प्रकरण

149. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला टोंक में स्थित बीसलपुर बांध का पानी कब से संरक्षित करना चालू किया जा सकेगा?

(2) बीसलपुर बांध की आर. एम. सी. सीधे हाथ वाली नहर की लम्बाई कितनी है तथा इसकी डिस्ट्रीब्यूट्रीज की लम्बाई कितनी है?

(3) दिनांक 30 जुलाई, 1997 तक इन नहरों पर कितनी लम्बाई की नहर तैयार कर दी गई है? इस कार्य को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध में वर्ष 1995 से आंशिक रूप से पानी संरक्षित किया जा रहा है। बांध में पूर्ण भराव क्षमता तक के पानी का संरक्षण वर्ष 2001-2002 में करना प्रस्तावित है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) बीसलपुर परियोजना की दायीं मुख्य नहर की लम्बाई 96 किलोमीटर एवं डिस्ट्रीब्यूटरीज की लम्बाई लगभग 104 किलोमीटर है।

(3) दायीं मुख्य नहर पर 23 किलोमीटर लम्बाई में कार्य चल रहा है, जिसमें से विभिन्न टुकड़ों में करीब 6.50 किलोमीटर लम्बाई में नहर का निर्माण पूरा हो चुका है। वितरिकाओं एवं माइनर्स का 53 किलोमीटर लम्बाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मुख्य नहर, वितरिकाओं एवं माइनर्स का कार्य सन् 2001-2002 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

वक्फ अधिनियम, 1995 का क्रियान्वयन

150. **श्री एमादुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) एवं **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वक्फ अधिनियम, 1995 पूर्णरूप से लागू किया जा चुका है? यदि हां, तो उक्त अधिनियम के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वक्फ अधिकरण का कितना बजट सरकार द्वारा स्वीकार किया गया व अब तक अभिकरण का कुल कितना खर्चा किस-किस मद में हुआ तथा अधिकरण के सदस्य कौन-कौन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत राजस्थान वक्फ अधिकरण की स्थापना की जानी थी और उसमें चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देना था? यदि हां, तो क्या ऐसा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक उक्त कार्य कर लिया जायेगा?

(4) क्या सरकार उपरोक्त अधिकरण की स्थापना व जन-प्रतिनिधियों की नियुक्ति के बगैर वक्फ अधिनियम को राज्य में लागू मानती है? क्या सरकार इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वक्फ अधिनियम, 1995, 1 जनवरी, 1996 से लागू हो चुका है। उकत अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वक्फ अधिकरण के लिए वर्ष 1997-98 के बजट में 7.30 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया, किन्तु आबंटित बजट में से किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उक्त अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के एक सदस्य को नियुक्त किया गया है।

(3) जी हां। वक्त अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत वक्फ अधिकरण स्थापित किया

(राज्य मंत्री, वक्फ)

जा चुका है। अधिनियम में चुने हुए जन-प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।

(4) वक्फ अधिनियम, 1995 प्रदेश में लागू कर दिया गया है। वक्फ अधिकरण में जन-प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रावधान ही नहीं है अतः दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट "क"

वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण

1. केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 के अध्याय 4 की धारा 14 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में वक्फ बोर्ड (चुनाव) नियम, 1996 का प्रारूप तैयार कर विधि विभाग से परीक्षण एवं विधिक्षा होने के पश्चात् मंत्रीमण्डल को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया गया है। अनुमोदन प्राप्त होते ही वक्फ बोर्ड (चुनाव) नियम जारी किये जाकर नियमों के अनुरूप वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की कार्यवाही की जायेगी।

2. जहां तक अधिनियम, 1995 के अध्याय-2 की धारा 4 व 8 के अन्तर्गत वक्फ सम्पदाओं के सर्वे का प्रश्न है। राजस्थान में वक्फ सम्पदाओं का सर्वे पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत 1957 से 1965 की अवधि में हो चुका है। नये नियमों के अनुसार पुनः सर्वे के लिये राजस्थान बोर्ड से प्रस्ताव चाहने पर राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया कि वक्फ संस्थाओं की माली हालत सुदृढ़ नहीं होने के कारण पूर्व में भी सर्वे का खर्चा नियमानुसार वक्फ सम्पदाओं द्वारा बर्दाश्त नहीं करने से खर्च को माफ करना पड़ा था। अतः वक्फ बोर्ड से अनुमानित लागत के आंकड़ों पर पुनः विचार कर व्यावहारिक आंकड़ों सहित प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये हैं।

3. अधिनियम के अध्याय-8 की धारा-83 के अन्तर्गत राज्य में राजस्थान वक्फ अधिकरण का गठन किया जाकर पीठासीन अधिकारी के पद पर राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है एवं वक्फ अधिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

4. अधिनियम के अध्याय-9 की धारा 109 के अन्तर्गत वक्फ बोर्ड के कार्यकलापों हेतु राजस्थान वक्फ अधिनियम, 1997 का प्रारूप तैयार किया जाकर विधि विभाग से विधिक्षा के उपरान्त वित्त विभाग के परीक्षण हेतु भिजवाया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता

151. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सरकार को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सहायतार्थ दी जाती है ?

(2) गत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा राज्य सरकार द्वारा किन-किन जिलों में उपरोक्त राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में राज्य में प्राकृतिक आपदाओं में (बाढ़, ओलावृष्टि व आकाशीय बिजली) से कितने किसान मौत के शिकार हुए तथा प्रति व्यक्ति कितनी राशि सहायतार्थ दी गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि का विवरण निम्न प्रकार है : —

(राशि करोड़ों में)

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्र सरकार का अंशदान
1.	1994-95	93.00
2.	1995-96	126.74
3.	1996-97	134.28
4.	1997-98	141.70

(2) केन्द्र सरकार द्वारा निम्न प्रकार से राशि उपलब्ध कराई गई है : —

(राशि करोड़ों में)

क्र.सं	वर्ष	केन्द्र सरकार का अंशदान
1.	1994-95	93.00
2.	1995-96	126.74
3.	1996-97	134.28
4.	1997-98	141.70

इस राशि का उपयोग जिला अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं उदयपुर में उनकी आवश्यकतानुसार किया गया है।

(3) गत तीन वर्षों में राज्य में प्राकृतिक आपदाओं बाढ़, ओलावृष्टि व आकाशीय बिजली से 382 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को 10,000/- रुपये सहायता मद से एवं प्रधान मंत्री सहायता कोष से 50,000/- रुपये देने का प्रावधान है। जिला कलक्टरों द्वारा कुल 1,37,69,500/- रुपये की सहायता राशि वितरण की जा चुकी है। जिलेवार दी गई राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

P30

परिशिष्ट-3

प्राकृतिक आपदाओं ओलावृष्टि, बाढ़ व आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतें एवं दी गई सहायता राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	ओलावृष्टि	बाढ़	आगजनी	योग	उपलब्ध कराई गई सहायता राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	—	7	3	10	3,95,000/-
2.	अलवर	—	29	–	29	17,40,000/-
3.	बांसवाड़ा	1	15	10	26	8,99,500/-
4.	बारां	—	2	5	7	50,000/-
5.	बाड़मेर	—	1	3	4	85,000/-
6.	भरतपुर	—	41	1	42	22,65,000/-
7.	भीलवाड़ा	—	2	4	6	1,30,000/-
8.	बीकानेर	—	11	1	12	5,55,000/-
9.	बूंदी	—	1	5	6	35,000/-
10.	चित्तौड़गढ़	निल	निल	निल	निल	निल
11.	चूरू	—	16	2	118	9,70,000/-
12.	दौसा	—	16	–	16	3,65,000/-
13.	धौलपुर	—	4	1	5	2,45,000/-
14.	डूंगरपुर	निल	निल	निल	निल	निल
15.	गंगानगर	—	16	5	21	7,10,000/-
16.	हनुमानगढ़	2	5	1	8	55,000/-
17.	जयपुर	1	15	1	17	6,50,000/-
18.	जैसलमेर	—	—	2	2	20,000/-
19.	जालौर	निल	निल	निल	निल	निल

1	2	3	4	5	6	7
20.	झालावाड़	—	13	2	15	5,15,000/-
21.	झुंझुनूं	—	20	5	25	8,35,000/-
22.	जोधपुर	—	4	2	6	2,60,000/-
23.	कोटा	—	10	5	15	4,22,500/-
24.	नागौर	—	14	2	16	6,47,500/-
25.	पाली	—	33	1	34	2,40,000/-
26.	राजसमन्द	—	—	4	4	40,000/-
27.	सवाईमाधोपुर	—	11	—	11	5,40,000/-
28.	सीकर	—	14	2	16	7,90,000/-
29.	सिरोही	निल	निल	निल	निल	निल
30.	टोंक	—	5	—	5	50,000/-
31.	उदयपुर	निल	निल	निल	निल	निल
32.	करौली	1	5	—	6	2,60,000/-
	योग	5	310	67	382	1,37,69,500/-

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में प्राथमिक विद्यालयों का सृजन

152. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 150 तक की जनसंख्या वाले गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है ?

(2) यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बेगूं मे इस मानदण्ड में कौन-कौन से गांव आते हैं ? क्या सरकार द्वारा वहां प्राथमिक शालाएं खोल दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अब उक्त क्षेत्र में कब तक प्राथमिक शालाएं खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पंचायत समिति, बेगूं जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।

मदिरा विक्रय केन्द्रों पर अवैध मदिरापान प्रकरण

153. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) एवं श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या अंग्रेजी शराब की रिटेल ऑफ शराब दुकान में ग्राहक को बैठाकर शराब एवं बीयर पिलाने की इजाजत है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या गत पांच माह से जयपुर शहर में दुकानदारों द्वारा दुकानों पर बैठाकर बीयर पिलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था को बन्द करने का विचार रखती है ? जयपुर में नियम विरुद्ध शराब पिलाने के उक्त अवधि में कितने मुकदमे दर्ज हुये ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जयपुर शहर में बीयर रिटेल ऑफ दुकानों पर बैठाकर बीयर पीने की इजाजत नहीं दी गई है। जब ऐसी इजाजत दी ही नहीं गई तब उसे बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस विषयक कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए।

चम्बल नदी पर लिफ्ट योजना द्वारा सिंचाई प्रकरण

154. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोड़ाभीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में खण्डार के पास चम्बल नदी पर लिफ्ट योजना बनाकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इन्दिरा लिफ्ट योजना के नाम से सर्वे भी कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन्दिरा लिफ्ट योजना के द्वारा कितने गांवों की कितनी भूमि सिंचित की जाएगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन्दिरा लिफ्ट योजना पर कुल कितना व्यय होगा एवं किस-किस मद में उस बजट को व्यय किया जाएगा ?

(5) क्या सरकार इस योजना को स्वीकृत कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों व अब कब तक इस योजना को स्वीकार करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सवाईमाधोपुर में खण्डार के पास दो लिफ्ट (सिंचाई परियोजना) क्रमशः पीपल्दा जलोत्थान सिंचाई परियोजना एवं इन्दिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। इन्दिरा लिफ्ट योजना के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना का कार्य केन्द्र सरकार एवं योजना आयोग से अनुमोदित होने एवं आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ कराया जाना सम्भव होगा।

(3) इन्दिरा लिफ्ट योजना के द्वारा सवाई माधोपुर, दौसा, करौली एवं भरतपुर

(सिंचाई मंत्री)

जिलों के 237 गांवों की 1,03,988 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत 22,500 लाख आंकी गई है। यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग से अनुमोदित होने के पश्चात् ही भिन्न-भिन्न मद में बजट का बताया जाना सम्भव होगा।

(5) इस योजना को केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना विभाग से शीघ्र स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। स्वीकृति की समयावधि का आकलन करना कठिन है क्योंकि यह राज्य सरकार के हाथ में नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

जिला सवाई माधोपुर में प्रस्तावित इन्दिरा जलोत्थान परियोजना का जिला, तहसील व गांवों की संख्या मय सिंचित रकबा का विवरण

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांवों की संख्या	सिंचित रकबा हैक्टेयर में
1.	सवाईमाधोपुर	गंगापुर	16	13208.00
		खण्डार	32	9684.00
2.	करौली	नादौती	27	10440.00
		हिण्डौन	69	20287.00
		टोडाभीम	45	15552.00
		करौली	3	4150.00
3.	दौसा	महुआ	21	5680.00
4.	भरतपुर	बयाना	17	17027.00
		वैर	7	7960.00
		योग	237	103988.00

234

जिला भीलवाड़ा में संचालित वाहन

155. श्री रामरिछपाल जुवाल (भीलवाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) भीलवाड़ा जिले में चार पहिये तथा तीन पहिये वाले वाहनों की संख्या कितनी है ?

(2) क्या भीलवाड़ा जिले में उपरोक्त वाहन सरकार से परमिट प्राप्त कर चलाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बगैर परमिट के चल रहे इन वाहनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में 7,959 चार पहिया वाहन तथा 302 तिपहिया वाहन संचालित हैं।

(2) जी हां। अधिकांश ट्रान्सपोर्ट वाहनों को परमिट जारी किये हुए हैं। नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों को परमिट की आवश्यकता नहीं होती। वाहनों के बिना परमिट पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। चालू वित्त वर्ष में माह अगस्त, 97 तक ऐसे 51 वाहनों के चालान बनाकर 71,500/- रु. प्रशमन राशि वसूल की गयी है।

पीपलखूंट (बांसवाड़ा) के प्राथमिक विद्यालय

156. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पंचायत समिति पीपलखूंट (बांसवाड़ा) में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ?

(2) क्या उक्त सभी प्राथमिक विद्यालय चालू हैं ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापक पदस्थापित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सड़क के नजदीक में पड़ने वाले विद्यालयों में जरूरत से ज्यादा अध्यापक पदस्थापित हैं ?

(4) प्राथमिक विद्यालय किकापाड़ा, तलाब, मापला, होलाखों, कमलीपाड़ा, सालीयाभेड़ी, पीपलीपाड़ा, दानपुर एवं सरवनी में कुल बच्चों की संख्या कितनी-कितनी है ? क्या उक्त विद्यालय में मानदण्डों के अनुसार अध्यापक कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, पीपलखूंट में कुल 117 प्राथमिक विद्यालय हैं।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) सूची संलग्न है। जी हां।

कार्यालय जिला परिषद्, बांसवाड़ा

प्रश्न सं. 2 के सम्बन्ध में चाही गई सूचना (प्रा. वि. एवं अध्यापकों की सूची)

क्र.सं.	नाम प्राथमिक विद्यालय	कार्यरत अध्यापकों की संख्या	वि.वि.
1	2	3	4
1.	प्रा. वि. पीपलखूंट	7	
2.	प्रा. वि. सोबनिया	1	
3.	प्रा. वि. कूड़ा	1	
4.	प्रा. वि. चिकली	2	
5.	प्रा. वि. आम्बापाड़ा	2	
6.	प्रा. वि. पावटीपाड़ा	3	
7.	प्रा. वि. मोरवानिया	2	
8.	प्रा. वि. सुरपुर	1	
9.	प्रा. वि. सिदड़ी मउड़ी-बी	1	
10.	प्रा. वि. रेणदा	2	
11.	प्रा. वि. कुशलपुरा	2	
12.	प्रा. वि. कल्याणपुरा	1	
13.	प्रा. वि. सूरजपुरा	1	
14.	प्रा. वि. कटारों की भै	1	
15.	प्रा. वि. बोरखोड़ा	1	
16.	प्रा. वि. मुण्द्रीखोड़ा	1	
17.	प्रा. वि. कटारों का खोड़ा-ए	2	
18.	प्रा. वि. कुण्डल गणावां	1	
19.	प्रा. वि. काकरवा पाडा	1	

(236)

1	2	3	4
20.	प्रा. वि. नालपाडा	2	
21.	प्रा. वि. उस्बाड़ा	1	
22.	प्रा. वि. करवी	1	
23.	प्रा. वि. पीपलदा	1	
24.	प्रा. वि. राणपुर	1	
25.	प्रा. वि. जरबालिया	1	
26.	प्रा. वि. करमोड़ा	1	
27.	प्रा. वि. नरु का खोड़ा	2	
28.	प्रा. वि. मउवाल	1	
29.	प्रा. वि. वर्षा	1	
30.	प्रा. वि. उमरियापाड़ा (जामली)	2	
31.	प्रा. वि. मऊ	2	
32.	प्रा. वि. आमलीखोड़ा	1	
33.	प्रा. वि. लिम्बोदा	1	
34.	प्रा. वि. गोठड़ा	2	
35.	प्रा. वि. मोवाईपाड़ा	1	
36.	प्रा. वि. पंथोल	1	
37.	प्रा. वि. मालिया	2	
38.	प्रा. वि. बड़ा	1	
39.	प्रा. वि. बक्तोड़	1	
40.	प्रा. वि. बिलडिया	2	
41.	प्रा. वि. बावड़ी	1	
42.	प्रा. वि. भमेड़ी	1	
43.	प्रा. वि. खड़ियावानी	1	
44.	प्रा. वि. खारवाड़ा	1	
45.	प्रा. वि. वडलीखेड़ा	1	

1	2	3	4
46.	प्रा. वि. घोड़ी	1	
47.	प्रा. वि. भाणपुर	2	
48.	प्रा. वि. मातासुला	1	
49.	प्रा. वि. माण्डली	1	
50.	प्रा. वि. ठाकरा	1	
51.	प्रा. वि. सागबारी	2	
52.	प्रा. वि. महुडी खेड़ा	2	
53.	प्रा. वि. अखापुर	1	
54.	प्रा. वि. भै	1	
55.	प्रा. वि. आमलिया पाड़ा	2	
56.	प्रा. वि. नाल	2	
57.	प्रा. वि. रामगढ़पाड़ा	4	
58.	प्रा. वि. रुजड़ी	3	
59.	प्रा. वि. खारकोटी	2	
60.	प्रा. वि. दानपुर	9	
61.	प्रा. वि. सरवनी	3	
62.	प्रा. वि. गोपालपुरी	1	
63.	प्रा. वि. सालरापाड़ा	3	
64.	प्रा. वि. लाम्बीसादड	2	
65.	प्रा. वि. मोरमहुवा	4	
66.	प्रा. वि. टासटिया	1	
67.	प्रा. वि. महुडीखोड़ा	1	
68.	प्रा. वि. आडीभीत	4	
69.	प्रा. वि. कीकापाड़ा	3	
70.	प्रा. वि. लालपुरा	3	
71.	प्रा. वि. डेरी	3	

(P30)

1	2	3	4
72.	प्रा. वि. तलाब (तालाब)	4	(दो अध्यापिकाएं प्रसूति अवकाश पर होने से दो अति. अध्यापिकाओं की व्यवस्था की गई है।)
73.	प्रा. वि. रेल	2	
74.	प्रा. वि. झमलिया	1	
75.	प्रा. वि. बिलाखों	1	
76.	प्रा. वि. आक	2	
77.	प्रा. वि. नागाखाती	2	
78.	प्रा. वि. खोटी	6	
79.	प्रा. वि. हरियाणवी	2	
80.	प्रा. वि. कुण्डलीपाड़ा	2	
81.	प्रा. वि. उमरीपाड़ा (नवीन)	2	
82.	प्रा. वि. उमरीपाड़ा (फैफर)	3	
83.	प्रा. वि. होलाखों	2	
84.	प्रा. वि. शटिया	2	
85.	प्रा. वि. सालियाबेडी	2	
86.	प्रा. वि. कमलीपाड़ा	3	
87.	प्रा. वि. जूआ	2	
88.	प्रा. वि. पीपलीपाड़ा	2	
89.	प्रा. वि. बागपुरा	2	
90.	प्रा. वि. नेगडिया	1	
91.	प्रा. वि. नवांखोड़ा	1	
92.	प्रा. वि. रुजडीपाड़ा	1	
93.	प्रा. वि. सूरजपुरा	1	
94.	प्रा. वि. रेटिया	1	
95.	प्रा. वि. अम्बावज	1	

1	2	3	4
96.	प्रा. वि. कोईवाव	2	
97.	प्रा. वि. गढ़	4	
98.	प्रा. वि. कडछी	1	
99.	प्रा. वि. आम्बापाड़ा	2	
100.	प्रा. वि. हिरियागढ़ी	1	
101.	प्रा. वि. तिलगारी	2	
102.	प्रा. वि. उबापान	1	
103.	प्रा. वि. रुजिया	2	
104.	प्रा. वि. डूंगरा	2	
105.	प्रा. वि. चन्द्रोड़	1	
106.	प्रा. वि. छलियापाड़ा	1	
107.	प्रा. वि. सेमलखोड़ा	1	
108.	प्रा. वि. कानपुरी	1	
109.	प्रा. वि. भंमरियापाड़ा	1	
110.	प्रा. वि. कुताबारी	1	
111.	प्रा. वि. खानपुरा	1	
112.	प्रा. वि. माण्डवेजर	1	
113.	प्रा. वि. जराली	1	
114.	प्रा. वि. मोजल	1	
115.	प्रा. वि. वाडा	1	
116.	प्रा. वि. उगमना पाड़ा	1	
117.	प्रा. वि. माण्डवी	1	

Sd/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद
बांसवाड़ा।

(२५०)

कार्यालय जिला परिषद, बांसवाड़ा

प्रश्न सं. 4 में चाही गई नामांकन एवं कार्यरत अध्यापकों की सूचना

क्र.सं.	प्राथमिक विद्यालय का नाम	नामांकन	मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत पद	कार्यरत अध्यापक संख्या	वि.वि.
1.	प्रा. वि. कीकापाड़ा	100	3	3	
2.	प्रा. वि. तालाब	56	2	2	दो अध्यापिकाएं प्रसूति अवकाश पर होने से दो अतिरिक्त प्रतिनियुक्त किया।
3.	प्रा. वि. होलाखों	55	2	2	
4.	प्रा. वि. कमलीपाड़ा	119	3	3	
5.	प्रा. वि. सालियाबेड़ी	70	2	2	
6.	प्रा. वि. पीपलीपाड़ा	40	2	2	
7.	प्रा. वि. दानपुर	340	9	9	
8.	प्रा. वि. सरवनी	104	3	3	
9.	उ. प्रा. वि. नापला	—	गत दो वर्ष प्रा. वि. नापला को उ. प्रा. वि. में क्रमोन्नत किया गया है।		

Sd/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बांसवाड़ा

विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति हेतु जारी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रकरण

157. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार ने राज्य में वर्ष 1997-98 की योजनाओं के लिये वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां योजनाओं की क्रियान्विति में होने वाली देरी को रोकने के लिए अप्रैल, 1997 में ही जारी करने का फैसला लिया था? यदि हां, तो उनमें से कितनी प्रतिशत योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई?

(2) सरकार ने कौन-कौन से विभाग में जीरो (0) बजट प्रणाली लागू की है? प्रशासनिक व्यय कम करने के लिए कौन-कौन से खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए क्या नये प्रयत्न किये हैं?

(3) क्या सरकार द्वारा राज्य के बाहर स्थित देवस्थान की सम्पत्तियों को बेचने के लिए कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी नहीं, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां 15 मई, 1997 तक जारी किये जाने के निर्देश दिये गये थे। प्रशासनिक विभागों द्वारा स्वीकृतियां जारी नहीं किये जा सकने के कारण इस अवधि को बढ़ाकर 30, सितम्बर तक कर दिया गया है। वर्ष 1997-98 में 308.81 करोड़ रुपये नवीन मदों हेतु प्रावधित हैं, जिनमें से 195.08 करोड़ रुपये के नवीन मदों की स्वीकृतियां विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा दिनांक 31.8.97 तक जारी की जा चुकी है, जो कि कुल नवीन मदों का 63.17 प्रतिशत है।

(2) सरकार ने सभी विभागों में "शून्य" आधारित बजट प्रणाली के आधार पर समस्त क्रियाकलापों की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक खर्च कम करने के लिये नये पदों के सृजन, दैनिक मजदूरी पर नियुक्ति, वाहनों के क्रय, अनुत्पादक व्यय आदि पर कड़ी दृष्टि रखकर शनैः शनैः इन मदों में सम्भावित व्यय कम करने के प्रयत्न किये गये हैं।

(3) नीति विचाराधीन है।

जिला जालौर में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति

158. **श्री भगराज चौधरी** (आहोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि अतिवृष्टि होने की स्थिति में जालौर जिले के भाद्राजून उनाव क्षेत्र में लम्बे समय तक पानी भरा हुआ रहने के कारण ग्राम भाद्राजून की ढाणी नोखा, मोहीवाड़ा, कुआरडा के काश्तकार हजारों बीघा अपनी खातेदारी भूमि में फसल बोने से वंचित रहते हैं?

(2) यदि हां, तो अविवृष्टि होने की स्थिति में उनाव क्षेत्र की कितनी खातेदारी

२५८

(श्री भगराज चौधरी)

भूमि में कितने समय तक कितना पानी भरा हुआ रहता है? क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उनाव क्षेत्र में स्थित खातेदारी भूमि में फसल बोने के लिए फालतू पड़े रहने वाले पानी को नहर बनाकर बोकली बांध में डालकर सिंचाई हेतु उपयोग करने बाबत कोई योजना बनाई गई है?

(4) यदि हां, तो बोकली बांध में यह पानी डालने से कितनी अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी?

(5) क्या सरकार दोहरा लाभ देने वाली मरुस्थलीय क्षेत्र की इस योजना को शीघ्र स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त वर्णित ग्रामों में अतिवृष्टि होने की स्थिति में लगभग 993 हैक्टेयर भूमि में चार से छः माह तक पानी भरा रहता है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया है।

(3) जी हां, विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर एक फीडर भाद्राजून उनाव से बांकली बांध में वर्षा से एकत्रित पानी डालने की योजना तैयार की गई है।

(4) उपरोक्त वर्णित भाद्राजून क्षेत्र के भाद्राजून उनाव में 185 मि. घन फुट जल का संग्रह होगा और इसके आधार पर बांकली बांध के कमाण्ड क्षेत्र में लगभग 740 हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध किया जाना सम्भव होगा।

(5) जी हां। उक्त योजना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से लाभ लागत अनुपात के मापदण्ड के अनुरूप होने पर स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

159. **डा. मूलसिंह शेखावत** (झुंझुनूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वाहनों की प्रदूषण नियंत्रण जांच हेतु जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर सरकार का किस प्रकार नियंत्रण है?

(2) क्या यह सही है कि प्रमाण-पत्र प्राइवेट एजेन्सी द्वारा जारी किए जा रहे हैं? क्या यह एजेन्सियां लाभ के लिये बिना जांच के प्रमाण-पत्र जारी कर देती हैं?

(3) क्या सरकार द्वारा इन संस्थाओं के विरुद्ध गलत जांच पत्र देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मोटर यान नियम 1989 के नियम 115 व 116 के तहत वाहनों की जांच करा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किये

(राज्य मंत्री, यातायात)

जाते हैं। प्रदूषण का स्तर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। परिवहन विभाग वाहनों की प्रदूषण जांच हेतु जांच केन्द्रों को प्राधिकृत करने और इन केन्द्रों की जांच करने की कार्यवाही करता है। विभाग के जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा भी वाहनों की प्रदूषण सम्बन्धी जांच कर प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

(2) जी हां। निजी क्षेत्र में भी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र प्रमाण-पत्र जारी करते हैं। ये प्राधिकृत एजेन्सियां लाभ के लिए बिना जांच के प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर सकती।

(3) प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा गलत प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा इनके विरुद्ध शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में अगस्त, 97 तक ऐसे गलत प्रमाण पत्र देने वाले केन्द्रों की 12 शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिनमें से 6 के विरुद्ध कार्यवाही कर जुर्माना, चेतावनी, प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की गई।

जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा

160. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनजाति क्षेत्रों के सैकड़ों राजस्व ग्राम आज भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार के समक्ष इन गांवों को शिक्षित करने की कोई योजना विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जनजाति बाहुल्य राजस्व ग्राम जिनकी जनसंख्या (जनगणना, 1991 के अनुसार) 150 से अधिक है, वहां राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में नियमानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं।

मदिरा ठेकों में व्याप्त अनियमितता प्रकरण

161. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997-99 की आबकारी नीति में मदिरा समूहों एवं भारतीय निर्मित एवं विदेशी मदिरा की 41 शहरों की दुकानों के पृथक-पृथक टेण्डर मांगे गये थे? यदि हां, तो किस-किस समूह एवं दुकान पर कितनी राशि बढ़कर टेण्डर प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 13 मार्च, 1997 को खुली निविदाओं में से किस-किस निविदा की स्वीकृति जारी की गई तथा उन निविदाओं में आरक्षित राशि व प्राप्त राशि में कितना अन्तर प्राप्त हुआ था? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री परसराम मोरदिया)

(3) क्या यह सही है कि पृथक-पृथक समूहों को आबकारी नीति के विरुद्ध एक ही अनुज्ञाधारी को सम्पूर्ण जिले का ठेका दिया गया है, यदि हां, तो क्यों? क्या आबकारी नीति सरकार द्वारा बदली गई थी? यदि हां, तो इसमें क्या बदलाव किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर, सीकर, अलवर के समस्त आबकारी समूह/दुकानें टेण्डर पर दिनांक 13 मार्च, 1997 को उठ गये थे? यदि हां, तो क्या उनकी स्वीकृति जारी होकर निश्चित समय में धरोहर राशि जमा हो गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के मदिरा समूहों में 15.10 लाख, अलवर जिले के समूह एवं दुकानों में 391.88 लाख व सीकर जिले के समूह एवं दुकानों में 66.29 लाख रुपये कम किये जाकर पूर्व में जारी स्वीकृति को निरस्त करते हुए नई स्वीकृति जारी कर उसी टेण्डरदाता को समूह व दुकानें दी गई हैं? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त समूह एवं दुकानों की बढ़ी हुई राशि प्राप्त हो जाने के उपरान्त राशि कम की जाकर उसी टेण्डरदाता को ठेका देने से सरकार को 15.10+391.88+66.29 कुल = 473.27 लाख रुपये की हानि हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर सरकार की हानि की पूर्ति कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के मदिरा समूहों एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर क्षेत्रों के लिए प्राप्त निविदाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दिनांक 13.3.97 को खोली गई निविदाओं में से स्वीकृत की गई निविदाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। स्वीकृत निविदाओं की आरक्षित राशि रुपये 12,353.00 लाख के विरुद्ध राशि रुपये 13,135.92 लाख प्राप्त हुई। इस प्रकार राशि रुपये 782.92 लाख अधिक प्राप्त हुई। कुल 79 समूहों एवं क्षेत्रों की स्वीकृति जारी की गई। विवरण पत्र परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) आबकारी नीति के अनुसार ही पृथक-पृथक समूहों एवं क्षेत्रों को स्वीकृत किया गया है। समस्त मदिरा समूहों एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर क्षेत्रों के लिए निविदाएं/प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण राज्य के वृहत्तर राजस्व हित एवं निविदा निर्णायक समिति की अनुशंषा को ध्यान में रखते हुए वैयक्तिक समूहों की तुलना में सम्पूर्ण राजस्व जिले के आरक्षित राशि पर आधारित प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान की गई। ऐसा न करने पर कुछ समूह/क्षेत्र पड़त रहने की आशंका थी और राज्य के राजस्व को भारी हानि हो सकती थी।

(उप मुख्य (आबकारी) मंत्री)

(4) जी हां, जिला भरतपुर, सीकर, अलवर के समस्त आबकारी समूह/दुकानें टेण्डर पर दिनांक 13.3.97 को उठ गई थी एवं उनकी स्वीकृति क्रमशः दिनांक 19.3.97, 15.3.97 एवं 15.3.97 को जारी की गई थी। इन समूहों की धरोहर राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं हुई थी। समयावधि में शिथिलता प्रदान की गई। उक्त शिथिलन प्रदान की गई अवधि में पूरी धरोहर राशि जमा हो चुकी है।

(5) जी हां। आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 1997-99 के विभिन्न जिलों के समूहों/क्षेत्रों के लिए बार-बार निविदाएं/प्रस्ताव आमंत्रण करने के बावजूद भी सभी समूहों/क्षेत्रों के लिए निविदाएं/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। पड़त जयपुर जिले के लिए श्री राजाराम व अन्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि वे जयपुर जिला आरक्षित राशि पर लेने को सहमत हैं बशर्ते कि उन्हें पूर्व में स्वीकृत अलवर जिले को भी आरक्षित राशि पर स्वीकृत किया जावे। इसी प्रकार श्री रामावतार एण्ड पार्टी ने यह प्रस्ताव किया कि वे पड़त धौलपुर जिले को आरक्षित राशि पर लेने को सहमत हैं, बशर्ते कि पूर्व में स्वीकृत भरतपुर व सीकर जिलों की राशि में से क्रमशः रुपये 15,09,737.00 व रु. 47,90,263.00 कम किये जावें। निविदा निर्णायक समिति के समक्ष जयपुर व धौलपुर जिलों को उठाने के लिए अन्य कोई विकल्प न होने के कारण राज्य के वृहत्तर राजस्व वित्त को ध्यान में रखते हुए पूर्व में स्वीकृत अलवर, भरतपुर एवं सीकर जिले की स्वीकृत राशि में से क्रमशः 392.00, 15.10 व 47.90 लाख रुपये की छूट नियमों के अन्तर्गत दी गई। इस कमी के परिणामस्वरूप इन तीनों जिलों की स्वीकृत राशि आरक्षित राशि से कम नहीं हुई है। इस निर्णय से राज्य सरकार को कुल मिलाकर हानि नहीं हुई वरन पड़त जयपुर व धौलपुर जिलों के आरक्षित राशि पर उठने से वर्ष 97-98 में क्रमशः रु. 8875/- लाख एवं 481.32 लाख की राजस्व आय सुनिश्चित हुई है।

(6) जी नहीं। जयपुर व धौलपुर जिले के समस्त मदिरा समूहों एवं क्षेत्रों के लिए प्राप्त प्रस्तावों में यह शर्त अंकित थी कि निम्न जिलों की पूर्व में स्वीकृत राशि में से निम्नानुसार राशि कम की जाने पर ही वे जयपुर व धौलपुर राजस्व जिलों को आरक्षित राशि पर लेने को सहमत हैं :—

क्र.सं.	नाम जिला	कम की जाने वाली राशि (रु. लाखों में)
1.	अलवर	392.00
2.	सीकर	47.90
3.	भरतपुर	15.10

आबकारी विभाग के समक्ष अन्य कोई विकल्प न होने से राज्य के वृहत्तर राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए व निविदा निर्णायक समिति की अभिशंषा के क्रम में उक्तानुसार स्वीकृत राशि में से छूट प्रदान की गई।

इससे राज्य सरकार को कुल मिलाकर कोई हानि नहीं हुई है, अपितु जयपुर व

(उप मुख्य (आबकारी) मंत्री)

धौलपुर जिलों को आरक्षित राशि रु. 8875.00 लाख तथा 481.32 लाख पर उठाया जा सका और राज्य की रुपये 9356.32 लाख की वर्ष 97-98 के लिए राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

साधुवाली-शिवपुर हैड लिफ्ट कैनाल का निर्माण

162. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार गंग कैनाल की मुख्य नहर को शून्य आर. डी. अन्तिम छोर तक पक्का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा साधुवाली हैड से शिवपुर हैड तक लिफ्ट कैनाल का निर्माण शुरू किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां, पंजाब एवं राजस्थान राज्य में स्थित बीकानेर कैनाल एवं गंग नहर प्रणाली की समस्त नहरों को पक्का करने की गंग नहर आधुनिकीकरण योजना है। परियोजना की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त बजट उपलब्ध होने पर यह कार्य पांच साल में पूरा कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां, साधुवाली हैड के पश्चात् एम. एल. वितरिका का रकबा ऊंचा होने के कारण तीन पम्पिंग स्टेशनों से लिफ्ट द्वारा पानी उपलब्ध करवाये जाने का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके माह मार्च, 1998 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

पंचायत समिति सराड़ा (उदयपुर) की इन्दिरा आवास योजना में व्याप्त अनियमितता प्रकरण

163. श्री रघुवीर सिंह कौशल (सराड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति सराड़ा जिला उदयपुर में स्वीकृत इन्दिरा आवासों की राशि में से कुछ राशि सरपंच आदि द्वारा ले ली जाती है? यदि हां, तो क्या उक्त पंचायत समिति का ऐसा कोई प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। इन्दिरा आवास की स्वीकृत राशि में से सरपंच द्वारा राशि नहीं ली जाती है। श्री मावाराम सरपंच, ग्राम पंचायत सराड़ा के विरुद्ध पुलिस थाना सराड़ा में एक प्रकरण नं. 136/97 दर्ज हुआ, जिसमें अन्तिम रिपोर्ट लग चुकी है। पंचायत समिति में प्राप्त हुई शिकायत पर जांच प्रगति पर है।

गुडगांव नहर डीग स्केप व भरतपुर फीडर में जल वितरण

164. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) यमुना जल समझौते के बाद जिला भरतपुर में गुड़गांव नहर ड़ीग स्केप व भरतपुर फीडर में कब-कब कितना पानी दिया गया? यदि नहीं तो, सरकार द्वारा इस हेतु क्या प्रयास किये गये?

(2) गुड़गांव नहर प्रणाली डीग स्केप व भरतपुर फीडर प्रणाली में क्या सभी आउटलेट लग गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक इन सभी प्रणालियों को सही कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) 12 मई, 1994 को हुए यमुना समझौते के पश्चात् जिला भरतपुर में गुड़गांव नहर, डीग स्केप व भरतपुर फीडर में प्राप्त पानी का विवरण निम्न प्रकार है : —

नाम प्रणाली	वर्ष/प्राप्त पानी क्यूसेक डेज में			
	1994	1995	1996	1997 (अगस्त तक)
1. गुड़गांव नहर	9627	6508	5317	2471
2. डीग स्केप	272	289	60	122
3. भरतपुर फीडर	5047	4820	6546	3238

(2) जी नहीं। गुड़गांव नहर प्रणाली, डीग स्केप व भरतपुर फीडर प्रणाली में 60 आउटलेट लगाये जा चुके हैं। 55 आउटलेट का कार्य प्रगति पर है एवं 439 आउटलेट लगाने का कार्य बाकी है जिन्हें 1998 तक लगाया जाना प्रस्तावित है। गुड़गांव नहर प्रणाली को वर्ष 2000 में पूरा कर सही कराया जाना व भरतपुर फीडर व डीग स्केप को जून, 98 तक सही करवाया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-3
(अतारांकित प्रश्न संख्या 232 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

राजस्थान वित्त निगम

गत तीन वर्षों में प्रशासनिक खर्चों का मदवार विवरण (राशि रुपयों में)

	मद	1996-97	1995-96	1994-95
1.	कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय			
	1. वेतन एवं भत्ते	9,76,24,351	8,32,62,370	7,50,63,399
2.	कर्मचारी कल्याण कोष व्यय	1,01,71,970	96,02,864	80,19,520
	कुल योग	10,77,96,321	9,28,65,234	8,31,84,319

परिशिष्ट "ब"

फर्नीचर का विवरण

(राशि रुपयों में)

विवरण (नाम फर्नीचर)	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96	वर्ष 1996-97	31.7.97 को
टेबल	21,280	46,240	—	—
कम्प्यूटर फर्नीचर	—	2,20,988	—	—
कुर्सी	13,090	23,900	20,427	6,14,048
रेक	7,260	7,415	16,458	—
अलमारी	—	33,264	—	—
सोफासैट	7,952	15,904	—	8,000
फोटोस्टेट मशीन	91,679	1,17,454	—	—
कम्प्यूटर	.84,500	27,48,092	5,00,819	31,200
इलेक्ट्रोनिक टाइप मशीन	64,436	1,28,544	—	—
फैक्स मशीन	—	80,000	—	—
टाइप मशीन	91,773	—	—	—
ई. पी. बी. एक्स.	1,50,000	—	2,49,016	—

विवरण (नाम फर्नीचर)	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96	वर्ष 1996-97	31.7.97 को
वाटर कूलर	39,429	—	20785	—
वाटर फिल्टर	15,600	—	—	—
डेजर्ट कूलर	10,200	—	5,936	5,314
ए. सी.	—	1,03,494	2,61,936	—
वूडन पार्टीशन	—	—	8,99,243	—
पंखे	—	—	9,340	—
भूमि	8,06,828	—	—	—
भवन	20,01,926	18,18,273	58,39,975	—

२५५

परिशिष्ट "स"

गत तीन वर्षों में निगम मुख्यालय पर उपलब्ध वाहनों पर हुए खर्चे का वर्षवार ब्यौरा

(राशि रुपयों में)

	वाहन संख्या	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अगस्त, 97 तक)	योग
1.	आर. जे. 14 सी-8546 (एम्बेसेडर ए/सी)	54426.16	58489.62	55985.21	24970.41	193871.40
2.	आर. जे. 14 सी-2271 (एम्बेसेडर कार)	12292.64	54475.03	68976.30	45634.81	181378.78
3.	आर. जे. 14 1सी-9212 (पैट्रोल जिप्सी)	–	287.70	193656.09	59412.51	253356.30
4.	आर. जे. 14 सी-4998 (जीप)	—	—	—	8038.94	8038.94
5.	आर. जे. 14 सी-7192 (जीप)	—	—	27684.73	7054.99	34739.72
6.	आर. जे. 142 सी-1997 (एम्बेसेडर ए/सी)	–	–	18102.56	24735.91	42838.47

वाहन संख्या		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अगस्त, 97 तक)	योग
7.	आर. जे. 142 सी-4947	—	—	6238.10	21552.23	27790.43
8.	आर. जे. 141 सी-6774 (जिप्सी)	—	32677.03	106724.51	59802.08	199203.62
						941217.66

नोट : 1. वाहन संख्या आरजे 142 सी-4947 माह फरवरी, 1997 में खरींदा गया।

2. वाहन संख्या आरजे 142 सी-1997 माह सितम्बर, 1996 में खरीदा गया।

3. वाहन संख्या आरजे 14 सी-4998 अजमेर अंकेक्षण कार्यालय (पश्चिमी जोन) से माह अप्रेल, 1997 में प्राप्त हुआ।

4. वाहन संख्या आरजे 14 सी-7192 भिवाड़ी शाखा कार्यालय से माह अक्टूबर, 1996 को प्राप्त हुआ।

परिशिष्ट-4
(अतारांकित प्रश्न संख्या 233 का विवरण)

(मात्रा मै टनों में)

क्र.सं.	नाम तहसील	जनवरी, 97	फरवरी, 97	मार्च, 97	अप्रैल, 97	मई, 97	जून, 97	जुलाई, 97
1.	होलसेल भण्डार	975	1.000	100.17	850	1000	268	—
2.	के. वी. एस. एस. गंगानगर	550	500	525	700	1450	—	368
3.	के. वी. एस. एस. करणपुर	100	100	100	100	100	30	30
4.	के. वी. एस. एस. पदमपुर	100	100	100	100	—	30	30
5.	रायसिंहनगर	75	100	100	100	—	45	45
6.	अनूपगढ़	200	200	200	250	—	45	45
7.	सूरतगढ़	500	800	800	800	500	145	145
8.	विजयनगर	100	100	100	100	100	45	45
9.	केसरीसिंहपुर	50	50	50	50	50	25	25
10.	गजसिंहपुर	50	50	50	50	50	25	25
11.	सादुल शहर	—	—	—	50	—	45	—
12.	घड़साना	100	100	100	100	—	45	45

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 236 का ब्यौरा)

परिशिष्ट "क"

मद-4703 लघु सिंचाई योजनाएं (टी. ए. डी. प्लान)

भैंसासिंह सिंचाई परियोजना पर कार्यवार खर्च का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि
1.	प्रारम्भिक (Praliminary) कार्य (सर्वे, तखमीना इत्यादि)	1,45,675.00
2.	भूमि अवाप्ति इत्यादि	1,88,190.00
3.	पक्का कार्य	19,14,364.00
4.	हटमेन्ट व स्टोर शेड	16,981.00
5.	मिट्टी का कार्य	46,850.00
6.	विविध कार्य	5,391.00
7.	मरम्मत कार्य	13,899.00
8.	सड़क कार्य	11,614.00
9.	स्पेशल टी. एण्ड पी.	9,86,457.00
10.	सामग्री (सीमेन्ट व स्टील)	8,63,437.00
11.	ड्रिलिंग चार्जेज	98,883.00
12.	डिवाटरिंग	3,65,907.00
13.	कंटीजेन्सीज	55,643.00
14.	कार्य प्रभारी कर्मचारियों के वेतन व भत्ते	5,43,529.00
	योग	52,56,820.00

परिशिष्ट "ख"

भैंसासिंह सिंचाई परियोजना पर वर्षवार खर्चे का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	व्यय (राशि लाखों में)
1.	1978-1979	11,22,411.00
2.	1979-1980	17,66,621.00
3.	1980-1981	6,38,045.00
4.	1981-1982	5,89,627.00
5.	1982-1983	5,37,030.00
6.	1983-1984	1,01,887.00
7.	1984-1985	21,633.00
8.	1985-1986	1,94,722.00
9.	1986-1987	शून्य
10.	1987-1988	शून्य
11.	1988-1989	53,450.00
12.	1989-1990	24,074.00
13.	1990-1991	1,01,224.00
14.	1991-1992	1,06,097.00
	योग	52,56,820.00

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 240 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

Name of Work :-Repairing of Flood Damaged W. W. of Mansarovar.

Details of Expenditure Done

1.	Outing and clearing of Jungle including bushes, shrubs etc. excluding trees over 75mm dia and disposal as directed by Engineer incharge in ordinary Jungle.	7199.75 Sqm.	@ 16/- Per 100 Sqm.	Rs. 1151.96
2.	Excavation for trench and foundation (dry or moist) for masonry work including shoring if necessary and disposal of excavated material with initial lead of 30m. and initial lift of 1.5 M. in hard soil including dressing.	15.85 Qm.	@ 115/- P. 10 Qm.	Rs. 182.27
3.	Providing & laying cement concrete well mixed in C. M. (1:3:6) excluding cost of cement and including curing etc. complete with 30 to 50mm size Aggregate.	3.00 Qm.	@ 259.19 P. Qm.	Rs. 777.45

4.	R. R. stone masonry in C. M. (1:6) for foundation excluding cost of cement and including curing etc. complete for dams, waste weir wing wall with atleast 75% stones being not less than 30X20X20 Cm. in size.	9.49 Qm.	@ 324.44 P. Qm.	Rs. 3078.93
5.	R. R. stone masonry in c.m. (1:6) for super-structure excluding cost of cement and including curing etc. complete for dam waste weir wing wall with atleast 75% stones being not less than 30X20X20 cm. size.			
	(A) Excluding Cost of stone	26.91 Qm.	@ 209.91 P. Qm.	Rs. 5648.67
	(B) Including Cost of stone	110.89 Qm.	@352.44 P. Qm.	Rs.39002.07
6.	Dry boulder filling in required profile including cost of stones with all lifts (23 to 30 cm.)	1409.36 Qm.	@ 152.40. P. Qm.	Rs.214786.46
7.	Supplying of wire crates in required sizes made of hot dipped G. I. wire of required size dia 5mm. & Mesh size 15X15 Cm^2.	434 Sqm.	@ 70.00 P. Sqm.	Rs.30380.00

257

8.	Labour charges for filling the wire crates by stones in specified pocition at site including cost of 5mm. G. I. Wire for bluding & cost of stone with carriage at site.	87.75 Qm.	@160.30 P. Qm.	Rs.14066.32
9.	Laying of 9" thick single stone kharanja hammer dressed on bed of floor excluding cost of cement including curing etc. complete of C. M. (1:6)	30.41 Qm.	@480.67 P. Qm.	Rs.14617.17
10.	Racking out joints and clearing upto 25mm.	983.27 Sqm.	@50.00 P. 10 Sqm.	Rs.4916.35
11.	Flush & ruled pointing in C.M. (1:3) excluding cost of cement and including curing etc. complete.	1038.39 Sqm.	@109.13 P. 10 Sqm.	Rs.11331.95
12.	Cement concrete coping 7.5 cm. thich in C. C. (1:2:4) with aggregate size 10mm. to 20mm. excluding cost of cement.	260.12 Sqm.	@31.85 P. Sqm.	Rs.8284.82
			Total :	Rs. 3,48,304.42
	Add. 53.90% Above			Rs. 1,87,736.08
			G. Total	Rs. 5,36,040.50

२५८

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 242 की सूचना)

प्रपत्र-1

मुआवजा विवरण पत्र

दायीं मुख्य नहर

ग्राम : देहतनपुर

क्र.सं.	नाम काश्तकार	राशि
1.	काली बेवा कालिया, हीरा पिता राता 2/3 मेतिला बिरगालाल वगैरह	30830.80
	ग्राम उचावदा	
2.	नन्दी, किसना देवा पिता खेमा, मोहन पुत्र नन्दा जाति मेहर	36460.00
3.	भैरूलाल सीताराम पि. प्यारा व कानी बेवा प्यारा जाति मेहर	2371.00
4.	घासी, भैरू नन्दा पिता गोपी जमनी बाई गोपी नन्दा, किसन वगैरह	9486.40
5.	मासूम पुत्री निसारत खां, नसरू खां पुत्र नासिर खां भूतल वगैरह	2464.50
	ग्राम चन्द्रपुरा	
6.	देवीलाल कोम गूजर	5229.00
7.	पुरीलाल पिता मोतीलाल	7115.00
	ग्राम घाटोली	
8.	नारायण लाल मांगीलाल पुत्र दूधा 1/2 नन्दलाल नारायण पिता भैरू जाति बारद	13160.00
9.	नन्दू, लच्छी, धापू वगैरह	73920.00
10.	भैरू कालू पुत्र गोपाल जाति गूजर	3080.00
11.	कंवरलाल पुत्र नाथू, मुन्ना वगैरह	11850.00
12.	किशनलाल सज्जन लाल वगैरह	7700.00
13.	श्यामलाल रामेश्वर प्रसाद पिता फूलचन्द जाति महाजन	53900.00
14.	जगन्नाथ नन्दलाल पुत्र लक्ष्मण जाति सुनार	3080.00
15.	श्यामलाल रामेश्वर प्रसाद पिता फूलचन्द, रामलाल पुत्र घासी वगैरह	33880.00
		294536.70

क्र.सं.	नाम काश्तकार	राशि
बायीं मुख्य नहर		
	ग्राम आमेठा	
16.	भैरूलाल बापूलाल/पाना बाई धापू बाई दवी बाई गुलाब बाई पुत्रिया कम्तू	5000.00
17.	मोत्या बेवा कालू कोम भील साकिन हि.	31000.00
18.	बीरमा दुर्गा लाल राम प्रसाद ना. बा. पिता लाल्या मू. पत्नी बाई बेवा लाल्या कोम चमार साकिन सम्भाग ना. बा. बलि माता खुर्द	5000.00
19.	मंगला/ ओंकार भील सा. नरसिंहपुरा	15000.00
	ग्राम छबड़िया	
20.	देव्या आ पेमा भील सा. नरसिंहपुरा गजरा अमेठा गैर बार्वे	13000.00
21.	देव्या आ पेमा भील सा. नरसिंहपुरा गजरा अमेठा गैर बार्वे	19000.00
		382526.70

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 248 की प्रति)

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ 15( )ग्राविप/पुर्नसीमा/91/687 जयपुर, दिनांक 15.3.91

अधिसूचना

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 धारा 7 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से पंचायत समिति बामनवास जिला सवाईमाधोपुर का मुख्यालय बामनवास से पिपलाई मोड धर्मशाला में स्थानान्तरित करती है।

आज्ञा से

एसडी/-

(जे. एन. कल्ला)

शासन उप सचिव (विधि)

राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ़ 13(54) विधि/रिट/ग्राविप/97/1228-31 जयपुर, दिनांक 5.3.97

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ. 15 ( )ग्राविप/पुर्नसीमा/91/687 दिनांक 15.3.91 द्वारा पंचायत् समिति बामनवास (सवाईमाधोपुर) का मुख्यालय बामनवास से पिपलाई मोड़ धर्मशाला में स्थानान्तरित किया गया था। तत्पश्चात् इस अधिसूचना के विरुद्ध एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 1973/91 उनवानी गोविन्द नारायण मीणा बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रस्तुत हुई जो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.5.92 द्वारा खारिज कर दी। इस निर्णय के परिप्रेक्ष में राज्य सरकार पंचायत समिति, बामनवास (सवाईमाधोपुर) का मुख्यालय पूर्व आदेश दिनांक 15.3.91 के अनुरूप पिपलाई मोड़ धर्मशाला ही रखने के आदेश प्रदान करती है।

एसडी/-

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक,

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 250 की सूची)

जिला झालावाड़ की पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अधिकारी/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	विवरण
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1	1	—	—
2.	सहायक अभियन्ता, सी.डी.	1	1	—	—
3.	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधि.	1	1	—	—
4.	लेखाधिकारी	1	1	—	—
5.	विकास अधिकारी	6	6	—	—
6.	कनिष्ठ अभियन्ता	6	4	2	बकानी, 1 खानपुर, 1
7.	लेखाकार	1	—	1	कनिष्ठ लेखाकार कार्यरत
8.	कनिष्ठ लेखाकार	12	9	3	बकानी, 1 सुनेल, 1 डग, 1
9.	सहकार प्रसार अधिकारी	6	2	4	सुनेल, 1 म.थाना, 1 डग, 1 खानपुर, 1
10.	प्रगति प्रसार अधिकारी	6	5	1	बकानी, 1
11.	पंचायत प्रसार अधिकारी	8	7	1	म. थाना, 1
12.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	17	6	11	पाटन, 1 खानपुर, 1 बकानी, 2 सुनेल, 2 डग, 3 म. थाना, 2
13.	स्टेनो	1	1	-	-
14.	संगणक	1	-	1	जिला प. 1
15.	वरिष्ठ लिपिक	24	23	1	डग 1
16.	कनिष्ठ लिपिक	19	9	10	पाटन 1

१५७

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	विवरण
	(सभी पंचायत समिति में कलि. का एक-एक पद अस्थायी)				डग, 1 सुनेल, 2 बकानी, 2 खानपुर, 2 म. थाना, 2
17.	वाहन चालक	8	2	6	जि.प., 1 सुनेल, 1 डग, 1 म. थाना, 1 बकानी, 1 पाटन, 1
18.	ग्राम सेवक	131	110	21	पाटन, 6 खानपुर, 4 सुनेल, 6 बकानी, 1 म. थाना, 2 डग, 2
19.	अध्यापक/अध्यापिका	2354	2159	195	पाटन, 13
	(134 अध्यापकों की चयन सूची जारी की जा चुकी है जोइनिंग रिपोर्ट आना शेष है)				खानपुर, 3 म. थाना, 32 बकानी, 26 सुनेल, 20 डग, 101
20.	हैण्ड पम्प फिटर	3	2	1	सुनेल, 1
21.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	38	33	5	पाटन, 2 बकानी, 2 सुनेल, 1
22.	हैण्ड पम्प मिस्त्री	105	104	1	म. थाना, 1

ह/-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड़

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 251 का विवरण)

परिशिष्ट-1

चैसिस क्रय के आदेश के विरुद्ध प्राप्त चैसिसों का विवरण

वर्ष	क्रय आदेश जारी किये गये का विवरण			प्राप्त चैसिसों का विवरण		
	टाटा	लिलैण्ड	योग	टाटा	लिलैण्ड	योग
1994-95	225	550	775	271	536	807
1995-96	197	091	288	197	110	307
1996-97	300	300	600	133	258	391
योग : —	722	941	1663	601	904	1505

परिशिष्ट-2

गत तीन वर्षों में विभिन्न बॉडी बिल्डर को आवंटित चैसिस का विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	आवंटित चैसिसों की संख्या		
		1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स महेन्द्रा ऑटो बोडी बिल्डर्स, जयपुर	226	50	97
2.	एशिया बोडी बिल्डर, जयपुर	72	23	53
3.	आटो बोडी सेन्टर, जयपुर	23	2	-
4.	आमेरिया ब्रदर्स, जयपुर	34	4	5
5.	हरिनारायण एण्ड सन्स, जयपुर	64	44	–
6.	राजस्थान बोडी बिल्डर्स, जयपुर	47	12	20
7.	स्टार कोच इन्टरप्राइजेज, जयपुर	39	9	10
8.	विश्वकर्मा बोडी सेन्टर, जयपुर	38	3	-
9.	भारत मेटल, जयपुर	23	26	5
10.	हरिश एण्ड., मेरठ	44	27	23

1	2	3	4	5
11.	वीनस इण्डस्ट्रीज, मेरठ	29	2	-
12.	राजवंश इण्डस्ट्रीज, मेरठ	11	3	-
13.	हरियाणा कोच, रोहतक	37	-	19
14.	अमर कोच, जालन्धर	22	20	22
15.	भारत इंजीनियरिंग, पठानकोट	23	14	25
16.	सतलज मोटर्स, जालन्धर	5	12	-
17.	गुलाबचन्द जगदीश नारायण, जयपुर	12	-	-
18.	बत्रा कोच, अम्बाला	36	15	32
19.	देहली ऑटोमोबाइल, फरीदाबाद	1	–	–
20.	एम एण्ड एम, जयपुर	3	–	–
21.	साबू आटो बोडी, जयपुर	3	–	–
22.	नवीन ऑटोमोबाइल्स, बहादुरगढ़	1	4	–
23.	मैसर्स श्याम कोच इंजीनियर्स, जयपुर	3	2	–
24.	अम्बाला कोच, अम्बाला	8	-	-
25.	परफेक्ट मैकेनिकल, देहली	3	2	7
26.	भारत इंजीनियरिंग, जमशेदपुर	–	11	–
27.	न्यू मोडल, जालन्धर	–	1	–
28.	जयको, बैंगलोर	–	18	–
29.	रूबी कोच, मुम्बई	–	2	20
30.	श्याम कोच बिल्डर्स, जयपुर	–	1	–
31.	सुन्दरम इण्डस्ट्रीज, मदुरैई	–	–	2
32.	सोतासिंह एण्ड सन्स, फरीदाबाद	–	–	31
33.	आजाद बोडी, जयपुर	–	–	20
	योग :—	807	307	391

परिशिष्ट-11

(विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

मूंडिया ग्राम, पंचायत समिति नगर, भरतपुर में पेयजल संकट

महोदय,

ग्राम-मूंडिया (पंचायत समिति-नगर– भरतपुर) में जल संकट है। सरकार द्वारा ग्राम में एक बोरिंग एक पाइप लाइन डलवाना प्रस्तावित है। मूंडिया में दो जी.एल.आर. लम्बे समय से बने हुए हैं एक बूंद पानी उनमें आज दिनांक तक नहीं पहुंचा है। मूंडिया ग्राम के पानी के अन्दर 90% फ्लोराइड है जिसके कारण गांव के अधिकांश लोग असाध्य बीमारियों से पीड़ित होते जा रहे हैं, हर वर्ष सरकार के ध्यान में लाया जाता है लेकिन पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है ऐसी स्थिति में मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि तुरन्त प्रभाव से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर ग्रामीणों को जल संकट से दूर करने में सहभागी बनें।

(गोपीचन्द गुर्जर)

बीलवा पंचायत सांगानेर के क्षेत्रों के हैण्ड पम्पों में खारा पानी

महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर की पंचायत बीलवा, पंचायत समिति सांगानेर के आसपास के इलाके मथुरावाला, विधानी आदि में हैण्ड पम्प में खारा पानी आ रहा है जिसे इंसान तो क्या जानवर भी नहीं पी सकते।

अतः कृपया इस इलाके में किसी अन्यत्र स्थान से पानी लाया जाकर तथा टंकियां बनाकर पेयजल की व्यवस्था करने से ही इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

सादर।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

लूणकरणसर क्षेत्र की राजस्व समस्याएं

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया का एवं कार्यवाही संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में राजस्व विभाग सम्बन्धी निम्न समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृषित कर रहा हूं :—

"इस विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में हजारों बीघा बारानी भूमि कृषि कार्यों के आबंटन हेतु उपलब्ध है। इस क्षेत्र की बारानी भूमि का आबंटन लम्बे अर्से से बंद किया हुआ है। जो कि लूणकरणसर तहसील का री-सर्वे एवं री-सेटलमेंट में भयंकर गलतियों के कारण कृषि भूमि का रिकार्ड सही नहीं था। सैकड़ों काश्तकारों की खातेदारी भूमि आराजीराज दर्ज कर दी गई थी। क्योंकि सेटलमेंट के दौरान किसान अकाल के कारण मौके पर मौजूद नहीं थे। इस कारण से आबंटन कार्य स्थगित करना पड़ा था। तब से लेकर आज तक लूणकरणसर व बीकानेर राजस्व तहसीलों की राजकीय कृषि योग्य भूमि काफी तादाद में उपलब्ध है। जो उसी गांव के भूमिहीन काश्तकारों को आबंटित की जा सकती है। वर्तमान में इन तहसीलों में हजारों पढ़े लिखे व अर्द्ध शिक्षित नौजवान बेरोजगार हैं जिन्हें अपने गांवों में राजकीय कृषि भूमियों को आबंटित करके रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। ऐसे गांवों में प्रमुख गांव हैं राजासर भाटियान, महादेवाली सादोलाई, गोरीसर व बीकानेर राजस्व तहसील में गांव अमरपुरा व कालासर, करणासर, भाटियाल हैं।

इसी प्रकार इस विधान सभा क्षेत्र की लूणकरणसर व बीकानेर राजस्व तहसीलों के काफी गांव डी कोलोनाइज किये गये थे। इन दोनों तहसीलों में उपनिवेशन विभाग की ओर से अस्थायी पट्टे पर बारानी कृषि भूमि एक साला पट्टे हजार पर आबंटित होती थी, ऐसी भूमि के काश्तकारों को डी कोलोनाइज होने के बाद से अब तक खातेदारी हक प्रदान नहीं किये गये हैं। इन गांवों के हजारों काश्तकार उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी हक देना चाहते हैं। जो उन्हें लगातार 10 साला कब्जे के आधार पर दिया जाना कानून सम्वत है। लेकिन वर्तमान में इन काश्तकारों की इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। रूबरू प्रशासन शिविरों के दौरान काश्तकारों ने ऐसी अस्थायी पट्टा भूमि पर खातेदारी हक लेने हेतु आवेदन भी किये गये लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। लूणकरणसर तहसील के गांव मल्कीसर छोटा व बड़ा, कपूरीसर, पीपेरा, हरियासर, फूलदेसर, काकड़वाला, देलाना छोटा व बड़ा तथा बीकानेर तहसील के करमीसर, शिववाड़ी, उदासर, बीछवाल, कानासर, शोभासर, कांवनी, जोधासर, रामसर, छोटा, भानीपुरा, सुरासर, भणावन्ता वाला आदि गाँवों के काश्तकारों की समस्या है जिसका समाधान शीघ्र किया जाये।

इसी प्रकार सैकड़ों पत्रावलियां विशेष आबंटन की जिनमें काश्तकारों को सक्षम करार दिया जा चुका था एवं इसी दौरान उपनिवेशन तहसीलों के समाप्ति के बाद से फाइल्स

पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जिनके सम्बन्ध में आबंटन आदेश प्रसारित करने हैं। राज्य सरकार ऐसी पेंडिंग पत्रावलियों पर जो फैसले किये गये हैं उन पर आबंटन आदेश प्रसारित करने के निर्देश दें ताकि काश्तकारों को राहत मिल सकें।"

अतः इस विशेष उल्लेख के माध्यम से राजस्व सम्बन्धी उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकृर्षित करता हूं।

(भीमसेन चौधरी)

खण्डार विधान सभा क्षेत्र के धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों को सड़क से जोड़ना

महोदय

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र खण्डार के धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों को जिनकीं दूरी 3 किलोमीटर से कम है, उनको पक्की सड़क से जोड़ने के लिए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि ऐसे स्थान जैसे (1) केमला वाला बाबा को ग्राम ऐंचेर से (2) कुण्ड भगवतगढ़ को भगवतगढ़ से (3) नया गांव जैसापुरा के हनुमान जी को टोंक राड़ से (4) सीताम्माता को कुस्तला रेलवे स्टेशन से (5) पीर बाबा को रवाजना डूंगर से (6) पांचोलास बाग को ग्राम पांचोलास से (7) वनसण्डी हनुमान जी को ग्राम फलौदी व आमली रेलवे स्टेशन से (8) घाटका को ग्राम बाजोली से (9) झोझेश्वर महोदव को ग्राम लक्ष्मीपुरा से (10) अमरेश्वर महादेव को रणथम्भौर रोड़ से (11) बानीपुरा हनुमान जी को बालेर रोड से (12) कुली के भैरुजी को ग्राम बर्सो कंला से (13) कुड़ाना के हनुमान जी को बहरावण्डा कलां से (14) चामुण्डा देवी को बालेर से जोड़ने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

(हरिनारायण बैरवा)

सम्पर्क सड़क बम्बूली से गम्भीरी हिस्से का निर्माण

महोदय,

कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी द्वारा बम्बूली से गम्भीरी तक की दूरी तीन किलोमीटर है। किन्तु स्वीकृति मात्र डेढ़ किलोमीटर की जारी हो जाने से सड़क का कार्य बम्बूली से गम्भीरी की तरफ मात्र एक किलोमीटर पांच सौ मीटर तक ही हो पाया है। यह सड़क गम्भीरी ग्राम तक नहीं बनने से उपयोग में नहीं आ रही है। आगे डेढ़ किलोमीटर निर्माण की स्वीकृति जारी की जाकर, सड़क कार्य बम्बूली से गम्भीरी गांव तक करवाया जाना जनहित में हैं। मिसिंग लिंक का कार्य करवाया जाने के लिये अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कोटा प्रथम द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी को पत्रांक 2565 दिनांक 1.7.95 के जरिये लिख दिया गया है। बम्बूली एवं गम्भीरी के मध्य स्थित अरन्या ग्राम तक भी उक्त सड़क निर्मित नहीं हो सकी हैं। जिस निर्जन स्थान तक सड़क निर्माण कार्य करवाया गया है उससे मात्र एक किलोमीटर दूरी पर ग्राम अरन्या है। ग्राम अरन्या तक सड़क निर्मित की जाने पर ही सड़क का उपयोग हो सकेगा। उक्त सड़क के शेष रहे हिस्से के कार्य को करवाया जाने के लिये प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा भी सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी को पत्रांक 1084 दिनांक 1.8.95 से अनुरोध किया जा चुका हैं। शेष सड़क कार्य प्राथमिक पाठशाला अरन्या होकर ग्राम अरन्या तक करवाया जाना जनहित में होगा।

अतः उक्त सम्पर्क सड़क बम्बूली से गम्भीरी की लम्बाई बढ़ाई जाकर मीसिंग लिंक के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाकर ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाई जावें। सड़क कार्य के लिय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 15(10) कृषि/2नी/90/बून्दी दिनांक 3.5.92 में संशोधन किया जाकर आदेश के क्रमांक 3 पंचायत समिति नैनवां की स्वीकृत सड़क क्रम सं. 1 पर अंकित सम्पर्क सड़क बम्बूली से गम्भीरी की लम्बाई 1.50 किलोमीटर के स्थान पर तीन किलोमीटर संशोधित की जाये ताकि शेष रहे हिस्से का कार्य भी करवाया जा सकें।

(रामनारायण मीणा)

जयपुर की धन्नालाल की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति का अवसायन

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव निम्न प्रकार से हैं : —

(1) जयपुर नगर में धन्नालाल की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति कच्ची बस्ती वालों की समिति थी जिनको सन् 1980 के आस-पास भूखण्ड आबंटित कर दिये गये थे और समिति का लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण इसका अवसायन होना था। परन्तु वि. सहकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त समिति को सहवरण के आधार पर एक व्यापारी परिवार ने खरीद लिया, और इससे बहुत व्यापारिक लाभ अर्जित किया। अन्त में उपरोक्त समिति की अनेक अनियमितताओं के कारण इस पर अवसायक-लिक्विडेटर-बैठा दिया गया। परन्तु मंत्री तक उक्त समिति का अवसायन नहीं किया गया है। ऐसा मालूम हुआ है कि अवसायक उपरोक्त व्यापारी परिवार के प्रभाव में आकर समिति का अवसायन नहीं कर रहा है।

(2) अतएव इस गम्भीर प्रकरण की ओर माननीय सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कर पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि धन्नालाल की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति का अवसायन शीघ्रातिशीघ्र किया जाये। ऐसी फर्जी समितियों के चालू रहने से असामाजिक तत्व अनुचित लाभ अर्जित करते हैं और सहकारी विभाग की और बदनामी होती है।

आशा है सहकारिता मंत्री महोदय इस ओर समुचित ध्यान देकर त्वरित कार्यवाही करायेंगे।

(डा. मूलसिंह शेखावत)

मकराना में खान विभाग द्वारा तैयार सड़क में अनियमितता

महोदय,

मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मकराना में माइनिंग विभाग द्वारा स्वीकृत सड़क को राजस्थान पुल निगम द्वारा निर्मित सड़क में भारी अनियमितताओं के बारे में सरकार तथा माननीय खान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(1) औद्योगिक क्षेत्र मकराना में गुणावती चौराया से गुणावती तथा बोरावड़ बाई पास से बोरावड रोड़ तक 2 कि.मी. जोधपुर वाले पत्थरों (कातलों) की सड़क राजस्थान पुल निगम द्वारा बनवाई गई है जिस पर 58.60 लाख रुपये व्यय हुआ है। इतने रुपये व्यय करने के बाद भी सड़क आवागमन लायक नहीं बनी है निर्माण कार्य में सामग्री घटिया तथा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार काम में नहीं ली गई यदि इतने रुपये में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग सड़क बनाता तो कई किलोमीटर डामर सड़क बन सकती थी।

(2) सड़क बिना साइज के कातलों से ऊबड़ खाबड़ बनी है व सड़क का निर्माण लेवलिंग से नहीं किया गया है जिनके कारण इस पर मार्बल का भरा ट्रक तो क्या खाली वाहन ट्रक, मोटर साइकिल, कार, पशु वाहनों का चलना कठिन काम है। सड़क का बाईपास होने के कारण मजबूरन गुजरना पड़ता है, निर्माण कार्य नोर्म्स के अनुसार न करवाकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है।

(3) निर्मित सड़क में जोधपुरी कातलों से अच्छी किस्म के कातले खादू (नागौर) से भी लाये जा सकते थे जो कि मकराना से 40 कि.मी. दूरी पर है। इससे स्पष्ट है कि अधिकारियों ने अपने स्वार्थ हित में सरकारी धन की बर्बादी की है। सबसे अच्छा तो यह होता कि स्थानीय बाजार में उपलब्ध मार्बल के खण्डे जिनकी कीमत जोधपुर वाले कातलों से 1/4 ही लगती जिनका उपयोग उक्त सड़क निर्माण में किया जा सकता था।

(4) उक्त निर्माण कार्य की जांच बाबत श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर एवं सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को निवेदन किया जा चुका है परन्तु अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य की जांच एक उच्च स्तरीय तकनीकी कमेटी गठित कर करवाई जावें तथा दोषियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करवाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो सकें।

(रूपाराम)

भीलवाड़ा स्थित मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के बंद होने से उत्पन्न स्थिति

महोदय,

1938 से स्थापित भीलवाड़ा मेवाड़ टैक्सटाइल मिल बंद होने से तत्काल लोक महत्व एवं गंभीरदायक समस्या, श्रमिकों के धरने एवं हजारों परिवारों की रोजी-रोटी एवं जीवन का प्रश्न होने से इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल बंद होने से हजारों श्रमिकों को भुखमरी तथा बेरोजगारी से प्रभावित होने पर धरने पर बैठे हैं। इन कारणों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान निम्न तत्वों एवं हालातों पर आकर्षित कर तत्काल ही गंभीर समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है।

भीलवाड़ा स्थित मेवाड़ टैक्सटाइल मिल 1938 से स्थापित होकर हजारों श्रमिकों के रोटी-रोजी का प्रश्न समाधान कर देश एवं प्रदेश में अपनी महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुए हैं। मगर पहले सेठ एवं बाद में भारत सरकार के निर्माणाधीन एवं वर्तमान में राज्य सरकार के निर्माणाधीन संचालित रहा। पूरे 1938 से 1997 के संचालन की पृष्ठभूमि की समीक्षा की जाये तो स्पष्ट है कि सेठ द्वारा संचालन में बदनीयती तथा अव्यवस्था से यह मिल घाटे में चली तब तत्कालीन प्रदेश के भूतपूर्व श्रमिक नेता सांसद एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री रमेशचन्द व्यास के पृथक प्रयासों से चला और भारत सरकार से लाभ की स्थिति में चलता रहा मगर सेठ को इस मिल से अपने स्वार्थ पूरे करने के आते सपनों ने पुनः उसके निजी हाथों में प्रबन्ध येन-केन प्रकारेण प्रयास कर प्राप्त कर लिया तभी से यह फिर घाटे की ओर बढ़ने लगा और फिर प्रबन्ध राज्य सरकार के हाथों में लिया परिणामतः कई वर्षों तक ठीक चला मगर भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के पदस्थापन बार-बार बदलने और व्यावसायिक तथा संचालन के अनुभव नहीं होने और लापरवाही और अकुशलता से तथा क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं करने, घटिया क्वालिटी की रूई खरीदने उत्पादन में घटिया स्तर और समय पर अनावश्यक विलम्ब का भुगतान नहीं करने से इसकी साख प्रतिष्ठा के गिरावट के कारण भारत सरकार के उपक्रम बी.आई. एवं आर. ने पिछले माह बंद करने के आदेश देकर हजारों परिवारों के सामने जीवनयापन का संकट ला खड़ा कर दिया जो सड़कों पर भुखमरी के शिकार होकर धरना दिये, जिला कलक्टर के सामने बैठे हैं।

राज्य सरकार विशेषज्ञों जैसे वित्त एवं उद्योग के द्वारा पूर्ण समीक्षा करा ले यह मिल घाटे में नहीं बल्कि मनमाने ढंग से राशि का हुई योग क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं करना समय पर भुगतान नहीं करना, घटिया रूई का प्रयोग एवं गिरते स्तर का उत्पादन ने देश में प्रसिद्ध यहां का धागा और कपड़ा, हौजरी की पैठ-प्रतिष्ठा को आघात लगाकर बीमार प्रबन्ध व्यवस्था ने इसको बीमार उद्योग की स्थिति में बदल दिया, जबकि स्थिति कुशल प्रबन्ध एवं 7-8 करोड़ की पूंजी की अतिरिक्त प्रबन्ध में इसे तथा सहकारी समिति की भागीदारी के साथ पुनः यह मिल श्रमिकों की क्षमता एवं उत्पादन से घाटे से उबरने की स्थिति में आना संभव स्पष्टत है।

272

ज्ञातव्य है कि मजदूरों का 47 प्रतिशत शेयर होने पर उनकी क्या भागीदारी संचालन में रखी जाती है। यह एक गंभीर प्रश्न है। जिसको नजरअंदाज करना बढ़ते घाटे में सहायक कहां है। विडम्बना है कि आई.एफ.आर. के द्वारा 8000 बंद मिल करना एक प्रख्यात प्रतिष्ठा प्रांत उद्योग की संचालनीय कुव्यवस्था सुधारने के बजाय मिल बंद करने की आत्मघाती आदेश की अपील प्राधिकरण में अपील चल रही है। राज्य सरकार ने भी मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में गत 6 सितम्बर, 97 को बैठक कर इस समस्या पर विचार किया कुछ मौलिक सुझाव भी आये चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि मिल घाटे में नहीं है। मगर प्रबन्धकीय कुव्यवस्था तथा कुशल एवं अनुभवी संचालन के अभाव में यह मिल घाटे में ले जायी गयी है जबकि वस्तुतः घाटे में यह उद्योग चल सकने की स्थिति में नहीं है। बैठक 6 सितम्बर की कार्यवाही निर्णय अभी सामने नहीं है मगर सकारात्मक निर्णय संभव हो सकता है। ऐसी आशा और अपेक्षाएं की जा रही है कि सन् 1994-95 में नये प्रबन्ध निदेशक के आने के बाद पिछले रूई खरीद के व्यापारियों को भुगतान नहीं होने से रूई की कार्यवाही फंड के होने के बाद भी नहीं होना घाटे का उत्पादन प्रभावित होने से मुख्य कारण रहे हैं।

पिछले 10 वर्षों में सबसे कम उत्पादन 1994-95 में किया गया उससे 9 करोड़ 32 लाख का नुकसान हुआ जबकि श्रमिकों की क्षमता ज्यादा उत्पादन की थी जबकि उन्हीं श्रमिकों से 95-96, 96-97 में ज्यादा उत्पादन लगभग ड्योढ़ा हुआ था इससे यह स्पष्ट है कि अकुशल प्रबन्ध व्यवस्था का कारण घाटा रहा है और यही वर्ष सबसे ज्यादा घाटे का रहा।

नये आये प्रबन्ध निदेशक का व्यापारिक व्यवहार ठीक नहीं वहां यहां तक कि गुजरात के रूई व्यापारियों का 35 लाख रुपया भुगतान आज भी बकाया है जबकि वित्तीय स्थिति भुगतान में बाधक नहीं थी।

यही स्थिति होजरी यूनिट की रही जहां उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं किया गया।

इस मिल की क्वांलिटी सूत की उत्पादन गिरावट एवं हौजरी स्टाक 9 करोड़ का हमेशा रुका स्टॉक गलत विक्रय नीति के कारण घाटे का एक मुख्य कारण रहा है।

1995-96 में 30 लाख का घाटा उत्पादन बढ़ाकर 9 करोड़ 32 लाख से कम किया जाना श्रमिकों की क्षमता का पूरा उपयोग तथा प्रबन्ध व्यवस्था में थोड़ा सुधार का परिणाम है।

दिसम्बर, 95 से जुलाई, 96 तक नुकसान नहीं था मगर मेनेजमेंट बदलते ही आगे 6 माह में 90 लाख का घाटा प्रशासन एवं संचालन की कुव्यवस्था का परिणाम है। मिल बेचने का बी. आई. एफ. आर., द्वारा चर्चाएं व्याप्त होने से रूई देने में व्यापारियों का उत्साह नहीं रहा और उत्पादन का माल उपर्युक्त अधिकारी एवं विक्रय व्यवस्था नीति के कारण घाटा रहा।

इसी तरह 1997 में कच्चे माल की कमी ने उत्पादन को प्रभावित किया तथा मैनेजमेंट में कन्ट्रोलर एवं प्रबन्ध निदेशक के बीच तालमेल नहीं होना एवं प्रबन्ध व्यवस्था में पर्याप्त समय नहीं देना। जनरल मैनेजर तकनीक का नहीं होना, खरीद बिक्री की सुसंगत नीति का अभाव तथा 1 करोड़ 10 लाख का हौजरी स्टॉक शेष रहना, बी. आई. एफ. आर. द्वारा 22.4.97 को बंद करने के आदेश के बाद कच्चे माल की कमी से घाटा बढ़ा है। उद्योग घाटे में नहीं श्रमिकों की क्षमता की कमी नहीं मगर कुशल प्रबन्ध के अभाव ने इस प्रसिद्ध उद्योग को घाटे में ढकेला है। यह उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के दल द्वारा जांच से सुस्पष्ट परिणाम सामने आ सकता है। जिसकी भी अपेक्षा की जाना उचित है।

1994-95 में जयपुर स्पिनिंग से 18 लाख की मशीनें खरीद कर मेनेजमेंट ने 3 लाख में विक्रय कर दी। यह अनुभव, अकुशलता तथा घाटे के कारण का एक नमूना है। समय पर भुगतान नहीं करना, प्रबन्धीय अकुशलता का कारण है मशीनों का संधारण मेंटीनेंस साफ-सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं करना उत्पादन में गिरावट का कारण है।

7-8 करोड़ रुपये इसमें तथा 50 लाख हौजरी मशीनों में लगाना 5 करोड़ का कार्य मिल पूंजी का प्रबन्ध तथा मिल के मजदूर जिनका शेयर 47 लाख रुपये है उनको तथा सहकारी समिति मिल की है उनकी भागीदारी संचालन में की जा सकती है तथा सरकार की गारन्टी राशि बढ़ाई जा सकती है तथा करोड़ों के मूल्य की शहर के बीच जमीन है उसको देखते हुए मूल्यांकन घाटे का नहीं बल्कि भूमि का मूल्य ही 40 करोड़ का है उसको देखते हुए राज्य सरकार पूंजी विनियोजन कराकर गारन्टी देकर इस उद्योग को बंद नहीं अपितु श्रमिकों की भागीदारी कुशल प्रबन्ध व्यवस्था अनुभवी अधिकारियों का पदस्थापन, फिजूलखर्ची रोककर क्रय-विक्रय की स्पष्ट नीति समय पर समीक्षा तथा वित्तीय एवं औद्योगिक विशेषज्ञों की परामर्श आदि के आधार पर इस उद्योग को बंद नहीं मगर पारदर्शिता से संचालन कर हजारों परिवारों का जीवन संकट समाप्त कर इस उद्योग की पुरानी प्रतिष्ठा पहचान वापस पुनः कायम कर राज्य सरकार व्याप्त जन असंतोष दूर कर अमन चैन कानून व्यवस्था कायम करे साथ ही भीलवाड़ा का प्रदेश में यह प्रमुख मिल अब तक अनेक मिलों के बंद होने से बदत्तर स्थिति का होने से बीमार संचालन व्यवस्था के कारण बीमार उद्योग नहीं होते हुए बनाने में अदूरदर्शिता एवं अविवेकता के कुप्रबन्ध को देखकर संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार कर अतिरिक्त विनियोजन व्यवस्था कर इस उद्योग का संचालन किया जाय।

(रतनलाल ताम्बी)

(274)

माफी मन्दिर की भूमि का अवैध बेचान व स्थानान्तरण

महोदय,

राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग परिपत्र क्रमांक प. 2(4)राज/4/90/37 दिनांक 13.12.91 की पालना 31.1.92 एक न होने से देवमूर्ति की भूमि का अवैध बेचान व अवैध हस्तान्तरण राजस्व अधिकारियों की सांठ-गांठ से धड़ल्ले से हो रहा है।

देवमूर्ति एक शास्वत अवयस्क है तथा देवमूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। सही स्थिति यह है कि पुजारी का शिवायत का नाम जमाबन्दी में अंकित नहीं होना चाहिये। जमाबन्दी में ऐसे इन्द्राजों का गत वर्षों काफी दुरुपयोग किया गया है। देवमूर्ति की भूमि की खातेदारी कई पुजारियों ने अवैध रूप से अपने नाम दर्ज करा ली तथा पुजारियों द्वारा राज्य में हजारों अवैध स्थानान्तरण/बेचान हुये हैं।

राजधानी के निकट जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम रामसिंह पुरा में माफी मन्दिर श्री जगदीश जी वाके आमेर वर्तमान खसरा नम्बर 122, 124 व 125 व 126 हैं जिसमें माफी मन्दिर श्री राधाकुन्दजी के नाम थी। इसका गलत इन्द्राज एकीकरण में नानगा वल्द रामला मीना के नाम अंकित कर दी गयी। नानगा की मृत्यु होने के बाद श्रीया पुत्र नानगा के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोल दिया। श्रीया की मृत्यु होने पर तहसीलदार बस्सी ने स्वयं ने विरासत का नामान्तरकण खोल दिया जबकि विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के समक्ष पेश होना चाहिये था। ग्राम पंचायत माफी मन्दिर की भूमि का अवैध स्थानान्तरण के खिलाफ थी इसलिये तहसीलदार बस्सी ने विरासत का नामान्तरकरण खोल कर इस भूमि का अवैध बेचान के विक्रय पत्र का गलत पंजीयन भी दिनांक 21.7.97 को कर दिया। इस भूमि की कीमत बाजार भाव के अनुसार 25 लाख रुपये से कम नहीं है। लेकिन माफी मन्दिर की भूमि को कोढ़ियों के भाव खरीद ली गयी।

तहसीलदार बस्सी यह जानते हुये कि माफी मन्दिर की भूमि का बेचान नहीं हो सकता इसलिये उन्होंने जमाबन्दी में दुरुस्ती न कर अवैध बेचान में निहित स्वार्थ की पूर्ति कर ग्राम अप्रेटा, रूपपुरा, गुढ़ा, आदि ग्राम के माफी मन्दिर की भूमि के अवैध बेचान के विक्रय पत्र को पंजीकृत कर दिया।

इस प्रकार अवयस्क देवमूर्ति का माफी मन्दिरों की भूमि का इन दिनों से धड़ल्ले से क्रम विक्रय हो रहा है और तहसीलदार/उप पंजीयक इस अवैध बेचान के विक्रय पत्र को निहित

स्वार्थ की पूर्ति कर पंजीकृत किये हैं जिससे जनता में आम धारणा पैदा हो गयी है कि राम के नाम पर सत्ता में पदासीन सरकार राम की सम्पत्ति की सुरक्षा करने में असफल ही नहीं रही बल्कि राम की सम्पत्ति लूट रही है लूटा रही है।

मैं इस विषय को सदन की जानकारी में विशेष उल्लेख के जरिये लाना चाहता हूं कृपया अनुमति प्रदान करें।

(शैलेन्द्र जोशी)

गंगरार के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का सृजन

महोदय,

उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति गंगरार में शिक्षा का स्तर काफी नीचे हैं। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंचायत राज विभाग ने पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। लेकिन विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों के पंद स्वीकृत नहीं हैं। अतः शिक्षण कार्य में काफी परेशानी आती हैं। समय-समय पर मैंने पंचायत राज मंत्री महोदय एवं निदेशक, पंचायत राज विकास विभाग से निवेदन किया है कि पंचायत समिति गंगरार में 44 अध्यापकों के पद सृजित कराने का कष्ट करावें।

(अर्जुनलाल जीनगर)

चार दरवाजा स्थित पार्कों में अतिक्रमण

महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के शहरी भाग स्थित चार दरवाजा में चार पार्क हैं। दुर्भाग्य की बात है कि एक पार्क में पूरा कबाड़खाना, दूसरे में तम्बूओं का अतिक्रमण तीसरे और चौथे पार्क की स्थिति भी अत्यन्त दयनीय है। यदि इन लम्बे चौड़े पार्कों से अतिक्रमण हटा दिया जाय तथा वृक्षादि लग जावे तो यह स्थान इस क्षेत्र के निवासियों के लिये स्वच्छता की उपलब्धि के स्थान बन सकते हैं। उक्त पार्कों की चार दीवारी तोड़ कर लोग अन्दर घुसे हैं। मैंने विभाग को पत्र भी लिखे हैं और जनता की इच्छा व आवश्यकतानुसार चारों पार्कों से जो भी हैं अतिक्रमण हटाये जाने का प्रयास किया है, किन्तु अतिक्रमण नहीं हटे अपितु दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। अतः उक्त पार्कों को सही करके वृक्षावलियों के लगाये जाने की आवश्यकता के अभाव में जनता में व्याप्त आक्रोश व उद्वेलन की स्थिति जन महत्व के इस प्रश्न पर मुझे दिनांक 12.9.97 को बोलने का अवसर प्रदान करें।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अवैध हिरासत के विरुद्ध कार्यवाही

महोदय,

पुलिस थाना लाखेरी द्वारा जानबुझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से नाजायज परेशान करने एवं हस्ब बेजा में बन्द रखने के उद्देश्य से दिनांक 8.4.96 को प्रातः 9 बजे श्री जयकिशन मीणा आत्मज रामचन्द्र निवासी लबान जिला बून्दी को धारा 110 जाप्ता फौजदारी में गिरफ्तार करके दिनांक 11.4.96 को न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब, केशवरायपाटन के समक्ष पेश करने पर न्यायालय ने जयकिशन मीणा के खिलाफ बनाये गये मामले को नियम विरुद्ध एवं बनावटी मानकर पुलिस के इस्तगासे को खारिज कर दिया। गिरफ्तारी की दिनांक 8.4.96 को जयकिशन मीणा के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता या अन्य किसी अधिनियम के तहत किसी जुर्म की कोई कार्यवाही जेर कार नहीं थी। पुलिस द्वारा बताये गये मुकदमा इल्जाम नम्बर 113/90 पुलिस थाना लाखेरी (जिला बून्दी) का फैसला न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग लाखेरी द्वारा दिनांक 20.12.94 को किया जाकर जयकिशन मीणा को निर्दोषी मानकर बरी कर दिया गया है। जानबूझकर जयकिशन मीणा के अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण धारा 110 जाप्ता फौजदारी के इस्तगासे में मुकदमे का फैसला होने के बाद भी मुकदमे का हवाला देकर गैर जिम्मेदाराना कार्य किया है।

जयकिशन मीणा के खिलाफ अपर्याप्त आधार पर कार्यवाही करके गिरफ्तार करके 3 दिन तक नाजायज हिरासत में रखने के दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं की जाने से बेईमानीपूर्ण भावना से कार्यवाही करने वाले दोषी को दण्ड नहीं मिल सका हैं।

अतः इस संबंध में अविलम्ब जांच की जाकर दोषी पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जाकर अनुसूचित जनजाति के जयकिशन मीणा को नाजायज हिरासत में रखने के आरोपों के खिलाफ फौजदारी प्रकरण भी दर्ज करवाया जावें। निर्दोषी जयकिशन मीणा को क्षतिपूर्ति राशि अदा की जावें।

(रघुवीर सिंह)

बिसाऊ में उर्दू अध्ययन की व्यवस्था

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय—बिसाऊ में कक्षा 11 और 12 में उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण उर्दू प्रेमी तथा माध्यमिक कक्षा में उर्दू में उत्तीर्ण छात्रों को कहीं भी प्रवेश नहीं मिलने के कारण बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई है। राज. सीनियर मा. विद्यालय, बिसाऊ, रा. मा. वि. गांगियावास तथा रा. मा. विद्यालय रॉई में उर्दू पढ़ाने पढ़ने की व्यवस्था है जिनके कारण इन विद्यालयों के उर्दू के छात्रों को बहुत कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। इस क्षेत्र तथा विद्यालय के अधिकारियों को सरकार से अनुरोध कर रखा है कि रा. सी. मा. विद्यालय—बिसाऊ में उर्दू पढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जाये। मैं इस मामले को 15.9.97 को विधान सभा में नियम 295 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं। कृपा कर अनुमति प्रदान करें।

सादर।

(रामनारायण चौधरी)

स्टेट मोटर गैराज में पूर्व सैनिक वाहन चालकों के साथ अन्याय

महोदय,

राजस्थान राज्य मोटर गैराज में भूतपूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर वाहन चालक के पद पर किन सेवा-शर्तों के आधार पर रखा जाता है तथा इनके वेतन-निर्धारण में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है? यह एक जांच का विषय है।

वाहन चालकों के पद पर रखे गये पूर्व सैनिकों का राजस्थान स्टेट मोटर गैराज द्वारा बुरी तरह शोषण किया जा रहा है। पहले इन वाहन चालकों को कुल 2517 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था और उन्हें एक माह में चार अवकाश भी देय थे, लेकिन अचानक उनके वेतन में 700 रुपये प्रतिमाह की कमी करते हुए उनका वेतन 1800 रुपये प्रतिमाह निर्धारित कर दिया है। जहां एक ओर महंगाई दिनों-दिन बढ़ रही है, वहीं इन वाहन चालकों के वेतन में 700 रुपये प्रतिमाह की कमी किया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है और यह उनके साथ हो रहे अन्याय को परिलक्षित करता है।

ऐसे वाहन चालक सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सेवा में आये हैं। इनका जीवन अनुशासित होने के कारण इनकी सेवाएं सदैव सन्तोषप्रद रहती हैं। ऐसे में भी इन वाहन चालकों को चार-पांच माह तक वेतन नहीं देकर राज. स्टेट मोटर गैराज इनकी तकलीफ को और अधिक कष्टकर बना रहा है। इन वाहन चालकों के सम्बन्ध में की गई संविदा एक गहन जांच का विषय है।

राजस्थान स्टेट मोटर गैराज द्वारा पूर्व सैनिकों (वाहनचालकों) के साथ किये जा रहे अन्याय व शोषण से उत्पन्न स्थिति एवं इनकी सेवाएं नियमित किये जाने की ओर मैं विशेष उल्लेख के जरिये मा. राज. स्टेट मोटर गैराज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(भीमराज भाटी)

गंगापुर में सड़कों की दुर्दशा

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन करना चाहता हूं।

गत कई वर्षों से गंगापुर-हिण्डौन सड़क व गंगापुर-जयपुर सड़क कई स्थानों से क्षतिग्रस्त है। विभाग प्रतिवर्ष पेच लगा देता है लेकिन कुछ दिन पश्चात् पेच खराब हो जाते हैं, इससे आवागमन में भारी असुविधा होती है। इसके अलावा आज तक डाक बंगला तक की सड़क का निर्माण विभाग ही करवाता रहा है।

गंगापुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सड़क आज भी अधिकतर अधूरी पड़ी है। जैसे—मीनापाडा से नारायणपुर रखाड़ा, इस सड़क का निर्माण सन् 1987 में प्रारम्भ किया था, ग्राम सलेमपुर-मोहचा, बुचालोई-हिग्योरा आदि का निर्माण कार्य गत तीन वर्षों से चल रहा है जो कि आज तक अधूरी है।

अतः मैं निवेदन के साथ-साथ मांग भी करता हूं कि ये सड़कें अधूरी क्यों पड़ी हैं इन्हें अतिशीघ्र पूर्ण कराकर जिस अधिकारी व ठेकेदार ने विलम्ब किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए शीघ्र निर्माण कार्य करावें।

सादर।

(हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

माही डैम की डूब में आये गांवों तक नहर नहीं

महोदय,

बांसवाड़ा जिले में माही डैम बना करीबन 25 वर्ष हो गये। वहां के आदिवासियों की जमीन डूब में आने के कारण घर से बेघर हो गये, लेकिन आज तक कई गांवों में नहरें नहीं पहुंची हैं। मेरा सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि कितने गांव ऐसे हैं जो सर्वे शुदा गांवों में नहरें नहीं पहुंची है? इस के क्या कारण हैं?

साथ में यह भी जानना चाहता हूं कि माही कैनाल नरथली पर कितनी बार ठेके हुये और किन कारणों से ठेके कैन्सिल किये गये। क्या सरकार अब कब तक ठेके नरथली केनाल की निविदा मंगवाकर काम कब तक चालू करायेंगे? मैं सिंचाई मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहूंगा कि आप माही की कैनालों के निर्माण हेतु ज्यादा बजट देने की कृपा करें।

(जितेन्द्र नीनामा)

जन संपर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं

महोदय,

निवेदन है कि राजस्थान जनसम्पर्क सेवा नियम 1966 के अन्तर्गत 14 तदर्थ पदोन्नति दी हुई है और आदेश में अंकित किया है कि कोई अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। यह तथ्य गलत है। सेवा नियम के अन्तर्गत सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जो पांच वर्ष की सेवा कर चुके हैं वे पदोन्नति हेतु पात्रता रखते हैं। केवल 5 वर्ष की सेवा अवधि वाले अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारियों को पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया जो नियमों का उल्लघंन है।

सूचना जन सम्पर्क विभाग समय-समय पर उन अधिकारियों का स्थायीकरण उन पदों पर नहीं करता है जो वे पद धारित कर रहे हैं। उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक पदों पर जो अधिकारी विद्यमान है वे जनसम्पर्क अधिकारी. एवं सहायक जनसम्पर्क अधिकारी पदों पर स्थायी किये हुये हैं। यदि उनसे उच्च धारित पदों पर वे स्थायी हो जाते हैं तो नीचे वाले पद स्थायीकरण हेतु रिक्त होंगे।

विभाग में लगभग 100 पद हैं जो स्थायी हैं लेकिन स्थायी पदानुसार उनका स्थायीकरण केवल 30 व्यक्तियों का ही हुआ है यदि समस्त पदों पर स्थायीकरण कर दिया जाता है तो अधिकांश अस्थायी व्यक्तियों को स्थायीकरण का लाभ मिलेगा। काफी पद 10-15 वर्ष की अवधि से अस्थायी चल कर उनकी सेवा वृद्धि प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जाती है जबकि वित्त विभाग के स्टेंडिंग आर्डर है जो पद पिछले 3 वर्ष से लगाकार बने हुये हैं उन्हें विभाग को प्रस्ताव भेजकर स्थायी करवा लेना चाहिए किन्तु विभाग इस मामले में निष्क्रिय रवैया अपनाये हुये है जिससे स्थायीकरण का लाभ नहीं मिलता। विभाग ने पिछले 7 वर्षों से कोई डी.पी.सी. नहीं कराई है यदि डी.पी.सी. होती तो पदोन्नति अधिकारी को धारित पद पर स्थायीकरण होने का अवसर मिलता और जिन पदों पर वे स्थायी हैं वे पद अस्थायी अधिकारियों के लिए स्थायीकरण के लिए उपलब्ध होते। विभाग के नकारात्मक रूप से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। सभी अन्य विभागों में सेवा अनुभव प्राप्त कर लेने के आधार पर उन्हें पदोन्नति हेतु पात्र माना जाकर विचारित किया जाता है। किन्तु 8-9 वर्ष सेवा अनुभव प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को विचारित न कर संविधान एवं नियम की पालना नहीं कर रहा है।

उपरोक्त लोक महत्व के प्रश्न पर विचार किया जाना परम आवश्यक है। इस हेतु कृपया अनुमति प्रदान करें।

(भीखा भाई)

टोडाभीम में महाविद्यालय

महोदय,

कॉलेज खोलने बाबत कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के बारे में बड़े दुःख के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या $1\frac{1}{2}$ लाख के लगभग है और उस क्षेत्र में कोई भी कॉलेज नहीं है। टोडाभीम कस्बा जो एक नगरपालिका क्षेत्र है जहां से कॉलेज 100 किलोमीटर के लगभग दूर है। जहां पर जाने के लिए भी साधन नहीं है। करौली एवं दौसा व जयपुर बच्चों को एडमिशन लेना पड़ता है लेकिन उनको एडमिशन नहीं दिया जाता है। अब की बार दौसा कॉलेज में फॉर्म जिन बच्चों ने भरा था उनको एडमिशन नहीं दिया गया और लोकल बच्चों को एडमिशन दे दिया यह समस्या हर साल आती है। टोडाभीम नगरपालिका का क्षेत्र है और यहां जो सीनियर स्कूल है उसमें कॉलेज के लिए पर्याप्त भवन भी है। बच्चों की संख्या भी इतनी है कि कॉलेज खुल सकता है और खेल के लिए भी मैदान है तथा आवागमन के भी साधन हैं।

अतः सारी परिस्थितियां टोडाभीम के अन्तर्गत कॉलेज खोलने के लिए पर्याप्त हैं फिर भी सरकार कॉलेज नहीं खोल रही है।

अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सादर।

(रामस्वरूप मीणा)